

जीतुचिसी नाम
पीछेवे

सरस्वती-दुर्गा-माता दा १०

रचना-मंग

b

or

भूमिका

यह हिन्दी भाषा के विकास का युग है। आज के वर्षीस वर्ष में इस भाषा की, पत्र अथवा गद्य की, रचना-शैली से आत की रचना-शैली विस्तृत भिन्न है। यही क्षणों, इस वर्ष पहले तक जिस शैली का उपयोग या आता था, आज उसमें भी महान् परिवर्तन हुआ दृष्टिगोचर होता। ज्यों-ज्यों नये-नये विचार, नये-नये दङ्ह तथा नये-नये भावों का कास होता जाता है एवं-एवं उन्हें भाषा-द्वारा अभिष्यक्त करने के लिए पै-ज्यो शब्द, नये-नये वाक्य और नयी-नयी शिलिंगों की भी आवश्यकता हती जाती है। यही कारण है हिन्दी में दिव-दिव नये-नये शब्द गढ़े जा रहे हैं और उन्हें उपयोग में लाने के लिए नवीन रचना-शिलिंगों का भी दुर्भाव हो रहा है। इन दिनों नये विचार के देसे अलेक सूल देखे जाते तिनकी लेखनशैली भी भिन्न-भिन्न है। ऐसी हालत में, भाषा की इस या सानिध्य अवलोकन में, घरी-घरी रूप-परिवर्तन करने के इस विकासमय ग्र में, इस भाषा के व्याकरण अथवा रचना-विधि के नियमों से कह रखना अप्रभव है और जहाँ रखने में भी हानि छोड़ लाभ नहीं है। ये भला इन दिनों हिन्दी के सर्वानुपूर्ण, निष्पम-शृणु, व्याकरणों अथवा रचना सम्बंधी युक्तिकों का लिखना कैसे सम्भव हो सकता है? ही, ज्यों-ज्यों गद्य में परिवर्तन होता जाय एवं-एवं व्याकरण और रचना की युक्तिकों में भी बदल करते रहना उचित है। यही सोचकर सुशिष्ट हिन्दी-विद्वानों द्वारा रचना-सम्बंधी दर्जनों युक्तिकों के विद्यमान रहते हुए भी मैंने 'रचना-

अर्थात् भाव की दृढ़ इच्छागमनवी होती ही पुलिला लिखने की अपरिहार
चेष्टा दी है; मैं यह दृष्टि नहीं डागा कि प्राक्किंडा गयी इच्छागमनवी
पुस्तक से मेरी यह शुद्ध इच्छा चाहे वह जापती। वह ही, इच्छा करने
का तरह इच्छा दृष्टि कि भाव के परिवर्तन की गति की तीव्रता
रेखाएँ मेंहां इस पुस्तक का लिखना बिना एहां नहीं कही जा सकती।

यह पुस्तक, प्राक्किंडा इच्छागमनवी को लेख में रखन
ही लिखी गयी है। अगर पुस्तकों में इस सम्बन्ध में दिये गए
नियमों ने, इस पुस्तक में दिये गए नियमों में, लाठों को बुरा
कुउ जीवनका मिलेगी। लिखने का हंगामा भी जया ही प्रश्न दोगा।
कुछ नये जया सर्वविषय सिद्धान्तों के व्यापारेना करने का भी प्रश्न
किया गया है। जैसे—जाठों की विभक्तियाँ शब्दों के साथ मिलाकर लिखी
जाएं या अठाग—इस सम्बन्ध में पुलिलुक विरोधन किया गया है। हिन्दी
की दरपति के सम्बन्ध में नये विचार के पात्रात्म विद्वानों के मत की पुष्टि की
गयी है। कश्चित् कुछ विद्वानों को यह मत रखिछर न हो : इसी प्रश्न
बहुत जगह नये-नये शब्दों, पदों, वाक्यों तथा मुहाविरों के प्रयोग की विषि
पर विचार करने की कोशिश भी हुई है। मैं भद्दों कह सकता कि इन सभी
यातों में मुझे कहाँ तक सकलता मिली है। इसके निर्णय करने का भार मे
अपने घनुर पाठकों पर ही सोंपता हूँ। भस्तु ।

इस पुस्तक से इच्छा सीखने की अभियाप्ता रखनेवाले विद्यार्थियों का
उपचार हो, इस बात को ख्याल में रखकर पुस्तक को यथासम्भव सीधे तौर
पर लिखने को चेष्टा की गयी है, जिससे विषय को समझने में कठिनाई का
सामना न करना पड़े। हर विषय को यथाविधि सरल भाषा-द्वारा समझने
का प्रश्न किया गया है। अगर इस तुरंत इच्छा से विद्यार्थियों को कुउ
भी लाभ हो सका तो मैं अपने प्रयास को सर्वधा सफल समझूँगा।

मुझे पुस्तक के सम्बन्ध में एक और निवेदन करना आवश्यक है।
मैंने पुस्तक में कारकों की विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर और

अलग लिखने के समय में, दोनों शब्दों के मतों का दिग्दर्शन करा दिया है परन्तु मिळाकर लिखने के समय में ही अधिक जोर दिया है। मेरा अकिञ्चित मत भी यही है; परन्तु प्रूफ संशोधन में अपनी असावधानी से पुस्तक में मैं अपने इस मत का सर्वांग प्रतिपादन न कर सका। इसके लिए मुझे खेद है। आशा है मेरे विज्ञ पाठक मुझे इसके लिए धन्या करेंगे और उन्होंने विभिन्न पाँच शब्दों से अलग हों उन्हें मिला हुआ ही जानेंगे।

पुस्तक लिखने में मुझे, हिन्दी-व्याकरण, व्याकरण चन्द्रोदय, रचना-चन्द्रिका, रचना-विचार, रचना-शिक्षा (बंगला), रचना-प्रशोध, विद्यविनिधि, तथा भंगरेजी की कुछ व्याकरण और रचना सम्बंधी पुस्तकों में सहायता हेतु पढ़ी है, अतएव इन पुस्तकों के लेखकों को धन्याचार देना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। पुस्तक के प्रथम संद को लिखने में मैंने हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, हिन्दी, भाषाविज्ञान तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कुछ पूज्य समापनियों के भाषणों से विशेष सहायता ली है। इनके रचयिताओं के प्रति मैं अपनी हुनरता प्रदर्शित करता हूँ। अन्तिम संद को लिखने में सरस्वती, चौंद, मर्यादा, शिक्षा तथा हिन्दी की अन्य प्रतिक्रियाओं की उत्तरानी फाइलों से मैंने पूरी मदद की है। इनके सम्मादकों का मैं आमतरी हूँ। इनके अतिरिक्त भी जयधी पाठक, भी शशिधर पाठक, शा० गगानदेव सिंह, भी देवधी पाठक आदि अन्तियों को भी, जिन्होंने लेख लिखने, पुस्तक की कापी करने तथा अन्य काल्पनिकों में मेरी सहायता दी है, मैं हृदय से बधाई देता हूँ। अंत में सरस्वती-भंडार पटना के मालिक धीरुत अस्तीती सचिवदानंद सिंह को भी धन्यवाद दिये विना मैं नहीं रह सक्ता जिन्होंने मेरी क्षुद्र रचना को प्रकाशित कर अपनी उदारता का पूर्ण-परिवर्त्य दिया है।

भारती-भवन, रत्नेश पो० हवेली बहुतुर (सुरेत) व्याकरणी- एशिया, १९८५	बिवेदक सुरेश्वर पाठक 'विद्यालंकार' विज्ञा
--	---

विषय-सूची

विषय	प्रथम खण्ड	पृष्ठ
प्रथम परिच्छेद		
भाषा-विचार		
द्वितीय परिच्छेद		
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति	...	१
हिन्दी भाषा का विकास	...	१
उर्दू भाषा	...	१०
हिन्दी का शब्द-भाष्टार	...	१३
	द्वितीय खण्ड	
प्रथम परिच्छेद		
भाषा-विचार	...	
द्वितीय परिच्छेद		
ऐश्वर्यों का सद्गुण	...	२२
प्रायदाता ऐश्वर्य	...	२५
प्रदिलाना शब्द	...	२१
{ चदितीय विद्या	...	२१
समाप्त-द्वारा हने शब्द	...	२०
पुनरक्ष शब्द	...	२२
तुज सामाजिक शब्दों के उदाहरण	...	२५
		२६

विषय

१ द्वितीय परिच्छेद

				पृष्ठ
शब्दों का अर्थ				
वाक्यार्थ	४९
भिन्नार्थक शब्द	५०
एक शब्द के अनेक अर्थ	५३
ध्रुतिसम-भिन्नार्थक शब्द	५६
एकार्थक शब्दों में अर्थभेद	५९
विगतिरायक शब्द	६०
वर्गविन्यास-मिश्र एकार्थक शब्द	६१
पदांग-विवरण	६५
एक ही शब्द का भिन्न-भिन्न रूप से प्रयोग	६६

२ तृतीय परिच्छेद

पद-संकलन				
लिङ्ग	७२
वर्णन	७४
कारक	८४
वर्त्त्य शास्त्रीय वाते	८४

३ चतुर्थ परिच्छेद

शब्दों का अन्तर्लेख				
विविध शब्द	१००

४ तृतीय खण्ड

५ चौथा परिच्छेद

व्याख्यान

...	१००
-----	-----	-----	-----

प्रियग				पृष्ठ
<u>वाक्यांग</u>	११८
द्वितीय परिच्छेद				
वाक्य-भेद	११६
किया के अनुसार वाक्य-भेद	१२२
तृतीय परिच्छेद				
वाक्य विश्लेषण	१२५
चतुर्थ परिच्छेद				
पद विशेष	१२९
पंचम परिच्छेद				
वाक्यरचना के नियम	१३१
षष्ठ परिच्छेद				
विशेष-विचार	१३६
सप्तम परिच्छेद				
<u>वाक्यरचना का अन्यास</u>	१४१
वाक्य-सङ्कोचन और सम्प्रसारण	१४२
वाक्यों का संयोजन और विभाजन	१४३
वाक्यों का परिवर्तन	१४४
वाक्य-परिवर्तन	१४५
वाक्यों का उपास्तर	१४६
अष्टम परिच्छेद				
रिक्त स्थानों की पूर्ति	१५३

प्रियग

नवम परिच्छेद

तोकथां

पात्राता

मन्य शास्त्रों के गुराविरेशार शब्द और वाक्यांगादि ... ११५

मन्य गुराविरेशार शब्द परामूर्त वा वाक्यांग आदि ... ११६

व्याकों वा प्रयोग

अनुच्छेद

दशम परिच्छेद

पर्याप्त प्रकाश

ग्यारहवाँ परिच्छेद

प्रत्यक्षना

१३

... ११७

... ११८

... ११९

... १२०

... १२१

... १२२

... १२३

... १२४

... १२५

चतुर्थ स्खण्ड

प्रथम परिच्छेद

भाषा की दीली

द्वितीय परिच्छेद

निवन्धन-चन्ना सम्बन्धी हुज नियम

तीय परिच्छेद

वर्णनात्मक लेख

जन्मु विषयक लेख

उद्भिद विषयक लेख

अचेतन पशापं विषयक लेख

रथान विषयक लेख

... २४०

... २४५

... २४१

... २४१

... २४६

... २४७

... २४८

विषय

पंतुर्यं परिच्छेद

शुष्ठु

विवरणात्मक लेख	***	***	... २५५
ऐतिहासिक लेख	***	***	... २५६
जीवनचरित्र-सम्बन्धी लेख	***	***	... २५७
भ्रमण-सम्बन्धी लेख	***	***	... २६०
सामाजिक घटना सम्बन्धी लेख	***	***	... २६१
	***	***	... २६२

पंचम परिच्छेद

विचारात्मक लेख	*		
नीति या प्रवाद वाक्य	***	***	... २७१
कार्य या फलाफल	***	***	... २८३
पुल्लनामक लेख	***	***	... २८५

षष्ठु परिच्छेद

विद्यालय सूचक लेख	***		

... ३००

सप्तम परिच्छेद

विचारात्मक लेख	***		

... ३०४

रचना-मयङ्क

प्रथम खण्ड

प्रथम परिच्छेद

भाषा-विचार

१—भाषा

जिसके द्वारा भनुष्य अपने मनोगत भाव दूसरों पर स्पष्ट कर से प्रगट कर सकता है और दूसरों के मनोगत भावों को समझ लेता है उसे भाषा कहते हैं। भनुष्य के हृदय में जो भाव या विचार उदय होते हैं उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने के लिए दूसरों की सहायता या सम्मति की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए वे भाव या विचार दूसरों के सामने प्रगट करने पड़ते हैं जो भाषा के ही द्वारा प्रगट हो सकते हैं। संसार का सारा यात्तर, भाषा के ही सहारे चलता है, भाषा सांसारिक व्यवहार ती जड़ है। यदी समाज विशेष को एक सूत्र में बाँधने का बन्धन बनाय है।

कोई भाषा सब दिन एक रूप में नहीं रहती, क्योंकि यह

अन्य सांसारिक चीजों की नार्दे परिवर्तनशील है। जिस भाषा का परिवर्तन या विकास रुक जाता है। वह जीवित भाषा नहीं कहला सकती। भाषा-विज्ञान-विशारदों का कथन है कि कोई भी प्रचलित भाषा एक हज़ार वर्ष से अधिक समय तक नहीं रुद्ध सकती है। आज जो हिन्दी हम लोग व्यवहार में लाने हैं वह इसी रूप में पहले नहीं थी। जब से इसका सूत्र-पात माना गया है अर्थात् चन्द्रघटार्ड के समय से ही आज तक न जाने इसमें कितने परिवर्तन हुए और कितने परिवर्तन भविष्य में होने वाले हैं। पर हाँ, भाषा में परिवर्तन इस मन्दगति से होता है कि हमको कुछ पता नहीं चलता और अन्त में इन परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप नई नई भाषाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा के परिवर्तन में स्थान, जल-यायु और सम्यता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक स्थान में जो भाषा पोली जाता है वही भाषा दूसरे स्थान में उसी रूप में नहीं थोली जा सकती है। जल-यायु के परिवर्तन से एक ही भाषा के शाश्वतों के उच्चारण में भेद एवं जाता है। इसी प्रकार सम्यता के विकास के साथ-साथ भाषा का भी विकास होने लगता है। क्योंकि सम्यता की उन्नति से नये-नये विचार उत्पन्न होने हैं और नये-नये विचारों से नये-नये दार्शनिक विद्याएँ भाषा-विद्यार्थी की धृति करने हैं। अतुर् ।

२—भाषाओं का आदि-स्रोत

भाषा-विज्ञान के विदेशों का अनुमान है कि शृंखि के आदि में सब मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे, एक ही स्थान पर रहने थे और एक ही भाषा । यदि मांगार के मित्र-विश्व प्राचीन दार्शनिकों मार्ग । अप्पन किए

जाय तो उनमें विचित्र समानता दृष्टिगोचर होती है। जब स्थान पर निर्धारित न होने के कारण लोग अपने आदिम-स्थान को छोड़कर जहाँ-तहाँ चले गये तब उनकी भाषाएँ भी सुनाये जाते हैं और उनके बोलने के लिए भिन्न-भिन्न रूप में हो गयीं और इन भिन्न नामों से प्रचलित हुएं। यह बात अवश्यक विद्याद-स्थान कि मनुष्यों का आदिम-स्थान कहाँ था और उनकी आदिम-भाषा क्या थी। जो हो यहाँ तक तो अवश्यक निर्णय हो सका है चाहे मनुष्यों का आदिम-स्थान कहीं भी हो वे एक ही भाषा व्यवहार करते थे और उसी भाषा से संसार की सब भाषाएँ निकली हैं जो तोन मुख्य भागों में बढ़ती जा सकती हैं।

(१) आर्य-भाषाएँ—जिस भाग में आदिम-आयों की वार्ता जानेवाली भाषा से निकली हुई भाषाएँ हैं। अर्थात् वैदिक, संस्कृत, संस्कृत, प्रारुद या भारतवर्ष में प्रचलित अन्य भाषाएँ और अंगरेजी, फ्रांसी, प्रोक, लैटिन आदि भाषाएँ।

(२) शास्त्री-भाषाएँ—इस भाग में सैमेटिक या शास्त्रीय की ओली जानेवाली भाषाएँ हैं। अर्थात् एथानी, अर्थी, हस्ती भाषाएँ।

(३) तूरानी-भाषाएँ—इस भाग में भंगोठ-जाति की जानेवाली भाषाएँ हैं। अर्थात्—मुगली, चीनी, जापानी, आदि भाषाएँ।

३—आर्य-भाषाएँ

हिन्दू की उत्पत्ति के विषय में शान प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त तीनों धेणी की भाषाओं में से आर्य-भाषाओं के विषय जानने की आवश्यकता है, इसलिए केवल इसी धेणी के सभी में यहाँ घोड़ा-यहुत प्रकाश खालने का यत्न किया जाता है।

तांत्रिक व्योगों की नारे परिवर्तनशील है। जिस का परिवर्तन या विकास रह जाता है। यदि जीवित भाषा उद्दला सकती। भाषा-विज्ञान-विद्यार्थी का कथन है कि वो प्रचलित भाषा एक हजार वर्ष से अधिक समय से हु सकती है। आज जो हिन्दी हम लोग व्यवहार में लाए हैं इसी रूप में पहले नहीं थी। जब से इसका सूत्र-पात माने दे अर्थात् चन्द्रघटार्दार के समय से ही आज तक न जानितने परिवर्तन हुए और किन्तु परिवर्तन भविष्य में होते हैं। पर हाँ, भाषा में परिवर्तन इस मन्दगति से होता है कि कुछ पता नहीं चलता और अन्त में इन परिवर्तनों के साम-स्वरूप नईनई भाषाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा के परिवर्तन में स्थान, जल-वायु और सभ्यता का भी बड़ा प्रभाव है। एक स्थान में जो भाषा योली जाती है वही भाषा स्थान में उसी रूप में नहीं योली जा सकती है। जल-वायु परिवर्तन से एक ही भाषा के शब्दों के उच्चारण में भेद पड़ते हैं। इसी प्रकार सभ्यता के विकास के साथ-साथ भाषा भी विकास होने लगता है। क्योंकि सभ्यता की उन्नति से नये-नये विचार उत्पन्न होते हैं और नये-नये विचारों से नये-नये व्यनकर शब्द-भाष्ठार की वृद्धि करते हैं। अस्तु ।

२—भाषाओं का आदि-स्रोत

भाषा-विज्ञान के विदेशी का अनुमान है कि सहिते के आदि सब मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे, एक ही स्थान पर रहते थे और एक ही भाषा योलते थे। यदि संसार के भिन्न-भिन्न ग्रामीण भाषाओं के शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन किया

य तो उनमें विविच्च समानता हिंगोचर होती है। जब एक न पर निर्याद न दोने के कारण लोग अपने आदिम-स्थान छोड़कर जहाँ-तहाँ चले गये तब उनकी भाषाएं भी स्थान-जल-चायु के कारण भिन्न-भिन्न रूप में हो गयीं और भिन्न-नामों से प्रचलित हुईं। यह घात अवतक विवाद-प्रस्त है गुप्तों का आदिम-स्थान कहाँ था और उनकी आदिम-भाषा कि मनुष्यों का आदिम-स्थान कहीं भी हो वे एक ही भाषा का गार कहते थे और उसी भाषा से संसार की सब भाषाएं आयी हैं जो तीन मुख्य भागों में बाँटी जा सकती हैं।

१) आर्य-भाषाएं—जिस भाग में आदिम-आद्यों की बोली बोली भाषा से निकली हुई भाषाएं हैं। अर्थात् धैदिक, संस्कृत, प्राकृत या भारतवर्ष में प्रचलित अन्य आर्य-और अंगरेजी, फ़रसी, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएं।

२) शामी-भाषाएं—इस भाग में संमेटिक या शामी-जाति जानेवाली भाषाएं हैं। अर्थात् इरानी, अरबी, और अराबी।

३) तूरानी-भाषाएं—इस भाग में मंगोल-जाति की बोली भाषाएं हैं। अर्थात्—मुगली, चीनी, जापानी, तुक्की आदि।

३—आर्य-भाषाएं

की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें दोनों धेणों को भाषाओं में से आर्य-भाषाओं के विषय में आधर्यकरता है, इसलिये केवल इसी धेणी के सम्बन्ध आ-यद्यन प्रकाश ढालने का यत्न किया जाता है।

हीना की अधिकांश जागियों नीन ऐलियों में विभक्त
गयी है—आर्द्ध, ग्रिंटिक और र्मांगन। इन गीनों में से आर्द्ध
की खोली जानेवाली भाषाएँ आर्य-भाषाएँ हैं, जागियों का आदित्य-
भाषान वही था एवं पिण्डमें इनिहास्टपे का अवतरण एक ही
महीन बुझा है। कोई कहते हैं माय पिण्डिया के आसपास ये लो
दहने थे, कोई कहते हैं उत्तरी-ध्येय के निकट इन लोगों का आदित्य-
भाषान था, कोई पहोमिया के आसपास इन लोगों का रहने
घराने है और कोई भारतवर्ष को ही। इन लोगों का आदित्य-
भाषान होना मानने दें। जो हो, कहीं भी इन लोगों का आदित्य-
भाषान हो पर इतना तो ज़रूर है कि ये लोग जहाँ-कहीं रहते।
एक ही भाषा योलते थे। कालान्तर में ये लोग संसार के भिन्न
भिन्न भाषों में यस गये। जो लोग योरोप में देसे उनकी भाषा का
झागान्तर होकर फ्रीक, लैटिन, अंगरेज़ी, अर्मनी आदि करे भाषाएँ
हो गयी, जो लोग फ़ारस में यस गये उनकी भाषा फ़ारसी हुई
और जो लोग भारत में आये उनकी भाषाएँ, शाहूत, संस्कृत,
हिन्दी आदि कहलायी। यही कारण है कि आज भी संसार
में प्रबलित हुजारों पेसे शब्द हैं जो प्रायः सभी आर्य-
भाषाओं से खोड़ा बहुत अंतर के साथ समता रखते हैं। यहाँ पर
कुछ देसे शब्दों की तालिका दी जाती है—

संस्कृत	मीडी	फ़ारसी	फ्रीक	लैटिन	अंगरेज़ी	हिन्दी
पितृ	पतर	पितृर	पाटेर	पेटर	फ़ाटर	पिता
मातृ	मतर	मादर	माटेर	मेटर	मदर	माता
		ग्रादर	फ़ाटेर	फ़ैटर	ग्रदर	मार्द
		यक	हैन	अन	यन	पक

नाम नाम नाम ओनोमा नामेन नेम नाम ।

ऊपर की तालिका को देखने से पता चलता है कि निकट अस्ती देशों की भाषाओं में दूरबर्ती देशों की भाषाओं की अपेक्षा अधिक समता है । जैसे, भारतवर्ष के निकट इयन है एस-लिप भारतवर्ष की भाषाओं और इरानी भाषाओं (मीडी, फ़ारसी) में अधिक समता पाई जाती है । इरानी भाषाओं और पुरानी संस्कृत या प्राह्ल देश से तो इतना घनिट सम्बन्ध है कि अगर आप इन्हियों के ग्राम्यीन धर्म-प्रचार ज़िन्दा-आवेस्ता (जो मीडी या पुरानी फ़ारसी में लिखी गयी है) के कुछ छन्दों को उठाकर पढ़ें तो यही जान पढ़ेगा कि हम ये दो की शब्दाओं के कुछ विचित्र रूप का पाठ कर रहे हैं । उदाहरण के लिये हम आवेस्ता का एक छंद यहाँ उद्धृत करते हैं—

तम् अमयं तम् यजतम्
श्रम् धेमसु शविष्टम्
मिष्टम् यज्ञार होमायः ।

अर्थात्—“यही शूखीर मिष्टदेव की होम से पूजा करता है, जो भव जन्मुओं पर दृष्टा करता है ।”

ऊपर के छन्दों के दादर संस्कृत के दादर से यहूत मिलते जूलते हैं । यही कर्तों व्याकरण में भी यहूत कुछ समता है ।

संसार की अधिकांश जातियों नीन देशियों में प्रियत हो रही है—आर्य, ईमेटिक और धर्मानुष। इन नीनों में से आयों की योनी जानेयारी मात्राएँ आर्य-भारती हैं, जायों का आदिम-स्थान कहीं या इस पिष्ठय में इगिदाम्पतों का अवलक एक मन रहते हैं, कोई कहने हैं मरण परियों के आनन्दाम ये लोग नहीं हुआ है। कोई कहने हैं उत्तरी-धर्म के निकट इन स्त्रियों का आश्रिम-स्थान या, कोई पदोन्मियों के आनन्दाम इन लोगों का रहना रहते हैं और कोई भारतवर्ष को ही इन लोगों का आदिम-स्थान होना मानते हैं। जो हो, कहीं भी इन लोगों का आदिम-स्थान हो पर इतना तो ज़हर है कि ये लोग जहाँ-कहीं रहते हैं एक ही भाषा बोलते हैं। कालान्तर में ये लोग संसार के भिन्न भिन्न भाषाओं में यस गये। जो लोग योगोप में वसे उनकी भाषा कहाँकर फ्रीक, लैटिन, अंगरेज़ी, जर्मनी आदि कहें भाषा हो गयीं, जो लोग फ़ारस में यस गये उनकी भाषा फ़ारसी हो गयीं और जो लोग भारत में आये उनकी भाषावर्ष, भारत, संस्कृत हिन्दी आदि कहलायीं। यही कारण है कि आज भी संस्कृत में प्रचलित हज़ारों देसे शब्द हैं जो प्रायः सभी भाषाओं से योड़ा बहुत अंतर के साथ समता रखते हैं।

कुछ देसे शब्दों की तालिका दी जाती है—	
संस्कृत मीडी फ़ारसी फ्रीक लैटिन	
पितृ पतर पिदर पाटेर पेटर	
मातृ मतर मादर माटेर	
आतृ ग्रतर ग्रादर फ़ाटेर	
एक यक यक हैन	
तृ थृ × द	

विचारों में से दूसरा विचार हमें अधिक उपयुक्त मालूम पड़ता है और यही विचार अधिक युक्तिसंगत और मान्य है। पहले विचार के अनुसार अगर हम संस्कृत को पाली आदि प्राचुर्यों और हिन्दी की जननी मान लें तो पहले संस्कृत भाषा की परिमाणा की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा। पहले भत के मानने वाले संस्कृत भाषा का अर्थ वह भाषा हेते हैं जिसमें, धीयुत पुण्योत्तमदास द्वंडन के मतानुसार हमारी प्राचीन सभ्यता का उत्तम उत्कर्ष लें हुए शब्दों में क्षय चित्तेरों की कृची से चिह्नित है, और जिसने संकड़ों वर्ष के संस्कार के बाद घतंजलि और काल्यापन के समय में अपना रूप निश्चय किया। संस्कृत की यह परिमाणा अधिक उपयुक्त भी है क्योंकि संस्कृत शब्द का अर्थ भी 'संस्कार किया हुआ' है। कुछ पाञ्चाल्य चिद्वानों का मत है कि संस्कृत एक प्रकार की अप्राकृतिक भाषा है जिसका यश, पूजन आदि काम के लिये ग्राहणों ने निर्माण किया था, और यह कभी बोलचाल की भाषा नहीं हुई। केवल गौरव के लिये शिशित-समुदाय ने इस भाषा में अथ लिखना शुरू किया। संस्कृत की यह परिमाणा मान्य नहीं हो सकती। धीयुत रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने उक्त परिमाणा का खंडन भलीभांति कर दिया है। जो हो, अगर दोनों परिमाणों में किसी को हम मान लें तो भी संस्कृत किसी अन्य भाषा की जननी नहीं हो सकती। विचार करने की धृत है कि जब बोलचाल की भाषा का संस्कार कर संस्कृत भाषा बनी तब वही संस्कृत जनता की बोलचाल की भाषा हो गयी, यह क्य सम्भव हो सकता है। अगर सम्भव मान लिया जाय तो प्रचलित भाषा का संस्कार होते ही वह भाषा कहाँ चली गयी? क्या नयी भाषा में ही मिल गयी? नहीं संस्कार होकर

द्वितीय परिच्छेद

हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति

यह दिखाया जा चुका है कि हमारी हिन्दी भी आर्य-भाषाओं में से एक है। अब दिखाना यह है कि किस प्राचीन आर्य-भाषा से इसकी उत्पत्ति खुर्द है।

हिन्दी की उत्पत्ति के विषय में दो मत इन दिनों प्रचलित हैं। पहला मत यह है कि संस्कृत-भाषा ही भारत के आर्यों की आदि-भाषा थी और वही धृष्ट होकर प्राहृत घनो और प्राहृत के अपधंश से धीरे-धीरे आजकल की भाषाएँ निकलीं। दूसरा मत यह है कि संस्कृत किसी भी समय में साधारण बोलचाल की भाषा नहीं रही है और अगर रही भी होगी तो केवल शिक्षित समुदाय की। शुरू से ही साधारण लोगों की भाषा इससे भिन्न थी। इस कारण प्राहृत भाषाएँ, जिनसे हिन्दी निकली है, संस्कृत से नहीं निकली हैं। यही नहीं बल्कि संस्कृत ही प्राहृत से निकली है। अर्थात् प्राचीन भाषा, जिसे मूल प्राहृत भी कहते हैं, समय के चक्र में पढ़कर धीरे-धीरे संस्कृत और प्राहृत घन गयी और इसी प्राहृत का जिसे पाली भी कहते हैं, परिवर्तित रूप हिन्दी आदि भारत की आधुनिक भाषाएँ हैं।

हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये दोनों

विचारों में से दूसरा विचार हमें अधिक उपयुक्त ग्रालूम पढ़ता है और यही विचार अधिक युक्तिसंगत और मान्य है। पहले विचार के अनुसार अगर हम संस्कृत को पाली आदि प्राष्टुतों और हिन्दी की जननी मान लें तो पहले संस्कृत भाषा की परिमापा की ओर हस्तिषात करना पड़ेगा। पहले मत के मानने वाले संस्कृत भाषा का अर्थ वह भाषा लेते हैं जिसमें, धीयुत पुरुषोत्तमदास दंडन के मतानुसार हमारी प्राचीन सभ्यता का उत्तम उत्कर्ष ढाले हुए शब्दों में दृश्य चित्तों की कुँची से चिप्रित है, और जिसने सैकड़ों वर्ष के संस्कार के बाद पतंजलि और काल्यायन के समय में अपना रूप निश्चय किया। संस्कृत की यह परिमापा अधिक उपयुक्त भी है क्योंकि संस्कृत शब्द का अर्थ भी 'संस्कार किया हुआ' है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि संस्कृत एक प्रकार की अग्राहक्तिक भाषा है जिसका यह, पूजन आदि काम के लिये धार्मिकों ने निर्माण किया था, और वह कभी घोलचाल की भाषा नहीं हुई। केवल गौरव के लिये शिद्धित-समुदाय ने इस भाषा में प्रथ्य लिखना शुरू किया। संस्कृत की यह परिमापा मान्य नहीं हो सकती। धीयुत रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने उक्त परिमापा का खंडन भलीभांति कर दिया है। जो हो, अगर दोनों परिमापाओं में किसी को हम मान लें तो भी संस्कृत किसी अन्य भाषा की जननी नहीं हो सकती। विचार करने की बात है कि जब घोलचाल की भाषा का संस्कार कर संस्कृत भाषा बनी तब वही संस्कृत जननी की घोलचाल की भाषा हो गयी, यह कब समय हो सकता है। अगर सम्भव मान लिया जाय तो प्रचलित भाषा का संस्कार होते ही वह भाषा कहाँ चली गयी? क्या नयी भाषा में ही मिल गयी? नहीं संस्कार होकर

द्वितीय परिच्छेद

हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति

यह दियाया जा शुका है कि हमारी हिन्दी भी आर्य-भाषा में से एक है। अब दिखाना यह है कि किस प्राचीन आर्य से इसकी उत्पत्ति दुर्लिख है।

हिन्दी की उत्पत्ति के विषय में दो मत इन दिनों प्रचलित हैं। पहला मत यह है कि संस्कृत-भाषा ही भारत के जाति की आदि-भाषा थी और वही ध्रष्टुकर प्राहृत वनों और प्राचीन के अपञ्चंश से धीरे-धीरे आजकल की भाषाएँ निकलीं। दूसरा मत यह है कि संस्कृत किसी भी समय में साधारण योग्यता की भाषा नहीं रही है और अगर रही भी होगी तो केवल शिव समुदाय की। युरोप से ही साधारण लोगों की भाषा इससे निकली है। इस कारण प्राहृत भाषाएँ, जिनसे हिन्दी निकली है, सांस्कृत से नहीं निकली हैं। यही नहीं यहिं संस्कृत ही प्राहृत निकली है। अर्थात् प्राचीन भाषा, जिसे मूल प्राहृत भी कहा जाता है, समय के बदल में पड़कर धीरे-धीरे संस्कृत और प्राहृत गयी और इसी प्राहृत का जिसे पाली भी कहते हैं, परिवर्ती रूप हिन्दी आदि भारत की आधुनिक भाषाएँ हैं।

हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये दो

विचारों में से दूसरा विचार हमें अधिक उपयुक्त मान्दम पड़ता है और यही विचार अधिक युक्तिसंगत और मान्य है। पहले विचार के अनुसार आगर हम संस्कृत को पाठी आदि प्राष्टृतों और हिन्दी की जननी मान लें तो पहले संस्कृत भाषा की परिमापा की ओर हटिपात करना पड़ेगा। पहले मत के मानने वाले संस्कृत भाषा का अर्थ वह भाषा लेते हैं जिसमें, श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टंडन के मतानुसार हमारी प्राचीन सभ्यता का उत्तम उत्कर्ष छले हुए शब्दों में दक्ष चित्तरों की कुँची से चित्रित है, और जिसने सैकड़ों वर्ष के संस्कार के बाद पतंजलि और काल्याशन के समय में अपना रूप निश्चय किया। संस्कृत की यह परिमापा अधिक उपयुक्त भी है क्योंकि संस्कृत शब्द का अर्थ भी 'संस्कार किया हुआ' है। कुछ पश्चात्य विद्वानों का मत है कि संस्कृत एक प्रकार की अपार्कृतिक भाषा है जिसका यश, पूजन आदि काम के लिए प्राह्लणों ने निर्माण किया था, और वह कभी बोलचाल की भाषा नहीं हुई। केवल गौरव के लिए शिक्षित-समुदाय ने इस भाषा में प्रथ्य लिखना शुरू किया। संस्कृत की यह परिमापा मान्य नहीं हो सकती। श्रीयुत रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने उक्त परिमापा का छंडन भलीभांति कर दिया है। जो हो, अगर दोनों परिमापाओं में किसी को हम मान लें तो भी संस्कृत किसी अन्य भाषा की जननी नहीं हो सकती। विचार करने की धार है कि अप योलचाल की भाषा का संस्कार कर संस्कृत भाषा अनी तथ यही संस्कृत जनता की योलचाल की भाषा हो गयी, यह क्य सम्भव हो सकता है। अगर सम्भव मान लिया जाय तो प्रचलित भाषा का संस्कार होते ही यह भाषा कदाँ चली गयी? क्या नथी भाषा में ही मिल गयी? नहीं संस्कार होकर

द्वितीय परिच्छेद

हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति

यह दिखाया जा सकता है कि हमारी हिन्दी भी आर्य-भाषाओं में से एक है। अब दिखाना यह है कि किस प्राचीन आर्य-भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है।

हिन्दी की उत्पत्ति के विषय में दो मत इन दिनों प्रचलित हैं। एहता मत यह है कि संस्कृत-भाषा ही भारत के आर्यों की आदि-भाषा थी और यही धृष्ट होकर प्राहृत यनों और प्राहृत के अपर्धना में धीरे-धीरे आजकल की भाषाएँ निकली। दूसरा मत यह है कि संस्कृत किसी भी समय में साधारण घोलचाल की भाषा नहीं रहा है और अगर वही भी होगी तो केवल शिवित समुदाय की। शुद्ध सं ही साधारण लोगों की भाषा हमसे भिन्न थी। इस कारण प्राहृत भाषाएँ, जिनसे हिन्दी निकली है, से नहीं निकली हैं। यही नहीं बल्कि संस्कृत ही निकली है। अर्थात् प्राचीन भाषा, जिसे मूल है, समय के बदल में पहुँचर धीरे-धीरे संस्कृत गयी और इसी प्राहृत का जिसे पाली न हम हिन्दी आदि भाषा की अनुनिक हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति के

का सूत्र शात् दुआ। उधर संस्कृत दिन-य-दिन चाकरण आदि के हठिन प्रतिबन्धों से अधिकाधिक जकड़ती गयी और उसका परिवर्तन ही रुक गया। हाँ, उसकी कुछ शाखाएँ उससे फूट कर पचलित प्राहृतों में मिल अवश्य गयी। पर इससे संस्कृत को पाश्चातों और हिन्दी की जननी नहीं कहा जा सकता। सापंश पह है कि हमारी हिन्दी शौरसेनी और अर्द्धमागधी से धनी और शौरसेनी और अर्द्धमागधी उन प्राहृतों से निकली जिसकी जननी मूल प्राहृत थी, संस्कृत नहीं। अगर संस्कृत माने तो यह संस्कृत जिसकी परिभाषा टंडनजी के मनानुसार ऊपर दी गयी। अतः कहना पढ़ता है कि हिन्दी संस्कृत की पुर्वी नहीं है। हाँ सम्बन्धी अवश्य है। हिन्दी और संस्कृत में मातृत्व का सम्बन्ध नहीं, घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य है और इसी घनिष्ठता के कारण संस्कृत के द्वजारो शब्द हिन्दी में व्यवहृत हो रहे हैं। नीचे और भी स्पष्ट करने के लिये एक वंश-सूक्ष दिया जाता है—

आर्य-भाषाएँ

मूलप्राहृत (पुरानी संस्कृत)

संस्कृत		पाली आदि प्राहृत
मागधी	अर्द्धमागधी	शौरसेनी
	पूर्वी हिन्दी	पश्चिमीय हिन्दी
		वर्तमान हिन्दी

नहीं माया थनने के, पार भी यह प्रचलित माया प्रचलित रही जो पाली आदि प्रारनों की भी जननी हुँ। पर ही भीयुत टंडन महादाय के, मतानुमार यदि संस्कृत शब्द में उन समस्त वोलियों का समावेश हो, जो शब्दंशु की शब्दाओं औं तापाधात् प्रारनों के समय में वोली जाती थीं और जिन स्यमायतः न केयल शिष्ट किन्तु ग्रामीण तथा अदिक्षित जातियों के भी शब्द सम्मिलित थे औं र आरेक्षिक हैं से जिसका प्रचलित पीछे के काल तक होता आया अर्थात् जो सहस्रों वर्षों से इस देश में रूपान्तरित हो पतंजलि के समय तक वोली आ रही, तो यह माना जा सकता है कि संस्कृत से ही आधुनिक भारतीय भाषाएँ निकली हैं।

तात्पर्य यह है कि प्रारम्भ में जब आर्य लोग यहाँ आये तो जीती-जागती एक साधारण भाषा बोलते थे जिसमें यहाँ आदिम-नियासियों के संमान से कुछ परिवर्तन भी हुआ। भाषा संस्कृत से मिलती-जुलती थी पर संस्कृत नहीं थी। भाषा को हम मूलप्राचृत कह सकते हैं, पुरानी या बीती संस्कृत भी कह सकते हैं। वोठे जाकर इसी भाषा का संस्कृत करते-करते एक अलग भाषा बनी जो संस्कृत कहलायी पर इस भाषा के निकलते ही सर्वसाधारण की भाषा मूलप्राचृत भुमि नहीं हुई, हीं संस्कृत का यहुत कुछ प्रभाव उस सर्वथा लुप्त नहीं हुई, वोठे संस्कृत का यहुत कुछ प्रभाव उस अवश्य पड़ा। अब जो संस्कृत से मिल सर्वसाधारण की भाषा (मूलप्राचृत) रही उसके रूप में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ वह कर्म प्राचृतों में बदल गयी। वोठे इन पाली आदि प्राचृतों के पान्तर होकर मायाधी, शौरसेनी, अर्दमायाधी आदि कर्म भ्रंशा भाषाएँ हुँ जिनमें शौरसेनी और अर्दमायाधी से फिर

का सूचनाल हुआ। उधर संस्कृत दिन-य-दिन व्याकरण आदि के कठिन प्रतिबन्धों से अधिकाधिक जटिलती गयी और उसका परिवर्तन ही रुक गया। हाँ, उसकी कुछ शाखाएँ उससे पूटकर प्रवर्णित प्राहृतों में मिल अवश्य गयीं। पर इसमें संस्कृत को प्राहृतों और हिन्दी की जननी नहीं कहा जा सकता। सारांश यह है कि हमारी हिन्दी शौरसेनी और अर्द्धमागधी से यहीं और शौरसेनी और अर्द्धमागधी उन प्राहृतों से निकली जिनकी जननी मूल प्राहृत थीं, संस्कृत नहीं। आगर संस्कृत माने तो वह संस्कृत जिसकी परिभाषा टंडनजी के मनानुसार ऊपर दी गयी। अतः कहना पढ़ता है कि हिन्दी संस्कृत की पुरी नहीं है। हाँ सम्यन्धी अवश्य है। हिन्दी और संस्कृत में मात्रत्व का सम्बन्ध नहीं, घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य है और इसी घनिष्ठता के कारण संस्कृत के हजारों शब्द हिन्दी में व्यवहृत हो रहे हैं। नीचे और भी स्पष्ट करने के लिये एक धंश-नूक्स दिया जाना है—

आर्य-भाषाएँ

मूलप्राहृत (पुरानी संस्कृत)

संस्कृत		पाली आदि प्राहृत
प्रागाची	अर्द्धमागधी	शौरसेनी
	पूरी हिन्दी	पश्चिमीय हिन्दी
वर्तमान हिन्दी		

हिन्दी-भाषा का विकास

धर्मेय मिथ्यशुभ्रों के काणनानुभाग हिन्दी उस भाषा का नाम है, जो विशेषतया युक्तप्रान्त, विद्वार, घुन्डेलखंड, पञ्चल-खंड, छत्तीसगढ़ आदि में बोली जाती है और सामाज्यनाया धंगाल को छोड़ समस्त उसकी और मध्यभारत की मानृभाषा है। मोटे प्रकार से इसे भाषा भी कहते हैं।

पिछले प्रकरण में यह बताया गया है कि मूल प्रारूप से पाली आदि प्रारूप भाषाएँ निकली जिनका विकास होता गया और समय पाकर मागधी शौरसेनी, महाराष्ट्री आदि उसके कई विभाग हो गये। इन अन्तिम भाषाओं को तृतीय प्रारूप कह सकते हैं क्योंकि ये प्रारूप भाषाओं के तीसरे रूप हैं। इन्हीं भाषाओं के रूपान्तर से हिन्दी-भाषा का सूत्र-पात हुआ। इन भाषाओं का समय मोटे प्रकार से ८ वीं शताब्दी से लेकर १२ वीं शताब्दी तक माना गया है। इसी समय हिन्दी-भाषा का सूत्र-पात हुआ। हिन्दी-पद्य का आदि-प्रन्थ चन्द्रबरदाई वृत 'पृथ्वीराज रासो' की रचना इसी काल में हुई। रासो की भाषा हो इसका प्रमाण है, रासो के रचना-काल में ही घुन्डेलखंड में जगनिक कवि ने 'आल्हा' प्रन्थ रचा जिसका मूल प्रन्थ अप्राप्य है। चन्द्र के बाद से ही हिन्दी के पद्य-भाग का विसर्ग प्रारम्भ होता है। १२ वीं शताब्दी से लेकर १६ वीं शताब्दी तक इस भाषा के बहुत से पद्य-प्रन्थ रचे गये। अर्द्ध-मागधी के रूपान्तर से पूर्वी-हिन्दी का विकास हुआ जो विद्वार में बोली जाने लगी। कविवर विद्यापति इस भाग के थेष्ठ कवि हो गये हैं। शौरसेनी के रूपान्तर से ग्रजभाषा का अंकुर जमा जो

प्रज्ञानेश्वर में अवश्यक हुई। जिस समय प्रज्ञनाया का गृष्ण-गान दृश्या उस समय उत्तर-भाग में यंत्रों और कुण्ड के भनों का विद्युत प्रभाव गहा और यही कारण है कि अन्य उत्तरियों का अंगठा टीकामंडली से निकली हुई प्रज्ञनायाहिन्दी का सदर्श अधिक विद्यम हुआ। प्रज्ञानेश्वर भाग्यन कृष्ण का बीजांत्र भाग्य आता है। इसलिए हुआ कि उत्तरक वर्षियों के प्रभाव में प्रज्ञानेश्वर में और उत्तर का प्रभाव प्रज्ञनाया का गुण विद्यम हो दृश्या ही, इसके अनुरिक विद्या, अवश्य, दुर्लभतांड, ग्राहकृत्यां आदि में भी इसका गृष्ण प्रचार हुआ। यही तक कहा जाता है कि दूर-दूर दृश्यों से कृष्ण के अन्य उत्तरक प्रज्ञनायाहिन्दी में व्याप्ति कर यही कृष्ण-गुणात्मके लक्ष्योंहो गये। अलम्बन १३ वीं शताब्दी में लेख १८ वीं शताब्दी तक प्रज्ञनाया ही यां उत्तर-भाग की पथ भाग्य रही। इस विश्वास अवधि में गृष्ण-ग्रन्थ, देवउत्तर, उत्तरार्द्ध के दर्शि, लिहारी, राष्ट्रिय, भूर्ज, मतिग्रन्थ आदि निष्ठाओं कीविह हैं गये जिनके ग्रन्थ हमें उपलब्ध हैं, उत्तरी शताब्दी तक मार्गेन्द्रु द्विष्ट्रियक के उपलब्ध भी प्रज्ञनाया में ही विद्यायें लिखी गयी हैं। मार्गेन्द्रु के उपलब्ध देव, भैनाराजि, पद्मनेत्र, एदमाकर, दूर्लभ, दाहर आदि दृश्यों से प्रज्ञनाया के दर्शि ही गये हैं जिनसी दर्शितार्द्द मार्गेन्द्रु दृश्य से दर्शि ही मार्गेन्द्रु है। जिस समय प्रज्ञानेश्वर में प्रज्ञनाया की दृश्यों खोल रही थीं उसी समय अन्य १३ वीं और शीताब्दी शताब्दी के मध्य टीकामंडली और मतार्दी के सम्बन्धन से दूरी हुई अवधी, जिसे 'देवनार्दी' भी कहते हैं, मात्रा का भी विद्यम हुआ परम्परा उत्तराल्पा में प्रज्ञनाया के द्वारा में उत्तर उत्तर गृण-विद्याय कहा गया। मन्त्रिक सुरभ्यद् शास्त्री का

'गृहमायन' और महाकवि तुलसीदाम के रामायण आदि प्रनृतिधी-भाषा के उत्कृष्ट नमूने हैं। भारतेन्दु के काल से ही जभाषा का विकास भी मंद पहुँचा गया और यद्यपि वर्तमान अम्य में कवियर जगन्नाथदाम गत्वाकर, थोरुत धीर्घर पाठक आदि कवि अजभाषा में कविता करते हैं परन्तु अब तो खट्टी-खट्टी-खोली के पदों का प्रचार अधिक बढ़ रहा है। इस खट्टी-खोली ; पद्य में भी अप्य युगान्तर पैदा हो रहा है। यंगला तथा अन्य भाषा के प्रभाव से खट्टी-खोली में रहस्य-याद और छाया-याद भी कविता करने की ओर नवयुवक कवि-समाज की दृष्टि बढ़ ही है। माल्दूम नहीं इसका भविष्य क्या होगा—आजकल रहस्य-याद और छाया-याद की कविता का युग है।

यह तो दुर्दिनी-पद्धति-विभाग की यात्रा। गद्य-विभाग
में सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि १३ वीं शताब्दी के पूर्व
सका कोई पता नहीं था। भारतीय के कुछ सनदों में यहाँ की
गति के नमूने मिलने हैं। १५ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में
इस गोरखनाथ का प्रज्ञमाणा में लिखा गद्य-प्रथा मिलता
है। १७ वीं शताब्दी में महात्मा नाभादास, गंग भाट आदि ने गद्य
कुछ प्रथा लिखे हैं। १८ वीं शताब्दी में भी देव, दास, ललित,
बेलोरी आदि ने गद्य-रचना की। सारंग यह है कि १८ वीं
शताब्दी तक हिन्दी या प्रज्ञमाणा में गद्य लिखने की घाल इतनी
भी थी कि उसका विकास भी नहीं दुआ। तभी तो उस समय
एक ऐसा कोई भी उम्हाए गद्य-प्रथा हमें नहीं मिल रहे हैं। १९ वीं
शताब्दी से गद्य का विकास शारम्भ होता है। 'हिन्दी-मात्ता-
गर' के लेखक अध्यापक शामदास गोड और लाला भाषान-
कर्त्तव्यानुसार हिन्दी-गद्य के आदि-लेखक मुंशी

संशोधन सुख है। उनके बाद भी कुछ गद्य-लेखक और उनकी रचनाएँ मिलती हैं परन्तु लल्लूलालजी के समय से इसका विकास प्रारम्भ होता है। उनका लिखा प्रेमसागर आगरे के निकट खोली जानेवाली भाषा में लिखा गया है जिसमें ब्रजभाषा को पृथक्ता और खड़ी-बोली के प्रादुर्भाव का चिह्न स्पष्ट दिखार्दे पहता है। अतः हिन्दी-गद्य के जन्मदाता होने का अधिक धेय लल्लूलालजी को ही है। उसके बाद गद्य की भाषा में उर्दू के शब्दों का पुट मिलाना शुरू हुआ। राजा शिवप्रसाद सिंहरेहिन्द की खड़ी-बोली में अरवी-फारसी के शब्द घटुतायत से प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु राजा लक्ष्मणसिंह की गद्य-रचना विशुद्ध हिन्दी में है। इसके बाद भारतेन्दु हरिष्चन्द्र ने हिन्दी-गद्य को अधिक परिष्कृत कर दिया। आजकल लिखने जानेवाले हिन्दी-गद्य की इनके समय में बड़ी उन्नति हुई। पश्चात् प्रतापनारायण मिथि, बालमुकुन्द गुप्त, मद्हावीप्रसाद द्विवेदी आदि मद्हातुमाओं का लेखनी से हिन्दी-गद्य की काया ही पलट गयी और आज पश्च-विभाग से गद्य-विभाग का ही अधिक विकास हो रहा है। विद्वानों का कहना है कि खड़ी-बोली का प्रादुर्भाव भेरड और उसके आसपास बोली जानेवाली भाषा से हुआ है।

उर्दू-भाषा

कुछ लोगों का कहना है कि उर्दू एक अलग भाषा है। जो कारसी या अरवी से निकली है। परन्तु इसकी उत्पत्ति के विषय में विचार करने से तो यही पता चलता है कि उर्दू का उद्भव कोई विदेशी-भाषा नहीं है। हमारे विचार से उर्दू हिन्दी

का ही विट्ठल येत है। इसकी उत्तरी के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि इसका पूर्णपात शादजहाँ वादशाह के समय में हुआ है। ज्यध मारत में मुसलमानों का राज्य हुआ तो मुसलमानों का यहाँ के निवासियों से रातदिन खरोकार पड़ने लगा। उन्हें यहाँ की बोली सीखनी पढ़ी पर विदेशी होने के कारण वे जब यहाँ की प्रचलित भाषा घोलने लगे तो उनका दृसरा ही हप हो गया। फ़ारसी और अरबी शब्दों के सम्मिश्रण से उनकी भाषा एक विचित्र ढंग की हो गयी और विट्ठल भाषा उर्दू कहलायी। 'उर्दू' शब्द का अर्थ है 'लक्ष्कर' अर्थात् लद्दकर या छावनी में बोली जानेवाली भाषा। कहा जाता है कि दिल्ली में मुगलों की छावनी की मुसलमानी-सेना और हिन्दू दूकानदारों अथवा अन्य सरोकारी हिन्दुओं की बोली के आदान-प्रदान से पहले-पहल उर्दू का प्रारुद्धर्भव हुआ। अतः कहना पड़ता है कि उर्दू हिन्दी की ही मुसलमानी वेष्य है। फर्क इतना ही है कि आगर हिन्दी का प्रारूप और संस्कृत के तत्सम शब्द हैं तो उर्दू में फ़ारसी अरबी के। आगर उर्दू को नागरी-लिपि में याँ ओर से दाओर लिखना शुरू कर दें और योँ से अरबी और फ़ारसी तत्सम शब्दों को निकाल दें तो हिन्दी और उर्दू में कोई भेद नहीं रह जायगा। उर्दू के सबसे पढ़े शब्द-कोष 'फिहरंगे फ़िया' में कुल ३५०० शब्द हैं जिनमें आधे से भी अपेसे शब्द हैं जो हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। भला, वेसी दाला उर्दू को हिन्दी से भिन्न केवल लिपि में भेद होने से अलग माना जाय। पर उर्दू-खबरों का लुकाव देसा हो रहा है उर्दू को जटिल यताकर उसमें फ़ारसी और अरबी शब्द-पुसेहकर एक स्वतन्त्र भाषा का रूप देने की फ़िल्म में दृ

कहने का मतलब यह है कि उर्दू-हिन्दी में केवल लिपि और तासम शब्दों में भेद है।

हिन्दी के वर्तमान भेद—इस तरह वर्तमान हिन्दी के तीन भेद हो सकते हैं—(१) हिन्दी जिसमें संस्कृत के तद्देव और तासम शब्दों का अधिक प्रयोग हो, (२) उर्दू—जिसमें फ़ारसी और उर्दू के तद्देव और तासम शब्दों का अधिक प्रयोग हो और (३) हिन्दोस्थानी—जो बोलचाल की प्रचलित भाषा में लिखी गयी हो।

हिन्दी का शब्द-भाषणार

आजकल हिन्दी में यहुत भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हो चले हैं। यहुतों का तो यहाँ तक कहना है कि जिस वाक्य में केवल कियाए रहे हिन्दी रहे और वाकी किसी भाषा के शब्द क्यों न प्रयुक्त हुए हों उसे भी हिन्दी ही कहा जायगा पर यह मत सर्वमान्य नहीं है। पर साथ ही बोलचाल में प्रयुक्त दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना भी कुछ युरा नहीं है। जो हो, पहले तो हिन्दी में प्राहृत और संस्कृत के ही शब्द प्रयुक्त होते थे पर मुसलमानों के संसर्ग से अरबी और फ़ारसी के तथा योरोपियनों के संसर्ग से अंगरेज़ी आदि योरोपियन भाषाओं के शब्द भी युस गये हैं। इस प्रकार इन दिनों निम्नलिखित प्रकार के शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं :—

- (१) प्राहृत के शब्द—ऐट, घाप, ऊंधना, कोट आदि।
- (२) संस्कृत के शब्द—मनुष्य, देव, पिता, माता आदि।
- (३) अरबी के शब्द—ग़ारीब, फ़़कीर, क़ुद्रत, अ़्वृत्त, इज़्ज़त, ह़क़, साहब, फ़िहसा, हुक्म, माफ़, घाद, नक़ल, मालिक,

दिनहार, मोक्षायिला, हाकिम, नालिदा, चाल, मालूम, शुगाय,
दुप्पा, खलीफा आदि ।

(४) फ़ारसी के शब्द—यन्द्रोषस्त, दस्नायेज़, द्वारीद,
गुमाइना, आइमी, कमर, चालू, दार्म, जहान, गुलाय, घुलबुल,
शाह, अमीर, उस्लाइ, शौक, गून, गर्म, सूद, होटा आदि ।

(५) अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द—

(क) तुक्का—तोप, तमग़, कोतल, उदू, बायर्ची, कानू,
आगा आदि ।

(ख) पुन्हंगोज़—कमय, नीलाम, गिर्जा, फ़र्म, अलमारी
पादरी ।

(ग) अंगरेज़ी—कलक्टर, कमिश्नर, मजिस्ट्रर, लाइ
काउन्सिल, पाउण्ड, पियेटर, कमीशन, रसीद, मालूर, अरबी
म्बूल, ईकालरेशेप, सार्टिफिकेट, सिक्केटरी, डिस्ट्रिक्टयोवै
स्युनिसपैलटी, टिकट, रेल, नोटिस, पजिन, फुट्याल, लां
ईच, घटन, वफ़स, पेन्सिल, सिलेट आदि ।

(द) प्रान्तीय भाषाओं के शब्द—

(क) मराठी—लागू, चालू, वाढा, आदि ।

(ख) घंगला—प्राणपण, उपन्यास, गव्य, अनुदीलन आदि ।

(७) देशज—डोंगी, डाम, चटपट, खटखट, हटपट आदि ।

इनमें अनुकरण वाचक शब्द भी सम्मिलित हैं ।

तद्धव और तत्सम शब्द

संस्कृत के ये शब्द जो अपने धार्तविक रूप में हिन्दी में आये हैं
तत्सम बहलते हैं और जो विट्ठ रूप में आये हैं वे तद्धव
बहलते हैं । जैसे—अग्नि, वायु, वेद, चांडाल, इश्य आदि

शब्द तत्सम और गहरा (गम्भीर), माय (माता), गुनी (गुणा),
घर (घट), हाप (हस्त), काम (कार्य) आदि तद्रूप शब्द हैं।

अरबी, फ़ारसी के शब्द भी तत्सम और तद्रूप दोनों रूप
में आने हैं; जैसे—हारोगा, नक्ल, तुम्ह, फ़िरदौ, फ़ियर,
ज़ुब्द आदि अरबी, फ़ारसी के तत्सम रूप हैं और बाजार, दोला,
नक्ल, कल्प, उजार, कलम, कदरदान आदि तद्रूप रूप हैं।

अंगरेजी में भी यही द्वाल है। दोनों रूप में इस भाषा के भी
शब्द व्यवहृत हो रहे हैं; जैसे—टिकिट, मिजिस्ट्रैट, कौलेक्टर,
कौमिन्य, हॉल, बौक्स आदि तत्सम रूप हैं और टिकट,
मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, कमिन्य, द्वाल, बक्स आदि उसके तद्रूप
रूप माने जाते हैं।

अरबी, फ़ारसी के हिन्दी में प्रयुक्त शब्दों के विषय में कुछ
हिन्दी के लेखकों का कथन है कि जहाँ तक हो उन शब्दों के
नीचे विन्दी देना चाहिये अर्थात् उसका तत्सम रूप ही
देना चाहिये एवन्तु इस कथन का निर्वाह होना मुदिकिल है।
योलचाल की भाषा में तो लोग यिहत रूप घोलते ही हैं साथ
ही लिखने में भी नुकता या विन्दी का विचार नहीं किया जा
रहा है। हमारी समझ में नुकता आदि के पचड़े में पढ़कर हिन्दी
जैसी सरल भाषा को जटिल बनाना उचित नहीं है। उसी
प्रकार अंगरेजी आदि शब्दों के विषय में भी हमारी यही धारणा
है अंगरेजी के शब्द जिस रूप में योलचाल की भाषा में प्रयुक्त
हो चले हैं उसी रूप में उन्हें व्यवहार करना ठीक है। इसका
कारण यह है कि हिन्दी में भाषा का सौन्दर्य बढ़ाने के श्याल से
ये शब्द नहीं लिये गये हैं बल्कि आवश्यकता की पूर्ति के लिये।
इसलिए जब उन शब्दों का योलचाल या समझने लायक

रूप में व्यवहार किया ही नहीं जायगा तो व्यर्थ ही उन शब्दों को हिन्दी में पुसेहने की आवश्यकता ही क्या है। यहाँ पर कुछ तत्सम और उसके अपभ्रंश रूप या तद्भव में प्रयुक्त शब्द से शब्द दिये जाने हैं—

संस्कृत

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
अङ्गान	अजान	केवल	कोरा
अनार्य	अनाही	गम्भीर	गहरा
आश्रय	आसरा	घृत	धी
उद्घाटन	उघारना	छत्र	छाता
कपोत	कवूतर	सौभाग्य	सोहाग
काक	काग	धूम्र	धुँआ
कुम्भकार	कुम्हार	दृत्त	दात
कोकिल	कोयल	सूत्र	सूत
		नृत्य	नांच
		ध्वनि	धुनि इत्यादि ।

संस्कृत के कुछ पेसे तद्भव शब्द जिसके तात्सम हिन्दी में प्रयुक्त नहीं होते—

तत्सम	अपभ्रंश	तत्सम	अपभ्रंश
अद्विषेन	अफीम	चम्चु	चोच
आमलक	आमला	घट	घाट
आष्ट्र	आम	गोविद्	गोयर
उष्ट्र	ऊँट	त्वरित	तुर्लत
खट्टा	खटिया	उद्वर्तन	उयटन

बुद्धिक्षम	चूल्हा	खपर	खपरा
चतुष्पदिका	चौकी	तिक	तीता
शलाका	सलाई	निरालय	निराला
घट	झट	मृतिका	मिट्टी
		सत्तु	सत् आदि ।
अरबी और फ़ारसी			
तत्सम	तज्ज्ञ	तत्सम	तज्ज्ञ
कदरदान	कदरदान	रफ़अ	रफ़ा
ज्यानून	ज्यनूल	मिझादी	म्यादी
कैद	कैद	बेज़ा	बेजा
इस्तहार	इस्तहार	बज़नामा	यैनामा
खातिर	खातिर	दअध्या	दाया
तज़्रीफ़	तारीफ़	तज़्लीम	तालीम
तसदीक	तसदीक	चस्म	चस्म
मुतवफ़्य	मोताफ़ा	किस्मत	किस्मत
शायद	स्यात्	मअ़मूली	मामूली
क़बूल	कबूल	यज़्वलीदा	यकसीस
जमावन्दी	जमावन्दी	मुआफ़	माफ़
ताज़्जुब	ताज़्जुब	जामअ़मलजिद	जुम्मामसजिद
स्पूराक	खुएक	मसजिद	महजीत
तस्त	तस्त	खुज्जम	खुलुम
ज़क्त	ज़क्त	स्वाहम़स्वाह	खांमखां
अफ़सोस	अफ़सोच	फ़म़स्वाव	कीमखाव
मौज़ा	मौज़ा	अग्नितयार	अखतियार
			आदि ।

अँगरेजी

तत्सम	तद्धव	तत्सम	तद्धव
पेंडिन	इंडिन	स्लेट	सिलेट
सम्मन	सम्मन	फ्लैलिन	फ्लालैन
लॉगहाथ	लंकलाठ	टरपेण्टाइन	तारपीन
टिकिट	टिकट	वेस्टकोट	वासकोट
यॅक	यंक	थियेटर	थेटर
डौटर	डाक्टर	मिल	मील
यौटल	योतल	माइल	मील इत्यारि ।

अभ्यास

१—हिन्दी की उत्पत्ति किसे दुर्ब समझाकर लिखो ।

Trace the origin of Hindi.

२—हिन्दी का अधिक सम्बन्ध संस्कृत से है या फ़ारसी से ।

Is Hindi closely related to Sanskrit or Persian ?

३—संस्कृत, अँगरेजी, फ़ारसी और आर्यी गांगा के द्वारा दरा दाढ़ों के नाम को जिनका अवगाह हिन्दी में आए ही ताह होता है ।

Mention ten words belonging to each of the Sanskrit, English, Persian and Arabic.

४—तत्सम और तद्धव से क्या समझते हो ? इस संस्कृत एवं तद्धव शब्दों को लिखो ।

What do you understand from तत्सम, and तद्धव ? Mention ten words of संस्कृत तद्धव.

‘—इनके मूल यताओ—

What is the origin of the following :—

नाच, चूल्हा, सफ्टु, अबूह, अजान, अधर, मीठ, तीता,
दाँत, घोड़ा, हाथी और रिस।

द्वितीय खण्ड

प्रथम परिच्छेद

शब्द-विचार

जो ध्वनि कान में सुनाई पड़े उसे शब्द कहते हैं, सब प्रकार के शब्द दो तरह के होते हैं—एक ध्वन्यात्मक दूसरा वर्णात्मक। जिन शब्दों के अक्षर स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़े उन्हें ध्वन्यात्मक और जिनके अक्षर अलग अलग सुनाई पड़े उन्हें वर्णात्मक कहते हैं। भाषा में ध्वन्यात्मक शब्द कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इसमें केवल वर्णात्मक शब्दों का ही विवेचन किया जाता है। पेसे शब्द के दो भेद हैं—एक सार्थक दूसरा निरर्थक। जिस शब्द का कुछ अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं; जैसे—राम, मोहन आदि। जिस शब्द का अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं; जैसे दय दय, अलयल आदि।

पुस्तक की दृष्टि से सभी सार्थक शब्द दो भागों में विभक्त हैं—कठूल और यीगिक; परन्तु सार्थक संज्ञा के शब्द हीन भागों में विभक्त हैं—कठूल, यीगिक और योगकठूल।

जिस शब्द के खंड का अर्थ न हो उसे रुढ़ शब्द कहते हैं। जैसे—राम, धन, मोह आदि। इन शब्दों में राम, धन, मोह में किसी भी स्वांड का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस शब्द के खंड का अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं, इस प्रकार के शब्द उपसर्ग, प्रत्यय या दूसरे शब्दों की मिलावट से बनते हैं; जैसे—पाठशाला, घुड़चड़ा आदि। इन शब्दों में पाठ+शाला में पाठ का अर्थ 'पढ़ने का' और शाला का अर्थ 'घर' है अर्थात् पढ़ने का घर, उसी प्रकार घुड़ का अर्थ घोड़ा और चड़ा का अर्थ चढ़नेवाला है अर्थात् पूरे शब्द का अर्थ घोड़े पर चढ़ने वाला है। योगरुढ़ शब्द (संज्ञा) यौगिक शब्द के समान ही होता या बनता है पर वह सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकाशित करता है; जैसे लम्बोदर आदि। यों तो लम्बोदर का शब्दार्थ हुआ लम्बा पेटवाला पर सभी लम्बे पेटवाले व्यक्तियों को लम्बोदर न कहकर गणेश को लम्बोदर कहते हैं। इसी प्रकार पंकज, चक्रपाणि, त्रिशूलधारी, जलज, आदि शब्द योगरुढ़ हैं।

फिर सभी सार्थक शब्द रूपान्तर के विचार से ही भागों में विभक्त हैं—एक विकारी दूसरा अविकारी, जिन शब्दों में लिंग, पचन और कारकादि के कारण कोई विकार उत्पन्न हो उन्हें विकारी और जिन शब्दों का एष ऐसों का हो रहे उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। विकारी शब्द चार तरह के भावे में है—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषज्ञ और क्रिया। यस्तु के नाम को संज्ञा (Noun) कहते हैं जैसे गाय, खेल, महेश, सशाश्वत आदि। जो शब्द संज्ञा के इनमें आये उन्हें सर्वनाम (Pronoun)

कहते हैं; जैसे—मि, यह, जो आदि। संभा की प्रियेता या गुरु
 प्रकट करने वाले शब्दों को प्रियेता (Adjective) कहते हैं;
 जैसे—साल बुरा, अच्छा आदि। ये शब्दों को, जिनमें कभी
 करने वा होने का ग्राम प्रदर्शित हो, क्रिया (Verb) कहते हैं;
 जैसे राना, गाना, जाना आदि। अविकारी शब्द की विकारी
 शब्द की नाँच धार में हो सकते हैं—क्रियाविग्रेषण, सम्बन्ध
 घोषक, समुच्चयघोषक और विस्मयादिघोषक। जो क्रिया
 की प्रियेता यताये उसे क्रियाविरोध (Adverb) कहते
 हैं; जैसे—धीरे धीरे। जो सम्बन्ध यताये उसे सम्बन्ध घोषक
 (Relative Adverb) कहते हैं। जैसे—समेत, संयुक्त आदि।
 जो दो घाकयों या शब्दों का परस्पर अन्यय जतायें उसे समुच्चय-
 घोषक (Conjunction) कहते हैं; जैसे—और, परं या हत्यादि।
 जिससे हर्ष, विशद् आश्वर्य, सोम आदि मनोविकार प्रदर्शित
 हों उसे विस्मयादिघोषक (Interjection) कहते हैं; जैसे—
 हाय ! ओह ! याप रे ! हत्यादि।

द्वितीय परिच्छेद

शब्दों का संगठन

(Structure of words)

यौगिक शब्द (Compound words)

प्रायः दो या दो से अधिक रुद्र शब्दों को मिलाकर मैं
यौगिक शब्द बनाये जाते हैं। देखा जाता है कि हिन्दी में ऐसे
संयुक्त शब्द तीन तरह से संगठित किये जाते हैं। पहला शब्दों
के पहले उपसर्ग (Prefixes) जोड़कर, शब्दों के अंत में प्रत्यय
(Suffixes) लगाकर और समास की रीति के अनुसार, इनके
एक ही शब्द को दुहराने से और दो समान या विपरीत
मर्यादित करनेवाले शब्दों के प्रयोग में नये शब्द की रचना
की जाती है। किसी प्राणी या पदार्थ की योली या ध्वनि के अनु-
करण में भी नये शब्द बनाये जाते हैं जिन्हें अनुकरणवाचक
शब्द कहते हैं।

उपसर्ग (Prefixes)

कुछ अव्यय घातु के साथ मिलकर खास अर्थ प्रकाशित
करते हैं ऐसे अव्यय उपसर्ग कहलाने हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले

जोड़ा जाता है और जुट जाने पर मूल शब्दों के अर्थ में विशेषता पैदा कर देता है। शब्दों के पहले उपसर्ग जोड़ने से कहीं तो मूल शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कहीं शब्द का अर्थ उलटा हो जाता है और कहीं शब्दार्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे—‘अमण’ शब्द के पहले ‘परि’ उपसर्ग जोड़ने से ‘परिअमण’ होता है जो मूल शब्द ‘अमण’ के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है परन्तु ‘गमन’ शब्द के पहले ‘आ’ उपसर्ग लगाने से जहाँ ‘गमन’ का अर्थ ‘जाना’ होता है वहाँ ‘आगमन’ का अर्थ ‘आना’ हो जाता है फिर ‘पूर्ण’ के पहले परि उपसर्ग जोड़ने से ‘परिपूर्ण’ शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है।

संस्कृत में निम्नलिखित २० उपसर्ग होते हैं—

प्र—अनिशय, उत्कर्ष, यश, उत्पत्ति और व्यवहार के अर्थ को प्रदर्शित करता है; जैसे—प्रयत्न, प्रताप, प्रमुख आदि।

परा—यिपरीत, नाश आदि का प्रकाशक है। जैसे—पराजय, परामृत।

अप—यिपरीत, हीनता आदि का घोतक है; जैसे—अपप्रयोग, अपकार।

सम्—सहित और उत्तमता आदि का घोतक है; जैसे—सम्मुख, संस्थन आदि।

अनु—साहस्र, ऋग और पश्चात् आदि का घोतक है; जैसे—अनुताप, अनुरागीष्ठन, अनुनय, अनुरूप आदि।

अथ—अनादर, हीनता आदि का प्रकाशक है; जैसे—अथनति, अवदाय।

निर्—निरंधार्यक है; जैसे—निर्भय, निर्लेप, निर्गंध, निर्मल आदि।

अभि—अधिकता और इच्छा को प्रदर्शित करता है; जैसे—
अभिमानक, अभिशाप, अभिग्राह, अभियोग आदि।

अधि—प्रधानता, निकटता आदि के अर्थ में, जैसे अधि-
नापक, अधिराज्ञ।

वि—दीनता, विभिन्नता, विशेषता, असमानता आदि अर्थों
का घोतक है; जैसे—विलाप, विकार, विनय, वियोग विशेष,
विभिन्न आदि।

सु—उसमस्ता और ध्वेष्टता के अर्थ में; जैसे—सुष्ठुपा, सुयोग,
सुमानित।

उत्—उत्कर्ष का प्रकाशक है; जैसे—उदास, उद्य, उद्गार
आदि।

अति—अनिश्चय, उत्कर्ष आदि का घोतक है; जैसे—अनिश्चय,
अतिगुप्त आदि।

नि—अधिकता और निषेध के अर्थ में; जैसे—नियोग, निषा-
ण आदि।

प्रति—प्रत्येक, वरायरी, विरोध, परिवर्तन आदि अर्थों का
घोतक है; जैसे—प्रतिदिन, प्रतिलोभ, प्रतिशोध, प्रतिहिसा
आदि।

परि—अतिशय, स्वाग आदि का घोतक है; जैसे—परिदृष्टि,
परिदर्शन।

अपि—निश्चयार्थक है; जैसे—अपिधान।

आ—सोमा, विरोध, प्रहृण, चढ़ाव उत्तराव, विपरीत आदि
के अर्थों को प्रदर्शित करता है; जैसे—आगमन, आजीवन, आदान,
आकर्षण।

उप—दीनता, निकटता और सहायता के अर्थ में; जैसे—उप-

नी, उपसर्गाद्यकृ, उपाकृ, उपासा, उपरन आदि ।
तुर्—त्रिष्टुपा, त्रुष्टुपा, हीनता आदि के अर्थ में; त्रेम—तुर-

यन्पा, तुर्गम, तुर्गमनोय त्रुजंन इत्यादि ।
उपर्युक्त उपसर्गों के अतिरिक्त नोंचे लिये अन्यथा, मिशेण

और अन्य शब्द भी उपसर्गों के रूप में प्रयोग होने हैं—
अ (अन्) निरेषार्थक है; जैसे—अनन्त, अनादि, अशान ।

पुनः—तुहराने के अर्थ में; जैसे—पुनर्जन्म, पुनरुक्ति आदि ।
अधस्—पतन के अर्थ में; जैसे—अधःपतन, अधोमुख,

अधोगति आदि ।
कु—नीचता, धीनता के अर्थ में; जैसे—कुञ्जवस्त्र, कुघड़ी,

कुमार्ग आदि ।
सह, स—संयोग, साध आदि के अर्थ में; जैसे—सहवास,

सहगामी, सफल आदि ।
सत्—सचार्ह का चोतक है; जैसे—सद्भाव, सत्कर्म, सन्मार्ग ।

आदि ।
चिर—अधिकता के अर्थ में; जैसे—चिरजीव, चिरकाल,

चिरदिन आदि ।
धर्म—धर्मवृद्धि, धर्मभीरु, धर्मात्मा आदि ।

अर्थ—अर्थकरी, अर्थशाख, अर्थहीन आदि ।

आत्म—आत्मसम्मान, आत्मरक्षा आत्मशाधा, आत्मसंयम

आदि ।
कर्म—कर्मनिष्ठ, कर्मशील, कर्मयोग, कर्मवीट, कर्मनाशा आदि ।

घल, घीर—घलशाली, घलहीन, घलप्रयोग, घीरघेट, घीर-

घाणी आदि ।
विश्व—विश्वग्रेम, विश्वव्यापी, विश्वनाय आदि ।

राज—राजकर, राजदृष्ट, राजस, राजद्रोह, राजधानी आदि।

लोक—लोकमत, लोकसंप्रह, लोकप्रिय, लोकनाथ आदि।

सर्व—सर्वभौम, सर्वनाम, सर्वसाधारण, सर्वसम्मति आदि।

॥ हिन्दी के कुछ उपसर्ग ॥

अ (अन्) नियेधार्थक है; अमोल, अनमोल, अनपढ़, अगाध, अजान।

अध—आधा के अर्थ में; अधजल, अधपका, अधमुआ।

नि—नियेधार्थक है; निडर, निकम्मा आदि।

सु—उत्तमता के अर्थ में; जैसे—सुडौल, सुजान, सुपथ।

कु (क)—कुराई, हीनता आदि के अर्थ में, जैसे—कुखेत, कुकाठ, कपूत।

मुँह (उपसर्गवत्)—मुँहशाँसी, मुँहजय, मुँहमाँगा आदि।

॥ उर्दू के कुछ उपसर्ग ॥

خुश—خُشامیजاؤ, خُشادیل, خُشاوُ، خُشاہاں آदि।

غیر—غیرمُسکِن, غیرہاؤزِر, غیرمُعنَّا سیخ آदि।

لَا—لَاپتا, لَاذِبَاب, لَاہِسَاوَ لَاپرَبَاہ آदि।

ب—بَدْسُر, بَمُوزِیَّ, بَجِینَس آदि।

بَا—بَاکلَم, بَاوَفَّا, بَايْنَسَاف, بَاکَايَدَا آदि।

بے—بےلَگَان, بےچَفَّا, بےکَايَدَا آदि (बा का उलटा)

دَر—دَرَاجَسَل, دَرَهَكَيَّات, دَرَپَدَدِي, دَرَکَار آदि।

بَد—بَدَنَسَیَّ, بَدَدُوا, بَدَمَادَا, بَدَلَبَّاہ, بَدَنَام آदि।

نَا—نَا لَا يَك, نَا سَمَش, نَا چَیِّز آदि।

ہَر—ہَرَھَنْ, ہَرَسَال, ہَرَپَک آदि।

سَر—(उपसर्गवत्) سَرَتَأْ, سَرَدَار آदि।

नोट—याद रखना चाहिये कि मंसूल के उपसर्ग संस्कृत तत्सम शब्दों में, हिन्दी के उपसर्ग तद्देव या शुद्ध हिन्दी के शब्दों में और उर्दू के उपसर्ग उर्दू के शब्दों में ही जोड़े जाने हैं।

एक ही शब्द में प्रयुक्त अनेक उपसर्ग

ए धातु से कार—अकार, प्रकार, विकार, उपकार, साकार, प्रतिकार, निराकार, संस्कार आदि।

भू धातु से भव—सम्भव, पराभव, उद्भव, अनुभव, प्रभाव, अभाव आदि।

ह धातु से हार—आहार, विहार, प्रहार, संहार, व्यवहार, उपहार आदि।

दिश से देश—आदेश, विदेश, प्रदेश, उपदेश।

चर से चार—आचार, विचार, प्रचार, संचार, व्यवस्थार, उपचार आदि।

ऋग—अतिऋग, उपऋग, पराऋग, विऋग आदि।

मल—निर्मल, विमल, परिमल, अमल आदि।

लोचन—विलोचन, सुलोचन आदि।

अभ्यास (Exercise)

१.—उपसर्ग किसे कहते हैं और इसका प्रयोग किस ढंग से होता है ?

Define Prefixes and show how they are used.

२.—पाँच पेसे शब्द यताओ जिनके पहले उर्दू के उपसर्ग जोड़े गये हों।

Denote such five words in which there are Urdu Prefixes placed before them.

३—नीचे लिखे शब्दों में कोई उपसर्ग जोड़कर उनके अर्थ बनाओ।

Form words by placing prefixes before the following words and give the meanings of the words thus formed.

पात्र, शक, तोल, मोल, उत्तर, यशा, जन, मन काम, कार्य।

४—नीचे लिखे शब्दों का उपसर्ग के समान प्रवृद्धार कर यौगिक शब्द बनाओ।

Make some compound words using the following words as prefixes.

अन्त, धी, जोषन, सर, मुँह, यथा।

प्रत्ययान्त यौगिक शब्द

ऊपर कह आये हैं कि शब्द के अन्त में प्रत्यय जोड़ कर यौगिक शब्द बनाया जाता है। हिन्दी-भाषा में प्रयुक्त किसने प्रत्यय तो हिन्दी के हैं और किसने शब्द हिन्दी में पेसे भी प्रयुक्त हो गए हैं जो संस्कृत के हैं और उनमें संस्कृत प्राकारण के नियमानुसार प्रत्यय शुद्ध हुए हैं। प्रत्यय हो प्रकार के होते हैं—कृत् और तद्वित्। क्रिया या भावुक के अन्त में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत् प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द हमन्त कहताने हैं। उसी प्रकार संदा तथा विद्वारण शब्दों के अन्त में जो प्रत्यय लगते हैं वे तद्वित कहताने हैं और उनके मेल से बने शब्द तद्वितान्त कहताने हैं।

कुदून्त

यों तो संस्कृत में संकड़ों प्रत्यय व्यवहृत होते हैं; पर यहाँ पर सब का जिक्र करना मुश्किल है। केवल कुछ मुख्य प्रत्ययों का दिग्दर्शन मात्र करा दिया जाता है। शब्द प्रत्यय के मेल से क्रिया या धातु, संज्ञा और विशेषण के रूप में परिणत हो जाते हैं। जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

संज्ञा (Nouns derived from roots)

अक्, अन्, कि आदि प्रत्ययों के योग से बनी संज्ञा—

प्रत्यय	धातु	संज्ञा	प्रत्यय	धातु	संज्ञा
अक्	ह्	कारक	अन्	भ्	भयन्
"	नी	नायक	"	गम्	गमन
"	गे	गायक	"	भुम्	मोगन
"	नन्	नर्तक	"	पत्	पतन
"	दा	दायक	"	तप	तपन
अन्	नी	नयन	कि	स्तु	स्तुति
"	गद्	गद्धन	"	शक्	शक्ति
"	स्वधि	साधन	"	स्वया	स्वयाति
"	दी	दायन			

विशेषण (Adjectives derived from roots)

त (त्), तत्, अनीय, इन्, जिन्, इन्, आदि प्रत्ययों के योग से बने विशेषण—

प्रत्यय कि (त)	धातु	विशेषण	प्रत्यय	धातु	विशेषण
"	जि	जित	तत्त्व	हृ	कर्तव्य
"	मद्	मत्त	"	गाम्	गम्तव्य
"	मृ	मृत	"	दृश्	द्रष्टव्य
"	सूम	सूमत	"	दा	दातव्य
"	अ॒	अपि॒त	"	भू	भवितव्य
"	रूप	कलित	"	यच्	यक्तव्य
नीय (अनीय)	पूज्	पूजनीय	इत (हृ)	पत	पतित
"	रम्	रमणीय	"	मूर्च्छा	मूर्च्छित
"	सेव्	सेवीय	य (यत, क्य, प्यत्)	दा	देय
"	प्रद	प्रदणीय	"	पा	पेय
"	दृश्	दर्शनीय	"	सह	सह्य
				रम्	रम्य

हिन्दी कृत् प्रत्यय

प्रिया के अंत में हिन्दी के प्रत्ययों को जोड़ने से कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक ये चार प्रकार की संज्ञाएँ और कर्तृवाचक, तथा प्रियाद्योतक ये दो प्रकार के विशेषण बनते हैं, इन द्वयों का पृथक्-पृथक् उदाहरण नीचे दिया जाता है।

फृदन्तीय संज्ञा (Nouns derived from roots)

(क) प्रिया के चिह्न (धातु) ना को लोपकर आ, री, कर, र, इया आदि प्रत्ययों को जोड़ देने से कर्तृवाचक फृदन्तीय (Agentives) संज्ञा हो जाती है। जैसे—भूंजा (कौंदू) कटारी, उच्चारा, रालर, घुनिया आदि।

(ख) धातु के चिह्न ना का लोपकर न, नी, प्रत्ययों को जोड़ देने से कर्मवाचक (Accusative) बनते हैं; जैसे—ओढ़नी, खेनी, पोनी।

(ग) धातु के चिह्न ना का लोपकर आ, ई, उ, और न, ना, नी आदि प्रत्ययों को जोड़कर कर्मवाचक (Instrumental nouns) बनते हैं; जैसे—मूला, ठेला, घेरा, जाँता, रेती, जोती, झाड़, बुद्धारी, कस्तीटी, ढक्कन, घेलन, छुलन, बेलना, कनरनी, सुमिरनी, चलनी इत्यादि ।

(घ) केवल धातु के चिह्न ना का लोपकर देने से तथा ना का लोप कर आ, आई, आन, आप, आब, ई, त, ती, न्ती, न, नी, र, रट, हट, आदि प्रत्ययों को जोड़ देने से भाववाचक (Abstract nouns) कृदन्तीय संक्षाप बनते हैं; जैसे—मार, पीट, दीप, डाँट, ढपट, सोच, विचार, रट, धाटा, छापा, घेरा, सोटा, लडाई, चढ़ाई, लिखाई, लगान, उठान, पिसान, मिलाव, चलाव, उत्तराव, चुनाव, बोली, हँसी, बचत, खपत, लागत, चढ़ती, घटती यहती, चलन्ती, यहन्ती, लगान, लेन, देन, कटनी, ठोकर, दिया घट, यक्कवट, मिलावट, तरावट, सजावट, चिह्नावट, खलाहट, इत्यादि ।

कृदन्तीय विशेषण (Adjectives derived from roots)

(क) कर्त्तव्याचक (Agentives used as Adjectives) धातु के चिह्न ना का लोपकर आऊ, आक, आका, आई, आहू, आन्द, ईयौ, इयस, पेरा, पेता, पेय, ओहू, ओहा, यूड़, घन, घाला, घैया, दार, सार, हारा आदि प्रत्ययों को जोड़

से बनता है; जैसे—टिकाऊ, खाऊ, विकाऊ, दिखाऊ, जड़ाऊ, सैराऊ, लड़ाऊ, उड़ाऊ, खिलाड़ी, सुखाड़ी, झगड़ालू, चालू, घटेयाँ, घड़ेयाँ, सड़ियल, अड़ियल, लुटेरा, फलैत, घटैया, हँसोड़, मणोड़ा, घाचक, आपक, मारक, पालक, भुलकड़, लिखकड़, हँस-कड़, पियकड़, सुमायन, लुमायन, देखनेवाला, सुननेवाला, खावया, खेवया, समझदार, मालदार, मिलनसार, चिकनसार, राखनहाय प्रत्यादि। (हारा का प्रयोग अक्सर पथ में होता है)।

(ख) क्रियाधोतक (Participial adjectives) क्रियाधोतक विशेषण दो प्रकार के होते हैं—एक भूतकालिक दूसरा वर्तमानकालिक। भूतकालिक क्रियाधोतक ना का लोपकर आ प्रत्यय जाह्ने से बनता है, कभी कभी अंत में हुआ भी जोड़ा जाता है, जैसे—पढ़ा, लिखा, घोषा, खाया, पढ़ा हुआ नहाया हुआ इत्यादि।

प्रयोग—‘पढ़े’ प्रथम को पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ा-लिखा आदमी चतुर होता है। दूध का धोया लड़का। हाथी का खापा किथ हो गया। पढ़ी हुरे ल्ली गुणवती होती है। नहाया आदमी स्वच्छता लाम करता है।

वर्तमानकालिक क्रियाधोतक—‘ना’ का लोपकर ता प्रत्यय जोहने से बनता है। कभी-कभी अंत में हुआ भी जोड़ते हैं; जैसे—मरता, चलता, उड़ता, घहता, खाता हुआ, जाता हुआ इत्यादि।

प्रयोग—मरता क्या न करता। चलता खाता, चलती गाही उलट गयी। मैं उड़ती चिढ़ेये को पहचाननेवाला हूँ। घहता पानी निर्मला। खाता हुआ आदमी। चलता हुआ घोड़ा। पहले वाक्य में मरता विशेषण है पर विशेष्य के रूप में व्यवहृत हुआ

है, इसका अर्थ है—मरनेपाला आदमी ।

नोट—कभी-कभी क्रियायोतक विशेषण क्रिया को विशेषता घटलाने के कारण क्रियाविशेषण अव्यय के रूप में भी व्यबहृत होता है । प्रायः ऐसे अव्यय द्वितीय होकर आने हैं, दीड़ते दीड़ते थक गया । थेठे थेठे जो अकड़ गया इत्यादि ।

तद्वितान्त शब्द

संज्ञा या विशेषण के रूप में व्यबहृत शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर संज्ञा या विशेषण के नये शब्द बनाये जाते हैं, यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि संस्कृत के तत्सम शब्दों के अंत में संस्कृत के ही प्रत्यय संस्कृत-व्याकरण के नियमानुसार जोड़े जाते हैं तथा हिन्दी के शब्दों में हिन्दी के और उर्दू के शब्दों में उर्दू के ।

संस्कृत तद्वितान्त शब्द

संस्कृत तत्सम संज्ञाओं के अंत में प्रत्यय लगाने से भाव-व्याचक, अपत्यव्याचक (नामव्याचक) और गुणव्याचक (विशेषण) और ये तीन प्रकार के शब्द बनते हैं । कभी-कभी प्रत्यय लगाने पर भी मूल शब्द के अर्थ में ही प्रत्ययान्त शब्द का भी प्रयोग होता है ।

१—संज्ञाओं से बनी संज्ञाएँ और विशेषण
(Nouns and Adjectives derived from Nouns)
(क) भावव्याचक—(Abstract Nouns)—

ता—मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, मनुष्य से मनुष्यता गुरु से गुरुता आदि ।

त्व—प्रभुत्व, पर्युत्य, मनुष्यत्व, दूतत्व आदि ।

अ (अग)—सुहृद से सौहार्द, मुनि से मौन ।

य—पण्डित से पाण्डित्य, दून से दात्य, चोर से चौर्य आदि ।

(ख) अपत्यवाचक (Patronymic Nouns)—अपत्यवाचक संज्ञा किसी नाम या व्यक्तिवाचक में प्रत्यय जोड़ने से दोअर्थों में बनती है—एक सन्तान के अर्थ में दूसरे किसी अन्य अर्थ में ।

सन्तान अर्थ में—दशरथ से दाशरथि, वसुदेव से वासुदेव, सुमित्रा से सौमित्र, दिति से देत्य, यदु से यादव, मनु से मानव, अदिति से आदित्य, पृथा से पार्थ, पाण्डु से पाण्डव, कुन्ती से कौन्तेय, कुरु से कौरव ।

अन्य अर्थों में—दिव से शैव, शकि से शाक, विष्णु से धैर्यव, रामानन्द से रामानन्दी, दयानन्द से दयानन्दी इत्यादि ।

(ग) गुणवाचक (Adjectives derived from Nouns) इक—तर्क—तार्किक, न्याय—नैयायिक, धेद—धैदिक, मानस—मानसिक, सताह—सासाहिक, नगर—भागरिक, लोक—लौकिक, दिन—दैनिक, उपनिषद—ओपनिषेदिक इत्यादि ।

य (यत्)—तालु—तालव्य, प्राक्—प्राच्य, प्राम—प्राम्य इत्यादि ।

मत, धर्म—धुर्दिमान (मर्ता) ध्री—ध्रोमान (मर्ती), रूप—रूपवान (वर्ती) इत्यादि ।

यिन्—तेजस—तेजस्वी, मेघा—मेघार्ची, मानस्—मनस्वी, यदास्—यदास्यो ।

मय (मय्)—जलमय, स्वर्णमय, दयामय, चम्पमय ।

इन्—प्रणय—प्रणयों, प्रान—प्रानी, दुःख—दुःखी ।

इत्—आनन्द—आनन्दित, दुःख—दुःखित, फल—फलित
इत्यादि ।

निष्ठ—कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ इत्यादि ।

मूल अर्थ में—

सेना से सैन्य, चोर से चोर, ग्रिलोक से ग्रैलोक, मरुत से
मारुत, भंडार से भांडार, कुतूहल से कौतूहल इत्यादि ।

झपर के शब्दों में प्रत्यय लगाने पर भी अर्थ में कोई विशेष
परिवर्तन नहीं दीखता ।

२—विशेषण से बनी संज्ञाएं

(Nouns derived from Adjectives)

संस्कृत तत्सम विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो
संस्कृत तत्सम संज्ञाएँ यनार्द जाती हैं वे प्रायः भाववाचक संज्ञा
होती हैं, जैसे—

ता, त्व—मूर्खता, गुरुता, लघुता, धुस्रिता, वीरता, भीरता,
मधुरता, दरिद्रता (दारिद्र्य), उदारता, सहायता, महत्व, वीरत्व ।

अण् प्रत्यय—गुरु से गौरव, लघु से लाघव इत्यादि ।

हिन्दी में तद्वित

जिस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों में तद्वित प्रत्ययों को जोड़ने
से संज्ञाओं से संज्ञाएँ और विशेषण बनाते हैं उसी प्रकार तद्वित
और हिन्दी के शब्दों में भी प्रत्ययों को जोड़ने से संज्ञा, विशेषण
आदि बनाते हैं । तद्वित प्रत्ययान्त से बने शब्द इस प्रकार दिमा-
जित किये जा सकते हैं—भाववाचक, ऊनवाचक, कर्तृवाचक
और सम्बन्धवाचक ये चार प्रकार की संज्ञाएँ और विशेषण ।

(क) मात्रवाचक (Abstract Nouns):—संश्लेषणों या विशेषणों के अंत में आर्द्ध, र्द्ध, पा, पन, घट, हट, त, स, नी आदि प्रत्ययों के जोड़ने से मात्रवाचक तदेतीय संज्ञा होती है; जैसे—लड़काँ, लल्लाँ, खुराँ, लम्बाँ, चतुराँ, खुड़ापा, लड़कपन, छुट्पन, घचपन, कड़ुचाहट, अम्माघट, रंगत, संगत, मिठास, खट्टास, चाँदनी इत्यादि।

(ख) ऊनवाचक (Diminutives) आ, घा, क, डा, या, रो, ली, र्द्ध इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर ऊनवाचक बनाने हैं; इस ढंग की संज्ञा से लघुता, ओछापन या छुट्पन का बोध होता है; जैसे—बचवा, पिलुआ, दोलक, टुकड़ा मुखड़ा, लोटिया, खटिया, छिपिया, कोठरी, छतरी, घुड़ली, रस्सी, डोरी, कटोरी इत्यादि।

(ग) कर्तृवाचक (Agentives)—आर, इया, इ, रा, बाला, हारा इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर बनाते हैं; जैसे—खुदार, सोनार, कुम्हार, अढ़तिया, मखनिया, तेली, योगी, मोगी, चिलासी, कसेरा, सैपेरा, कोतवाल, गोधाला (ग्याला), चूड़िहारा इत्यादि।

(घ) सम्बन्धवाचक (Relative Nouns)—आल, अंती, जा आदि प्रत्ययों के योग से बनता है; जैसे—ससुराल, ननिहाल, कटीती, वर्षीती, भतीजा इत्यादि।

(ङ) विशेषण (Adjectives)—आ, आइन, आहा, र्द्ध, ऊ, घेरा, या, पेत, ल, ला, घेला, लु, ल्द, झी, याल, बाला, चंत, चां, बान, हर, हरा, हा आदि प्रत्ययों के योग से बना है; जैसे—ठंडा, प्यासा, भूखा, गोवराइन, कसाइन, उतराहा, पड़ांदा, अर्थी, फारसी अंगरेज़ी, देशी, विदेशी, देहाती, बनारसी, धरु, बजार, पेटू, चबेरा, मौसेरा, घरैदा, बनैया, कलकत्तिया, पटनिया,

इन—प्रणय—प्रणयी, शान—शानी, दुःख—दुःखी ।

इष—आनन्द—आनन्दित, दुःख—दुःखित, फल—फली
इत्यादि ।

निष्ठ—कर्मनिष्ठ, घर्मनिष्ठ इत्यादि ।

मूल अर्थ में—

सेना से सैन्य, चोर से चौर, खिलोक से बैलोक, मछा से
माछत, भंडार से भांडार, कुत्तूहल से कौतूहल इत्यादि ।

ऊपर के शब्दों में प्रत्यय लगने पर भी अर्थ में कोई विरोध
परिवर्तन नहीं दीखता ।

२—विशेषण से बनी संज्ञाएँ

(Nouns derived from Adjectives)

संस्कृत तत्सम विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय संग्राहक झो
संस्कृत तत्सम संज्ञाएँ जाती हैं ये प्रायः भावशाचक संज्ञा
दोती हैं, जैसे—

ता, त्य—मूर्खता, गुरुता, लघुता, बुद्धिमत्ता, धीरता, म्येहार्या,
म्युरता, दरिद्रता (दारिद्र्य), उदारता, सहायता, महाय, धीरव ।

अन् प्रत्यय—गुण से गौरव, लघु से लाघव इत्यादि ।

टिन्डी में नहित

जिस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों में नहित प्रत्ययों को झोने से
संज्ञाओं से संज्ञाएँ और विशेषण बनाते हैं उसी प्रकार तदृप
और दिन्ही के शब्दों में भी प्रत्ययों को झोने से संज्ञा विशेषण
आती हनाती है । नहित प्रस्तुतात्त्व से इने शब्द इस प्रकार दिया
जिन दिये जा सकते हैं—भावशाचक, उनशाचक, वत्त्वाचक,
और सम्बन्धशाचक ये चार प्रकार ही संज्ञाएँ और दिये रख ।

(क) भाववाचक (Abstract Nouns) :—संहाओं या विशेषणों के अंत में आई, है, पा, पन, वट, हट, त, स, नी आदि प्रत्ययों के जोड़ने से भाववाचक तद्वितीय संज्ञा होती है; जैसे—लड़काई, ललाई, पुराई, लम्बाई, चतुराई, बुढ़ापा, लड़कपन, छुट्पन, बचपन, कड़वाहट, अमावट, रंगत, संगत, मिठास, खट्टास, चाँदनी इत्यादि ।

(ख) ऊनवाचक (Diminutives) आ, वा, क, डा, या, रा, ली, है इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर ऊनवाचक बनाते हैं; इस ढंग की संज्ञा से लखना, ओढ़ापन या छुट्पन का योध होता है; जैसे—बचवा, पिलुआ, ढोलक, ढुकड़ा मुखड़ा, लोटिया, खटिया, दिविया, कोठरी, छतरी, बदुली, रससी, डोरी, कटोरी इत्यादि ।

(ग) कर्तृवाचक (Agentives)—आर, इया, ह, रा, वाला, हारा इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर बनाते हैं; जैसे—लुहार, सोनार, कुम्हार, अड़तिया, मखनिया, तेली, घोरी, भोगी, विलासी, कसेरा, सैपेरा, कोतवाल, गोवाला (घ्याला), चूँडिहारा इत्यादि ।

(घ) सम्बन्धवाचक (Relative Nouns)—आल, जैंती, जा आदि प्रत्ययों के योग से बनता है; जैसे—ससुराल, ननिहाल, कठीनी, घरीती, भतोजा इत्यादि ।

(ङ) विशेषण (Adjectives)—आ, आइन, आहा, है, ऊ, पेरा, या, पेत, ल, ला, पेला, लु, स्टू, छी, चाल, घाला, घंत, घाँ, घान, हर, हरा, हा आदि प्रत्ययों के योग से बना है; जैसे—ठंडा, प्यासा, भूखा, गोवराइन, कसाइन, उतराहा, पठांदा, अरबी, कारसी अंगरेज़ी, देशी, विदेशी, देहाती, घनारसी, घर, बजार, पेट, चबेरा, ग्रीसेरा, घरेया, घनेया, कलकतिया, पटनिया,

मुंगेरिया, संठेन, बिगरेल, उरगेल, घनेला, चिरेला, घोन्दू, द्यालु, एगालु, पालला, सुनहला, मंगेही, गंजेही, गदागल, दिली-घाल, मोहनयाला, द्यायंत, घनयंत, श्यागहपां, तेहधर्मी, मतिमान, धीमान, एउहर, सुनहर, मुनहरा ।

उर्दू के कुछ प्रत्यय (Urdu suffixes)

इस पर लिखा जा सका है कि उर्दू के जो शब्द हिन्दी भाषा में व्यवहृत होते हैं उनमें उर्दू के ही प्रत्यय जोड़े जाने हैं । यहाँ प्रत्यय से इने शब्द के कुछ उदाहरण दिये जाने हैं—

उर्दू प्रत्यय से इने शब्द के कुछ उदाहरण दिये जाने हैं—
जिन्हीं
भाववाचक—गी, है, आईं प्रत्यय के योग से—जिन्हीं
घन्दगी, मदांनगी, ताजगी, खुदगजी, उस्तादी, बेवफाई, बेहयाई,
कर्तृवाचक—गर, गीर, ची, दार बीन आदि के योग से—
कर्तृवाचक—गर, गीर, ची, दार बीन आदि के योग से—
कर्तृवाचक—गर, गीर, ची, दार बीन आदि के योग से—

सम्बन्धवाचक—आना, है, दान आदि प्रत्ययों के योग से—
जुर्माना, जजराना, हर्जाना, दस्ताना, आदमी, कलमदान, पिकदान
शामादान इत्यादि ।

विशेषण—आना, है, गीन, नाक, घान, मन्द, बर, शावृ
दार आदि प्रत्ययों के योग से—दोरताना, सालाना, गमगी
खतरानाक, दर्शनाक, मिहरयान, अझमंद, दैलतमंद, ताकतमंद
नादिरशाही, मज़ेदार, दग्धादाज़ इत्यादि ।

तद्वितीय क्रिया

(Verbs derived from nouns)

कुछ पेसे विशेष हैं जिनमें प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती

जैसे—लाज-लजाना, गर्म-गर्माना, लात-लतिथाना, थात-थतियाना, रंग-रंगाना, जूता-जुतियाना इत्यादि ।

विशेष्य से विशेषण और विशेषण से विशेष्य

एक प्रत्यय को बदलकर दूसरा प्रत्यय जोड़ने से अथवा प्रत्ययों के जोड़ने से या निकाल देने से विशेषण से विशेष्य और विशेष्य से विशेषण बनाये जाते हैं ।

कृदन्त से बने विशेष्य से विशेषण—भय से भीत, जय से जीत, खेल से खिलाड़ी इत्यादि ।

कृदन्त से बने विशेषण से विशेष्य—लदाकू से लहार, लुट्रेरा से लूट, हागड़ालू से हागड़ा, डर से डर इत्यादि ।

तद्वित से बने विशेष्य से विशेषण—समाज से सामाजिक, पेट से पेटू, भारत से भारतीय, देश से देशीय इत्यादि ।

तद्वित से बने विशेषण से विशेष्य—धनी से धन, आनन्दित से आनन्द, गृहीती से गरीब, पेतिहासिक से इतिहास इत्यादि ।

आन्यास

१—निम्नलिखित विशेषणों से विशेष्य और विशेष्यों से विशेषण बनाओ—

Make nouns from the Adjectives and Adjectives from the nouns in the following words—

गौरव, मनोहर, हर्ष, नरक, उचि, विनय, न्याय, निर्दय, मूर्ति, नारी, प्यासा, दीलत, दान, हृण, घल, विद्यास, पेदवर्ण, सुखद, दुःख, पीला और ललारं ।

२—नीचे लिखे शब्दों से विशेषण बनाओ—Make Ad-

Adjectives in the following words:—खाना, हँसना, रूप, वन, हड्डय, प्रोम्भा, अग्नि, चल्ल, छवि और नीति।

३—नंचे लिखे शब्दों से संज्ञा बनाओ—Make nouns in
the following words:—

बाँचना, घोरना, विस्तृत, संकुचित, भीषण, लाल, विमल,
सिंक, हृदयदीप, चतुर।

४—निम्नलिखित विशेषणों के साथ उपयुक्त संशाओं को दर्शाओ—Supply the appropriate nouns after the following Adjectives:-साधारणकालीन, अभूतपूर्ण, दुर्लभ, शोषण, अपरिमित, धीमत्ता, अनेकवचनीय, हृदय-धिदारक ।
 (नार्थग्रन्थ द्वारा सहायता) ।

समास-द्वारा बने शब्द

(Compound words)

दो शब्दों को मिलाकर जो पक्ष दर्श बनाया जाता है उसे सामान्य दर्श बदलते हैं। संस्कृत भाषा में समास एवं विचरण का मुख्य अनुभव माना जाता है। संस्कृत के वचन से सामान्य एवं विचरण में अप्रदृश होते हैं। समास-छापा वचन दिखाती वा वचन के अन्तर्मध्य दर्श उः भागों में विभक्त किये जा सकते हैं।

१—तत्त्वानुष

भिन्न ग्रन्थालयों का अनियमित प्रधान हो उगमें विद्युत
रूप बदला है, जिसे—ज्ञानवेधन अथवा ज्ञान के घन।
इसका दृष्टार्थ ग्रन्थालय के दृष्टि के दृष्टि लंबड़ी में ज्ञानवेधन भी र
हो दृष्टार्थ अन्य कारणों में से किसी एक का विषय ग्रन्थ
से ग्रन्थ है। जिसे—गंताइल (गंता का इल), गुरुगंता

(गुरु का उपदेश), शोकाकुल (शोक से आकुल) इत्यादि। इस हिंसाय से तत्पुरुष के छः भेद होते हैं—पूर्व खंड में कर्मकारक रहने से द्वितीया, करण रहने से तृतीया, सम्प्रदान रहने से चतुर्थी, अपादान रहने से पंचमी, सम्बन्ध रहने से पष्ठी और अधिकरण रहने से सप्तमी तत्पुरुष के सामासिक शब्द होते हैं।

उदाहरण—

कर्मकारक में (द्वितीया)—शरण को आगत, शरणागत, चिह्नियों को मारने वाला, चिह्नीमार।

करण में (तृतीया)—शोक से जाकुल, शोकाकुल; धर्म से अंधा, धर्मांध; जन्म से अंधा, जन्मांध।

सम्प्रदान में (चतुर्थी)—व्राह्मण के लिप देय, व्रात्यणदेय।

अपादान में (पंचमी)—जीवन से मुक्त, जीवनमुक्त; देश से निकाला, देशनिकाला; पाप से भ्रष्ट, पापभ्रष्ट; धर्म से ध्युत, धर्मध्युत।

सम्बन्ध में (पष्ठी)—गंगा का जल, गंगाजल; आम का रस, आमरस; तिल की घड़ी, तिलौरी।

अधिकरण में (सप्तमी)—ध्यान में मन, ध्यानमन; कर्म में निरत, कर्मनिरत; रथ में आरुङ् रथारुङ् इत्यादि।

२—कर्मधारय

जो शब्द विशेष और विशेषणों या उपमान और उपमेय के समानाधिकरण से बना हो उसमें कर्मधारय समास होता है; जैसे—नील है जो गाढ़, नीलगाढ़; चन्द्र के समान है जो मुख, चन्द्रमुख; फुली हुर्द है जो घड़ी, फुलघड़ी।

३—चतुर्थीदि

जिस सामासिक शब्द का कोई खंड प्रधान न हो वहिं
समस्त पद का कोई विशेष अर्थ प्रदर्शित हो उसमें चतुर्थीदि समाप्त
रहता है; जैसे—

चन्द्र है भाल पर जिनके—चन्द्रमाल (महारेष)।

चक्र है हाथ में जिनके—चक्रपाणि (विष्णु)।

चार है भुजाएँ जिनकी—चतुर्भुज (विष्णु)।

चार है आनन जिनके—चतुरानन (घटा)।

४—द्वितीय

जिस सामासिक शब्द का पूर्व पर संख्यावाची हो उसमें
द्वितीय समाप्त रहता है। इसे संख्यावाचक कर्मधारण भी कह
सकते हैं और जहाँ विशेष अर्थ प्रदर्शित करे वहाँ चतुर्थीदि भी
हो जाता है; जैसे—श्रियोन, चतुर्भुज (चार भुजावले होश के
हो जाता है) जौराएँ, घट्टपर,
अर्थ में द्वितीय और विष्णु के अर्थ में चतुर्थीदि है) जौराएँ, घट्टपर,
चौहाट, चौराहा इत्यादि।

५—छन्द

जिन सामासिक शब्दों में सभी खंड प्रधान हों और समाप्त
होने पर दोनों के बीच का योजक शब्द लुक रहे उनमें छन्द
समाप्त रहते हैं, जैसे—

स्त्री और पुण्य—स्त्रीपुण्य। माता और पिता—मातापिता।
आहन् और निशा—आहनिशा। लोटा और ढोरी—लोटाढोरी।
तन, मन और धन—तन-मन-धन।

६—अठयथी भाष्य

जिस सामासिक शब्द में पूर्वखंड अव्यय हो और समस्त-शब्द क्रियाविशेषण अव्यय के रूप में आवे उसमें अव्ययीभाव समाप्त रहता है; जैसे—प्रतिदिन, रातोरात, यथाशक्ति, यथाविधि, यथासाध्य।

(३) इन छः समासों के अतिरिक्त नप्र् समाप्त भी होता है। निषेधार्थक के योग में जो सामासिक शब्द घनते हैं उनमें प्रायः नप्र् समाप्त रहता है; जैसे—अनन्त, अनाध, अनभिध, अनादि इत्यादि।

पुनरुक्त शब्द

पुनरुक्त शब्द चार भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। (१) एक ही शब्द को दुहराना, (२) एक ही अर्थवाले शब्दों को मिलाना, (३) एक ही श्वेषी या विभाग के शब्दों को मिलाना और (४) विवरीत अर्थवाले शब्दों को मिलाना।

१—एक ही शब्द को दुहराना

धैंड-धैंडे, रोज़ बरोज़, दिन प्रति-दिन, राम-राम, छी-छी, देख देखकर, हरा-हरा, लाल-लाल, धोरे-धीरे, घन-घन, घर-घर, भाँति-भाँति के, जव-जव, तद्यन्त इत्यादि।

२—प्रायः एकार्थक शब्दों का योग

आमोद-प्रमोद, मणि-मुक्ता, मान-मर्यादा, धन-धान्य, दोन-दुखी, तर्क-वितर्क, आकार-प्रकार, कथा-पार्ती, काम-काज, दया-माया, दीड़-धूप, बोल-चाल, रीति-रिवाज, सेवा-शुदूषा, बम्हु-पन्थय, छखी-सूखी, सखा-मित्र, जीव-जन्तु; ओत-प्रोत, मद-मन्सर इत्यादि।

३) एक ही विभाग के शब्दों का योग ।

आमोद-प्रमोद, आहार-विहार, मोग-विलास, फल-शूल, मूख-
अश्व-वरष, खाना-कपड़ा, रंग-टंग, हाथ-पाँव, हँसी-खुशी,
ही, घर-कल्या इत्यादि ।

४) भिन्नार्थक शब्दों का योग ।

चैच-नीच, छोटा-बड़ा, बाल-बृद्ध, नया-पुराना, संयोग वियोग,
जन, आय-न्यय, जीवन-मरण, धर्माधर्म, रात-दिन, हिता-
गुण-अवगुण, हृषि-विपाद, दुख-सुख, जमा-खर्च, साधु-असाधु,
तेज-कुजाति, लाभालाभ, जयाजय, जय-पराजय, सन्धि-
आदि ।

ओट—(१) ऊपर दिखाये गये पुनरुत्क शब्दों के चार
तों में से पहले विभाग में प्रायः अन्यथीभाव समाप्त रहता
एव याकी तीन विभागों में आये शब्दों में छन्द समाप्त रहता
एव का संयोजक शब्द और गुत है ।

२) सामासिक शब्दों को लिखते समय यह स्थान में
चाहिये कि जिन शब्दों के दोनों खंडों में सन्धि हो जाय
तो मिला कर लिखना ही चाहिये पर जिन शब्दों के दोनों
में सन्धि न हो उन्हें भी अलग अलग लिखना ठीक नहीं है
क्योंकि जब दो पृथक शब्दों के योग से एक सामासिक शब्द
आता है तो दोनों के पृथक्-गृथक् लिखने से दो पृथक् शब्दों
नियम हो सकता है । मिलाकर लिखने से यह भ्रम जाता
है कोई कोई लेखक दोनों खंडों के बीच विभाजन-चिह्न
प्रयोग करते हैं जैसा कि ऊपर के शब्दों में भी प्रायः
जाया है । पुनरुत्क शब्दों में भी यही नियम लागू होना
चाहिये ।

कुछ सामासिक शब्दों के उदाहरण

यहून से ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय के समान शब्दों के अन्त में गुट जाने से सामासिक शब्द बन जाते हैं, ऐसे शब्दों के प्रयोग कभी-कभी अच्छे-अच्छे लेखक तक भूल कर बैठते हैं, उनकी गानकारी के लिए कुछ प्रयोग नीचे दिये जाते हैं—

अन्तर—अर्थान्तर, पकान्तर, धीपान्तर, कालान्तर, सीमान्तर, गोकान्तर, देहान्तर, देशान्तर, पादान्तर, विषयान्तर, शोकान्तर आदि।

अनुसार—आवानुसार, कथनानुसार, इच्छानुसार, आदेशानुसार, रीत्यनुसार, (कोई-कोई प्रयोग ठीक न जानने के कारण विषयनुसार को रीत्यानुसार लिख देते हैं)।

अनन्तर—गमनानन्तर, तदनन्तर इत्यादि। अनन्तर शब्द भी प्रत्यय के रूप में व्यवहार करने में अक्सर लोग भूल जाते हैं। कोई-कोई उपर्युक्त दोनों शब्दों को गमनान्तर और तदन्तर लिख देते हैं।

अर्थी—भोजनार्थी, परीक्षार्थी, विद्यार्थी, कामार्थी परमार्थी, गार्थी, दर्शनार्थी, विचारार्थी, धर्मार्थी इत्यादि।

अन्त—दिनान्त, कर्मान्त, विज्ञान्त, कुलान्त आदि।

प्रहण—चन्द्रप्रहण, सूर्यप्रहण, धनप्रहण, पाणिप्रहण, घरप्रहण, माघप्रहण इत्यादि।

निष्ठ—कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्त्तव्यनिष्ठ, न्यायनिष्ठ आदि।

पारायण—कर्त्तव्यपारायण, न्यायपारायण, धर्मपारायण आदि।

एड—वाक्यपद्म, वानपद्म, वृद्धिपद्म, कार्यपद्म आदि।

रक्षा—अर्परक्षा, कीर्तिरक्षा, घनरक्षा, मानरक्षा, मायर
आदि।
रील—उष्टतरील, कर्तव्यरील, धर्मरील, परिवर्तनरील

साधन—कार्यसाधन, अर्थसाधन, मन्त्रसाधन आदि।
निधान—गुणनिधान, पलनिधान, कृपानिधान आदि।
विशारद—पञ्जनीतिविशारद, गुणविशारद, विद्यानुद्दि-

विशारद।
शान—आनंदशान, धृद्वानि, तत्त्वशान, व्याख्यशान आदि।
पति—नरपति, रमापति, प्राणपति, सेनापति आदि।

अभ्यास (Exercise)

१—नीचे लिखे सामासिक शब्दोंमें समास बताओ और विप्रह
रो। Expand and name the 'Samas' in the following
compound words—धर्मात्मा, प्रजापति, गौरीशक्ति, विद्यावातिधि।

२—नीचे के प्रत्येक शब्द को लेकर जितना हो सके संयुक्त
बनाओ—Make as many compound words as you
with each of the following words:—घनसल, भाजन
शाळ।

—नीचे लिखे शब्दों के सामासिक शब्द बनाओ। Make the
compound words of the following:—
म और छण, घि, लोक, कमल के देसा है नदन जो,
के पति, हृदय है उदार जो।

दृतीय परिच्छेद

शब्दों के अर्थ

शब्दों में अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना नामक तीन प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं। इन्हीं तीनों शक्तियों के द्वारा शब्दों या वाक्यों का अर्थ जाना जाता है।

जिस शक्ति के द्वारा शब्द का नियत या सीधासाहा अर्थ जाना जाता है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। अभिधा द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं; जैसे—गौ दूध देती है; यहाँ 'गौ' का सीधा अर्थ गाय है इत्यादि।

लक्षणा—जिस अर्थ-शक्ति के द्वारा सीधासाहा अर्थ न लगाकर, किसी विशेष प्रयोजन अथवा मतलब के कारण, कोई निकट सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अर्थ लिया जाय उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा-शक्ति के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है उसे लइपार्थ कहते हैं; जैसे—राम भाड़े का टट्ठू है। यहाँ 'भाड़े' का 'टट्ठू' का अर्थ 'भाड़े' के 'टट्ठू' के सदरा' है; क्योंकि राम जो एक आदमी है, टट्ठू कैसे हो सकता है? अर्थात् वाच्यार्थ से साफ़ भलवत्त न निकलने पर लक्षणा-शक्ति के द्वारा अर्थ किया गया। उसी प्रकार 'गंगावासी' का सीधा अर्थ होता है

गंगा में पृथक्नैवाला', पर लक्षणा-शक्ति से अर्थ करने पर इसका अर्थ हुआ गंगा-तट-वासी। लक्षणा-शक्ति कार्य प्रकार की होती है। पर के उदाहरण में प्रयोगनवती लक्षणा है। कभी-कभी लक्षणा-शक्ति के द्वारा वाच्यार्थ के विपरीत अर्थ किया जाता है ऐसी लक्षणा को विपरीतलक्षणा कहते हैं, जैसे किसी कुरुपी लक्ष्यकर अगर यह कहा जाय कि—वाह! यह कितना बद्र है? तो यहाँ विपरीतलक्षणा के द्वारा अर्थ किया जायगा कि वह कुरुप है।

व्यञ्जना—जिस शक्ति के द्वारा वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को छोड़कर एक और अर्थ जाना जाता है उसे व्यञ्जना-शक्ति कहते हैं। व्यञ्जना-शक्ति के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है उसे व्यञ्जार्थ कहते हैं; जैसे, तलबार चलने लगी। तलबार आप से आप चल नहीं सकती। इसलिए इस वाक्य के कहने का तात्पर्य आ लक्ष्य होने लगी। उसी प्रकार 'खून की नदियाँ बह चली' ज अर्थ हुआ कि असंख्य लोग मारे गये। 'मुर्गी बोलने लगा' त अभिप्राय हुआ भोर हो गया। यहाँ पर व्यञ्जना-शक्ति की अद्यता से ही तीनों वाक्यों का अर्थ किया गया। कभी-कभी मुननेवालों की पृथक्ता के कारण एक वाक्य के कार्य व्यञ्जार्थ की सकते हैं।

व्यञ्जना-शक्तियुत वाक्य लिखने में प्रतिमा की विदेशी वाक्यकर्ता पड़ती है। प्रतिमा-सम्पर्क ऐसक ही व्यञ्जना-शक्ति-युत भाषा लिख सकते हैं।

वाच्यार्थ

वाच्यार्थ जानने के लिए तीन मुख्य साधन हैं। पहला

शब्दों के पर्यायवाची शब्द या प्रतिशब्द, दूसरा व्युत्पत्ति के द्वारा और तीसरा पारिभाषिक अर्थ द्वारा ।

पर्यायवाची, प्रतिशब्द या (Synonyms)—एक शब्द के लिए उसी अर्थ में जो दूसरे शब्द आते हैं उन्हीं को प्रतिशब्द कहते हैं : जैसे—कामल शब्द के यनज, सरोज, अरविंद, पंकज, तामरस, मृणाल, अम्बुज, पद्म, राजीव, कोकनद, आदि शब्द प्रतिशब्द हैं । उसी प्रकार चन्द्र के लिए, शशि, शशांक, निशिपति आदि बहुत से प्रतिशब्द प्रयुक्त होते हैं । प्रतिशब्द के द्वारा अर्थ और व्याख्या करने में बही सुविधा होती है ।

प्रतिशब्द लिखते समय यह चरावर ध्यान में रखना चाहिये कि जिस शब्द का प्रतिशब्द लिखना हो उस शब्द का प्रतिशब्द उससे अधिक सरल और व्यावहारिक हो । साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिये कि विशेष का प्रतिशब्द विशेष और विशेषण का प्रतिशब्द विशेषण के ही रूप में रहे ; जैसे—भानु का अर्थ भारकर न लिखकर सूर्य ही लिखना तथा कंचन का अर्थ हिरण्य न लिखकर सोना लिखना ही उचित है । उसी प्रकार तुषित का अर्थ प्यासा, भुजागोड़ित का अर्थ भूखा और भनोरथ का अर्थ इच्छा ही होना चाहिये—प्यास, भूख और इच्छित नहीं । यहाँ पर विस्तार-भाष्य से प्रतिशब्द के अधिक उदाहरण नहीं दिये जा रहे हैं । प्रतिशब्द जानने के लिए चरावर 'शब्दकोष' देखते रहना आवश्यक है ।

व्युत्पत्त्यर्थ (Etymological meaning)—यौगिक, योग-रूप, प्रत्यययुत तथा सामासिक शब्दों को खंड-खंड कर देने से उनके अर्थ सहज में ही समझ में आ जाते हैं जिसे

व्युत्पत्त्यर्थ कहने हैं ; जैसे—पितामह्य=जो विद्या का आलय या ग्रन्थ है, अर्थात् पाठशाला । घन्दमाल=जिसके माल या माये पर बन्द है अर्थात् महादेव । शौय=जा रिय के उपासक हैं । पाठक=जो पाठ करते हैं ।

पारिभाषिक अर्थ (Implied meaning)—हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द व्यवहृत होते हैं जिनके पर्यायवाची शब्द या तो होते ही नहीं, या होते भी हैं तो भावदृग्दृष्टि रूप में, ऐसे शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं । उनके अर्थ जानने के लिए न तो वाच्यार्थ ही काम में आता है और न व्युत्पत्त्यर्थ । अतः ऐसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषा करने से ही उनके अर्थ समझ में आकरते हैं ।

विज्ञान, साहित्य, कला, भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थात्, दर्शनशास्त्र आदि विषयों में पारिभाषिक शब्द का प्रयोग क्षसर रहा करता है । ऐसे शब्द अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं । कुछ विदेशी भाषा के तत्सम पारिभाषिक शब्दों का हिन्दी में प्रयोग होता पाया जाता है ।

छ पारिभाषिक शब्द—

भ्रह, नक्षत्र, कस्ता, धूरी, उपकूल, अन्तरीप, उपनिवेश, यद्वीप, रस, भाव, विभाव, अलंकार, सुधार (Reformation), अन्तर्भूता (Culture), पुरातत्व, कला (Art), चाण्डी, अन्तर्भूत्य, नागरिक (Citizen), सरकार (Government), उपयोगिता (Utility), ज़मीन (Land), धम (Labour), निमय (Exchange), पूँजी (Capital) साम्बान्धवाद, नातन्त्र, साम्यवाद, व्यवसाय (Industry), अन्यवसाय, नोविज्ञान इत्यादि ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों के प्रतिशब्द लिखो ।

Write the Synonyms of the following.

परिताप, कस्ता, उर, तुरण, अद्व, गज, उदधि ।

२—नीचे लिखे शब्दों में से प्रत्येक के पाँच-पाँच प्रतिशब्द लिखो ।

Write the five Synonymous words of each of the following words. चन्द्र, चन्द्रिका, फूल, चसन्त, राजा, नर, सूर्य, मृत्यु ।

३—नीचे लिखे शब्दों के व्युत्पत्त्यर्थ लिखो ।

Write the Etymological meanings of the following words—हृदय-प्रियारक, धर्मपरायण, चान्द्रमीलि, पीतम्बर ।

४—नीचे लिखे शब्दों के पारिभाविक अर्थ लिखो ।

Write the Implied meanings of the following. अलंकार, हील, भाषा, व्याकरण, ग्रह, कशा ।

मिश्रार्थक शब्द (Homonyms)

कोई-कोई शब्द दो एक अन्य शब्द से एवं और उच्चारण में ग्रायः समान रखते हैं परन्तु उनके भूल में अन्तर पड़ता है जिससे उनके अर्थ में भी अन्तर पड़ जाता है—ऐसे शब्द मिश्रार्थक शब्द कहलाते हैं । उदाहरण—

आगा=अगथादा (Front) हिन्दी ।

आगा=सर्दार (Leader) फ़ारसी ।

आन=लाज, दूसरा (Shame) (Other) हिन्दी ।

आन=समय (Time) अरबी ।

आम=फल विदेश (Mango) हिन्दी ।

- आम=साधारण (Common) अरथी ।
 कन्द=जड़, मूल, (Root) संस्कृत ।
 कन्द=मिथी (Sugarcandy) फारसी ।
 कफ=केन (Foam) फारसी ।
 कफ=कमीज का कफ (Cuff) अरथी ।
 कुन्द=दूल विशेष (A kind of flower) संस्कृत ।
 कुन्द=मंद, घोथरा (Dull) अरथी ।
 कुल=वंश (Family) संस्कृत ।
 कुल=सप्त (Whole) अरथी ।
 कै=किमता (How many) हिन्दी ।
 कै=यमन (Vomiting) अरथी ।
 कोष=मंडार (Treasury) संस्कृत ।
 कोदा=दो मील (Two miles) फारसी ।
 कान=अंगाविशेष (Ear) हिन्दी ।
 कान=कृष्ण (Krishna) आरधंज ।
 कमान=धनुष (Bow) संस्कृत ।
 कमान=कमर (Labour) देशज—(यह शब्द जेल में
 प्रयुक्त होता है)
 कौर=अच्छा (Well) पारसी ।
 कैरा=कट रिटेल (A kind of wood) हिन्दी ।
 कंठ=गोपा (Fair complexioned) मंगळ ।
 कृति=व्याज (Close attention) अरथी ।
 क्षात्र=गमात्र (Forage) हिन्दी ।
 क्षात्र=उपाय (Means) फारसी ।
 क्षेत्र=झाज, प्राण (Net, illusion) संस्कृत ।

जाल=फरेय (Deciet) अरथी ।

तूल=खड (Cotton) संस्कृत ।

तूल=तुलना (Comparison) हिन्दी ।

तूल=लम्बाई (Length) अरथी ।

झाह=मछली (Fish) संस्कृत ।

झाख=खोहना—हिन्दी ।

पट=कपड़ा, परदा (Cloth, cream) संस्कृत ।

पट=किंचाढ (Shutter), तुरत (Atonce) हिन्दी ।

पर=पराया, दूर, किन्तु आदि—संस्कृत ।

पर=अधिकरण कारक का चिन्ह (On) हिन्दी ।

पर=पंख (Weather) फ्रांसी ।

रास=कीड़ा संस्कृत ।

रास=बागडोर (Rein) हिन्दी ।

रास=अन्तरीप (Cape) फ्रांसी ।

शक्ति=दुर्कड़ा—संस्कृत ।

शक्ति=चेहरा (Appearance) फ्रांसी ।

सर=तालाब (Pond) संस्कृत ।

सर=सिर (Head) फ्रांसी ।

सर=महाशय (Sir) अंग्रेज़ी ।

दाल=पद्धिये का दाल—हिन्दी ।

दाल=विश्वरूप, आवश्या—अरथी ।

दाल=तरावट देशज (प्रामीण प्रयोग) ।

हार=माला (Garland) संस्कृत ।

हार=पराजित (Defeat) हिन्दी ।

सन=इसधीसन (A. C.) संस्कृत ।

सन=पौधाविशेष हिन्दी ।

धान=आदत—(Habit) हिन्दी ।

बाण=तीर (Arrow) संस्कृत ।

आराम=विश्राम—(Rest) फ़ारसी ।

आराम=बगीचा—(Garden) संस्कृत ।

बाग=बगीचा (Garden) संस्कृत ।

बाग=बागडोर (Rein) फ़ारसी ।

मुक्त शब्द के अनेक अर्थ (Apparent Homonyms)

मिश्रार्थक शब्द का मूल भी मिश्र-मिश्र रहता है पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल या उद्गम-मिश्र न होने पर भी मिश्र-मिश्र अर्थों में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—

अक्ष=सूख्य, अक्षयन ।

अंक=चिन्ह, गोद, संख्या, भाटक का परिच्छेद ।

अर्थ=धन, मतलब, कारण, निमित्त आदि ।

अज=यक्षरा, द्रव्या ।

अक्ष=कील, औंस ।

अदि=साँप, कट्ट, सूख्य ।

अन्युन=कृष्ण, विष्णु, स्थिर, अविनाशी ।

अनन्त=विष्णु, सर्पों का राजा, आकाश, जिसका अंत हो ।

अरण=राज्ञ, सूख्य, सूख्य का सारथी ।

कृष्ण=कृत्ता, कृष्ण मण्डवान ।

कर=दाय, मूँक, किरण, मालगुजारी ।

करम=कार्य, कामदेव ।

कुशल=कुशलक्षोम, व्यतुर ।

कर्ण=नाम विशेष, कान ।

कलक=सोना, धतूरा ।

कौरव=गीदड़, धृतराष्ट्रादि ।

किरण=कमल, कुमुद आदि ।

कवच=राक्षस विशेष, पेटी ।

क्षमा=माफी, पृथ्वी ।

खर=दुष्ट, गधा; राक्षस विशेष ।

खग=राक्षस, पक्षी । खल=दुष्ट, दधाँई का खल ।

गो=किरण, इन्द्रिय, स्वर्ण, गाय, स्वर्ग ।

गुरु=शिशक, प्रह विशेष, देवताओं के गुरु, थेष्ट, भारी ।

गोत्र=परिचार, पहाड़ । गुण=रस्सी, स्वभाव, सत, तम और रज ।

गण=समृद्ध, मनुष्य, भूत ब्रेतादि शिवागण, पिंगलगण ।

गति=चाल, हालत, मोड़ ।

घन=वादल, घना, जिसमें हम्बाई, चौड़ाई और मुटाई हो ।

घाम=धूप, एसीना । घन्द=इच्छा, पद ।

जीवन=प्राण, पानी, जीविका ।

जलज=कमल, मोती, सेमार आदि ।

जलधर=वादल, समुद्र । जीमूत=वादल, इन्द्र, पर्वत ।

ज्ञाक=क्रोध, लहर । ठाकुर=देवता, नाई, ग्राहण ।

तत्त्व=मूल, यथार्थ, व्रहा, पंचभूत ।

तनु=दुयला, इरीर । तात=प्यारा, पुत्र, पिता आदि ।

तमचर=राक्षस, उस्तू पक्षी ।

तारा=आँख की पुतली, नक्षत्र, यालि की खी । शृहस्पति की खी ।

तान्त्र-पोता, ताङ्, थांते का तान्त्र, हातान्त्र ।

द्विज=गृही, प्रज्ञन, द्वित्रिय अंतर धेश्य ।

द्रोण=नीमा, द्रोणामार्य । दंड=हङ्गा, मत्ता ।

धन-भगवति, जोड़ । पात्य=धान, अनाहत ।

नग-भगवत्, विदोष, पदार्थ । नाग=हाथी, सर्व ।

निदान्यर=राशम, प्रेत, उन्नद, घोर । नुक्ल=नेकला, नाम विशेष ।

पद्म-दल, पदम, पंच घल । पद्म=दृष्टि, पानो ।

पोत=स्वमाय, नीकता, वचत । पतंग=युर्मी, शील, सूर्य ।

पद=स्थान, ईर । पत्र=पत्ता, चिट्ठी । पृष्ठ=सफ़्त, पीठ ।

फल=परिणाम, फलादि । धाण=तीर, धाणासुर ।

धाणी=सारस्त्रती, धोली । भाष्प=कठिन, नाम विशेष ।

महावीर=अनुमान, यद्वा भारी योद्धा ।

शुष्पिष्ठिर=पर्यंत, नाम विशेष ।

रस=पद्मरस, नवरस, स्वर्णादि की भस्म, स्वाद, सार, पारा

प्रेम ।

लघुण=खारा, लघुणासुर । विधि=ग्रहा, भाष्य, रीति ।

र्घ्ण=जाति, रंग, अक्षर । शिव=मंगल, भास्यदाली, महादेव ।

शस्य=धान, अन्नादि । सैन्धव=नमक सिन्धु का विशेषण, घोड़ा ।

सारंग=राग विशेष, मोर, सर्व, हरिण, पानो, देश विशेष, रपीता, हाथी, हंस, कमल, भूषण, फूल, रात, दीपक, शोभा, गोंद, खी, कपूर आदि ।

सुधा=आमून, पानी । हंस=प्राण, पश्चिविशेष ।

हरि=ईश्वर, हाथी, साँप, अभ्य, चायु, चन्द्र, मेढक, तोता,

यमराज, यानर, मोर, कोयल, हंस, घनुप, आग, पहाड़ इत्यादि ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों का भिन्न-भिन्न अर्थ लिखो ।

Illustrate the different meanings of the following words वारी, अंकुश, हरि, पान, पद, गो, ग्रन्थ गिरा, योग, जीवन, भूत, कनक, सुवर्ण, शिव, नाग, तारा, तोर ।

श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द

(Paronyms)

यहुत से ऐसे भी शब्द हैं जिनके उचारण प्रायः एक से रहते हैं पर अर्थ में भिन्नता रहती है । लिखने में भी नाम-मात्र का अंतर रहता है । कृछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

अंश=हिस्सा; अस=स्कन्ध । अंगुल=अंगुली; अंगूर=फल-यिशेप । असन=मोजन; आमन=वैठक । अणु=कण; अनु=उप-सर्ग । अनिल=यायु, अनल=आग । अभिराम=सुन्दर; अविराम=विना विद्धाम । ईति=समाप्ति; ईति=शस्यविष्ण । फूल=किनारा, कुल=शंशा, सभी । शून्य=वित्ता दुआ; श्रीत=पूरीदा दुआ । बेशर=कुंगम; कंसर=सिंह की गर्दन पर का थाल । चिर=दीर्घ; धीर=व्यग्र । घर=नीवर; घार=घार आंक । घूत=आम का वृक्ष; घ्युत=पतित । लरणि=मूर्ख, लरणी=नाय; लरणी=खी । दुर=दुकार; दूर=आगे । द्विप=द्वायी; दीप=टापू । दूत=सम्याददाता; दृत=जूआ । नीड़=खोता; नीर=पानी । पानी=जल; पाणि=हाथ । प्रसाइ=अनु-प्रह; प्राणाद=महल । प्रहर=पथार्थ, प्रहरि=भाषा यिदोप । वसन=यथ, व्यसन=पासना ।

बली=बलशाली; बलि=बलिदान। विना=आभाव; वीणा=वाजा
विशेष।

शम=शान्ति, सम=धरावर। दमन=द्वाना; दामन=छोर।

बेलि=लता; बेली=कूल विशेष। निशान=शाण्डा; निशान=चहूँ।

शङ्कर=महादेव; सङ्कर=जारज। दिन=रोज़; दीन=गरीब।

लक्ष=लाख; लक्ष्य=निशाना। शव=लाश; सव=सभी।

शार=तीर; सिर=माथा; सर=तालाब।

सुर=सूर्य; सुर=देवता; शूर=शीर।

सुत=लड़का; सूत=सारथी। सुमन=कूल; सुअन=पुत्र।

शुचि=पवित्र; सूची=तालिका। सूचि=सूर्इ।

अभ्यास

१—नीचे के शब्दों में वाक्ययोजना द्वारा प्रमेद् यताओ।

Form sentences to show differences between the following words असन और आसन। सुत और शृण।
स्वय और लक्ष। प्रसाद और प्रासाद। सूर और शूर। इन्दिय
और इन्द्र।

एकार्थक शब्दों में अर्थ-भेद

(Distinction between synonymous terms)

एक ही अर्थ को बोध करनेवाले दो या दो से अधिक शब्दों
अर्थ में कही-कही एकम भेर रहता है। इन एकम भेरों को
मीठीति गम्भीरता कर ही देखें शब्दों का प्रयोग करना उचित
अन्यथा कही-कही अर्थ का अनर्थ होने की रामबाधना हो

जाती है। यद्याँ पर कुछ ऐसे एकार्थक शब्दों के सुहम भेद का दिव्यर्थन करा दिया जाता है—

अलौकिक और अस्वाभाविक—

अलौकिक—जो लोक और समाज में पहले नहीं देखा गया हो।

अस्वाभाविक—जो ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध हो।

नोट—अलौकिक का अस्वाभाविक होना सम्भव है पर, अस्वाभाविक अलौकिक नहीं हो सकता।

अशान और अभिष्ठा—

अशान—जो स्थाभाविक बुद्धि से हीन हो।

अनभिष्ठा—जिसे समझने का कभी मौका ही नहीं मिला हो।

अहंकार, अभिमान, गर्व, दर्प, गौरव, और दम्भ—

अपने को उचित से अधिक समझना अहंकार है, अपने को यहाँ और दूसरों को छोटा समझना अभिमान है, रूप, धन, विद्या आदि के मद में चूर रहना गर्व है, दूसरों को घुणा की इष्टि से देखना ही दर्प है, यथार्थ महत्त्व के लिए अभिमान करना गौरव है और झूठ पालण्ड करना दम्भ है।

अख्य और शाख—

जिस हथियार से फेंक कर प्रहार किया जाय वह अख्य है; जैसे धाण आदि और जिसे हाथ में रखकर प्रहार किया जाय वह शाख है; जैसे तलवारादि।

अश्व और मूर्ख—

जिसकी बुद्धि जड़ हो वह मूर्ख आर जिसे कुछ शान ही न हो उसे अश्व कहते हैं।

आधि और व्याधि—

मानसिक कष्ट को आघि और शारीरिक कष्ट को व्याघि कहते हैं।

दया और शुगा—

दूसरे के कष्ट को नियारण करने का स्थामादिक मापदण्ड को दया और छोटे के प्रति की जाने याली दया को शुगा कहते हैं।

धम और प्रमाद—

जहाँ असाधारणी से भूल हो जाय वहाँ धम और जहाँ मूर्खतावश भूल हो जाय वहाँ प्रमाद होता है।

द्वेष, ईर्ष्या और सपद्धा—

कारणवश घृणा करना द्वेष, स्वमादतः दूसरे की उप्रति देख कर जलना ईर्ष्या और दूसरों को बढ़ाने न देना सपद्धा है।

धम, आयास और परिश्रम—

शरीर के अंग की शक्ति लगाकर काम करना धम, मन की शक्ति लगाना आयास और धम की विशेषता परिश्रम है।

प्रेम, भक्ति, धद्धा, स्नेह और प्रणय—

प्रेम—हृदय के आकर्षण का भाव है।

भक्ति—देवताओं के प्रति अनुराग या प्रेम भक्ति कहाता है।

धद्धा—वहाँ के प्रति अनुराग या प्रेम धद्धा है।

स्नेह—छोटों पर प्रेम दरसाना स्नेह है।

प्रणय—ख्री-पुरुष के प्रेम को प्रणय कहते हैं।

दुःख, शोक, क्षोभ, खेद और विपाद—

मानसिक पीड़ा को दुःख और विच की व्याकुलता को शोक कहते हैं। वियोग का दुःख शोक है। किसी काम में सफलता त मिलने पर मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्षोभ कहते

हैं। नियश हो जाने पर खेद होता है। दुःख की हालत में कर्तव्य-कर्त्तव्य की विस्मृति को विपाद कहते हैं।

सेवा और शुद्धपा—

सेवा—देवनाओं या घड़ों की उद्धल ।

शुद्धपा—प्रेतियों और दुःखियों की उद्धल ।

खो और पत्ती—

खो-जानि-मात्र को खो और अपनी विवाहिता खी को पत्ती कहते हैं।

बालक और पुत्र—

दड़के की जाति को बालक और अपने बेटे को पुत्र कहते हैं।

अभ्यास

१—नीचे के शब्दों में अर्थ भेद बताओ।

Show the difference in meanings of the following words. शानी, आमेह । चन्द्र, सुहृद, मित्र और सखा । प्रमाद, भ्रम । सच्चाट, राजा । दुःख, शोक । भन, चित । स्नेह, ध्रुदा, मक्कि ।

विपरीतार्थक शब्द

(Antonyms)

जब दो शब्द आपस में प्रतिकूल अर्थ प्रगट करें तब वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। कभी-कभी दोनों शब्द एक साथ भी प्रयुक्त होते हैं जैसा कि पहले दरसाया जा चुका है नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

आकाश

आने

पाताल

अंत

अथ

अति घृणि अनावश्यि

इति

आकर्षण	विकर्षण	आय	ध्रुव्य
उन्मीलन	निमीलन	आशान	प्रदान
हेतु	देन	शृणु	उश्ण
ऊँच	नीच	उद्य	अस्ति
जीवन	मरण	आलोक	अन्धकार
उत्सु	निष्टु	अनुराग	विराग
योगी	भोगी	शान्ति	अशान्ति
राग	विराग	वाद	प्रतिवाद
सच	झूठ	सरस	नीरस
हतुति	निन्दा	बृह	घालक
पुरुष	खी	राजा	रानी
दिन	रात	सुवह	साँझ
शीत	उषा	जाइ	गर्मी
अच्छा	खराब	भला	छुप
शाश्वत	मित्र	अमृत	विष
लघु	गुरु	खीलिंग	पुंखलिंग
चर	अचर	संयोग	वियोग
मिलन	विछोद	साधु	असाधु
हित	अहित	राम	रावण
		गङ्गा	कर्मनाशी

निम्नलिखित शब्दों के प्रतिलोम (विपरीतार्थक) शब्दों
को लिखो ।

Give the antonyms of the following words

धर्म, मूक, धनी, नया, जय, स्थावर, सुधि, योग, घट्टचारी,
पाण्डव, गुरकी ।

वर्णविन्यास-भिन्न एकार्थक शब्द

Words of the same meaning but of different spelling

हिन्दी में बहुत से ऐसे भी शब्द हैं जिनके वर्णविन्यास में योङ्गा बहुत अन्तर रहने पर भी अर्थ में अन्तर नहीं पड़ता। ऐसे शब्द वर्णविन्यास-भिन्न एकार्थक शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं—

अलि, अली। आंचल, आंचर। अवनि, अवनी। इन्धन, ईधन। कलदा, कलस। कंचल, कमल। कोष, कोश। उपनिषद, उपनिषेद। गढ़ा, गढ़। गद्धा, गथ। चमगादड़, चमगीदड़। कोस, कोश। देश, देस। घन, घन। तमगा, तगमा। बन्दर, चानर। भलू, भालू। चिकाशा, चिकास। निमिष, निमेष। घारी, घाढ़ी। पहला, पहिला। हिंगुस्तान, हिन्दोस्तान। उड़िस्सा, उड़ीसा। घहन, घहिन इत्यादि।

उपर दिये गये तथा उसी प्रकार अन्य वर्णविन्यास-भिन्न एकार्थक शब्दों के प्रयोग के सभ्य वालकों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि जहाँ-कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय, एक ही ढंग से किया जाय। ऐसा न हो कि एक ही लेख में एक जगह 'घहन' लिखा तो दूसरी जगह 'घहिन' लिख दिया। और भी इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग में बड़े-बड़े लेखकों की लेखन-शैली का अनुकरण करना ही ठोक है। पुराने कवियों की कविताओं में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शब्द को मधुर बनाने के लिये शब्द-विन्यास के नियमों की उपेक्षा कर दी गयी है। कहे अथवा कर्णकदु शब्दों को मधुर, घनाने या कविता में तुक मिलाने की गरज से 'प' का 'ख', 'झ' का 'स' हस्त भी जगह

दीर्घ और दीर्घ की जगह दृस्य का प्रयोग किया गया है। जैसे महि पा मही, शायक का सायक, शीतल का सीतल, पढ़ानन का खड़ानन इत्यादि। परन्तु गद्य-लेख में देसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आधुनिक काल की उष्णी-शोली की कविताओं में भी व्याकरण-सामग्री नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और शब्द-विन्यास में तोड़-मरोड़ नहीं किया जाता है। इसीलिए कुछ विद्वानों का कथन है कि इस प्रकार व्याकरण का प्रतिबंध रहने के ही कारण न तो सरसता ही रहती है और न प्रसाद-गुण ही। पर यह सोचना भूल है। क्यि किसी प्रकार की मापा में सरसता तथा मात्र लाने में समर्थ हो सकता है ज़रूरत है भाषुक क्यि की।

प्रभ्यास

१—ज़रूर के ही समान दस उदाहरण दो।

Give the similar ten instances.

२. पदांशा-परिवर्तन

Change of components

इन दो सारत बनाने के अनियाप में सामानिक शब्दों के उत्तरार्थ या पूर्तीर्थ पर को बदलकर उनसी जगह उनी अपै में भ्रष्टक दूसरे पर को बना सकते हैं। उन्नरण्यता के लिए इन हंग या पर्यावर्तन बनाने का अभाव बहुती उत्तेजी होता है। ऐसा न करना में शब्द के भंगटन के लिए भी खेता बनाने की अवक्षणता होती है।

१ पूर्व-पद-परिवर्तित शब्द

नूसिह, नरसिह । कलककश्यप, हिरण्यकश्यप । भूषणि, नरणति, महीणति । प्राणाधार, जीवनाधार । सुरवाला, देववाला । कर्ण-गोचर शुतिशोचर । नुपाल, महिपाल, भूपाल । हेम-लता कलकलता, स्वर्णलता । खेचर, निशिचर, रजनीचर इत्यादि ।

२ उत्तर-पद-परिवर्तित शब्द

राजकल्पा, राजपुत्री । नरनाथ, नरपाल । कमलिनी-नाथक । कमलिनी-घलभ । निशिनाथ, निशिगति । रजनीकान्त, रजनी-पति । प्राणनाथ, प्राणपति, प्राणेश, प्राणाधार, प्राणघलभ इत्यादि ।

कर, हर, हीन, घि, धर, द, प्रद, दायक, श, ज, जनक, मय, दार आदि यहुन से ऐसे शब्द या अक्षर हैं जिन्हें कुछ शब्दों के अंत में जोड़ने से नये शब्द बनाये जाते हैं; जैसे—

कर—हितकर, स्विकर, फलकर, जलकर, मधुकर आदि ।

हर—संतापहर, मनोहर, पापहर आदि ।

हीन—सुखिहीन, शानहीन, कर्महीन, धनहीन आदि ।

घि—जलघि, उद्धि, वारिघि आदि ।

धर—हलधर, चक्रधर, परम्परधर, जलधर, महिधर आदि ।

द—सुखद, दुःखद, जलद, धरद (स्त्रीलिंग धरदा) आदि ।

प्रद—सन्तोषप्रद, लाभप्रद, दुःखप्रद आदि ।

दायक—फलदायक, लाभदायक, सुखदायक इत्यादि ।

श—सर्वेश, विशेषह, इतिहासेश, मर्मेश इत्यादि ।

ज—जलज, सरोज, मनोज, पंकज आदि ।

जनक—संतोष-जनक, लाभ-जनक, करुणा-जनक आदि ।

मय—देयामय, करुणामय, सुखमय, आनन्दमय आदि ।

दार—भट्टकदार, मजेदार, चमकदार आदि ।

नोट—(क) ऊपर जोड़े गये कर, हर, आदि शब्द प्रत्ययवत् व्यवहृत हुए हैं ।

(ख) जल या इसके पर्यायवाची शब्दों के आगे 'ज' जोड़ने से कमल, 'द' या 'धर' जोड़ने से मेघ और 'धि' या 'निधि' जोड़ने से समुद्र के पर्यायवाची शब्दों का बोध होता है : जैसे—

जल—जलज, जलद, जलधर, जलधि, जलनिधि । नीर—नीरज, नीरद, नीरधर, नीरधि, नीरनिधि ।

सलिल—सलिलज, सलिलद, सलिलधर, सलिलधि, सलिलनिधि ।

अम्बु—अम्बुज, अम्बुद, अम्बधर, अम्बुधि, अम्बुनिधि ।

तोय—तोयज, तोयद, तोयधर, पयोधि, तोयनिधि ।

पय—पयोज, पयोद, पयोधर, पयोधि, पयोनिधि ।

वारि—वारिज, वारिद, वारिधर, वारिधि, वारिनिधि ।

घन—घनज, घनद, घनधर, घनधि, घननिधि ।

(ग) प्रायः तालाब शब्द के पर्यायवाची शब्दों के आगे 'ज' जोड़ने से कमल के प्रतिशब्द घनते हैं । जैसे—सरोज, सरसिज आदि ।

(घ) एक रहे कि ऊपर के प्रत्ययवत् शब्द केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों के ही अंत में जोड़े जाते हैं, हिन्दी या उर्दू आदि शब्दों के अंत में नहीं । जैसे—पानीज, तालाबज आदि नहीं होगा ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों का विना अर्थ बदले उचित परि-

घर्तन करो Make proper changes in the following words without changing their meanings.

पयोद, जलज, जलनिधि, दुःखकर, कमरवन्द, शरमोचन, भूपाल, नागनाथ, गिरहकट्टा, मनोज ।

एक ही शब्द का भिन्न-भिन्न रूप से प्रयोग

(The same word used as different part of speech)

बहुत से शब्द वाक्य में भिन्न-भिन्न रूप से व्यवहृत होते हैं । एक ही शब्द कहीं संज्ञा, कहीं विशेषण, कहीं सर्वनाम, कहीं अव्यय और कहीं प्रिया के समान व्यवहृत होते हैं । नीचे उत्तर-दरण देखो—

संज्ञा विशेषण-रूप में व्यवहृत

(१) व्यक्ति वाचक—भीष्म, हृष्ण, भीम, राम, भगीरथ आदि व्यक्ति वाचक संज्ञाएं कर्मी-कर्मी विशेषण के रूप में भी व्यवहृत होती हैं; जैसे—भीष्म-प्रतिशा, हृष्णसर्प, भीमकाय, भगीरथ-प्रयत्न, राम-राज्य आदि ।

(२) अन्य संज्ञाएं—स्वर्ण, पाप, पुण्य, धर्म, गो, आदि संज्ञाएं भी विशेषण के रूप में व्यवहृत होती हैं; जैसे—स्वर्ण-युग, पाप-यासना, पुण्य-स्मृति, गो-स्वभाव ।

विशेषण संज्ञा (विशेष्य) रूप में

दुष्ट, पण्डित, पापी, लाल, गोरा, करला, आदि शब्द विशेष्य रूप में भी व्यवहृत होते हैं ।

'दुष्टों' को दंड देना चाहिये । 'पण्डित जी' पड़ा रहे हैं । 'पापियों' को स्वर्ग नहीं मिलता । 'लाल' देशकीमरी परायी है ।

अनिकार में 'गोरो' और 'चालों' में भैर-साथ उठ गया।
जीवे कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं जो मिश्र-मिश्र का मैं

इष है—

अच्छा—संशा—अच्छों को पैंथ नहीं लाना है। अच्छा—संशा—अच्छों। चिरोपण—मोहन अच्छा सहका है। अच्छा, तुम आओ। चिरोपण—एक न पक रिन सभी परोंगे। सर्व-

एक—चिरोपण—एक न पक रिन सभी परोंगे। चिरोपण—

एक का पता है बहुरा, एक का पता है पका है। चिरोपण—

तुम्हारे जाने से ही क्या होगा।

केषल—चिरोपण—मी केषल मोहन को जानता है। चिरोपण—यह केषल है सत्ता है। समुद्रघोषक—मी

चिरोपण—यह केषल तुम्हारे लिय टहर गया।

का गया रहता केषल तुम्हारे कहाँ गये? चिरोपण—

और—चिरोपण—और लड़के कहाँ गये? अच्छय—

ओरों की अपेक्षा पढ़ने में अधिक तेज़ है। अच्छय—

सोहन सहूल जाते हैं।

कोई—सर्वनाम—कोई खाय या न खाय में तो ज़रूर

चिरोपण—इस भर्ज की कोई दया नहीं। अच्छय—कोई

हो गये अब तक उसका कुछ पता नहीं है।

खाक—अच्छय—तुम मेरी सदायता क्या खाक?

सब किया कराया खाक में मिल गया है।

हाँ—संशा—हाँ मैं हाँ मिलाने से क्या नहीं चले

हाँ जी अब चलो! समुद्रघोषक—तुम्हारा क

ठीक है, हाँ, पक बात इसमें अब इय खटकती है।

क्या—सर्वनाम—उसने कल क्या कहा था?

किया चिरोपण—यह चलेगा क्या खाक है।

— है।

विशेषण—क्या—क्या चीज़ें लायी जायें ।
दूसरा—विशेषण—उसका दूसरा नम्बर है ।
विशेष्य—दूसरों को क्या गरज़ पड़ी है ।
क्रिया-विशेषण—घह क्या कोई दूसरा है ।

आन्यास

१—पांच ऐसे शब्द घताओ जो मिश्र-मिश्र रूप से व्यवहृत होते हों ।

Mention five words which are used as different part of speech.

२—निम्नलिखित शब्दों को विशेषण के रूप में वाक्य में व्यवहृत करो ।

Use the following words as Adjective. तनु, लाल, चार, जो, यह।

चतुर्थ परिच्छेद

पद-संगठन

(Structure of words)

पूर्व के तीन परिच्छेदों में शब्दों के बनाने और उनके अर्थ को प्रकाशित करने की विधियों पर धोषा-बहुत प्रकाश डाला जा चुका है। अब इस परिच्छेद में यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा कि शब्द को संगठित कर याक्षय में किस ढंग से प्रयुक्त करते हैं। ऐसे पद-समूहों को, जिनसे पूरा अर्थ निकले, याक्षय कहते हैं। शब्दों को यों ही जिघर-तिघर रख देने से पूरा अर्थ नहीं निकल सकता। उन्हें संगठित कर व्याकरण के नियमों के मुताबिक रखने से ही पूरा अर्थ प्रकाशित होता है। शब्दों को संगठित या अद्वालायक करते समय आप-दपकतानुसार उनकी आटनियों को कुछ बदलना पड़ता है और कुछ शब्दांश या चिह्न भी जोड़ जाते हैं। ऐसे—लकड़ा, खाना, रोटी।—उन्हें शब्द विश्वल रूप से रख देने से मनोमाय प्रभाव नहीं होता, अतः यह याक्षय नहीं है। मगर जब इन्हीं शब्दों को अद्वालायक कर, उनकी आटनियों को यथारीति बदलकर तभी उनमें शब्दांशों को जोड़कर हम प्रभाग—‘उनके ने रोटी खाई’

कर दिया—तब यह पद वाक्य हो गया। इसी विधि को पद-संगठन कहते हैं।

जयतक शब्द अलग-अलग रहते हैं तबतक तो ये शब्द ही कहलाते हैं पर जय ये वाक्य में प्रथित हो जाते हैं तो पद कहलाने लगते हैं। अर्थात् वाक्य में व्यवहृत शब्द पद कहलाते हैं। कहीं तो शब्द की आहृति बदलकर पद होते हैं और कहीं आहृति में परिवर्तन नहीं भी होता है। जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे विभक्ति कहलाते हैं। यों तो प्रत्येक पद में विभक्ति रहती है पर किसी में प्रत्यक्ष रूप से किसी में गुप्त रूप से रहती है। अतः विभक्ति सहित शब्द, चाहे विभक्ति का रूप प्रकट रहे या नहीं, पद कहलाता है। जैसे राम रोटी खाता है।

ऊपर के वाक्य में राम, रोटी को, खाता है—ये तीन पद हैं। पहले पद 'राम' में प्रत्यक्ष रूप से कोई चिह्न नहीं है, 'रोटी' के अंत में कर्मकारक का चिह्न 'को' के रूप में आया है और 'रोटी खाना' किया में विभक्ति 'ता है'—है। विभक्ति आकर शब्द की आहृति को बदल कर 'खाता है' का रूप देती है।

वाक्य में पाँच प्रकार के पद होते हैं—संसाध-पद, सर्वनाम-पद; विशेषण-पद, क्रियापद और अव्यय-पद। इनमें विशेषण-पद तो अपने विशेष्यपद के अनुसार कहीं अपने मूल शब्द की आहृति को बदल देता है और कहीं ज्यों का स्वयं रहता है। अव्यय-पद का रूप प्रायः परिवर्तन नहीं होता। हाँ, जब अव्यय विशेषणादि के रूप में व्यवहृत होता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है।

शब्दों को आहृतियाँ बदलने के लिये लिंग, वचन और कारक वह प्रयोग जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विशेषतः लिंग, वचन और कारक से ही शब्दों में विकार उत्पन्न होता है।

दो, इनके सिवा मी शियागर में धारु-प्रयोग के द्वारा या, ता, तो हैं आरि विमलियों के जोड़ने से भी चिकित उपचार होता है। पहाँ घर लिंग, रानन और कारक के विषय में योहा-बहुत प्रभाव ढाला जाता है।

लिंग (Gender)

हिन्दी में केवल दो लिंग होते हैं—ख्रीलिंग और पुंहिंग, ख्री-जाति-योधक शब्द ख्रीलिंग और पुरुष-जाति-योधक पुंहिंग कहलाते हैं। और जो शब्द न तो ख्री-जाति के योधक है और कहलाते हैं। उनका लिंग-निर्णय करने के लिए अंगारेंगी, न पुरुष-जाति के उनका लिंग-निर्णय करने के लिए अंगारेंगी, न संस्कृत आरि भाषाओं में तो पलोय लिंग के नाम से एक तीसरा लिंग भी माना गया है; पर हिन्दी में ऐसे संदिग्ध शब्द कुछ तो ख्री-लिंग में व्यवहृत होते हैं और कुछ पुंहिंग में। पही कारण है कि हिन्दी में लिंग-विचार एक विशेष महत्व रखता है और इसके विषय में अब तक यहेयहें लेखकों तक में मतभेद बढ़ा आता है। इसके निर्णय के लिए हिन्दी-व्याकरण में न तो कोई खास नियम है और न विद्वानों का एक मत है। पही नहीं खलिक यहाँ तक देखा गया है कि जो शब्द संस्कृत आरि भाषाओं में पुंहिंग माने जाते हैं हिन्दी लेखक ख्री-लिंग लिख डालते हैं और जो शब्द संतुलनादि में ख्री-लिंग माने जाते हैं उन्हें पुंहिंग में प्रयोग करते हैं। इस विचित्र गद्यवृक्षालय में पहकर नवसिद्धुर्प्रयोग करते हैं। लेखक प्रायः असमंजस में एह जाते हैं जो स्थामायिक है। कहा भी है कि जहाँ कोई नियम लागू न हो सके पहाँ 'महाजनः येन गतः सं वंथा' के अनुसार महामुद्रयों के पदा का अनुसरण करते मान्य है। परन्तु यहाँ यहेयहें में ही जय एक मत नहीं है ते-

किस पंथ का अनुसरण किया जाय यह अटिल समस्या सामने आ रही हो जाती है। हमारी समझ में देखी परिस्थिति में नव-सिद्धुप लेखकों के लिप एक ही उपाय यह यच रहा है कि वे बहुमत को मान्य समझें। यहाँ पर हम संस्कृत के कुछ पेसे शब्द दिखलाते हैं जो संस्कृत में खी-लिंग होने पर भी हिन्दी में पुंलिंग और संस्कृत में पुंलिंग होने पर भी हिन्दी में खीलिङ्ग में कुछ तो पहले से व्यवहृत होते चले आ रहे हैं और कुछ अब व्यवहृत होने लग गये हैं।

उदाहरण—(१) देवता, तारा आदि शब्द संस्कृत में खी-लिङ्ग हैं पर हिन्दी में पुंलिङ्ग माने जाते हैं। कोई-कोई देवता को खीलिङ्ग लिखने लग गये हैं।

आती है स्वातन्त्र्य-देवता, उसके चरण धुलाने में

—(एक भारतीय अन्मा)

(२) सन्तान, विधि, महिमा आदि शब्द संस्कृत में पुंलिङ्ग हैं पर हिन्दी में खीलिङ्ग में प्रयुक्त हो रहे हैं।

(३) अन्मा, अभ्यन्त, धायु, पवन, समीर, समाज, विनय, विजय, कुशल आदि संस्कृत में पुंलिंग हैं पर हिन्दी में खीलिंग और पुंलिंग दोनों में प्रयुक्त होने हैं। ग्रायः देखा जाता है कि संयुक्त-शास्त्र के अधिकांश लेखक अब इन शब्दों को खीलिंग में लिखने लग गये हैं। उर्दू का हवा शब्द खी-लिंग है, पर धायु, पवन आदि पुंलिंग। कुछ विद्वानों का मत है कि हवा के जितने पर्यायशार्ची शब्द हों सभी खीलिंग में व्यवहृत होने चाहिये।

धायु पढ़ती है पटा उठती है जलती है अग्नि। (हरिओप)
पवन सारी यहन—(पूर्ण)।

'विनय' को हिन्दी-शास्त्रार्थ-पारिज्ञात के लेखक ने पुंहिंग लिखा है।

'आत्मा' के सम्बन्ध में एक विचारदील लेखक और हिन्दी के प्रगाढ़ विद्वान का कथन है कि जहाँ 'आत्मा' का प्रयोग ईश्वर-अंश के देसा हो वहाँ पुंहिंग रहे पर जहाँ विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ खीलिंग रहे। ऐसे—पुंहिंग-प्रयोग—सब का आत्मा अमर है। आत्मा न तो जरता है और न मरता है।

खीलिंग-प्रयोग—पानी पिलाकर मेरी आत्मा को सुषु परो।

मेरी आत्मा तो इस यात की गधाही नहीं देती।

हमारे विचार से जो संस्कृत या अन्यान्य भाषा के द्वारा सर्व-सम्मति से, हिन्दी में, लिंग के सम्बन्ध में, किसी निर्णय पर पहुँच खुके हैं उनके लिए माया-पर्याप्ति करना व्यर्थ है। उन्हें उसी रूप में अब रहने दिया जाय जिस रूप में ये व्यवहृत हो रहे हैं। परन्तु जिन शब्दों के सम्बन्ध में अब तक संचारान्वय खली छा रही है—जिनके विषय में विद्वानों का एक मन नहीं है—उनके लिए, हालाँकि हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है, संस्कृत या अन्य भाषाओं में ये जिन लिंग में हैं उसी लिंग में हिन्दी में भी रहने दिये जायें। ऐसा करने से अन्य भाषाओं के खीलिंग और पुंहिंग शब्दों का हिन्दी में प्रयोग होने से लिंग-सम्बन्धी बनेहाँ मिट जायगा और तब केवल अन्य भाषाओं में व्यवहृत नर्तुगढ़ या द्वीप लिंग के शब्दों के लिंग निर्णय की समस्या रह जायगी।

पुंहिंग शब्द (Masculine)

(१) जिन शब्दों के अंत में आय, न्त, एन, ना, और

प्रत्यय हो घे प्रायः पुंडिंग होते हैं; जैसे—चढ़ाव, उतराव, चुनाव, बनाव, मनुष्यत्व, पुरुषत्व, लड़कायन, यचपन, शुद्धारा, राज्य इत्यादि।
 (२) योद्धे से प्राणिवाचक शब्द; जैसे—सीतर, चोलर, काग, गिद्ध, गो, बैग, सारद, गरुड़, बाज, लाल, प्राणी जीव, पक्षी, पंछी—इत्यादि।

नोट—नीचे लिखे शब्द हैं तो दोनों लिंगों के (Common Gender) परन्तु पुंडिंग के रूप में व्यवहृत होते हैं। शिशु, मित्र, दम्पति, कुतर्न, परिवार, पढ़र, बछर, शत्रु आदि।

(३) योद्धे से अन्न या फलवाची शब्द; जैसे—जौ, मटर, चना, उर्द, मेहँ, गन्ना, तिळ, घनिया, नीबू आदि।

(४) संस्कृत के नामुसक और पुंडिंग शब्द प्रायः हिन्दी में कुछ अपवादों को छोड़कर पुंडिंग होते हैं।

अपवाद—जय, देह, सम्भान, शवथ, विधि, अनु, मुण्डु, बस्तु, पुस्तक, औपध, उपाधि, आय आदि खीलिंग में व्यवहृत होते हैं, परन्तु विजय, विनय, समाज, तरंग, कुशल, वायु, अग्नि, सामर्थ्य आदि दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इन वैकल्पिक शब्दों में हमारे विचार से विनय, विजय, कुशल, तरंग आदि को खीलिंग में और वायु, अग्नि, समाज, सामर्थ्य आदि को पुंडिंग में प्रयोग करना उचित है।

(५) अकारान्त और आकारान्त शब्द—दाँत, कान, थाल, केश, मुँद, कीचड़, पटिया आदि।

अपवाद—(क) आँख, थाँह, आँख, नाक, साँस, लहर, सहृक, धास, ईंट, भाँह, कीच, मूँछ इत्यादि।

(ख) इथा—प्रत्ययान्त ऊनवाचक शब्द भी खीलिंग होते हैं; जैसे—डिविया, खटिया आदि।

(६) उम्र के घे शब्द जिनके अंत में थ, आय और था दे पुंछिग होते हैं; जैसे—गुलाय, जुलाय, हिसाय, लिजाय, कवाय, जघाय, नसीय, ताय, मजाय, गोय, गाय, जोय, मतलय आदि। अपवाद—किताय, ललय, शय, दाय, तक्काय, किम्भाय, सुरखाय, ख्याय, मिहराय, शराय आदि खीलिग हैं।

(७) पहाड़ों, प्रहों, दिनों, महीनों, नगों, धानुओं और देशों

के नाम पुंछिग होते हैं, जैसे—

द्विमालय, चाढ़, शुक, गुरुवार, चैत, फरवरी, सप्ताह, हीरा, भोती, सोना, जापान, इंगलैण्ड, भारतवर्ष आदि।

अपवाद—चाँदी और पीतल खीलिङ्ग हैं। देशों में टक्की को भी लोग खीलिङ्ग लिखते हैं। बृहेन का रूप जब शुटेनिया होता है तो लोग इसे भी खीलिङ्ग मानते हैं। भारत के अन्त में 'भात' शब्द जोड़ने से 'भारत भात' खीलिङ्ग में लिखा जायगा।

नोट—खीलिङ्ग नियमों के अपवादयाले शब्द पुंछिङ्ग होने और पुंछिङ्ग नियमों के अपवादयाले शब्द खीलिङ्ग है।

खीलिङ्ग

(१) जिन शब्दों के अन्त में आर, ता, थट, हट, और न प्रत्यय रखे घे प्रायः खीलिङ्ग होते हैं; जैसे—लग्नार्द, हाहार्द, मित्रता, शशुता, स्वार्थपता, चिकनाहट, घनावट तपायट, घलन इत्यादि।

नोट—चालचलन को लोग पुंछिङ्ग कहते हैं।

(२) योहे से प्राणिवाचक शब्द—
उड़ीसा, चील, कोयल, घोर, मीना, द्यामा, चिह्निया, जोक
क्षयचिया, राती, मुनिया इत्यादि।

कोकिल शब्द पुंडिन है जिसका खीलिङ्ग-प्रयोग कोकिला है।

(३) घोड़े से अन्न और फलबाची शब्द—

मूँग, मसूर, गाजर, अरहर, दाख इत्यादि ।

(४) संस्कृत के खीलिङ्ग शब्द—

दया, माया, प्रश्नति, आशा, हृषा आदि ।

(५) अरथी के वे शब्द जिनके अन्त में आ, त, फ, झ, ह, और छ रहे; जैसे—दगा, हया, सज्जा, द्वया, खता, घला, दुआ, रजा, कज्जा, घफा, तमसा, रसीद, तर्कीव, तर्माज़, इलाज, दुनिया, तफसील, फसल आदि ।

• नोट—तावीज शब्द पुंडिन है ।

(६) जिन शब्दों के अन्त में रु, त, आस और इस रहे थे प्रायः खीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं; जैसे—चिट्ठी, रोटी, साड़ी, पोती, घोटी, रात, यात, जात, पात, गत, दीलत, नौयत, प्यास, आस, उच्छ्वास, मिठास, कोरिया, पुरशिरा इत्यादि ।

अपयाद—धी, दही, भोती, हाथी, पानी, भात, दाँत, गोत, मूत, गृत, भूत, प्रेत, दर्थत, यमोयस्त, दस्त, दस्तरत, निष्प्रस, यिकास, इज़लास इत्यादि ।

नालिदा शब्द दोनों लिङ्गों में व्यवहृत होता है ।

(७) लिधियों, नदियों और नदियों के नाम—

द्विनीया, सूनीया, एक्समी, तीज, अभनी, भरणी, रोहिणी, दृक्षिणा, गंगा, यमुना, सोन, गंदक, नील इत्यादि ।

अपयार—पुण्य, पुनर्षसु, दम्भ, मूल, पूर्णपाइ और उत्तर-पाइ ये महात्र पुंडिन हैं । तिन्हु पुंडिन में व्यवहृत होता है पर यह सही नटी कहलाकर नह कहलाना है ।

योगिक शब्दों का लिङ्ग-नियंत्रण

योगिक या सामासिक शब्दों का लिङ्ग उन शब्दों के अंतिम खण्ड के अनुमार होता है; जैसे मातापिता, वृपासिन्दु गर्भा-सागर आदि पुलिंग हैं और जयधी, वसन्तधी, हेमलता आदि ख्रीलिङ्ग हैं। ख्रीलिङ्ग और पुलिङ्ग—ये दोनों शब्द में पुंज हैं।

नोट—आजकल के लेखकों में प्रायः यह बात पायी जाती है कि आगर योगिक शब्दों के आगे कोई अव्ययमूलक शब्द हो तो वे प्रथम खण्ड के लिङ्गानुसार उनके लिङ्ग का प्रयोग करते हैं एवं एक दूसरी समझ में यह प्रयोग उचित नहीं है—व्यर्थ के परन्तु हमारी समझ में यह प्रयोग उचित नहीं है—व्याकरण के नियमों को जटिल बनाकर लोगों को संशय में डालना है। जैसे इच्छानुसार, आशानुसार आदि शब्द नियम से डालना है। ख्रीलिङ्ग है पर शब्दों के प्रथम खण्ड में ख्रोधादी शब्द रह अनुसार, पुलिङ्ग हैं एवं ख्रीलिङ्ग लिखने लग गये हैं।

से कोई कोई इन्हें ख्रीलिङ्ग लिखने लग गये हैं—कानक से निम्नलिखित शब्द ख्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं—कानक, गर्वमेन्ट, हालटेन, अपील, पेसिल, डेस्क इंजिन, पिञ्जिन, बोर्ड, कमिटी, लिस्ट, प्रक्सेप्रेस, पेसिअर, पार्टी, रिपोर्ट, मिल, बार्म, काउन्सिल, ऐसेम्बली, फीस, रेल, लौटी, लौटरी; मिलेन-

पुलिस इत्यादि।

नोट—'नोटिस' शब्द को लोग दोनों लिङ्गों में लिखते हैं

अन्य ख्रीलिङ्ग शब्द

अदालत, अदेट, अफइ, अफीम, अहू, अनघन, अ-
अंगिया, अफ़्याद, अम्ल, आग, आमद, आष, आतर
आयाज़, आस्तीन, आद, आदत, आन, ओट, आयु, इज़्ज़त

એજાજત, ઇમતિહાન, ઇખ, ઇટ, ઇમારત, ઇકરાનામા, ઈધન । ઉદ્ધ, ઉશીર, ઉલ્લૈઠ, ઉદ્ભાન, ઉલ્લંઘન, ઉસીદ । એષજ, એઠ । ઓટ, ઓપ, ઓઝલ, ઔલાદ, ઔંશથ । કૃદર, કસટ, કલ, કમીજ, કસમ, કનાત, કિતાય, કેફિયત, કોમ, કતરન, કામર, કમાન, કલું, કલમ, કચકચ, કિરળ, કિવાફ, કૂફ, કૌમ, કિસ્ત, કુદરત, કણા, કીમત, કારીણારો । ખાતિર, ખાપત, ખ્યાદિશ, ખેંચાતાની, ખદર, ખરભર, ખસ, ખરોદ, ખીર, ખાલ, ખાદ, ખિદ-મત, ખતા, ખોલ, ખડાંં, ખુશામદ, ખેર, ખૈરાત, ખટખટ, ખાજ, ખોદ, ખાન, ખિદુ । ગજલ, ગચ, ગર્જ, ગુજર, ગાજર, ગર્મી, ગર્દન, ગાંઠ, ગાગર, ગાજ, ગંધ, ગર્દન; ગર્જ, ગેંદ, ગોંદ, ગત, ગમક, ગુદિયા, ગોટ્ઠી । ઘૂસા, ઘુમની, ઘૂસ, ઘિન । ચહલ-પહલ, ચરવી, ચેન, ચ૰ગ, ચલચુલ, ચપરાસ, ચટકમટક, ચીજ, ચાટ, ચાસ, ચિટ, ચોટ, ચમક, ચદમ, ચાદ, ચેતાથતી, ચોંચ, ચાલઢાલ, ચાદર, ચૂક, ચાલ, ચુફટ, ચૌખટ, ચીંથંદી, ચાલાકી, છાન્દ, છત, છૂટ, છાન, છાયા, છાંટ, છર્ટાંક, છાંદ, છદ્રી, છદુ, છાની, છીંડ, છાપ, છીંક । જામીન, જાગીર, જાપદાદ, જગહ, જમાનત, જિરહ, જાજિમ, જોખ, જાંધ, જમા, જમાયત, જલીકટી, જાસરત, જથાન, જીમ, જલન, જેવ, જાન, જદૂ । જલુક, જાડુન, જાડ, હિલમ, જાંસ, જુલ, જુકોર, જીલ, હિદાક, જોંક, ટર, ટસક, ટીસ, ટેર, ટેથ, ટંકોર, ટનક, ટાપ । ઢસક, ઠેકા, ઢોલી, ઢેક, ઢોક, ઠિઠક, ઢુમરી, ટણ્ણ, ઢઢક । ઢાલ, ઢાલી, ડગર, ઢાંક, ઢાદ, ઢોંગ, ઢફ, ઢાદ, ઢાંટ ઢોર, ઢીઠ । ઢાલ, ઢાર । તરહ, તલછટ, તાંત, તામોલ, તોદીન, તહસીલ, તસફિયા, તફસીલ, તબીધત, તર્જ, તુફ, તાબ, તકરાર, તલદ, તરયાર, તલાક, તફલીફ, તાકત, તાતીલ, તમીજ, તહબીલ, તદવીર, તર્કાબ, તારીફ,

तारीख, तहरीर, तस्वीर, तलाश, तड़क, तनख्याद, तान, ताक्षि, तोल, तीली, थाह, थाप, थाली । दमक, दया, देह, दाव, दावत, दाग, दफा, दरकार, दरखास्त, देखरेख, दुकान, दाद, दुम, दु^३ देगची, दहशत, दिफ दगा, दंडवत, दलील, दरगाह, दरियास्त, दरिया, दुनिया, दोजाह, दाढ़, दामन, दीवार, दोड्घूप । घरोहर, धमक, धाक, धूम, धघक, धूल, धुन, धौल । नस, नक्कल, नज्ज, नज्जाकत, नफा, निगाह, नीघ, नज्ज, नक्कल, नोबत, नेबार, नजीर, निमाज़, निस्यत, नख, नस्ल, नाव, नीका, नास, निछावर, नींद, नोकझोक, नुकना । पकड़, पोशाक, पलटन, परवाह, परेड, पुलिस, पूनी, पेयाज, परवरिश, पलक, पहुँच, पहचान, पुकार, पुढ़िया, पतयार पागुर, पायल, पाग, पिस्तौल, पिनक, पीठ, पीर, पीव, पुरशिश, पूँछ, पेठ । फबन, फब, फाब, फसल, फुरसत, फजीहत, फोस, फिक, फांक, फूट, फुहार, फुनगी, फुन्सी, फतह, फौज, फाँक । यहस, बन्दूक, घम, बारात, बानगी, बनात, बाग-बोर, यटन, बला, बौछार, बोतल, बैठक, बक़्षक, बवासीर, बिघ, बिलायल, बाढ़, बांट, बगल, बैन, बीन, बुनियाद, बूद्ध, बूझ, बरकत, बू, बरसात, बलि, बटेर, बर्फ, बरी । भनक, भील, भंडा, भभूत, भौंग, भरमार, भीड़, भेट, भाफ, भस्म, भूल, भूमि, भूख । मदद, मजाल, मिहल, मरज, मङ्गन मसनद, महताय, मौंग, मियाद मार, मालिश, मसजिद, मसनद, मुणाद, मौत, मेहराय, मिहनत, मरम्मत, मारफत, भीजान, मौज, मैल मुलाकात, मात, मीनार, मेज, मुदत, मुश्किल, मुसीबत, मोहम्मत, मोहलत, मलमल, मरोड़, मुहर, मूंज, मांद, मूँछ । याद । राह, रीझ, रग, रसद, रसीद, रकम, रपट, रैयत, राष, रहमत, रास, राशि, राह, रेह, रियासत, राहड़, रहन, रीढ़, रेल, रोक, रोकड़, रात,

रिस, राय, रेकार्डी, रोर। लहर, लक्ष्मीर, लच्छक, लट, लपक, लड़, लताहु, लाठ, लाटी, लाश, ललक, लहक, लाज, लगाम, लीक, लाह, लीद, लोह लोप, लौग, लू, लूक, लयेट, लूट, लड़त, लत, लता, लाग। घकालत, विषसि, विधि, चन्दना, वयस, वजह, वारिशा, वार, वस्तु, वफ़ा, विनती वसीटी। शमा, शार्म, शामसेर, शब्द, शाफ्टर, शरण, शपथ, शिकार, शाम, शाला, शह्ना, शिकायत, शुहरत, शर्त, शर्ह, शिखा। साख, सरकार, सहृक सज्जा, सकुच, समझ, सानी, सहन, समझ, संस्था, सनद, संभार, साध, सतह, सलाह, संझ, संस, साजिश, सिफारिश, सीख, सीमा, सुध, सुलह, सुविधा, सूचना, सौह, सौगंध, सूजन, सज्ज, सेना, सैन, सैर, संफ, सरसों, सन्तान, संखिया, सौगात, सूत, सुबह, सिफत, सलाह, (समाज पहले खीलिह में प्रयुक्त होता था पर अब लोग इसे पुंछिह लिखने लगे) समिति, सम्मति, साटी, साढी, सैध। हलचल, हुज़त, हज़ामत, हैसियत, हरारत, हींग, हृद, हिपाजत, हिरासत, हालत, हिकमत, हर्कत, हवस, हुलिया, हाँड़ी, हड्डी, हवा, हरताल, होड़, हड़ताल इत्यदि।

अभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों का लिहने-निर्णय करो।

Determine the gender of the following.

घाटा, इरादा, दुर्दशा, कम्पनी, फैक्टरी, खयर, नॉकझोक, प्रतिशा, होखी, खर्च, स्वार्थ, जीवन, आमा, दर्शन, हृदयोदार, नरमारी, धन्धा, महस्य, और महत्ता।

२—इस ऐसे शब्द बताओ जिनके लिहने के सम्बन्ध में हिन्दी में एक मत नहीं है।

Write such ten words the gender of which are not settled in Hindi.

वचन

वचन भी हिन्दी में हो है—

जहाँ एक का योग हो यहाँ एक वचन और जहाँ हो अनेक का योग हो यहाँ व्युत्पचन होता है।

एक वचन में प, वे, ओ, यो, और, याँ आदि लगाकर व्युत्पचन बनाते हैं। व्यक्तिगतक भाष्यकारक समूहवाचक और द्रष्टव्यवाचक संशाओं का व्युत्पचन नहीं होता। जहाँ कही देती है संशाओं का प्रयोग व्युत्पचन में होता है यहाँ वे जातिवाचक रूप में व्यवहृत होती हैं।

कही-कही जन, धर्म, राज आदि शब्दों को एक वचन जोड़ने से व्युत्पचन हो जाता है। जैसे प्रजाजन, प्रजाजन जैसे बाल बर्त, बुधवर, राज आदि।

इन्हीं भी शब्द हैं जो सरा व्युत्पचन में प्रयुक्त होते हैं।
जैसे—राम, राज, दर्यान इत्यादि।

कारक

जो विद्या की घटानि में सहायता हो उसे कारक कहते हैं। इन्हीं घटाना में आठ कारक के कारक माने जाते हैं। १—कारक, २—कर्ता, ३—कर्त्ता, ४—कारण, ५—अभावान, ६—सम्भव, ७—अविद्या और ८—सम्बोधन।

जो काम करे कर कर्ता, किसान काम कर आगर का कर हो कर कर्त्ता, किसान काम हो कर कर्ता, किसान किस कर

केया जाय यह सम्प्रदान, जिससे कोई वस्तु पृथक् हो यह सम्प्रदान, जो किसी का सम्बन्ध प्रदर्शित करे यह सम्बन्ध और वही किसी वस्तु का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ किसी को चेताकर छुलाया जाय यहाँ सम्बोधन होता है।

संस्कृत के वैयाकरण और कुछ हिन्दी के वैयाकरण में सम्बन्ध और सम्बोधन को कारक की ध्वेणी में नहीं गिनते।

कारक के चिन्ह

कर्ता—ने, से, दृश्य । आपादान—से ।

कर्म—दृश्य, को । सम्बन्ध—का, के, की ।

करण—से, द्वारा । ना, ने, नी, } सर्वनाम
रा, रे, री, } में

सम्प्रदान—को, के लिए,

निमित्त । अधिकरण—में, पर, पै ।

सम्बोधन—हो, है, अरे, रे ।

एक वाक्य में आठों कारक

हे मोहन ! पिता ने पुत्र को विद्या से भूषित करने के लिए घर से गुह के आश्रम में भेजा । (था० व्या०)

१—कर्ता

उत्तर लिखा जा दुका है कि जो काम करे या क्रिया की उत्पत्ति में सदायता दे उसे कर्ता कहते हैं, जैसे—राम सोता है। यहाँ सोना किया या सोने का काम राम-द्वारा सम्पादित होता है, इसलिए राम कर्ता हुआ ।

वाक्य में कर्ता द्वे प्रकार से प्रयुक्त होता है—एक प्रधान रूप से दूसरे अप्रधान रूप से। वाक्य में जहाँ क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही वहाँ कर्ता प्रधान या उक्त कहलाता है, पर जहाँ वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार ही वहाँ कर्ता अप्रधान या अनुकूल कहलाता है। जैसे—‘राम सोता है’—इस वाक्य में कर्ता ‘राम’ के अनुसार क्रिया ‘सोता है’ है, अतः ‘राम’ प्रधान या उक्त कर्ता हुआ। पिर ‘राम ने रोटी खायी’ वाक्य में ‘खायी’ क्रिया, के लिंग, वचन और पुरुष ‘राम’ (कर्ता) के अनुसार नहीं होकर ‘रोटी’ (कर्म) के अनुसार है इसलिए वहाँ ‘राम’ अनुकूल या अप्रधान कर्ता है।

कर्ता में चिह्न-प्रयोग

कर्ता कारक के चिह्न है—ने से, और शून्य। कर्ता का ‘ने’ चिह्न—प्रायः अनुकर्ता में ‘ने’ चिह्न आता है। अर्थात्—

(१) सकर्मक क्रियाओं के सामान्यभूत, आसानभूत, पूर्णभूत और संदिग्धभूत कालों में कर्ता के आगे ने चिह्न जाता है, जैसे—मैंने पुस्तक पढ़ी, राम ने भात खाया है। उसने लेल देखा या और मोहन ने फल खाया होगा इत्यादि।

अपवाद—(क) बकना, योलना, भूलना, लाना (ले + आना) और लेजाना—इन क्रियाओं में सकर्मक होने पर भी कर्ता का ‘ने’ चिह्न किसी हालत में प्रयुक्त नहीं होता है। ही कुछ पुराने लेखकों ने उक्त सकर्मक क्रियाओं के सामान्य, आसान, पूर्ण, और संदिग्ध भूलकालों में ‘ने’ का प्रयोग किया है। पर

अब ऐसा प्रयोग मान्य नहीं है। यदि सज्जातोय कर्म के साथ बोलना किया उक्त चारों भूत कालों में प्रयुक्त हो तो कोई कोई अब भी 'मे' चिह्न का प्रयोग करते हैं; जैसे उसने कर्त्ता योलियाँ बोलीं।

(ख) समझना, जनना, सोचना और पुकारना इन सकर्मक क्रियाओं में कहीं सो 'ने' चिह्न प्रयुक्त होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। जैसे—गाय ने यहुङ् जना, गाय यहुङ् जनी। मैंने यह वात समझा, मैं यह वात समझा। यह पुकारा, उसने मोहन को पुकारा। मोहन सोचा, मोहन ने इस वात को सोचा होगा। "मैं समझी थी अपने मन में हम केयल हैं दोही"—(पथिक) ।

प्रायः देरा जाता है कि अधिकांश लेखक अब उक्त क्रियाओं के चारों भूतकालों में 'ने' चिह्न का प्रयोग करने लग गये हैं। किसी-किसी का मत है कि उक्त क्रियाएँ चारों भूतकालों में कर्म-के साथ प्रयुक्त हों तो 'ने' चिह्न देना चाहिये और अगर कर्म-विहीन हों तो 'ने' का प्रयोग करना ठीक नहीं है।

(ग) सज्जातीय कर्म (Cognate object) लेने के कारण कभी-कभी अकर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रिया हो जाती है। ऐसी अवश्य में यदि क्रिया उपर्युक्त चारों भूतकालों में रहे तो कहीं तो कर्ता का 'ने' चिह्न प्रयुक्त होता है और कहीं नहीं होता है; जैसे—उसने मेरे साथ टेढ़ी चाल चली। सेना कर्त्ता लड़ाइयाँ लड़ीं।

(र) जब संयुक्त क्रियामें दोनों संह सकर्मेक हों तो सामान्य आसन्न, पूर्ण और संदेश्य भूतकालों में कर्ता का 'ने' चिह्न आता है; जैसे—मैंने भर पेट खा लिया।

अपवाद—(क) निन्यता-योधक संयुक्त सकर्मक क्रिया में

अर्थात् जिस संयुक्त क्रिया के आगे 'करना' शब्द रहे उसमें 'ने' चिह्न कभी नहीं आता; जैसे—मैं खाया किया।

अपवाद—(छ) यथ संयुक्त क्रिया का कोई खंड अकर्मक रहे तो 'ने' चिह्न प्रायः नहीं आता।

(३) संयुक्त अकर्मक क्रिया का अन्तिम खंड 'देना'
हो तो सामान्य, आसान, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता का 'ने' चिह्न आता है परन्तु यदि अन्तिम खंड 'देना' हो तो विकल्प से आता है, जैसे—मैंने घैठ-घैठ रात भर जाग ढाला। मैं घैठ-घैठ रात भर जाग दिया। उनने रात भर जाग दिया (दत्त)।

नोट—किसी-किसी व्याकरण में लिखा है कि हँस देना, रो देना और मुस्करा देना क्रियाओं के सामान्य, आसान, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता का 'ने' चिह्न कभी नहीं छूटता परन्तु आजकल के अधिकांश लेखक इस नियम को उपेक्षा कर अक्सर 'ने' का प्रयोग नहीं करते हैं।

(४) धूकना और खांसना—इन दो अकर्मक क्रियाओं के सामान्य, आसान, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में लोग कर्ता के साथ 'ने' चिह्न का प्रयोग करते हैं; जैसे—मैंने धूका। उसने खांसा।

से चिह्न—दरअसल कारक का से चिह्न तो करण और आपादान कारक के लिए है पर कभी-कभी कर्ता कारक में भी प्रयुक्त हो जाता है। जहाँ कर्ता में 'से' चिह्न का प्रयोग होता है वहाँ कर्ता करण के रूप में बदल जाता है। जैसे—मैंने भात खाया' में अगर 'मैं' के आगे 'से' को प्रयुक्त करना चाहे तो उसे करण में पदलकर क्रिया को भी, जो कर्तुंप्रयान में है कर्मप्रथान के रूप में कर देना पड़ेगा अर्थात् मुश्किल सार्थी

गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किया कर्म-प्रधान पा भावप्रधान के रूप में व्यवहृत होती हो तब कर्ता का 'से' चिह्न आता है अथवा कर्ता का रूप करणकारक में बदल जाता है जैसे—

मोहन पुस्तक पढ़ता है—मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है।

मैं ने रोटी खायी—मुझसे रोटी खायी गयी।

यह सोता है—उससे सोया जाता है।

यह फल तोड़ता है—उससे फल तोड़ा जाता है।

यह घर गया—उससे घर आया गया।

शून्य चिह्न—शून्य चिह्न का तात्पर्य यह है कि जहाँ कारक की कोई विभक्ति प्रगटरूप से नहीं रहे। कर्ता कारक में भी कर्मी-कर्मी प्रत्यक्ष-क्षय से कोई विभक्ति नहीं आती है, उपर बतायी गयी जिन-जिन अवस्थाओं में कर्ता में 'ने' और 'से' चिह्न प्रयुक्त होते हैं उन-उन अवस्थाओं को छोड़कर शेष अवस्थाओं में कर्ता के आगे कोई विभक्ति प्रगट-रूप से नहीं आती है अर्थात् कर्ता का शून्य चिह्न आता है। जहाँ जहाँ कर्ता में शून्य चिह्न आता है वहाँ वहाँ उसकी किया के लिंग, घचन और पुरुष कर्ता के लिंग, घचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। इसलिये केवल भाव-प्रधान किया को छोड़ कर, जिसमें कर्ता का से चिह्न रहता है पर कर्ता उक्त-रूप में होता है, दोष कर्मी उक्त कर्ताओं में 'शून्य' चिह्न ही प्रयुक्त होता है। कुछ नियम यहाँ दिये जाने हैं—

(१) पूकना और खांसना को छोड़कर सभी अक्रमेक कियाओं के लिसी भी काल में।

(२) वर्तमान, भविष्यत् और अगुण सत्या हेतु देतुमदमूल-काल में आने वाले कर्ताओं में।

(३) मंगुन किया का कोई भी रूप अगर अकर्म हो तो उस हालम में ।

(४) नित्यता-शोधक सकर्मक मंगुन किया है ।

(५) एकना, भूलना, लाना, पोलना, आदि सकर्मक कियाओं के किसी भी काल में ।

इनके अतिरिक्त जहाँ जहाँ ने 'चिद्र' के प्रयोग में अपवाह माना गया है वहाँ यहाँ 'शून्य' चिद्र प्रयुक्त होना है और जहाँ जहाँ 'ने' विकल्प से आने की बात कही गयी है वहाँ वहाँ 'शून्य' चिद्र भी विकल्प से ही आता है ।

२—कर्म

कर्म कारक प्रायः सकर्मक कियाओं के साथ जाता है । कर्म भी कर्त्ता की नारं दो प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त होता है—एक प्रधान रूप से दूसरा अप्रधान रूप से । जहाँ वाक्य में किया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों वहाँ कर्म प्रधान या उक कहलाता है; परन्तु जहाँ वाक्य में किया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों वहाँ कर्म अप्रधान या अनुक कहलाता है; जैसे—खी से कपड़ा सीया जाता है—यहाँ 'जाता है' (किया) के लिंग, वचन और पुरुष 'कपड़ा' (कर्म) के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार आये हैं इसलिए कपड़ा प्रधान या उक कर्म है । फिर खी कपड़ा सीती है' वाक्य में 'सीती है' (किया) के लिंग, वचन और पुरुष 'कपड़ा' (कर्म) के अनुसार न होकर खी (कर्त्ता) के अनुसार हैं इसलिए 'कपड़ा' अप्रधान या अनुक कर्म है ।

कोई-कोई सकर्मक क्रिया दो कर्म हेती है। ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक कहलाती हैं और दोनों कर्मों में से एक कर्म मुख्य और दूसरा गौण कर्म कहलाता है, जैसे—उसने मुझे खेल दिखाया। उसने मुझे हिसाब यताया। इन वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य में दो कर्म आये हैं। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे कर्मों में से एक वस्तुयोधक और दूसरा प्राणियोधक होता है। वस्तुयोधक को मुख्य कर्म और प्राणियोधक को गौण कर्म कहते हैं।

सज्ञातीय कर्म (Cognate object)—यदि किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसीके धातु से बना हुआ या मिलता-जुलता कर्म आये तो वह सज्ञातीय कर्म कहलाता है; जैसे—मैं खेल खेला, वह दीड़ दौड़ा, सेना लड़ाई लड़ी इत्यादि।

कर्म के चिह्न

कर्म कारक के चिह्न शून्य और कोई है।

शून्य चिह्न—(१) जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हों तो घहां कर्म कारक के आगे कोई विभक्ति प्रत्यक्ष होकर नहीं आती है अर्थात् उक्त कर्म में शून्य चिह्न आना है; जैसे उसने भली यात कही। रानी से फल खाया गया इत्यादि।

(२) द्विकर्मक क्रिया में जब दोनों कर्म रहें तो मुख्य कर्म में शून्य चिह्न आता है; जैसे—मोहन मुझे गीता पढ़ाते हैं। यम ने मुझे पूरियाँ खिलायी इत्यादि।

(३) कर्म के रूप में आर्या इर्द अप्राणिवाचक संवादों और छोटे-छोटे जीवों के लिय भी कर्म की कोई-कोई विभक्ति प्रगट होकर नहीं आती; जैसे मैं भान खाता हूँ।

को विभक्ति—(१) जहाँ कर्म अनुकूल या अप्रधान रहे वहाँ उसके साथ कर्म का 'को' चिह्न आता है; जैसे—वह चन्द्रेव को देख रहा है। कन्धे फलों को मन तोड़ो इत्यादि।

(२) जहाँ मुख्य और गौण दोनों कर्म रहे वहाँ गौण कर्म में प्रायः 'को' चिह्न प्रयुक्त होता है। गौण कर्म प्रायः सम्प्रदान कारक को भी प्रतिष्ठनित करता है; जैसे—भागवत ने मुझे एक पूल दिया। मास्टर साहब सतीश को रामायण पढ़ाते हैं इत्यादि।

नोट—कर्म अगर सर्वनाम रहे तो कहीं-कहीं 'को' के बदले 'ए' चिह्न आता है; जैसे—मैंने उसे पुकारा। कमलाकान्त ने मुझे शुलाया था इत्यादि।

'कहना, पूछना, जाँचना, पकाना' आदि शियाओं के साथ कमी-कमी कर्म का 'को' न प्रयुक्त होकर, अपादान कारक का 'से' चिह्न आता है; जैसे—आपने उस दिन मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। वह मुझ से यिना कुछ कर्दे चला गया। विष्णु पनी से जाँचना है इत्यादि।

३—करण कारक

मिस कारक के द्वारा कर्ता काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिह्न 'से' है। कहीं कहीं द्वारा, के द्वारा, आदि चिह्न भी करण के लिए आने हैं। यहाँ पर करण के कुछ उपायण दिये जाने हैं—

'इय से' खाने हैं। मुझे केवल 'आर से' सरोकार है। 'ईस मे' शब्द, 'इक्कर से' यीर्ती और 'यीर्ती से' अनेक मिट्टाएँ बनती हैं। विकटोरिया 'जहाज के द्वारा' यह अंहन गया। 'उसी के द्वारा' मेरा काम हो सकता है। 'नौकर के द्वारा' विट्ठि मेंडगा थी इत्यादि।

नोट—कहीं-कहीं करण कारक में 'से' चिन्ह लुप्त भी रहता है। जैसे—'न कानों सुनी न आँखों देखी'। मैं तुम्हे 'आँखों देखी' पात कह रहा हूँ इत्यादि।

४—सम्प्रदान

जिसके लिए कसाँ काम करे वह सम्प्रदान कारक है। इसके चिह्न हैं—को वा के लिए। कहीं-कहीं 'के निमित्त' 'के द्वितार्थ' 'के अर्थ' 'के वास्ते' आदि चिह्न भी सम्प्रदान कारक के चिह्न माने जाते हैं। जैसे—'गरीब को' घन दो। 'भूखे को' मोजन और 'प्यासे को' पानी दो। राम ने अपने 'लड़के के लिए' एक पुस्तक खरीदी। यह 'आप को' शोभा नदी देती। ये पूल 'पूजा के निमित्त' लाये गये हैं। 'युद्ध को' चल दिया। 'मेरे लिए' पही उपाय बच गया है। दुःख 'नाम का' भी न रहा। आप के वास्ते मैं सब कुछ 'करने को' हैपार हूँ। 'किसके अर्थ' इतना दुःख सह रहे हो। कर्मान्द्र रवीन्द्र 'योरोप के लिए' रवाने हो गये इत्यादि।

५—अपादान

अपादान कारक का चिह्न 'से' है। इस कारक के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। 'पेड़ से' पत्ते गिरे। 'विद्या से' हीन पुष्ट पशु के समान है। 'पटने से' कल मैं रथाना हो जाऊँगा। 'पाप से' दूर भागना चाहिये। अरे, यह कहाँ से टपक पड़ा। 'आसमान से' ओले बरसने लगे। गंगा नदी 'हिमालय पहाड़ से' निकली है। ये 'मुहसे' अलग रहते हैं। नशा से छानि है इत्यादि।

६—सम्बन्ध

यो तो सम्बन्ध कारक के चिह्न 'का, के, को' हैं पर सर्वज्ञाम

में 'रा, रे, री' और 'ना, ने, नी' होने हैं, जैसे—'रा 'दूध का' दूध; 'नानी का' पानी; 'दूध का' घोय पानी; 'सारा का' सारा बरपाद हो गया; 'आफने 'अपना' फग्स देखो; मैं यह भार 'अपने' काफर नहीं 'मेरी' आखों के तारे; 'मिया' क्या लोगे; 'कहाँ शायी इत्यादि

७—अधिकरण

आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार के होते हैं: पहला यह है जिसके किसी अवयव से दूसरा यह है जिससे किसी विषय का बोध हो जौर है जिसमें आधेय सम्पूर्णहृष से व्याप हो। अधिकरण में, पर, ए, ऊपर आदि हैं। उदाहरण—(१) मैं चैढ़ा हूँ। राम फुलबारी में टहल रहा है। सब शिशु हेडमास्टर हैं। (२) ईश्वर में प्यान लगाओ। मुझमें चल कहाँ? (३) तिल में तेल है। सब के हृदय में इन्हें करते हैं। इत्यादि।

८—सम्बोधन

सम्बोधन कारक के चिह्न हैं—हे, हो, अरे, इत्यादि। अरी, री ख्रीलिंग सम्बोधन में प्रयुक्त होते कभी सम्बोधन में कोई चिह्न नहीं आता है। जिस प्रकार कारकों के चिह्न उन कारक जताने वाले शब्दों के अंत में मैं लोये जाते हैं उसी प्रकार सम्बोधन के चिह्न शब्दों नहीं आते यस्ति पहले ही आते हैं; जैसे—

'अरे, राम', यद तुमने क्या अनर्थ किया। हे ईश, सुधि लो। मोहन। तुम क्या रह रहकर गुनगुना रहे हो

अन्य ज्ञातव्य बातें

कारक की विमलियाँ संस्कृत विभक्तियों से विलकुल भिन्न। प्राहृत में व्यवहृत विभक्तियों का अपभ्रंश होते होते हिन्दी-जरक की विमलियाँ बनती हैं। इन विभक्तियों के लिखने के सम्बन्ध में भी हिन्दी के विद्वानों में मतभेद है। किसी-किसी का नहीं है कि हिन्दी में कारक की विमलियाँ जिन कारकों के लिए प्रयुक्त हों उनके साथ मिलाकर लिखना चाहिये और किसी-किसी का कथन है कि विभक्तियों को शब्द से अलग लिखना ही ठीक है, विमलि मिलाकर लिखने के पश्चात अपनी पुष्टि संस्कृत व्याकरण के आधार पर करते हैं। उनका कहना है कि विभक्तियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं और न कभी स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होती हैं। इस लिए जिस प्रकार संस्कृत में ये शब्द के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं उसी प्रकार हिन्दी में भी मिलाकर लिखना ठीक है। दूसरे मत के पृष्ठ-पोषकों का कहना है कि कारक की विमलियों के सम्बन्ध में संस्कृत व्याकरण के नियम उपर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध संस्कृत से विलकुल नहीं है। ये तो प्राहृत-भाषा की विमलियों के अपभ्रंश रूप हैं।

जो हो, हमारे विचार से ये दिलीले व्यर्थ हैं चूंकि चाहे विमलियाँ मिलाकर लिखी जायें या पृष्ठक् रूप से, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन होता नहीं—‘राम को’ का वही अर्थ प्रतिव्यनित होता है जो ‘रामको’ का है—इसलिए इस यात के लिए सिर उतारना व्यर्थ है, तो भी हम नवसिद्धुएँ लेखकों के द्वितीय दोनों मतों की अच्छाई और खरापी का योड़ा-यहुत विवरण कर पढ़ते हैं, इस विषय पर विचार करने के लिए हम न तो संस्कृत

व्याकरण की शरण लेंगे और न प्राप्ति व्याकरण की। किसी में इस विषय में कुछ रद्दे हमें उससे मतलब नहीं। हिन्दी को पक्ष स्वतन्त्र भाषा मानकर दूसरी भाषा के सहारा से इसे पृथक् करने के उद्देश्य से हम स्वतन्त्र रूप से इस पर विचार करेंगे।

(१) विभक्तियों को साथ लिखना—

(क) जब प्रत्यय, जो एक खास अर्थ रखता है और विभक्ति की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र है, किसी शब्द में साथ मिलाकर लिखा जाता है तो क्या कारण है कि विभक्ति, जो अपना को खास अर्थ नहीं रखती और सर्वथा शब्दों के अधीन है साथ मिलाकर नहीं लिखी जायगी ?

(ख) उसी प्रकार उपसर्ग भी जब शब्दों के साथ मिलाकर ही लिखे जाते हैं तो विभक्ति भी मिलाकर लिखने में क्या आपत्ति है।

(ग) जब भिन्न-भिन्न अर्थ के दो शब्द भी सामासिक शब्द घनाने के लिए साथ मिलाकर प्रयुक्त होते हैं तो शब्द को पर घनाने का गठन से व्यवहार की जानेवाली विभक्ति क्यों अलग लिखी जाय ?

(घ) लिंग, वचन, और वियादि को परिवर्तन करने के लिए गिन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं ये भी शब्दों के साथ प्रयुक्त कर दी जाती हैं तो कारक की विभक्तियों को क्यों पृथक् कर दिया जाय ?

(ङ) हिन्दी के चुनापर विद्वान् ग्रो० रामदास गौड़ ने कहना है कि विभक्तियों को साथ मिलाकर लिखने में अर्थात् दृष्टि से भी चढ़ान साम है। वक् तो चढ़ान की वचन होती है, दूसरे जब हिन्दी में तार देना हो और हिन्दी व्रेमियों को हिन्दी में ही तार देना उचित है, तो आप विभक्ति को अलग लिखने

की प्रथा चल जायगी तो यह भी एक अलग शब्द समझी जायगी और तार देने में शब्द यह जाने से कीमत भी अधिक देनी पड़ेगी। जैसे—‘राम को’—को अगर Rama ko लिखेंगे तो एक शब्द माना जायगा पर अगर Rama ko लिखेंगे तो दो शब्द मान लिया जायगा। कहते हैं गौड़ महाशय को ऐसा मौका भी मिला है और वे प्रमाण के साथ अपने निष्ठ्य पर अद्वल रहकर ऐसे की बचत कर पाये हैं।

(२) विभक्ति को अलग लिखना—

(क) अगर विभक्तियाँ अलग नहीं लिखी जायेंगी तो जिन शब्दों के आगे ‘जी’ रहे उनमें विभक्तियाँ किस ढंग से जोड़ी जायेंगी। अगर ‘रामजीने’ लिखा जाय तो देखने में विलुल भदा मालूम पड़ेगा और अगर रामने जी लिखा जाय तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा।

(ख) जो ‘ही’ को शब्दों के साथ मिलाकर लिखने के पश्च में है उन्हें भी विभक्तियों को अलग लिखने में विशेष सुविधा है। जैसे—‘मैंहीने’ लिखना भदा सा मालूम होता है। इसी तरह विभक्तियों को साथ मिलाकर लिखने से अनेक कठिनाइयाँ हैं।

अस्तु। उपर दोनों भ्रतों के विषय में हम अपना स्वतन्त्र विचार प्राप्त कर चुके। अब नवसिद्धुप लेखकों को उचित है कि उन्हें जो भ्रत अधिक रुचिकर हो वही मानें। पिर भी उन्हें एव्याल रखना चाहिये कि सम्बन्ध कारक में आनेवाले सर्वनाम की विभक्तियों को उन्हें अलग नहीं करना पड़ेगा चाहे वे अन्य विभक्तियों को भले अलग कर दें। तुम्हा या लिखना तो किसी भी द्वालत में उचित नहीं है। पर साथ ही सम्बोधन कारक के

चिह्नों को, जो विभक्ति नहीं माने गये हैं—साथ मिलाकर नहीं लिखना चाहिये चाहे अन्य विभक्तियों को साथ मिलाकर ही क्यों न लिखा जाय। 'हेमोहन' के बदले—हे मोहन लिखना ठीक है।

आभ्यास

१—सकर्मक और अकर्मक से यनी कैसी संयुक्त क्रियाओं में कर्ता का 'ने' चिह्न आता है?

Which संयुक्त क्रियाएँ composed of both सकर्मक and अकर्मक take 'ने' after their nominatives?

२—'ने' चिह्न का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है, सोदाहरण लिखो।

Cite and illustrate the use of 'ने'.

३—शुद्ध करो।

Correct the following.

कैकेर्द कही,—अथि मन्थरे ! न् ही मेरी हितकारिणी है।

मैं मोहन को अंकगणित को पढ़ाया था।

जिसका लाठी उसका भैंस। मैं हँस आला। उसने रात मर नाटक देखा किया।

४—का, के और की का व्यवहार करते हुए पाँच विनी के व्याक्य बनाओ।

Frame five sentences in Hindi illustrating the use of का, के and की।

५—एक ऐसा व्याक्य बनाओ जिसमें आठों कारों का प्रयोग हो।

Make a sentence illustrating the use of all कारक-

६—कर्ता के 'से' चिह्न का प्रयोग कर चार व्याक्य बनाओ।

Frame four sentences illustrating the use of 'से' in nominatives.

उ—कारक की विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर लिखना अच्छा है या अलग कर—कारण सहित समझाओ।

विभक्ति of कारक should be mingled with the words or not—show the causes.

पञ्चम परिच्छेद

शब्दों का अप्रयोग

शब्दों को वास्तव में प्रयुक्त करते समय लड़के प्रायः मूले किया करते हैं। कहीं-कहीं तो यहाँ तक देखा जाता है कि अच्छे-अच्छे लेखक भी शब्दों का अप्रयोग कर बैठते हैं, आज़ कल की पुस्तकों और सामाचार-पत्रों तक में अप्रयोग देखने में आता है। शब्दों में वर्ण, मात्रा आदि देने में, शब्दों की संघिमिलने में, समात के प्रयोग में तथा प्रत्यय आदि जोड़कर नये शब्दों को संगठित करने में अक्सर भूलें हो जाया करती हैं। नीचे कुछ देसे शब्द, जो प्रायः भूल से व्यवहृत होने लगे हैं, और उनके इन शब्द लिखे जाते हैं। लड़कों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

१—मात्रा और वर्ण सम्बन्धी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अगामी	आगामी	धेराम	धीमार
गर्द्दम	गर्दम	जागृत	जागरित
पर्नु	परन्तु	निरिद्ध	निरीद
अर्थात्	अर्थात्	ऐत्रिक	ऐत्रक

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
महत्व	महस्य	ग्रिटिश	ब्रिटिश
भवन	श्रयण	भविष्यत्	भविष्यत्
भव्य	भरत	उज्ज्वल	उज्ज्वल
दुर्णाम	दुर्नाम	घनिष्ठ	घनिष्ठ
फाल्गुण	फाल्गुन	घथेष्ठ	घथेष्ठ
सिंध	सिंह	सन्तुष्ट	सन्तुष्ट
आधीन	आधीन	दशहारा	दशहरा
द्वारिका	द्वारका	भाष्कर	भास्कर
		आशीर्वाद	आशीर्वाद

२—सन्निध सम्बन्धी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अत्योक्ति	अन्युक्ति	असोहिणी	अक्षोहिणी
उपरोक्त	उपर्युक्त	जगथन्यु	जगद्दन्यु
इतिपूर्व	इतिपूर्व	धारम्यार	धारंयार
द्रस्तावेष	द्रस्तवेष	सम्मान	सम्मान
सम्मुख	सम्मुख	भाष्कर	भास्कर
जगत्तेरा	जगदीश	सदोपदेश	सदुपदेश
पुरच्छर	पुरस्कार	मनहर	मनोदर
सदोपदेश	सदुपदेश	गमनान्तर	गमनानन्तर
निरोग	नीरोग	तदोपरान्त	तदुपरान्त
पश्याधम	पश्यधम	दुरावध्या	दुरवस्था
मनोकष्ट	मनःकष्ट	मतान्तर	मतान्तर
		दीपानन्तर	दीपान्तर

३—प्रत्यय सम्बन्धी अगुहियाँ

अगुद	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
आवश्यकीय	आवश्यक	मान्यनीय	माननीय, मा.
उत्कर्षत	उत्कर्ष	धैर्यता	धैर्य
दरिद्रता	दरिद्र्य, दरिद्री	कौशलता	कौशल
भाग्यमान	भाग्यवान्	सौजन्यता	सौजन्य
विद्यमान्	विद्यमान्	पष्टम	पष्ट
महानता	महता	सौन्दर्यता	सौन्दर्य
अकाल्य	अखण्डनीय	सिञ्चित	सिक
सत्ताहनीय	सत्ताघनीय	व्यवहारित	व्यवहृत
भागिरथी	भागीरथी	मेत्रता	मेत्री, मित्र
त्रिवार्पिक	त्रिवार्पिक	पौर्वात्म	पौरस्थ, पौर
बुद्धिवान्	बुद्धिमान्	भिन्न	अभिन्न,
		सत्ताहिक	सासाहिक

४—समास सम्बन्धी अगुहियाँ

अगुद	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
एतत्त्वी	एतत्त्व	निरोगी	नीरोग
गुणोगण	गुणिगण	देवीशास	देविशास
निराशा	निराश	दिवारात्रि	दिवारात्र
पर्शीशाश्वक	पर्शिशाश्वक	निर्दोषी	निर्दोष
महाराजा	महाराज	निर्घनी	निर्घन
महामाण	महामाण	सद्गम	सम
कालीशास	कालिशास	सतोगुण	सत्त्वगुण
		भासागण	धातृगण

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
निलज्जा	निर्लज्ज	निरपराधी	निरपराध
आधिक्यता	आधिक्य	एकत्रित	एकत्र
प्रकुस्ति	प्रकुल्ल	पितामाता	मातापिता

५—पुनरुक्ति सम्बन्धी शाशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध
यौवनावस्था	यौवन, युवास्था
अधीनस्थ	अधीन
समतुल्य	सम, तुल्य
अपने स्वाधीन	स्वाधीन
असंख्य प्राणिगण	असंख्य प्राणी
पूज्यनीय,	पूज्य, पूजनीय
प्राह्योम्य	प्राह्य, प्रहण योम्य
पूज्यास्पद	पूज्यास्पद, पूज्य
गोप्यनीय	गोप्य, गोपनीय

६—विशेषण और विशेष्य सम्बन्धी शाशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध
लाघृतिष्ठन	लघृतिष्ठ
लाचारयदा	लाचारीयदा
निद्वय पदार्थ	निधिन पदार्थ
आद्वर्य इद्य	आद्वर्य जनक इद्य
सुशाल पूर्वक	सुशाल, कुशालपूर्वक
सविनय पूर्वक	सविनय, विनयपूर्वक
यात्रिक में,	यात्रय में
	इत्यादि ।

नोट—(१) कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो दो तरह से लिये जाते हैं और दोनों शुद्ध माने जाते हैं। जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय; राष्ट्रिय-राष्ट्रीय, चिह्न-चिन्ह, कमिशन-कमीशन आदि ।

(२) पट्टने जिले में घोलने के समय लोग प्रायः अमरुद अरमूद, आदमी का अमरी, पट्टुचना का चट्टुपना, मतलब मतबल आदि प्रयोग करते हैं ।

(३) कुछ जिलों के लोग घोड़ा को घोरा, बड़ा को घबड़ाहट को घबराहट अथवा 'ङ' को 'र' कहते हैं और कभी लिख भी देते हैं ।

(४) द्वान्द्व-समास में अगर दोनों लिंगों के शब्द संकरना हो तो पहले खण्ड में खीलिंग शब्द को रखना चाहिए जैसे—खीपुरुष, मातापिता आदि ।

(५) लड़के व और व लिखने में प्रायः भूल किया करते योलने में तो प्रायः लोग विशेष कर विद्वार वाले 'व' का उपर्युक्त 'ध' ही करते हैं, ऐसा नहीं चाहिये । विशेष कर लिखने के स्थान पर 'व' ही करते हैं, व का विशेष रूप से स्थान रखना चाहिये । हिन्दू व और व का विशेष रूप से स्थान रखना चाहिये ।

प्रियाजों में प्रायः 'ध' ही रहा करता है ।

आभ्यास

१—नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करो ।

Write Correctly the following.

गान्धीय, पक्षित, प्रमेश्वर, दर्शण, पठम, गुहस्त, आक्षय, आश्चर्य इत्य ।

२—नीचे लिखे वाक्यों में आये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखो—Correct the following words used incorrectly in the following sentences.

मैं लाचार घरा बद्दी गया। धास्तविक में आँड़ की गत बढ़ी अनेत्री है। जगतेश की छुगा से मैं समुद्राल-भूर्यक घर पौँच गया। आप का भविष्यत उज्ज्वल प्रनोन होता है। मेरे टिप्पतना ही क्योंच है। मैं आप की वातों से सन्तुष्ट हो गया।

विविध प्रश्न

१—एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें सम्मत और संयोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों का व्यवहार हो।

Frame a sentence in which there are instances of all the cases except सम्मत and संयोधन।

२—इनके भेद बताते हुए अटग-अलग वाक्य बनाओ।

Make short sentences illustrating the difference between—

प्रणय, प्रेम। अटोकिक, अस्वाभाविक। चिन्ता, दुःख।

३. Write sentences to illustrate the use of the following. नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। अथमुआ, चकनाचूर, भलाचंगा, करदूत और उथल-पुथल।

(M. E. 1915)

४—नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखो।

Give the meaning of the following.

गगनचुम्बी अद्विलिका, अंगुमाली, शुध ज्योत्सना, रक्षा-शशि, दीरघ दाय निवाय, दुराराय, अनन्त, अनुराज और आकृष्ट।

५—नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थक अर्थ लिखो।

Give the antonyms of the following.

आग, शुद्ध, सौकिर, दिन, गर्भी, शुद्ध, महां, आतों,
गृन्थु और शान्ति ।

६—नीचे लिखे शब्दों का लिह निर्णय करो ।

Determine the gender of the following.

फ़िसला, फासला, लीग, मिटिंग, कोरकसर पुरा, स्वामी
और ईरा ।

७. Are there exceptions to the general rule in
Hindi "that names of lifeless things ending in 'e'
are Feminine"? give examples. निर्जीव इकान्त शब्द
खोलिङ्ग होते हैं । क्या इस नियम के अवशार भी हैं ? उपर्युक्त
(M. E. 1913)
दो ।

८—नीचे लिखे प्रत्येक जोड़े शब्द में भेद घटाओ ।

Distinguish between.

उपकरण—उपादान । अहंकार—अभिमान । नीर—नीह
घसना—घासना ।

तृतीय खण्ड

वाक्य-विचार

प्रथम परिच्छेद

वाक्य-स्त्रिया

(Construction of the sentences)

वाक्य (Sentence)

वाक्य—ऐसे पद-समूह के योग को जिसमें पूरा-का भाव प्रदर्शित हो वाक्य कहते हैं। वाक्य भावात्मा एवं मुख्य अंग है। प्रारंभिक वाक्य के अंत में समाप्तिवाक् विधा वर होना आवश्यक है। ऐसे—मोहन बाग में टहल रहा है। पानु कर्मी-कर्मी समाप्तिवाक् विधा के न रहने पर भी वाक्य हो सकता है। ऐसे—किसी ने एक—‘आप कही जा रहे हैं?’ उत्तर मिला—‘कह रहते हैं।’ इस जगह ‘कह रहते हैं’ रहने से ही रहनेवाले वा उत्तर अनिष्टाय समझा में आ जाता है, इसलिये ‘कह रहते हैं’ समाप्तिवाक् विधा के न रहने दूष भी वाक्य है। यामांता यह है कि ऐसे पद-समूह के वाक्य कहते हैं जिसमें पूरा-का अर्थ प्रदर्शित हो वाक्य भ्रेत्र में समाप्तिवाक् विधा नहीं अपेक्षा न रहे।

किसी भाव को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के लिए प्रत्येक वाक्य में उसमें व्यवहृत पद-समूह में परस्पर सम्बन्ध होना भी ज़रूरी है अन्यथा वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है और वह वाक्य ऊटपटाँग सा हो जाता है। वाक्य के अन्तर्गत पदों के सम्बन्ध को आकांक्षा, योग्यता और क्रम कहते हैं। इसीलिए वाक्य की एक परिमाणा यह भी हो सकती है कि आकांक्षा, योग्यता और क्रमयुत वाक्य-समूह को वाक्य कहते हैं।

आकांक्षा—पूरा मतलब समझने के लिए एक पद को सुन कर सुननेवालों के हृदय में दूसरे पद को सुनने की जो स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है उसी इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। जैसे—अगर किसी ने कह दिया, 'आकाश में' तो इसके पार और कुछ सुनने की स्वाभाविक इच्छा होती है अर्थात् 'तारे दिमित्रा रहे हैं'।

योग्यता—जब वाक्य में पदों के अन्वय करने के समय अर्थ सम्बन्धी वाचा अथवा अयोग्यता सिद्ध न हो तो उसे योग्यता कहते हैं। जैसे—'माली जल से पौरे सीधता है।' यहाँ जल में पौरे को सीधने की योग्यता विद्यमान है पर अगर कोई यह कहे कि 'माली आग से पौरे सीधता है' तो यहाँ योग्यता के अनुसार एक का विन्यास नहीं हुआ, क्योंकि आग में पौरे को सीधने की योग्यता अथवा क्षमता कहाँ? आग से सीधने से सो पौरे लहलहने के बहुत उल्टे साथ जायगे।

क्रम—योग्यता और आकांक्षायुक्त पदों को नियमानुकूल स्थापन करने की विधि को अथवा यों कहिये कि पद-स्थापन-व्रागीयी विधि को क्रम कहते हैं। जैसे—“तारे” इसके बारे ही “दिमित्राने हैं” लिखना चाहिये। नहीं तो क्रम मन्त्र हो जायगा

और वाक्य का असली भाव ही नहीं हो जायगा “मालिक का कर्तव्य है नौकर की सेवा करना” इस पद-समूह का भाव, क्रम ठीक न रहने से अच्छी तरह समझ में नहीं आता है, इसलिये इसे वाक्य नहीं कहेंगे। जब क्रम ठीक करने पर इसका रूप—“मालिक की सेवा करना नौकर का कर्तव्य है”—हो जायगा और पूरा मतलब समझ में आ जायगा, तब यह वाक्य हो जायगा।

वाक्यांश और वाक्य-खंड

(Phrase and clause)

वाक्यांश (Phrase)—वाक्य के एक-एक अंश का नाम वाक्यांश है। जैसे—‘दुःख भोग चुकने पर’, ‘इतना सुनते ही’ इत्यादि।

वाक्य-खंड (clause)—पर्दों के समूह को जिससे पूरा नहीं केवल आंशिक भाव प्रगट हो, वाक्य-खंड कहते हैं। वाक्य-खंड से पूरा-पूरा मतलब समझ में नहीं आता। एक वाक्य-खंड परावर दूसरे वाक्य-खंड की अपेक्षा रखता है। जैसे—उसने ज्योही मेरी यात सुनी। जब यह मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हुआ आदि।

वाक्य-खण्ड के दो भेद हो सकते हैं—एक प्रधान खण्ड (Principal clause), दूसरा आधिन या अप्रधान खण्ड (Subordinate clause)। जैसे—‘जब उसने थी० ४० की परीक्षा पास की’—इतना कहने से पूरा अर्थ नहीं प्रगट होता है। पूरा अर्थ प्रदर्शित करने के लिए इस खण्ड में ‘तो उसके जी मैं जी आया’ या इसी प्रकार का एक खण्ड-वाक्य और जोड़ना पड़ेगा। इसमें पहले खण्ड का भाव दूसरे खण्ड की अपेक्षा रखता है।

अतएव पहला रण्ड अप्रधान या अधीन या आधित खण्ड और दूसरा प्रधान रण्ड कहलायेगा ।

गर्भितवाक्य—कभी-कभी किसी वाक्य के अन्तर्गत होते होंटे वाक्य व्यवहार में आते हैं जो गर्भितवाक्य (Parenthetical sentence) कहलाते हैं । जैसे—उसकी दुश्य मरी कहानी—ओह किसी कहणा-जनक थी—सुनते सुनते मेरी आँखों में आँसू आ गये । इस वाक्य में 'ओह ! कैसी कहणा-जनक थी' वाक्य गर्भितवाक्य है ।

आभ्यास

१—वाक्य, वाक्यांश और खण्ड-वाक्य किसे कहते हैं सोरा-दरण समझाओ ।

Define a sentence, phrase and clause and give the examples.

२—आकर्षा, योग्यता और क्रम से व्या समझते हो ?

What do you understand by आकर्षा, योग्यता and क्रम ?

वाक्यांश (Parts of sentences)

ग्रामः प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं—उद्देश्य और विधेय ।

वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य (Subject) और उद्देश्य के विषय में ओ कुछ कहा जाता है उसे विधेय (Predicate) कहते हैं । जैसे—मोहन पढ़ता है । इस वाक्य में 'मोहन' के विषय में कुछ कहा गया है इसलिए 'मोहन' उद्देश्य है और उद्देश्य 'मोहन' के विषय में यह कहा गया है कि यह 'पढ़ता है' इसलिए 'पढ़ता है' विधेय है । ग्रामः उद्देश्य और विधेय भिन्न-भिन्न तरह के पदों के मिलने से बढ़ जाया करते हैं ।

पढ़ाया जाता है जैसे—शीतल, मंद, सुरांघ यात् यह रही है।

(२) सम्यन्ध कारक से—‘मधुप का’ बालक दौड़ता है। यहाँ ‘मधुप का’ सम्यन्ध पद से उद्देश्य का विस्तार हुआ है। इसी प्रकार ‘राम का’ लड़का सूख में पड़ता है। ‘दशरथ के’ पुत्र राम ने राघव को मारा इत्यादि ।

(३) विशेषण के रूप में व्यवहृत विशेष्य से; जैसे—‘सम्राट्’ अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ सम्राट् विशेष्य है पर विशेषण के रूप में व्यवहृत हुआ है।

(४) वाक्यांश के द्वारा—‘परिवार के सहित’ मोहन पटने से रखाना हो गये। यहाँ ‘परिवार के सहित’ वाक्यांश के द्वारा उद्देश्य का विस्तार किया गया है।

(५) क्रियाद्योतक से—‘चलतो हुई’ ट्रेन उलट गयी, ‘धोया’ कपड़ा पहना करो। यहाँ ‘चलती हुई’ और ‘धोया’ क्रियाद्योतक पद के द्वारा उद्देश्य बढ़ाया गया है।

इसी प्रकार और भी कई प्रकार से उद्देश्य का विस्तार हो सकता है। फिर उद्देश्य के विस्तार के लिए व्यवहृत पद को भी उपर्युक्त ढंग से विशेषण आदि पदों के द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे—‘एटने के रहने वाले सुप्रसिद्ध रईस ‘एं० वासुदेव नारायण का चंचल और तीव्र बुद्धिसम्पन्न’ बालक अपने वर्ण में प्रथम रहता है।

विधेय के भेद—मुख्यतः विधेय के दो भेद हो सकते हैं—एक सरल विधेय, दूसरा जटिल विधेय। जहाँ एक ही क्रियापद पूरा अर्थ प्रकाशित करे वहाँ सरल विधेय होता है। जैसे—राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ ‘पढ़ता है’ पक ही क्रियापद से वाक्य का मतलब प्रमाट हो जाता है इसलिए ‘पढ़ता है’ सरल विधेय है।

परन्तु जब विधेय अपूर्ण अर्थ प्रकाशक किया हो और उसके साथ पूर्ण अर्थ प्रकाश करनेवाला कोई पद हो तो उस विधेय को जटिल विधेय कहते हैं। जैसे—दशरथ अयोध्या के 'राजा थे'। यहाँ पर केवल 'थे' किया से वाक्य का पूरा मतलब प्रकाशित नहीं होता है और इसी हेतु मतलब पूरा करने के लिए 'थे' के पहले 'राजा' सहकारी पद जोड़ा गया है; अतएव उपर्युक्त वाक्य में केवल 'थे' नहीं वल्कि 'राजा थे' विधेय है। इस प्रकार का विधेय जटिल विधेय हुआ। जटिल विधेय की क्रिया के पहले पूर्ण अर्थ प्रकाशक सहकारी पद कई रूप में व्यवहार में आते हैं। कभी यह संज्ञा, कभी विशेषण, कभी क्रियाविशेषण और कभी सम्बन्ध कारक के रूप में आते हैं।

उदाहरण—

संज्ञा के रूप में—लौर्ड रीडिंग भारत के 'वायसराय' थे।

विशेषण के रूप में—प्रियर्सन साहब भारतीय भाषाओं के प्रकाश्य 'विद्वान' हैं।

क्रियाविशेषण के रूप में—मोहन "बहाँ" है।

सम्बन्ध कारक के रूप में—आज से यह घर 'मेरा' हुआ।

जब वाक्य में विधेय सकर्मक क्रिया के रूप में आता है तो उसका कर्म विधेयवाच्य कहलाता है और विधेय का ही अंश माना जाता है। जैसे—मोहन 'पुस्तक' पढ़ता है इसमें 'पुस्तक' सहित 'पढ़ता है' विधेय है।

कर्म के रूप में—उद्देश्य की नार्द' कर्म (Object) भी विशेष (संज्ञा), सर्वनाम और विशेष के समान व्यवहृत वाक्यांश, विशेषण तथा क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आने हैं।

उद्घारण—

संजा (विशेष)—हरि 'नाटक' लेखा है ।

सर्वनाम—राम 'उसे' मारता है ।

विशेषण—मोहन 'दिव' को पूजता है ।

क्रियार्थक संस्का—वह 'खाना' खाता है ।

वाक्यांश—गणेश 'बहाना करना' बहुत सीख गया है ।

कर्म का विस्तार (Adjunct to the object)— जिस प्रकार उद्देश्य का विस्तार किया जाता है उसी प्रकार विशेषण पद, सम्बन्ध पद, विशेषण के समान व्यवहृत विशेष पद, वाक्यांश और क्रियायोतक से कर्म भी बढ़ाया जा सकता है ।

उद्घारण—

विशेषण से—वह 'शिक्षाप्रद' पुस्तक पढ़ता है ।

सम्बन्ध पद से—सोहन 'पट्टने का' लड्डू खाता है ।

विशेष्य से—सघाद् चन्द्रगुप्त 'भन्नी' चाणक्य को बड़ा मानते थे ।

वाक्यांश से—उसने दूर ही से 'ध्यान में मन' मोहन को देखा लिया ।

क्रियायोतक से—प्रोफेसर राममूर्ति 'चलती हुई' मोटर रोक लेते हैं ।

विधेय का विस्तार (Adjunct to the predicate)— जिन पदों से विधेय की विशेषता प्रगट हो थे पद विधेय के विस्तार कहलाते हैं । साधारणतः क्रियाविशेषण, क्रियाविशेषण के समान भाववाले पद, वाक्यांश, पूर्वकालिक या असमापिका क्रिया, क्रियायोतक और कुछ कारक के पदों के द्वारा विधेय का विस्तार किया जाता है ।

उद्भादण—

क्रियाविशेषण द्वारा—वह 'धीरे-धीरे' पढ़ रहा है। यहाँ 'धीरे-धीरे' क्रियाविशेषण 'पढ़ रहा है' के विधेय की विशेषता प्रगट करने के कारण विधेय का विस्तार है।

पढ़ घाक्यांश द्वारा— वह 'भोजन करने के बाद ही' सो गया।

पूर्वकालिक क्रिया द्वारा—वह 'खाकर' सो गया।

क्रियायोतक द्वारा—रेलगाड़ी 'धक-धक करती हुई' चली जा रही है।

कुछ कारक पदों द्वारा—

(१) करण द्वारा—राम ने रावण को 'बाण से' मारा।

(२) सम्प्रदान द्वारा—उसने सब कुछ मेरे लिए ही किया।

(३) अपादान द्वारा—वह 'छपर से' कूद पड़ा।

(४) अधिकारण,,—उसने गुस्तका से 'फिले पर' घाता मारा।

चार्चायास

१—मींचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य और विधेय बताओ।

Point out subject and predicate in the following sentences. इन्द्र दुःख से परिषूर्ण है। सप्ताह अशोक थीदृ-धर्म के अनुयायी थे। यह स्नान कर रहा है। उसका जीवन धन्य है।

२—मींचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य का विस्तार करो।

Enlarge the subjects in the following sentences.

अकबर ने एचास घरे राज्य किया। घोड़ा घर रहा है।
रेलगाड़ी जा रही है। भोजन गाना है। बिही थोलती है।

३—मींचे लिखे वाक्यों में विधेय का विस्तार करो।

Enlarge the predicates in the following sentences.

मोहन खाता है। राम पढ़ता है। तुझे यह काम करना होगा।
यह ज्ञानी है।

४—नीचे लिखे वाक्यों में कर्म का विस्तार करो

Enlarge the objects in the following sentences.

यह रामायण पढ़ता है। द्यो कपड़ा सीती है। गाय घास
खाती है। छहके फुटबाल खेल रहे हैं।

द्वितीय परिच्छेद

वाक्य-भेद (Division of sentences)

स्वरूप के अनुसार

स्वरूप के अनुसार वाक्य के तीन भेद माने गये हैं। सरल, अटिल या मिश्र और संयुक्त या यौगिक वाक्य।

(१) सरल वाक्य (Simple sentence)—साधारणतः सरल वाक्य यह वाक्य है जिसमें एक कर्ता या उद्देश्य और एक समापिका किया या विधेय रहता है। जैसे—‘घोड़ा दौड़ रहा है।’ इस में ‘घोड़ा’ उद्देश्य या कर्ता और ‘दौड़ रहा है’ विधेय या समापिका किया है। इसलिए उस वाक्य सरल वाक्य है। अब एहले बताये गये नियमों के अनुसार यदि उद्देश्य और विधेय को परिवर्द्धित भी किया जाय तो यह सरल वाक्य ही रहेगा क्योंकि यह वितरना ही बढ़ाया जायगा पर जब तक इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहेगा तब तक यह सरल वाक्य ही रहेगा। जैसे—‘मोहन का लाल घोड़ा मिश्र में खेलगाम दोकर दान के साथ दौड़ रहा है।’

(२) अटिल या मिश्र वाक्य (Complex sentence)—जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय मुख्य हो अपग

एक सरल वाक्य हो और उसके आधित एक दूसरा अधीन या अंगवाक्य (Subordinate sentence) हो उसे जटिल या मिथ्या वाक्य कहते हैं। जैसे—मैं देखता हूँ कि उसे रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इस वाक्य में 'मैं देखता हूँ' एक सरल वाक्य के आधित 'उसे रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है' अधीन वाक्य है।

मिथ्यवाक्य में जो अंग प्रधान रहता है उसे प्रधान और जो अंश अप्रधान रहता है उसे आनुपर्याप्तिक अंग कहते हैं। जैसे—मैं जानता हूँ कि उसका लिखना अच्छा होता है। इस वाक्य में 'मैं जानता हूँ' प्रधान अंग है और 'उसका लिखना अच्छा होता है' आनुपर्याप्तिक अंग।

आनुपर्याप्तिक अंग—(Subordinate sentence)—मिथ्यवाक्य में प्रयुक्त आनुपर्याप्तिक अंग के तीन भेद हैं—एक विशेष वाक्य, दूसरा विशेष वाक्य और तीसरा क्रियाविशेषण वाक्य।

(१) विशेष आनुपर्याप्तिक वाक्य—जो आनुपर्याप्तिक वाक्य प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा या विशेष के बदले में व्यवहृत हो उसे विशेष वाक्य कहते हैं। जैसे—उन्होंने पहले रिश्ते कर दिलाया कि मैं निर्दोष हूँ। इस मिथ्यवाक्य में 'मैं निर्दोष हूँ' मुख्य वाक्य के किसी संज्ञा के रूप में व्यवहृत हुआ; क्योंकि अगर सारे वाक्य को साग्रह वाक्य में बदल दिया जाय तो ऐसा रूप नहीं हो जायगा—उन्होंने 'अग्रनी निर्दोष' रिश्ते कर दिलायी। वही आनुपर्याप्तिक वाक्य 'मैं निर्दोष हूँ' का परिवर्तित रूप 'अग्रनी निर्दोष' है। इसलिए 'मैं निर्दोष हूँ' विशेष वाक्य है।

विशेष का मैं व्यवहृत आनुपर्याप्तिक वाक्य कर्मी कर्मी या उद्देश्य, कर्ता कर्म और कर्मा वाप्रानामिकाण संज्ञा के बदले में आते हैं।

उद्वाहरण—

कर्ता-रूप में विशेष्य वाक्य—मुझे मालूम है कि 'वह आज कौन-कौन काम करेगा'। अर्थात् मुझे 'उसका आज का काम' मालूम है।

कर्म-रूप में—उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि 'मैं निर्दोष हूँ'। अर्थात् उन्होंने 'अपनी निर्दोषता' सिद्ध कर दिखायी।

समाजाधिकरण संज्ञा के रूप में—धैशानिकों का यह कथन कि 'पृथ्वी गोल है' सभी मानने लग गये हैं। अर्थात् धैशानिकों का 'पृथ्वी के गोल होने का' कथन सभी मानने लग गये हैं।

विशेष्य वाक्य-संयोजक 'कि' के द्वारा अपने प्रधान वाक्य के साथ आगेरक्षित या मिले रहते हैं पर कहीं-कहीं 'कि' शब्द लुप्त भी रहता है। जैसे—यह सभी कहते हैं (कि) काँसे के ऊपर बिजली गिरती है।

(२) विशेषण वाक्य—जो आनुपर्याक वाक्य प्रधान वाक्य के किसी विशेषण के रूप में व्यवहृत हो उसे विशेषण वाक्य कहते हैं। जैसे—'जो मनुष्य सन्तोष धारण करता है' वह 'सदा सुखी रहता है'। अर्थात् 'सन्तोषी मनुष्य' सदा सुखी रहता है। यहाँ पर आनुपर्याक अंग विशेषण के रूप में आया है।

विशेषण वाक्य भी कभी कस्ती और कभी कर्म के रूप में आते हैं। ऊपर का विशेषण वाक्य कर्ता के रूप में व्यवहृत हुआ है। कर्म के रूप में व्यवहृत विशेषण वाक्य—वह अपने कुन्ते को, 'जो यहाँ स्थानिक है' जी जान से मानता है। अर्थात् वह अपने 'स्थानिक कुन्ते' को, जी-जान से मानता है इत्यादि।

विशेषण रूप में व्यवहृत आनुपर्याक वाक्य अपने प्रधान वाक्य से सम्बन्धित एक सर्वनाम (जो-सो) के द्वारा संयुक्त

देते हैं। कहीं-कहीं ये लुप्त भी रहते हैं। आजकल 'सो' के बदले 'वह' लिखने की परिपाठी घल निकली है जैसा कि ऊपर के वाक्य में प्रदर्शित किया गया है।

क्रियाविशेषण वाक्य—जो आनुरूपिक वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाने के अभिप्राय से प्रयुक्त हुआ हो उसे क्रियाविशेषण वाक्य कहते हैं। जैसे—जब विपत्ति पड़े तब 'धीरज घरना चाहिये'। अर्थात् 'विपत्ति पड़ने पर' धीरज घरना चाहिये।

क्रियाविशेषण अपने प्रधान वाक्य से जब-तब, जहाँ-तहाँ, यदि तो, जैसे-तैसे आदि प्रत्ययों के द्वारा संयुक्त रहते हैं।

संयुक्त या यौगिक वाक्य

जिस वाक्य में दो या अधिक सरल या जटिल वाक्य एक दूसरे पर आपेक्षित न होकर मिला रहता है उसे यौगिक या संयुक्त वाक्य (Compound sentence) कहते हैं। जैसे—वह बूढ़ा हो गया पर उसके केश काले ही हैं। राम कलकरे गया और मोहन पट्टने आया इत्यादि।

यौगिक वाक्य में एक वाक्य दूसरे के आधित नहीं रहते बल्कि दोनों स्वाधीन रहते हैं। इसलिए उन्हें समानाधिकरण वाक्य कहते हैं। ये वाक्य किन्तु, परन्तु, अथवा, या, एवं, और, तथा आदि संयोजक अथवा विभाजक अव्ययों के द्वारा एक दूसरे से जुटे रहते हैं।

उद्देश्य अंश के एक से ज्यादा विधेय और विधेय अंश के एक से ज्यादा उद्देश्य रहने पर भी यौगिक वाक्य होता है। जैसे—रसोईया गाना है, रसोई करता है। अर्थात् रसोईया गाना

है और रसोइया रसोई करता है। मोहन और सोहन खेल देखने गये हैं। अर्थात् मोहन खेल देखने गया है और सोहन खेल देखने गया है। परन्तु वाक्य में संयोजक अव्यय रहने से ही तब तक वह यीगिक वाक्य नहीं होता जब तक वाक्य को अलग-अलग करके पर साफ़ अर्थ प्रणाट नहीं होता। जैसे—मोहन और सोहन दोनों मित्र हैं।

प्रारूप्यात्मक

१—आकार की विष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण सहित समझाओ।

As regard size, what are the different kinds of sentences ? Give examples of each.

२—अधीन और गम्भीर वाक्य किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाओ।

Explain with examples what are meant by Subordinate and Parenthetical sentence.

३—निम्नलिखित वाक्यों में कौन किस प्रकार के वाक्य है ? कारण सहित समझाओ।

Point out with reasons the different kinds of sentences in the following:-

अफगानिस्तान एक छोटा सा देश मारते थर्पे के उत्तर-पश्चिम की ओर अवस्थित है। यह है तो प्राह्लण पर आचरण दूदों के देसा है। स्वास्थ्य ही धन है। जिसने देखा थहरा लुभाया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोहन की टोपी माधो का सर।

४—नीचे लिखे शब्दों को लेकर एक-एक मिश्र वाक्य बनाओ।

Frame complex sentences using the following:
जो, जहाँ, जब, जब तक।

क्रिया के अनुसार वाक्यभेद

क्रिया के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं—(१) कर्तृवाक्य
(२) कर्मवाक्य और (३) मावधाव्य।

(१) कर्तृवाक्य—जिस वाक्य में कर्ता, अपनी अभियान में हो और कर्म अपनी अवस्था में तथा क्रियाएँ घटताएँ हैं। ऐसे—मैं उसे कर्मवाक्य (Active sentence) कहते हैं। गीत गाता हूँ। गम टहलता है।

मोट—सभी कर्मवाक्य में कर्म का होना चाही जाही है।

(२) कर्मवाक्य—जिस वाक्य में कर्ता करण के बाहर और कर्म कर्ता के करण में प्रयुक्त हो। तथा क्रिया कर्म के अनुष्ठान और कर्म कर्ता के करण के बाहर हो जाती है। ऐसे—हो उसे कर्मवाक्य (Passive sentence) कहते हैं। गुप्त रोटी लाई जाती है। गोदबरे गीत गाया जाता है।

मोट—कर्मवाक्य में कर्म का एहना आवश्यक है।

(३) मावधाव्य—जब अकर्मक क्रियाएँ तुल कर्म के कर्ता का करण के बाहर हो जाती होती जाती हैं। ऐसे—होने होना होता है। मावधाव्य में क्रिया क्षयक प्रणाली होती है। ऐसे टहला भी जाता है।

मोट—(१) दिग्गज वाक्य में कर्म ही कर्ता की मीठी प्राणी होती है। ऐसे—गलती जहाँ जहाँ होता है। ऐसे—गलती जहाँ जहाँ होता है। गलती जहाँ होता है। तथा गलती होता है। गलती होता है।

(२) वाक्य के सम्बन्ध में दिग्गज प्राणी कर्ता वाक्य कर्ता वाक्य के सम्बन्ध में दिग्गज के लाय भी जाती है।

वाक्य के साधारण भेद

साधारण तरीके से सभी तरह के वाक्यों के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं—

(१) विधिवाचक (Affirmative sentence)—जिससे किसी घात का विधान पाया जाय। जैसे—आकाश निर्मल हो गया। उपवन में पुष्प खिल रहे हैं इत्यादि ।

(२) निषेधवाचक (Negative sentence)—जिससे किसी घात का न होना पाया जाय। जैसे—वह जातपांति कुछ नहीं मानता। कोई काम सफल नहीं हुआ इत्यादि ।

(३) आशावाचक (Imperative sentence)—जिस वाक्य से आशा, उपदेश, नियेदन आदि का बोध हो। जैसे—साँझ सुबह टहला करो। गुरु की आशा मानो आदि ।

(४) प्रश्नवाचक (Interrogative sentence)—जिसमें प्रश्न किया गया हो। जैसे—तुम्हारी पुस्तक कहाँ है ? आज कल तुम्हारा स्वास्थ्य किसा है ? इत्यादि ।

(५) विस्मयाद्विवेधक (Exclamatory sentence)—जिससे आश्चर्य, कौतूहल, कौतुक आदि भाव प्रदर्शित हों। जैसे—अहा ! कैसा शीतल जल है ! क्या ही सुन्दर घोड़ा है !

(६) इच्छावेधक (Optative sentence)—जिससे इच्छा प्रगट हो। जैसे—भगवान आपका भला करें। आप चिरायु हों।

(७) सन्देहसूचक—जिससे सन्देह हो या सम्मानना पायी जाय। जैसे—मुझे डर है कि कहाँ अर्थ का अनर्थ न हो जाय। उस दिन कदाचित् आप यहाँ होते इत्यादि ।

(८) संकेतार्थक—जिसमें संकेत या शक्ति पायी जाय।

जैसे—अगर यह पढ़ता रहता तो आज उसकी यह गति नहीं हो पाती।

एक दूरी वाक्य के आठ रूप

- | | |
|--|-------------------|
| (१) ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है । | (विधिवाचक) |
| (२) जिसे ज्ञान नहीं उसकी बुद्धि निर्मल
नहीं होती है । | (निषेधवाचक) |
| (३) ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धि निर्मल होगी । | (आशावाचक) |
| (४) क्या ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है । | (प्रदन वाचक) |
| (५) (क्या कहा—) ज्ञान से बुद्धि निर्मल
होती है । | (विस्मयादिवोधक) |
| (६) मैं ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धि निर्मल होगी । | (इच्छावोधक) |
| (७) हो सकता है कि ज्ञान से बुद्धि
निर्मल हो । | (सन्देशवाचक) |
| (८) यदि ज्ञान प्राप्त करोगे तो बुद्धि निर्मल
होगी । | (संक्रतार्थक) |

संग्रहीत

१—कर्मधार्य और भावधार्य धार्य के भेद घटलाते हुए दोनों के एक-एक उदाहरण दो ।

Distinguish between कर्मजात्य and भाववान्त्य & give an example of the each.

२—नीचे लिखे याक्य को बिना अर्थ वद्दे याक्य के आ साधारण याक्य में लिखो ।

‘परिक्षम से विद्या होती है ।’

तृतीय परिच्छेद

वाक्य-विश्लेषण (Analysis of sentences)

वाक्य-विश्लेषण—वाक्य के अंशों को अलग-अलग कर उनके पारस्परिक सम्बन्ध को प्रदर्शित करने की विधि को वाक्य-विश्लेषण या वाक्य-विप्रह कहते हैं।

सरल वाक्य का विश्लेषण—निम्नलिखित प्रकार से सरल वाक्य का विश्लेषण किया जाता है—

(१) पहले वाक्य के उस अंश को दरसाना होता है जिसे उद्देश्य कहते हैं।

(२) उसके बाद उन अंशों को रखना होता है जिनसे उद्देश्य-पद विस्तृत किया जाता है।

(३) फिर विधेय को दिखाना पड़ता है।

(४) यदि विधेय-पद पूर्ण अर्थ प्रकाश नहीं करता हो तो उसका पूरक अथवा वह अंश जिससे विधेय का पूर्ण अर्थ प्रकाशित हो, रखना पड़ता है।

(५) अगर विधेय सकर्मक हो तो उसका कर्म निर्देश रखना पड़ता है।

(६) कर्म जिन अंशों के द्वारा बढ़ाया गया हो ये अंश कर्म के बाद रखने पड़ेंगे।

(३) अग्न में उन अंशों को रिकाना पड़ता है जो विधेय के विस्तार के सम में प्रवर्यहन हुए हों ।

पाण्डित यह है कि सरल याक्ष-विद्वेषण क्षम इस प्रकार गदता है—(१) उद्देश्य, (२) उद्देश्य का विस्तार, (३) विधेय, (४) विधेय पूरक, (५) कर्म, (६) कर्म का विस्तार और (७) विधेय का विस्तार ।

उदाहरण—

(१) सशाट् अशोक ने भिन्न-भिन्न देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे ।

(२) पागल कुत्ते ने राम के पुत्र सुधांशु को परसों काट लिया ।

(३) यन्दर पेट की पत्तियाँ खाता है ।

(४) गुण ही खियों के लिए सब से बढ़कर होन्दर्य है ।

(५) साहसी मनुष्य भय से नहीं घबड़ता ।

संख्या	उद्देश्य अंश		विधेय अंश			
	मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	विधेय	विधेय पूरक	कर्म	विधेय का विस्तार
(१)	अशोक ने	सशाट्	भेजे	×	धर्म प्रचारक देशों में	भिन्न-भिन्न
(२)	कुत्ते ने	पागल	काट लिया	×	सुधांशु कर्म के परसों	पुत्र

विधेय	उद्देश्य अंश		विधेय अंश			
	सुरुप उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	विधेय	विधेय पूरक	कर्म कर्म	विधेय का विस्तार
(१)	x	बन्दर	जाता है	x	पतियाँ वेद की	x
(२)	गुण ही	x	है	सौन्दर्य	x	x
(३)	मनुष्य	साहसी	घबड़ता है	नहीं	x	x
						भय से

अटिल वाक्य का विश्लेषण —

अटिल वाक्य का विश्लेषण करते समय सबसे पहले यह ध्यान में रखना होता है कि वाक्य में कौन अंग प्रधान और कौन अंग आनुरूपिक या अप्रधान है। फिर आनुरूपिक अंग को पद विशेष समझ कर, सरल वाक्य के विश्लेषण की नारं समृच्छे वाक्य का विश्लेषण करना पड़ता है। इसके बाद आनुरूपिक अंग का मी विश्लेषण सरल वाक्य-विश्लेषण-विधि के अनुसार करना होता है।

उदाहरण—(१) में जानता हूँ कि यह यहाँ नहीं आयेगा।

(२) जो संयम से रहता है यह कभी नहीं योग्य होता है।

(३) जप में आया तब यह चला गया।

विद्वेष

वाक्य	प्रथम भेद	प्रथान	वार्ता संज्ञा		किंवदं भेद		विद्वेष का विलय	
			मुख्य उद्देश्य	गोप्य का विलय	विद्वेष	पुरुष	किंवदं विलय	विद्वेष का विलय
(१) मैं जानता हूँ कि वह यहाँ नहीं आयेगा	भावनात्मिक (अस्तित्व पूर्ण)	प्रथान	वार्ता	गोप्य का विलय	विद्वेष	पुरुष	किंवदं विलय	विद्वेष का विलय
(२) यह कभी श्रीमारे नहीं पहुँचा है जो संयम से रहता है	भावनात्मिक (अस्तित्व पूर्ण)	प्रथान	वार्ता	गोप्य से रहता है	विद्वेष	पुरुष	किंवदं विलय	विद्वेष का विलय
(३) तब वह प्रथान में वहाँ आयेगा	भावनात्मिक (अस्तित्व पूर्ण)	प्रथान	वार्ता	विद्वेष का विलय	विद्वेष	पुरुष	किंवदं विलय	विद्वेष का विलय

ऊपर किये गये वाक्य-विश्लेषण में पहले जटिल वाक्य में आनुपंगीक वाक्य कर्म-रूप में आया है; इसलिए समूचे वाक्य का विश्लेषण करते समय यह कर्म के रूप में घटाया गया है। दूसरे वाक्य में विशेषण के रूप में आया है इसलिए उद्देश्य का रूप लिखा गया और तीसरे वाक्य में क्रियाविशेषण के रूप में व्यवहृत हुआ है इसलिए विधेय का विस्तार समझा गया है।

३. यौगिक या संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

यौगिक या संयुक्त वाक्य के विश्लेषण करने में जिन सब वाक्यों से मिलकर यौगिक वाक्य बना है उनका पृथक्-पृथक् विश्लेषण करना चाहिये फिर जिन योजकों वा अव्ययों द्वारा ये मिले हैं उनको दरसाना चाहिये। यदि यौगिक वाक्य सरल वाक्यों के मेल से बना हो तो सरल वाक्य-विश्लेषण-विधि के अनुसार और यदि जटिल वाक्यों के मेल से बना हो तो जटिल-वाक्य-विश्लेषण-विधि के अनुसार विश्लेषण करना चाहिये।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों का वाक्य-विप्रह करो।

Analyse the following sentences.

- (१) राम ने गोविन्द को कल किताब दी। (२) परिथमी लड़कों ने नाम के साथ कठिन परीक्षा पास कर ली। (३) सोहन का मार्द मेरी गीता पढ़ता है। (४) बिना स्वास्थ्य सुधारे जीना कठिन है। (५) राम की बुद्धि मारी गयी है। (६) जिसे किसी ने नहीं किया, उसे मोहन ने कर दिखाया। (७) एक दिन मैंने देखा कि मंगा में एक विचित्र फूल बह रहा है।

(८) जब सब द्वारकर बेड आये तब मैं अपनी कल्पा को प्रदर्शित करूँगा। (९) गम पट्टमे घला गया पर मोहन घर पर ही है। (१०) उसने पैरें घारण किया और सब दुःख मूल गया।

चतुर्थ परिच्छेद

पदनिर्देश (Parsing)

पदनिर्देश—व्याकरण सम्बन्धी विशेषताओं का कथन करते हुए वाक्यों के पदों का जब पारस्परिक सम्बन्ध बताया जाय, तब उसे पदनिर्देश कहते हैं। पदनिर्देश को पद-परिचय, पदन्त्रेद, पदान्वय, पद-व्यालय, वाक्य-विवरण, पदनिर्णय, पदविभ्यास आदि नामों से पुकारते हैं।

संश्लेष्य-पद—संश्लेष्य का पदनिर्देश करने में भेद—ज्ञातिवाचक आदि—लिंग, वचन, पुरुष, कारक और जिस पद के साथ उसका सम्बन्ध हो उसे दरसाया जाता है। क्रियार्थक संश्लेष्य (Verbal noun) में लिङ्ग, वचन, पुरुष नहीं लिखा जाता है।

सर्वनाम-पद—सर्वनाम का पदनिर्देश करने में उसके भेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक और अन्य पदों के साथ उसका सम्बन्ध लिखना पड़ता है। सर्वनाम जिस संश्लेष्य के घटके आता है उसी संश्लेष्य के लिंग, वचन आदि के अनुसार उसके भी लिंग, वचन आदि होते हैं। हाँ, पुरुष और कारक में भेद हो सकता है।

विशेषण-पद—विशेषण में भेद और जिस विशेषण का वह विशेषण है वह विशेष्य लिखना होता है।

क्रियापद—पूर्वकालिक या समापिका—सकर्मक, दिया अकर्मक, कर्तृयात्म्य, कर्मयात्म्य या भावयात्म्य—काल उसके भेद—लिंग, वचन और पुरुष—किस कर्ता की है और आगर सकर्मक हो तो उसका कर्म।

अव्यय—अद्यत्य में उसके भेद और आगर किसी साथ उसका सम्बन्ध हो तो यह पद दरसाना पड़ता है।

नोट—(१) जब विशेषण पद स्वतन्त्र रूप से विद्येय भाँति व्यवहृत होता है तो उसमें विशेष्य की भाँति लिंग, पुरुष और कारकादि होते हैं। जैसे—विद्वानों की समा हो रही

(२) कुछ मुण्डाचक विशेष्य (संशा) कभी विशेष्य और विशेषण के रूप में आते हैं। जैसे—‘स्वर्ण युग’ में ‘स्वर्ण’ विशेष्य और ‘युग’ विशेष्य है।

(३) कभी-कभी जातियाचक संशा भी विशेषण के आती है। जैसे—‘हस्तिय’ कुल में जन्म लेकर कायर वयो हो। यहाँ ‘हस्तिय’ विशेषण है।

(४) सर्वनाम भी कभी-कभी विशेषण के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे—यह पुण्य सहसा मुख्या गया है। यहाँ विशेषण है।

(५) कभी-कभी क्रियापद विशेष्य-रूप में आता है। जैसे—‘देखना’ धातु का ‘ना’ लोपकर उसमें ‘ता है’ जोड़ देने पर ‘देखना है’ बनता है। यहाँ ‘देखता है’ विशेष्य के रूप में उपलब्ध है।

(६) पदनिर्देश करने समय गति का पद पक पर जाता है और पक गति में क्षणान्तर पर उसका पदनिर्देश जाता है। कोरं-कोरं धृष्टाकरण कारक के विहृ (विमलि)

अलग पदनिर्देश करते हैं। उसे अव्यय का रूप देते हैं पर विसकि सहित शब्द का ही पदनिर्देश करना ठीक है। क्योंकि पदनिर्देश में शब्द का परिचय नहीं वस्त्रिक पद का परिचय यताया जाता है।

(७) सम्बोधन-पद और विधिक्रिया में मध्यम पुरुष होता है।

उदाहरण—मोहन ने गंगा के तट पर जाकर देखा कि एक नीका गंगा में जा रही है। उसपर एक सुन्दर घालक घैड़ा है जिसके गले में पुरुष की माला है।

मोहन ने—संशा, व्यक्तिवाचक, पुरुषिंग, एक वचन, अन्य-पुरुष, कर्ता कारक जिसकी क्रिया 'देखा है' है।

गंगा के—संशा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, अन्य-पुरुष, सम्बन्ध कारक, इसका सम्बन्धी 'तट पर' है।

तट पर—संशा, जातिवाचक, पुरुषिंग, एक वचन, अन्यपुरुष, अधिकरण कारक।

जाकर—क्रिया, पूर्वकालिक।

देखा—क्रिया, सकर्मक, कर्तृप्रधान, सामान्य भूत, पुरुषिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, इसका कर्ता 'मोहन ने' और कर्म 'एक नीका गंगा के तट पर जा रही है' आनुपर्णिक घाटय है।

कि—संयोजक अव्यय 'मोहन ने गंगा के तट पर जाकर देखा' और 'एक नीका गंगा में जा रही है' को मिलाता है।

एक—संख्यावाचक विशेषण। इसका विशेष्य 'नीका' है।

नीका—संशा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, कर्ता कारक, इसकी क्रिया है 'जा रही है'।

गंगा में—अधिकरण कारक।

जा रही है—क्रिया, अकर्मक, कर्तृप्रधान, तात्कालिक वर्त-

मान, खीलिंग, एक घनन, अन्य पुरुष। इसका कहाँ 'नौका' है।

उग्गर—सर्वनाम, गोदा के घट्टे में आया है, निष्पत्तिचारक, खीलिंग, एक घनन, अन्य पुरुष, अधिकरण कारक।

एन्डर—विशेषज्ञ। इसका विशेष 'बालक' है।

पालक—संज्ञा, जातियाचक, पुंडिंग, एक घनन, अन्य पुरुष, कर्त्ता कारक। इसकी क्रिया है 'वैठा है'।

ऐय है—क्रिया, अकर्मक, कर्त्ता प्रधान, आसन्न भूत, पुंडिंग, एक घनन, अन्य पुरुष। इसका कहाँ 'बालक' है।

जिसके—सर्वनाम, बालक के घट्टे में आया है, सम्बन्ध-पाचक, पुंडिंग, एक घनन, सम्बन्ध कारक जिसका सम्बन्धी 'गले में' है।

गले में—संज्ञा, जातियाचक, पुंडिंग, एक घनन, अन्य पुरुष, अधिकरण कारक।

पुण्य की—संज्ञा, जातियाचक, पुंडिंग, एक घनन, अन्य-पुरुष, सम्बन्ध कारक इसका सम्बन्धी 'माला' है।

माला—संज्ञा, जातियाचक, खीलिंग, एक घनन, अन्य पुरुष, कर्त्ता कारक जिसको क्रिया 'है' है।

है—क्रिया, अकर्मक, अपूर्ण अर्थ प्रकाशक क्रिया जिसका विधेय पूरक 'माला' है। सामान्य वर्तमान, खीलिंग, एक घनन, अन्य पुरुष, इसका कहाँ भी 'माला' ही है।

अभ्यास

१—चिह्नित पदों का पदनिर्देश करो।

Parse the underlined words used in the following sentences:—(क) विद्वानों की सभा हो रही है। (ख) सन्तोष से सुख मिलता है। (ग) पीड़ितों की पीड़ा हुरो।

(घ) वह भागा जा रहा है । (ङ) सब कोई एक न एक दिन अवश्य मरेंगे । (च) मरता क्या न करता ।

२—नीचे लिखे थाक्यों का पदनिर्देश करो ।

Parse the following:—

(क) गया गया गया ।

(ख) जीवन एक संप्राप्ति है ।

(ग) जिन दिन देखे वे कुसुम , गयी सु धीति बहार ।

अब अलि रही गुलाब में , अपत कटीली ढार ॥

पञ्चम परिच्छेद

वाक्यरचना के नियम

(Syntax)

वाक्यरचना भाषा का मुख्य अंग माना गया है। जिसे शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास करना हो उसे वाक्य सम्बन्धी नियमों पर ध्यान देना ज़रूरी है। परन्तु यिनी व्याकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त किये वाक्यरचना सम्बन्धी नियमों को समझना कठिन है। अतः वाक्यरचना का अभ्यास करने के लिए व्याकरण के नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। सारांश यह है कि भाषा को परिमार्जित करने के लिए वाक्यरचना और वाक्यरचना को परिमार्जित रूप से लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान ना आवश्यक हो जाता है; क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार सिद्धपद-स्थापन-प्रणाली को ही वाक्यरचना कहते हैं।

वाक्य के दो विभाग होते हैं—एक वाच-विभाग, दूसरा ग्राहविभाग। उन्द्रोवद वाक्य को वाच कहते हैं, इसकिए पदमय वाक्य लिखने के लिए उन्द्रालय का ज्ञान ज़रूरी है। तुरा, यित्तल आदि के नियमों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है परन्तु ग्राहमय वाक्य लिखने के लिए व्याकरण के नियम ही पर्याप्त हैं क्योंकि

जिस वाक्य में कारक, क्रियादि का नियमपूर्वक स्थापन हो उसे गति कहते हैं।

ऊपर कहा जा चुका है कि व्याकरण के नियमों द्वारा वा भाषा की रीति के अनुसार सिद्ध पदों की स्थापन-विधि को ही वाक्यरचना कहते हैं। यहाँ सिद्ध पदों की स्थापना करते समय यह देखना पड़ता है कि पदों के साथ पदों का सम्बन्ध रहे और साथ ही स्थापन-ग्रणाली का क्रम भी भंग न हो। तात्पर्य यह है कि वाक्यरचना में पदों के सम्बन्ध और क्रम पर विशेष ध्यान देना होता है जिन्हें पदमेल और पदक्रम कहते हैं।

यहाँ पर एक वात ध्यान देने योग्य है। यह युग हिन्दी-भाषा के गद्य के विकास का युग है। अबतक इसका गद्य-भाग प्रौढ़ नहीं हुआ है। इसलिए इसमें अभी परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि आज से दस वर्ष पहले की लेखन-ग्रणाली से आज की लेखन-ग्रणाली दूसरे भिन्न पा रहे हैं और सम्भव है कि आज से दस वर्ष के बाद इसमें भी परिवर्तन हो जाय। यह परिवर्तन कुछ बुरा नहीं है परिवर्तन ही भाषा का जीवन है। जिस भाषा में परिवर्तन का प्रवाह रुक जाता है वह भाषा मृत भाषा कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि भाषा में रूपान्तर होते रहना उसकी उन्नति या विकास का चिह्न है।

इस प्रकार की परिवर्तनशील भाषाओं में वाक्यरचना के समय मेल या पदक्रम पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसा करने से भाषा का प्रवाह रुक जाता है जो उसके विकास का वाधक होता है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि पदक्रम पर विशुल ध्यान नहीं दिया जाय और व्याकरण तथा वाक्यरचना के नियमों को ताक पर रखकर जो जैसा चाहे उलटा-

मीथा लिख दे । मग तो यह है कि जीवित माया एक प्रशास्युन मरी के नामान है । जब किसी नदी में जोरों से बाहु आ जानी है और उसकी धारा पहुँच योग्यता हो जानी है, प्रशाद रोक नहीं करता है तब यह आपने प्रशाद के जल से किनारे पर की भिट्ठी, फाँचड़, गृथादि को अपनी धारा में पहा ले चलनी है जिससे उसका शुद्ध और परिष्ठप्त जल गैदला और विश्रुत हो जाता है । पिछे जब उसमें धौथ पौधशर उसका प्रशाद एक दम रोक दिया जाता है तब उस हालत में भी पानी की निर्मलता क्यहूँ हो जाती है । इसलिए अपने स्थामायिक ये ग में बहती रहने पर ही उसके जल में शुद्धता और निर्मलता की मात्रा हाथिगोचर होती है । माया की भी ठीक यही दशा है । अगर व्याकरण, वाक्यरचना आदि नियमों की विश्लेषण अव्योलना कर उसके प्रशाद को नियमित और सीमायद्ध न किया जाय तो उसकी दशा विश्रुत हो जायगी और साथ ही अगर व्याकरण आदि के अठिल नियमों से उसे इस प्रकार जाकड़ दिया जाय कि यह उस से मस न हो सके और उसका प्रशाद एकदम रुक जाय तो उस हालत में तो उसका विकास ही रुक जायगा । अतएव परिवर्तनशील माया होने पर भी हिन्दी में वाक्यरचना अथवा पदों के मेल और क्रम पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

४—पदक्रम (Order)

ऊपर बतलाया जा चुका है कि वाक्यरचना में पद-स्थापन-प्रणाली को पदक्रम कहते हैं । यह पदक्रम दो प्रकार के होते हैं—एक अलंकृत पदक्रम (Ornamental), दूसरा साधारण ।

विशेष प्रसंग पर बता और लेखक की इच्छा के अनुसार पदक्रम में जो अन्तर पड़ता है उसे अलगावारिक पदक्रम

कहते हैं और इसके विपरीत व्याकरणीय या साधारण पदक्रम कहलाता है।

अलंकारिक पदक्रम का विषय व्याकरण से भिन्न है; अतएव उसका नियम बनाना कठिन है। हाँ, साधारण पदक्रम के कुछ नियम यहाँ दिये जाते हैं।

(१) वाक्य के पदक्रम का सबसे पहला और स्थूल नियम यह है कि वाक्य में पहले कर्ता या उद्देश्य और आन्त में किया या विधेय-पद का क्रम रहता है। जैसे—तारे चमक रहे हैं, हथा रहती है इत्यादि।

(२) यदि किया सकर्मक हो तो उसके कर्म को किया के पूर्व और द्विकर्मक हो तो पहले गीणकर्म और उसके बाद सुव्य कर्म रखते हैं। जैसे—राम रोटी खाता है। वह मोहन को हिन्दी पढ़ाता है।

(३) शेष फारकों में आनेवाले पद उन पदों के पूर्व आते हैं जिनसे उनका सम्बन्ध रहता है। जैसे इयाम ने आलमारी से राम की पुस्तक निकाली। राम का भाई कल पटने से कलकत्ते जायगा।

(४) सम्बोधन-पद वाक्य के प्रारम्भ में रहता है और उसके चिह्न—हो, हे, अे, रे आदि—ठीक सम्बोधन-पद के पूर्व रहते हैं। जैसे—अे मोहन ! अब तक तू यही बैठा है। प्रभो ! रक्षा करो हमारी !! इत्यादि।

(५) सम्बन्ध-पद के बाद उसका सम्बन्धी-पद आता है। यदि सम्बन्धी-पद का कोई विशेषण हो तो वह सम्बन्धी-पद के ठीक पहले रहता है। जैसे—यह इयाम की धोती है। उसका लाल धोड़ा चर रहा है।

जब सम्यन्धी-पद उद्देश्य-विधेय-रूप में आवे तो विधेय-पद वाक्य के पहले आता है। जैसे—लोगों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है।

(६) कर्म कारक में आनेवाले शब्द प्रायः कर्म के पहले आते हैं और उनके विशेषण उनके पूर्व रहते हैं। जैसे—उसने लाडी से साँप मारा। राम ने अपने सुकुमार हाथों से पूल तोड़े।

(७) अपादान कारक अपने अर्थ वोधक-पद से पहले आता है। जैसे—यह कल पट्टने से घर चला गया।

(८) विशेषण सहित कर्म और अधिकरण कारक में आने वाले शब्द अपादान से प्रायः पीछे आते हैं किन्तु करण और क्रियाविशेषण अपादान से पहले रखे जाते हैं। जैसे—

(क) शीतल ने मेरे 'सिर से' 'टोपी' उतार ली।

(ख) शीतल ने मेरे 'सिर से' 'टोपी' उतार कर आगे 'सिर पर' रख ली।

(ग) माणवन ने 'हमारे द्वारा' 'पृथक् में' कल तोड़े।

(घ) यदि 'धीरे धीरे' पहाँ से घट्टत हो गया।

(ङ) यहुया अधिकरण-पद अपने आधेय के पूर्व रहा करता है। जैसे—गुलाब में काँट होने हैं।

(क.) कल्याणक अधिकरण-पद वाक्य के पहले आता है। जैसे—गति में ही घन्द्र देव उदय होने हैं।

(ख.) जिस वाक्य में कल्याणक और स्थानवाचक होने ही अधिकरण-पद हो पहले कल्याणक पीछे स्थानवाचक रहता है। जैसे—यदि दिन में कल्याणक में रहता है।

नोट—झार बनाये गये पट्टम के नियमों में बहुत पूर्ण अंतर भी पड़ जाता है। अर्थात् वाक्य में जिस पद की प्रयोगता

दिखानी हो उसे उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध पहले रखते हैं जिस से वाक्य के अन्य अंशों में भी उलटफेर हो जाता है। जैसे—

(क) कर्ता का स्थानान्तर—सिरतोड़ मेहनत कर कर्मांय 'राम' और खाय 'मोहम' ।

(ख) कर्म का स्थानान्तर—मिठाई छोड़ कोई 'चीज़' में खाऊँगा ही नहीं ।

(ग) करण का स्थानान्तर—'तलवार से' उसने चोर का सिर कट लिया ।

(घ) सम्प्रदान का स्थानान्तर—'आप के ही लिए' तो यह सब कुछ किया गया है ।

(ङ) अपादान का स्थानान्तर—'बृक्ष से' जितने पहल गिरे सब के सब बरवाद हो गये ।

(च) सम्बन्ध का स्थानान्तर—'मेरी' घड़ी तो राम ले गया है ।

कभी-कभी पद के सिलसिले में सम्बन्धपद अपने सम्बन्धी के पीछे व्यवहृत होता है। जैसे—यह घड़ी किसकी है ?

(छ) अधिकरण का स्थानान्तर—इसी पर सब कुछ निर्भर करता है ।

(ज) क्रिया का स्थानान्तर—याद साहब ! मैंने पुकारा किसे और 'टपक पड़े' आप !

(१०) ग्रायः विशेषण अपने विशेष्य के पहले आता है। यदि एक से अधिक विशेषण-पद एक साथ आवें तो उनके बीच में संयोजक अव्यय कोई लाते हैं और कोई नहीं भी लाते हैं। क्योंकि लाना और नहीं लाना वाक्य की घनाघट और लालित्य पर निर्भर करता है। जहाँ नहीं देने से वाक्य का लालित्य

धर्म दोने लगे यहाँ देना ज्ञातिये और जहाँ सालित्य में कोई वाचा
नहीं पड़े यहाँ नहीं देना ज्ञातिये । हाँ, स्थानान्तर हो जाने से
अगर एक से अधिक विशेषण प्रयुक्त हों तो संयोजक अव्यय
जोड़ना आवश्यक हो जाता है । जैसे—

(क) 'बर्ली' भीम ने दुःखासन को गदा के प्रहार से मार
डाला ।

(ख) भक्तप्रत्यक्ष, दीनपालक, नरथेषु (बौद्ध) बर्ली राम ने
राघव को मारा ।

(ग) गुलाब का फूल यहाँ ही सुन्दर 'और' मन मोहक होता है ।

(११) क्रियाविशेषण या क्रियावेशेषण के रूप में व्यवहृत
पार्कर्यांश यहुधा क्रिया के पहले आता है । जैसे—गम चुपचाप
रास्ता नाप रहा है ।

(१२) पूर्वकालिक क्रिया यहुधा समापिका क्रिया के पहले
आती है जब कि दोनों का कर्त्ता एक ही रहे । और जिस क्रिया
के जो कर्म, करण आदि पर होते हैं वे उससे पहले आते हैं ।
जैसे—यह कुछ फल खाकर सिनेमा देखने के लिए चला गया ।

(१३) सर्वनाम पदों में विशेषण ग्रायः पीछे ही आते हैं ।
जैसे—बह यहा चतुर है ।

नोट—शब्द पर जोर देने के लिए उपर्युक्त नियमों में केर-
फार हो जाया करता है । जैसे—

(क) क्रियाविशेषण कर्त्ता से भी पहले—एक एक कर
बह सब आम खा गया ।

(ख) विशेषण का स्थानान्तर—राम यहा सुशील है ।

(ग) पूर्वकालिक क्रिया का स्थानान्तर—देख कर भी उसने
बात टाल दी ।

(१४) प्रदेशवाचक सर्वनाम या अव्यय उस पद के पहले आता है जिस पद के विषय में प्रदेश किया जाता है । जैसे—यह किसकी टोपी है ?

स्थानान्तर—(क) यदि पूरा वाक्य ही प्रदेश हो तो प्रदेश-वाचक सर्वनाम या अव्यय वाक्य में पहले ही आता है । जैसे—क्या आप कल कलकत्ते जानेवाले हैं ?

(ख) वाक्य में जोर देने के लिए प्रदेशवाचक सर्वनाम या अव्यय मुख्य किया और सहायक किया के बीच में भी आ सकता है । जैसे—वह पटने से आ किसे सकेगा ?

(ग) कभी-कभी वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम या अव्यय नहीं होता, वेवल प्रश्नवाचक का चिह्न ही अंत में रहता है । जैसे—सचमुच वह पढ़ेगा ? (सचमुच क्या वह पढ़ेगा ?)

(घ) प्रश्नवाचक अव्यय 'क्या' प्रायः वाक्य के आरम्भ में ही आता है । कभी-कभी धोन्च या अंत में भी आ जाता है । जैसे—क्या वह पुस्तक खो गयी ? वह पुस्तक खो गयी क्या ? वह पुस्तक क्या खो गयी ?

(ङ) जब 'न' प्रश्नवाचक अव्यय के समान प्रयुक्त होता है तो वह वाक्य के अंत में आता है । जैसे—आप स्कूल जायेंगे न ? मोहन कलकत्ते जायगा न ? इत्यादि ।

(१५) तो, भी, ही, भग, तक और मात्र—ये शब्द किसी शब्द में जोर पैदा करने के लिए ही वाक्य में व्यवहृत होते हैं और उन्हीं शब्दों के पीछे आते हैं जिनपर ज़ोर देने के लिए ये व्यवहृत होते हैं । इनके स्थान परिवर्तन से वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है । जैसे—मैं भी यहाँ जाने को तैयार हूँ । मैं

यहाँ भी जाने को तैयार हूँ। मैं तो ज़रूर सिनेमा देखूँगा। मैं सिनेमा तो ज़रूर देखूँगा।

स्थानान्तर—उपर्युक्त शब्दों में 'मात्र' को छोड़कर शेष शब्द मुख्य किया और सहायक किया के बीच में भी आते हैं। 'भी' तथा 'तो' को छोड़कर शेष शब्द संज्ञा और विभक्ति के बीच में भी आ सकते हैं। 'ही' शब्द कर्तृव्याचक वृद्धत तथा समान्य-भविष्यत्-काल प्रत्यय के पहले भी आ सकता है। जैसे—अब तो यह कुछ खाता भी है। पटने से कलकत्ते तक की दूरी ३५१ मील है। बोहन ही ने तो ऐसी अफ़्याह उक्कायी थी। घाड़ जो कुछ हो जाय यह विलायत जायहीगा। अब उसे देखने ही चाला कौन है ? इत्यादि ।

(१६) सम्बन्धव्याचक त्रियाविशेषण जहाँ तहाँ, जब तब, जैसे तैसे आदि प्राप्त व्याक्य के आरम्भ में आते हैं। जैसे—जहाँ दिल चाहे तहाँ जाकर रहो। जब जी आये तब यहाँ आ आपा करो। जैसे पने तैसे समझौता कर लेना उचित है ।

लोग 'तहाँ' के बदले 'यही' या 'यहाँ' और 'तब' के बदले 'तो' का भी व्यवहार करने लगे हैं। जैसे—जहाँ राम पड़ेगा यही (यहाँ) मैं भी पढ़ूँगा। जब यह जायगा तो तुम भी जाना ।

नोट—'तब' के बदले 'तो' का प्रयोग घटकरा है ।

(१७) नियेप्याचक अव्यय (न नहीं, मत) प्राप्ति के पहले आते हैं। जैसे—यह कभी न आयेगा। मैंने 'राममूर्मि' अब तक नहीं पढ़ी है। तुम मत जाओ। ('मत' का प्रयोग विधि विद्या रहने पर ही होता है ।)

स्थानान्तर—(क) 'नहीं' और 'मत' त्रिया के पाँचे भी

आते हैं। जैसे—तुम वहाँ जाना मत। तुम तो वहाँ गये ही नहीं, वहाँ का यात क्या स्थाक जानीगे?

(ख) यदि किया संयुक्त हो तो ये निषेध-याचक अव्यय मुल्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी आते हैं। जैसे—मैं इस बात का समर्थन कर नहीं सकता। तुम शीघ्र चले मत जाना है।

(१३) समुद्घययोधक अव्यय जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उनके बीच में आते हैं। जैसे—राम और श्याम सहो-दर मार्द हैं। मैं कादी गया और वहाँ विवरण के दर्शन किये।

मोट—(क) यदि संपोजक समुद्घययोधक अव्यय कई शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो तो वह अन्तिम शब्द या वाक्य के पूर्वे आता है। जैसे—मैं पुलवारी गया, वहाँ जाकर सुगन्धित पूलों को चुना और उनकी एक सुन्दर माला बनायी। इस पीढ़े के पासे, पुण्य और फल सभी सुझावने हैं।

(ख) संकलयाचक समुद्घययोधक यदि, तो; पर्याप्ति, तथापि; प्राप्ति; वाक्य के प्रारम्भ में ही आते हैं। जैसे—यदि तुम यह पुस्तक भाष्योलग्नत पढ़ जाओ तो एक से नये-नये शब्द जान जाओगे। पर्याप्ति वाल हीक थी तथापि उस समय थोलना उचित नहीं था।

(१४) वाक्य में जब कोई शाप्र दो बार आता है तब 'वीरता' कहलाता है जो सम्पूर्णता, एक कालीनता, निकटता, क्षेत्रलता आदि अर्थ का दोनों है। जैसे—

पर पर झोलत दीन दी, जन जन लौंचत जाय।

'वीरता'

मोट—जहाँ एक ही शाप्र दो बार लिखना होता है वहाँ लोग एक शाप्र लिखकर उसके आगे '२' लिख देते हैं पर यह

प्रयोग अच्छा नहीं है। कर्मी-कर्मी यह भ्रम में ढालनेवाला हो जाता है।

मेल Concord

पिछले प्रकरण में कहा जा चुका है कि वाक्यरचना के समय पदों के ऋग और सम्बन्ध पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पदों का ऋग जिस लिङ्ग से वैताया जाता है उसके सम्बन्ध में भी पिछले प्रकरण में थोड़ा यहुत प्रकाश ढाला जा चुका है। अब इस प्रकरण में पदों के सम्बन्ध के विषय में, जिसे मेल Concord कहते हैं, मोटी-मोटी बातें बतला दी जायेंगी।

प्रायः देखा जाता है कि हिन्दी के वाक्यों में कर्ता या कर्म-पद के साथ क्रिया-पद का, संज्ञा-पद के साथ सर्वनाम-पद का और सम्बन्ध के साथ सम्बन्धी-पद का और विशेष के साथ विशेषण का सम्बन्ध वा मेल रखता है। कुछ और शब्द भी आपस में सम्बन्ध रखते हैं जिन्हें 'नित्य सम्बन्धी' कहते हैं।

१—कर्ता, कर्म और क्रिया

(१) यदि वाक्य में कर्ता का कोई चिह्न प्रगट न रहे तो उसकी क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्ता के लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं चाहे कर्म किसी भी रूप में क्यों न रहे। जैसे—मोहन उहलता है। खियाँ स्नान करती हैं। मैं दोटी खाता हूँ इत्यादि।

(२) यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक चिह्न-रद्दित कर्ता 'और' या इसी अर्थ में प्रयुक्त किसी अन्य घोजक शब्द से मिले रहें तो क्रिया उसी लिंग के यहुवचन में होगी। भगव यदि उनके समूह से एक वचन का घोष हो तो

क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे—शतुर्न्तला, प्रियम्बदा और अनुस्था पुण्यशास्त्रिका में पौदों को सीधा रही थीं। राम, मोहन और हरगोविन्द आ रहे हैं। यदि यात सुनकर उन्हें दुःख और क्षोभ हुआ।

(३) यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक चिह्न-रहित कर्ता 'और' या इसी अर्थ में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से संयुक्त हों तो क्रिया व्यववचन होगी और उसका लिङ्ग अनिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे—एक गाय, दो घोड़े और एक वकरी मैदान में चर रही हैं।

नोट—(क) यदि वाक्य में दोनों लिंगों के एकवचन के चिह्न-रहित अनेक कर्ता 'और' या इसी अर्थ में व्यवहृत योग से मिले रहे तो क्रिया प्रायः व्यववचन और पुंलिङ्ग होगी। जैसे—थाघ और थकरी एक गाट पानी पीते हैं।

(ख) तीसरे नियम के अनुसार बने वाक्य में यदि अनिम कर्ता एकवचन में आये तो क्रिया भी प्रायः एक वचन में व्यवहृत हुआ करता है। जैसे—इसा की जीवनी में उनके हिसाय का खाता तथा डायरी नहीं मिलेगी।

परन्तु लोग प्रायः इस प्रकार के वाक्य लिखने में अनिम कर्ता अक्सर व्यववचन में लिखते हैं।

(४) यदि वाक्य में कई चिह्न-रहित कर्ता हों और उनके थीच में विभाजक शब्द आये तो उनकी क्रिया के लिंग और वचन अनिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे—मेरी गाय या उसके थील तालाय में पानी पीते हैं। निर्मल-कुमार या उसकी वहम जा रही है इत्यादि।

(५) यदि वाक्य में अनेक चिह्न-रहित कर्त्ताओं और उनकी क्रिया के बीच कोई समूहवाचक शब्द रहे तो क्रिया के लिंग और वचन समूहवाचक शब्द के अनुकूल होंगे। जैसे—युधक वृद्ध, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की सब के सब आमन्द से उन्मत्त हो उठे।

(६) यदि वाक्य में अनेक चिह्न-रहित कर्त्ता हों और उनसे यदि एक वचन का वोध हो तो क्रिया एक वचन में और बहुवचन का वोध हो तो बहुवचन में होगी—चाहे कर्त्ताओं और क्रिया के बीच समूह-सूचक कोई शब्द रहे या न रहे। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि यह नियम केवल अप्राणिवाचक कर्त्ताओं के लिए है; प्राणिवाचक के लिए नहीं। जैसे—आज उसे चार रुपये तेरह आने तीन पैसे मिले। इस काम को करने में कुल दो महीना और एक वरस लगा। विद्यालय के लिए दो हज़ार रुपया दान-स्वरूप मिला इत्यादि।

(७) जब अनेक संज्ञापै चिह्न-रहित कर्ता कारक में आकर किसी एक ही प्राणी वा पदार्थ को सूचित करती हैं तब क्रिया एक वचन में आती है। जैसे—वह राजनीतिश और योद्धा सन् १८९८ ई० में मर गया।

नोट—उपर्युक्त नियम पुस्तकों के संयुक्त नामों में भी लागू होता है। जैसे—‘धर्म और राजनीति’ किसका लिखा हुआ है।

(८) ग्रायः वाक्य में पहले मत्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष और अन्त में उत्तम पुरुष रहता है। जैसे—तुम, वह और मैं जाऊँगा।

(९) यदि वाक्य में चिह्न-रहित कर्ता तीनों पुरुष में आवे तो क्रिया के लिंग और वचन उत्तम पुरुष के लिंग और वचन

के अनुसार होंगे; यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष था अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष में आये तो भी उत्तम पुरुष के ही अनुसार होंगे और यदि केवल अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष में आये तो मध्यम पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे—तुम, वह और मैं जाऊँगा। तुम और मैं जाऊँगा। वह और हम जायेंगे। तुम और वह जाओगे।

(१०) आदर का भाव प्रदर्शित करने के लिए चिह्न-रहित कर्ता आगर एक वचन में भी हो तो उसकी क्रिया बहुवचन में होगी। जैसे—वह चले गये। मालूम नहीं, रामेश्वर वाकू अब तक क्यों नहीं आये हैं ?

(११) ईश्वर के लिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग ही अच्छा मालूम पड़ता है। जैसे—मैं अपनी निर्दोषता कैसे सिद्ध करूँ—ईश्वर ही इसका साक्षी है। ईश्वर, तू है पिता हमारा !

(१२) जहाँ-जहाँ वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ-वहाँ मुख्य कर्ता के ही अनुसार होती है—विधेय रूप में आये हुए अप्रधान कर्ता के अनुसार नहीं। जैसे—‘राम’ सूख कर ‘लाठी’ हो गया। ‘स्थर्णवता’ डर से ‘पानी’ हो गयी।

(१३) यदि वाक्य में एक ही कर्ता की दो या अधिक समापिका क्रियाएँ भिन्न-भिन्न कालों में या कोई अकर्मक और कोई सकर्मक हों तो कर्ता का चिह्न केवल पहली क्रिया के अनुसार आता है। जैसे—हरि ने दोपहर का खाना खाया और सो रहा।

(१४) किसी वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक क्रियाओं के समान कर्ता को कई बार नहीं लिखकर केवल एक बार लिखना चाहिये। जैसे—वह वरावर यहाँ आता जाता है।

(१५) कर्ता का चिह्न पूर्वकालिक क्रिया के अनुसार नहीं

आता । किसी धारण में पूर्वकालिक क्रिया का जो समापिका क्रिया का होगा । ऐसे—यह खाकर

(१६) यदि एक या अधिक चिह्न-रहित समानाधिकरण दाख रहे तो क्रिया उसके अनु ऐसे—खी और पुत्र कोई साथ नहीं आता । कंच दोनों ही लोगों को पागल घनाकर छोड़ती है ।

(१७) यदि धारण में कर्ता का 'ने' चिह्न और चिह्न प्रगट रहे तो क्रिया सदा एक व्यवन, पुंडिग में होगी । ऐसे—एक्षण ने यंशी को बजाया । वहन को दुलाया ।

(१८) यदि धारण में कर्ता का 'ने' चिह्न कर्म रहे पर उसका 'को' चिह्न प्रगट न रहे तो व्यवन और पुत्र कर्म के लिए, व्यवन और पुत्र के ऐसे—मीला ने राम के गले में जयमाल ढाल दिया । उसने बड़ी अर्द्धी शीत़ देखी इत्यादि ।

(१९) यदि धारण में कर्ता का 'ने' चिह्न रहे या दुग्धाद्या में रहे तो क्रिया रहा एक व्यवन अन्यपुत्र में आती है । ऐसे—मीला में कहा ॥ इत्यादि ।

(२०) विद्यांगक भंडा की क्रिया मी गहापत और अम्ब पुरुष में आती है । ऐसे—उसका जाना हुए हो दहलना हान्दायक है ।

(२१) अम्ब में अर्द्धी ला अर्द्धी है किंतु अन-

तो क्रिया पुंछिंग में व्यवहृत होती है। जैसे—शाखों में लिखा है। तुम्हारा सुनता कौन है? इत्यादि।

(२२) कुछ संशार्प केवल व्यवहरन में प्रयुक्त हुआ करती है। जैसे—उसके होश उड़ गये। मुफ्त में प्राण छूट गये। आँखों से आँसू निकल पड़े। तुम्हारे दर्शन भी बुर्लम हो रहे हैं। शत्रुओं के दाँत खट्टे हो गये। क्रोध से उसके ओढ़ फट्कने लगे। होश, प्राण, दर्शन, आँसू, ओढ़, दाँत आदि शब्द सदा व्यवहरन में प्रयुक्त होते हैं।

कर्मकारक और क्रिया के मेल के अधिकांश नियम कर्ता और क्रिया के मेल के सम्बन्ध में लिखे गये नियमों के ही समान हैं। संक्षेप में ये नियम यहाँ दिये जाते हैं।

(२३) कर्म के अनुसार होनेवाली क्रियावाले वाक्य में यदि एक ही लिंग और एक व्यवहरन के अनेक प्राणिवाचक चिह्न-रहित कर्मकारक आवें तो क्रिया उसी लिंग के व्यवहरन में आती है। जैसे—उसने घकरी और गाय मोल ली। मोहन ने अपना भतीजा और वेदा भेजे।

नोट—चिह्न-रहित कर्म कारक में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं आते।

(२४) उपर्युक्त नियम के अनुसार आये हुए कर्मों में यदि पृथकता का बोध हो तो क्रिया एक व्यवहरन में आवेगी। जैसे—मोहन ने एक भतीजा और एक वेदा भेजा। उसने एक गाय और एक घकरी मोल ली।

(२५) यदि वाक्य में एक ही लिंग और व्यवहरन के अनेक

चिह्न-रहित अप्राणिवाचक कर्म आये तो क्रिया एक घचन में आयेगी। जैसे—उसने सुई और कंधी खरीदी। राम ने पूल और फल तोड़ा।

(२६) यदि वाक्य में भिन्न-भिन्न लिंग के अनेक चिह्न-रहित कर्म एक घचन में रहे तो क्रिया पुंछिंग और यदुवचन में आयेगी। जैसे—मैंने बैल और गाय मोल लिये। मोहन ने सर्कास में घन्दर और वाघ देखे।

(२७) यदि वाक्य में भिन्न-भिन्न लिंगों और घचनों के एक से अधिक चिह्न-रहित कर्म रहे तो क्रिया के लिंग और घचन अन्तिम कर्म के अनुसार होंगे। जैसे—मैंने सुई, कंधी, दर्पण और पुस्तक मोल लीं।

(नोट—अंतिम कर्म प्रायः यदुवचन में आता है)

(२८) यदि वाक्य में कई चिह्न-रहित कर्म आये और ये विभाजक अन्यथ द्वारा छुटे रहे तो क्रिया अन्तिम कर्म के अनुसार होगी। जैसे—तुमने मेरी टोपी या ढंडा ज़हर लिया है।

(२९) यदि वाक्य में अनेक चिह्न-रहित कर्म से किसी एक घस्तु का घोष हो तो क्रिया एक घचन में आयेगी। जैसे—मोहन ने एक अच्छा मिथ और घन्दु पाया है।

(३०) यदि वाक्य में व्यवहृत कई चिह्न-रहित कर्म का कोई समानाधिकरण दाश्व रहे तो क्रिया समानाधिकरण दाश्व के अनुसार होगी। जैसे—उसने घन, जन, कुल, परिवार आदि सब कुछ स्थाप दिया।

(३१) चिह्न-रहित के कर्म में क्रिया मुख्य कर्म के अनुसार होती है। जैसे—मीरकासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनायी।

संज्ञा और सर्वनाम का भेल

(१) वाक्य में किसी सर्वनाम के लिंग और वचन उसी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं जिसके बदले में यह आता है, पर हाँ, कारकों में भेद हो जाता है। जैसे—लियाँ कहनी है कि हम गंगा-स्नान करने जायँगी। हरिगोपाल कहता है कि मैं पत्र सम्पादन करता सीखूँगा, क्योंकि मेरा इुकाय उस ओर अधिक है।

(२) यदि वाक्य में कई संज्ञाओं के बदले पक ही सर्वनाम पद हो तो उसके लिंग और वचन संज्ञा-पद-समृद्ध के लिंग और वचन के अनुसार होने। जैसे—शीतल और भागवत खेल रहे हैं परन्तु ये शीघ्र ही खाने को आयेंगे।

(३) 'तूँ' का प्रयोग अनादर और प्यार के अर्थ में किसी संज्ञा के पदले होता है। देवताओं के लिए भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे—मोदन, तूँ आज पढ़ने नहीं गया ? मन्त्रे ! तूँ ही मेरी हितकारिणी हो ! हा विधाता, तूँ ने यह क्या किया ? (तूँ की अगह तुम का भी प्रयोग होता है।)

(४) किसी संस्था या सम्भा के प्रतिनिधि, सम्पादक, प्रबन्धक और यह-यह अधिकारी 'मैं' के बदले 'हम' का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे—हम पिछले प्रकरणों में यह बात लिख चुके हैं। हम हिन्दू-सम्भा के प्रतिनिधि की हैसियत से इस प्रस्ताव या विरोध करते हैं।

(५) अधिक आदर का भाव प्रदर्शित करने के लिए 'आप' शब्द के बदले पुरुषों के लिए 'हमानिधान', 'इश्वर', 'महादाय', 'धोमान' आदि और महिलों के लिए 'धीमती', 'देवी' आदि

शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी व्यंग के मात्र में भी ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे—श्रीमान् की आशा शिरोधार्य है। देवी जी का जा रही है। हुजूर को सलाम। छानिधान के ही कारण मुझे यह दुःख भोगना पड़ा है (व्यंग मात्र) इत्यादि।

(६) यहों के सामने अपनी हीनता और हीनता दिखाने के लिप अथवा शिष्टाचार के नियमों के अनुसार उत्तम पुरुष सर्वनाम के बदले पुरुषों के लिप—दास, घन्दा, सेथक, अनुचर आदि और दियों के लिप—अनुचरी, दासी, संविका आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे—इस दास को याद रखियेगा। नाथ। इस दासी को मत भूलियेगा।

विशेषण और विशेष्य

(१) विशेषण के लिंग और वचन आदि विशेष्य के लिंग और वचन आदि के अनुसार होते हैं। यह विशेष्य के पहले रहे वा पीछे। यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि आकारांत विशेषण में ही विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है अन्यथा नहीं। जैसे—काली गाय चरती है। यह गाय काली है। यह अद्भुत जीव है। यह बालक बड़ा सुन्दर है इत्यादि।

नोट—सुन्दर, सुशील आदि कुछ ऐसे अकारान्त विशेषण हैं जिनमें विशेष्य के लिंग के कारण विकार उत्पन्न हो सकता है। लोग हँहें दोनों तरह से (विशृंत और अविशृंत) प्रयोग में लाते हैं। जैसे—सुन्दर बालक—सुन्दरी (सुन्दर) धालिका। सुशील बालक—सुशीला (सुशील) धालिका।

(क) प्रायः ऐसा भी होता है कि सुन्दर को सुन्दरी और सुशील को सुशीला कर देने से ये विशेषण से विशेष्य हो जाते

है। जैसे—सुन्दरी स्नान कर रही है। सुशीला धीरे-धीरे जा रही है। यहाँ सुन्दरी और सुशीला का अर्थ हुआ—सुन्दर लड़ी और सुशील लड़ी।

(१) प्रत्यय से यने बहुत से अक्षरान्त विशेषणों में भी विशेष के कारण विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे—मनोहर-मनो-हारिणी, भाग्यवान्-भाग्यवती इत्यादि।

(२) चिह्न-रहित कर्मकारक का विकारी विशेषण अगर विधेय के रूप में व्यवहृत हो तो उसके लिंग और वचन कर्म के लिंग, और वचन के अनुसार होने पर यदि कर्म का चिह्न प्रगट रहे तो विशेषण ज्यों का यर्थ रह जाता है अर्थात् विकल्प से बदलता है। जैसे—उसने अपने सिर की टोपी सीधी की। उसने अपने सिर की टोपी को सीधा (सीधी) किया इत्यादि।

(३) यदि एक ही विकारी विशेषण के अनेक विशेष हों, तो वह पहले विशेष के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता है। जैसे—सड़क पर छोटी-छोटी लड़कियाँ और लड़के खेलते हैं।

(४) यदि अनेक विकारी विशेषणों का एक ही विशेष हो तो वे सभी विशेष के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे—चमकीले और सुहावने दाँत।

(५) समय, दूरी, परिमाण, धन, दिशा आदि का बोध करनेवाली संशाओं के पहले जब संख्याधाचक विशेषण रहे और संक्षाओं से समुदाय का बोध न हो तो वे विहृत कारकों में भी प्रायः एक वचन के रूप में आती हैं। जैसे—चार मील की दूरी। पाँच हजार रुपये में इत्यादि।

नोट—चार महीने में, चार महीनों में, चारों महीने में और चारों महीनों में—इन चारों वाक्यांशों के अर्थ में थोड़ा भेद है। पहले में साधारण गिन्ती है, दूसरे में जोर दिया गया है और तीसरे तथा चौथे में समुदाय का अर्थ है।

(६) यदि क्रिया का साधारण रूप किसी संशा के आगे विधेय-विशेषण होकर आये और उससे सम्प्रदान या क्रिया की पूर्ति का अर्थ प्रदर्शित हो तो उसके लिंग और वचन उसी संज्ञ के लिंग और वचन के अनुसार होंगे जिसके साथ यह आया है। परन्तु यदि उससे उम संशा के सम्बन्धी का पोध हो तो उसका रूप ज्यों का त्यों रह जायगा। जैसे—घंटी यजानी होगी। रोटी खानी पड़ेगी। परीक्षा देनी होगी। व्यर्थ का कसम खाना छोड़ दो।

यहाँ पर 'रोटी खानी पड़ेगी' आदि वाक्यों में क्रिया सम्प्रदान या क्रिया की पूर्ति का अर्थ प्रदर्शित करती है परन्तु 'कसम खाना' में कसम सम्बन्ध कारक के देसा व्यवहृत हुआ है जिसका सम्बन्धी 'खाना' है अर्थात् 'कसम का खाना'। इसलिए पहले तीनों वाक्यों में विधेय-विशेषण क्रिया का रूप संशा के दृष्ट के अनुसार बदल गया है और अन्तिम वाक्य में ज्यों का त्यों रह गया है।

इस छठे नियम के सम्बन्ध में हिन्दी-ऐलकों में वहा मतभेद है पान्तु अधिकांश ऐलक इसी नियम को मानते हैं। आगु !

सम्बन्ध और सम्बन्धी

(१) सम्बन्ध के चिह्न में वही लिंग और वचन होंगे जो सम्बन्धी के होंगे। जैसे—राम की गाय, सोहन की छारी, रमेश घोड़े इत्यादि ।

(२) जिस प्रकार आकारान्त विशेषण में विशेष्य के अनुसार विकार उत्पन्न होता है उसी प्रकार सम्बन्ध कारक के चिह्न में सम्बन्धी के अनुसार विकार उत्पन्न होता है। जैसे—काली गाय; राम की गाय; अच्छी लड़की; मोहन की लड़की इत्यादि।

(३) यदि एक ही सम्बन्ध के कई एक सम्बन्धी हों तो सम्बन्ध के चिह्न में पहले सम्बन्धी के अनुसार विकार उत्पन्न होगा। जैसे—राम की गाय, घोड़े और बकरियाँ चरती हैं।

नित्य सम्बन्धी शब्द

बहुत से अव्यय, थोड़े से सर्वनाम और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बराबर एक सा सम्बन्ध रहता है। ऐसे शब्दों को नित्य सम्बन्धी शब्द कहते हैं। जैसे—जब-तब, इसमें जब के साथ तब का बराबर सम्बन्ध रहता है अर्थात् जब वाक्य में 'जब' का प्रयोग किया जायगा तब वहाँ 'तब' का भी प्रयोग होगा। जैसे—जब में वहाँ गया तब वह खा रहा था।

कुछ नित्य सम्बन्धी शब्द

(१) जब—तब। 'तब' के स्थान पर लोग 'तो' भी लिखते हैं पर ऐसा लिखना स्वटकता है।

(२) यद्यपि—तथापि। 'तथापि' की जगह 'किन्तु', 'परन्तु' आदि लिखना ठीक नहीं है। 'तो भी' लिखा जा सकता है। पर में 'यद्यपि' को 'यद्यपि' और तथापि को तद्यपि लिखते हैं। जैसे—यद्यपि वहाँ हैजे की बीमारी है तथापि (तो भी) मेरा वहाँ जाना अनिवार्य है।

(३) यदि—तो। 'तो' की जगह 'तब' लिखना ठीक नहीं है। 'यदि' की जगह 'जो' लिखा जा सकता है। जैसे—यदि आज

मोहन रहता तो यह यात होने ही नहीं पाती । जो मैं यह जान पाता कि तुम नहीं आसकोगे तो मैं स्वयं घर्हा पहुँच जाता ।

(४) जो—सो । लोग 'सो' की जगह 'घर' 'घरी' आदि लिखने लगे हैं । जैसे—जो खोजेगा घर पाचेगा । जो देखेगा सो हंसेगा रुद्यादि ।

(५) जहाँ—तहाँ । 'तहाँ' के बदले में 'घराँ' का भी प्रयोग होता है । जैसे—जहाँ छमा तहाँ आप—जहाँ छमा है घराँ इश्वर है ।

मोट—कभी-कभी नित्य सम्बन्धी शब्द गुप्त भी रहते हैं । जैसे—आप आरेयगा तो देखा जायगा । इस वाक्य में 'यहि' शब्द छिपा हुआ है । उसी प्रकार से—(जय) आप आ गये तथ यथा होता है रुद्यादि ।

अध्यादार

अध्यादार—कभी-कभी वाक्य में संक्षेप अथवा गौरव लाने के लिए कुछ देसे शब्द छोड़ दिये जाते हैं जो वाक्य का अर्थ लगाते समय सहज में ही समझ में आ जाते हैं । इस प्रयोग को अध्यादार कहते हैं । जैसे—हमारी () सुनता कौन है ! इस वाक्य में हमारी के बाद 'बात' शब्द गुप्त है ।

अध्यादार दो तरह के होते हैं—पूर्ण और अपूर्ण ।

पूर्ण अध्यादार—पूर्ण अध्यादार में छोड़ा हुआ शब्द पहले कभी नहीं आता । जैसे—उसने मेरी () एक भी नहीं उनीं ।

अपूर्ण अध्यादार—अपूर्ण अध्यादार में ऐसा हुआ शब्द पहले वार पहले आ चुकता है । जैसे—मुझे कलम की उतनी आवश्यकता नहीं छिनती पैसिल की () ।

पूर्ण अध्याहार का प्रयोग

(१) देखना, कहना और सुनना। क्रियाओं के सामान्य वर्तमान और आसन्न भूतकाल में कभी-कभी कर्ता लुप रहता है। जैसे— कहते हैं कि स्थीरेन मैं कभी-कभी आधीरात में सूर्य दिखाई पड़ते हैं। सुनते हैं कि संसार मैं फिर लड़ाई छिड़नेवाली है। कहा भी है कि जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कहि। देखते हैं कि अब लैम्प में तेल नहीं है इत्यादि।

(२) विधि क्रिया में कर्ता अक्सर लुप रहता है। जैसे—() पथारिये। () सुनिये तो सही।

(३) जहाँ प्रसंग से यात समझ में आ जाय वहाँ कर्ता और सम्बन्ध कारक की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे—अक्षर यहाँ ही प्रभावशाली सम्भाट् था। () हिन्दू मुसलमान दोनों को एक नज़र से देखता था। () राजधानी दिल्ली थी।

(४) सम्बन्धवाचक, क्रियाविशेषण और संकेतसूचक समुद्दयबोधक अवयवों के साथ अगर होना, हो सकना, बनना, घन सकना आदि क्रियाएं हों तो उनका उद्देश्य अक्सर लुप रहता है। जैसे—

जैसे () यने समझा थुक्का कर धैर्य सब को दीजिए।

जहाँ तक () हो मुझे जल्द खबर देंगे। जयद्रव वष

(५) जानना क्रिया के सम्भाव्य भविष्यत्काल का कर्ता अगर अन्यपुरुष हो तो यह प्रायः लुप रहता है। जैसे—उसके हृदय में () न जाने क्या-क्या भाव उठ रहे होंगे।

(६) छोटे-छोटे प्रश्नवाचक या अन्य वाक्यों में जब कर्ता का अनुमान क्रिया के रूप से लग जाय तो कर्ता को लोप कर सकते हैं। जैसे—क्या घर जाओगे ? हाँ, जाना ही ठीक है।

(७) जिन सरलमंह क्रियाओं के अर्थ में व्यापकता हो उनका कार्य लुप्त रहता है। जैसे—मोहन () पढ़ रहता है पर () लिख नहीं सकता।

(८) विशेषज्ञ अपना सम्बन्धकारक के बाद थात, हाल और सङ्क्षिप्त आदि अर्थशास्त्रे विशेष अथवा सम्बन्धी का लोग दो जाना है। जैसे—आगर मेरी और आपकी () अच्छी निमी तो कुछ दिन चैन सं कट जाएंगे। जहाँ आप विद्यमान ही हैं यहाँ की () पद्य कहनी है ?

(९) कहावतों में, निर्गंधयाचक विधेय में तथा उद्गार में 'होना' क्रिया का घर्तमानकालिक रूप प्रायः लुप्त रहा करता है। जैसे—मैं यहाँ जा नहीं सकता ()। दूर के ढोल सुहायने ()। महाराज की जय ()।

(१०) कभी कभी अटिल वाक्य में 'कि' शब्द लुप्त रहता है। जैसे—पता नहीं () परीशाफल कब तक निकलेगा।

अपूर्ण अच्याहार का प्रयोग

(१) एक वाक्य में कर्ता का उल्लेख कर दूसरे वाक्य में उसका लोप कर सकते हैं। जैसे—महेन्द्र इतना असावधान लड़का है कि () रोज़ एक न एक चीज़ खो देता है।

(२) यदि एक वाक्य में चिह्न-सहित कर्ता आवे और दूसरे में चिह्न-रहित तो पिछले कर्ता की आवइयकता नहीं रहती। जैसे—गुणानन्द ने पढ़ना छोड़ दिया और () घर जाकर खेतों परने लगे।

(३) जब अनेक कर्ताओं की एक ही सहायक क्रिया रहे तो उसे घार-घार नहीं लिख कर अन्तिम क्रिया के साथ लिखते

है। जैसे—संयमपूर्वक रहने से मन प्रसन्न रहता, शरीर की वृद्धि होती और वीमारी का शिकार नहीं बनना पड़ता है।

(४) सम्मत प्रदर्शित करनेवाले वाक्यों में उपमायाले वाक्यों के उद्देश्य के प्रायः सभी शब्द लोप कर देये जाते हैं। जैसे—उसका शरीर वहाँ ही भयझूर है मानो राक्षस।

(५) प्रश्नयाचक वाक्य के उत्तर में प्रायः यहीं शब्द रह जाता है जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है। जैसे—मेरी पुस्तक कहाँ है ? आलमारी में। क्या आप खायेंग ? हाँ, खाऊँगा।

जिस प्रकार कभी-कभी वाक्य में शब्दों का लोप हो जाता है उसी प्रकार प्रत्ययों का भी लोप हो जाता है। जैसे—मोहन खापीकर निश्चिन्त हो गया। कोई देखने और सुननेयाला हो तब तो इत्यादि ।

आध्याहार के प्रयोग से वाक्य संशोप तो हो ही जाता है साथ ही मापा का सौष्ठुव भी यह जाता है; इसलिए अच्छे-अच्छे लेखक इसके प्रयोग पर विशेष ध्यान देते हैं।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो ।

Correct the following :—

हम, तुम औं औ वह जायगा । छोटे लड़के लड़कियाँ खेलते हैं । उसने नर्धा रीतियों को चलायी । उसकी यात पर मोहन हँस दिया । दङ्गे में यालक, युवा, नर, नारी, सब पकड़ी गयी ।

(Matriculation 1920)

२—नीचे के शब्दों को इस प्रकार योगाओ कि एक पूर्ण वाक्य बन जाय ।

Arrange the following words so as to make complete sentence.

(क) राज्य किया, ने, सम्राट् अशोक, तक, घर्ष, चारीस

(ख) महाकवि, ने, रामायण, किया, संसार का, तुलसी
दास, की, रचनाकार, उपकार, घर्ष।

(ग) कहते हैं, टापू, जिसके, पानी, चारोंओर, रहे, उसे।

(घ) है, लप्पन, द्वालैण्ड, राजधानी की।

(ङ) पहाड़, से, हिमालय, नदी, गङ्गा, निकलकर, पहाड़
की, गिरती है, में, खाड़ी।

(३) नीचे लिखे धार्वद-समूह में परस्पर क्या भेद है।

What is the difference among the following sentences—(१) मैं भी यहाँ जाने को तैयार हूँ। (२) मैं
यहाँ भी जाने को तैयार हूँ। (३) मैं यहाँ जाने को भी तैयार हूँ।

पष्ट परिच्छेद

विराम-विचार (Punctuation)

पद, वाक्यांश अथवा वाक्य बोलते समय थीच-नीच में कुछ देर के लिए ठहरना आवश्यक हो जाता है। इस ठहराव को विराम कहते हैं। पद, वाक्यांश अथवा वाक्य लिखते समय जहाँ ठहराव की आवश्यकता देखी जाती है वहाँ कुछ चिह्न लगाया जाता है। ऐसे चिह्न विराम-चिह्न कहलाते हैं। विराम-चिह्नों को बिना लगाये वाक्य के अर्थ स्पष्ट-रूप से समझ में नहीं आते। कभी-कभी तो बिना विराम-चिह्नों को लगाये हुए वाक्यों को समझने में ऐसा गड़बड़ाला उपस्थित हो जाता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वाक्यरचना के अभ्यास के साथ-साथ विराम-चिह्नों को उपयुक्त स्थानों पर लगाने का भी अभ्यास करना ज़रूरी है। आजकल साधारणतः हिन्दी में नीचे लिखे विराम-चिह्नों का प्रयोग होता है।

अल्पविराम या कोमा=(,)

अद्विराम या सेमीकोलोन=(;)

पूर्णविराम या पार्न=(!)

प्रश्नवोधक चिह्न=(?)

विस्मयादिवोधक=(!)

उत्तरण = ('), (" ")

कोलोन और डैश = :—

यिमाजन = (-)

नोट—सम्बोधन के चिन्ह के लिए कहीं-कहीं अल्पविराम (,) और कहीं-कहीं विस्मयादियोधक (!) का प्रयोग करते हैं औंगरेज़ी में टहराव का एक चिन्ह कोलोन (:) कहा जाता है दिन्दी में अकेले कोलोन का प्रयोग नहीं होता। कोलोन के साथ डैश (—) का भी प्रयोग होता है।

अल्पविराम (Comma)

वाक्य पढ़ते समय जहाँ-जहाँ थोड़ी-थोड़ी देर छहरने की ज़रूरत पढ़ती है वहाँ-वहाँ अल्पविराम (Comma) लगाते हैं। प्रायः निम्नलिखित अवसरों पर अल्पविराम लगाने की आवश्यकता देखी जाती है—

(१) जब किसी वाक्य में कई पद, वाक्यांश या खंडवाक्य एक ही रूप में व्यवहृत हों तो अन्तिम पद आदि को उोड़कर शेष के आगे अल्पविराम लगाते हैं और अन्तिम पद, वाक्यांश आदि के पहले 'और', 'या' आदि समुच्चय रखते हैं। मगर जब अन्तिम पद आदि के आगे 'इत्यादि', 'आदि' शब्द रहे तो उसके पहले समुच्चय की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे—पृथ्वी, बुध, शनि आदि उपमह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। विद्या पढ़ने से अनान दूर होता है, धन मिलता है और सभी जगह आदर होता है।

(२) वाक्य के अन्तर्गत जब कोई पद, वाक्यांश या खंड-वाक्य आकर वाक्य के अन्वय को अलग कर दे तो वेसे पद, वाक्यांश या खंडवाक्य के दोनों ओर अल्पविराम लगता है। वेसी

जगहों में कभी-कभी दैशा (—) का भी प्रयोग होता है। जैसे—मेरे एक मित्र ने, स्वास में भी मुझे ऐसी आशा नहीं थी, मेर साथ घड़ा विश्वास धात किया है। आज मैंने गंगा तट पर—जब मैं टहल रखा था—एक अजीब चीज़ देखा।

(३) अर्थ में याधा उपस्थित करने के अभिप्राय से भी अस्य-विराम लाते हैं। जैसे—राम, चाहे कैसा ही विश्वासधाती क्यों न हो, आखिर मेरा मित्र ही है।

(४) सम्बोधन-पद के आगे भी अस्यविराम का प्रयोग किया जाता है पर जब पद में विशेष रहता लानी हो तो अस्यविराम के बदले विस्मयादि-बोधक चिह्न भी लगते हैं। जैसे—मोहन, आज टहलने चलोगे या नहीं? और दुष्ट! तेरा मैंने क्या बिगड़ा था?

(५) यास्य में जब नित्य सम्बन्धी के जोड़े का अन्तिम शब्द लुम रहे तो वहाँ भी अस्यविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे—अगर यह बात मुझे पहले मालूम रहती, मैं कभी वहाँ नहीं आता।

(६) कोई-कोई समुच्चयसूचक शब्द 'कि' के आगे अस्य-विराम लगते हैं। जैसे उसने देखा कि, याम में गुलाब के फूल खिल रहे थे। परन्तु यह प्रयोग टीक नहीं है। हाँ, जब 'कि' के पास किसी की उक्ति अवतरण चिह्नों के थीं वह रहे या 'कि' लुम रहे तो कोमा लगाना आवश्यक हो जाता है। जैसे—मैं जानता हूँ, यह घड़ा दीतान है, मोहन ने कहा कि, "मैं किसी भी दृश्यत में उस पर विश्वास नहीं कर सकता।"

(७) अगर यास्य के आरम्भ में आनेवहें पद, याक्षणंश या धार्य-खण्ड पूर्व घण्ठित विषय के साथ सम्बन्ध रखता हो

तो उसके आगे अल्पविराम लाते हैं। जैसे—जोहो, यह प्रयोग उत्तम है। हाँ, इसका समर्थन मैं भी कर सकता हूँ।

(c) क्योंकि, परन्तु, किन्तु, इसलिए आदि के आगे भी अल्पविराम लाते हैं। जैसे—मैं वहाँ नहीं गया, इसलिए सब काम मिट्ठी हो गया।

अर्हुंविराम (Semi-colon)

जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक काल तक छहरने की ज़रूरत पड़े और जहाँ एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ दूर का सम्बन्ध दरसाना हो, वहाँ अर्द्धविराम (;) का प्रयोग किया जाता है। यहुत से लेखक अर्द्धविराम का प्रयोग नहीं करते हैं और इसकी जागह अल्पविराम और पूर्णविराम से ही काम चला लेने हैं, इसलिए हिन्दी के विगम-विद्यार में इसको विशेष महत्व नहीं दिया गया है।

अर्द्धविराम का प्रयोग—प्रतिदिन पाठशाला जाया करो, पाठ पाठ किया करो; मन्यम से रहो; इसी मैं भलार है।

पूर्णविराम (Full-stop)

जहाँ एक वाक्य समाप्त हो वहाँ पूर्णविराम या पार (.) का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण वाक्य के अस्तांग अल्पविराम, अर्द्धविराम आदि चिन्ह भी आंगे हैं। जैसे—महाराष्ट्री विभटोरिया ने, अपने पचास वर्ष के गजन्यकाल में, अपनी प्रजा को प्रसान्न रखने की भाग्यपूर कोशिश की। प्रजा को दुःख न हो; गाय में कटी शान्ति-संग न हो; इसका वायर रथान रक्षा।

प्रश्नस्थोधक चिह्न (Note of Interrogation)

प्रश्नगृहण वाक्य के अन्त में पूर्णविराम की जगह प्रश्नोपरा-

चिह्न (?) का प्रयोग किया जाता है। जैसे—क्या सचमुच तुम नहीं खाओगे ?

विस्मयादिवोधक (Note of Admiration)

विस्मय, हर्ष, विपद्, करुणा, आश्चर्य, भय आदि मनोवृत्तियों को प्रगट करने के लिए पद्, वाक्यांश या वाक्य के अन्त में विस्मयादिवोधक (!) चिह्न लगाया जाता है। जैसे—ओह ! कैसी दर्दनाक हालत है ! देखो तो, किस बहादुरी से यह गङ्गा पार हो गया ! इत्यादि ।

उद्घरण चिह्न (Inverted Commas)

जहाँ किसी दूसरे वाक्य या उक्ति को ज्यों का खो—उद्घृत करना होता है वहाँ उद्घरण (" ") चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जब किसी की उक्ति के अन्तर्गत किसी और दूसरे को उक्ति को उद्घृत करने की आवश्यकता पड़ जाय तो (' ') इस प्रकार का चिह्न लगाते हैं। जैसे—इतिहास में लिखा है, ‘नेपो-लियन बड़ा वीर था। जब वह अपनी सेना से एक बार कढ़ककर कहता था, ‘तैयार हो जाओ’ तो बायुमंडल गूँज उठता था।’

कोलोन डैश (Colon-dash)

(निर्देशक)

जहाँ पर किसी विषय पर विशेष प्रकाश ढालने के लिए उदाहरण या व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कोलोन डैश (:—) का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप सम्बन्धी लेख में भी कहनेवाले के आगे इस चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे—राजा दशरथ के चार पुत्र थे :—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्नि ।

शाशि—कहाँ तक जाना होगा ।

तारा—मोहन के द्वेरे तक ।

नोट—कोलोन डेश के बदले केवल इंद्रा (—) का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोर्ट-कोर्ट केवल कोलोन (:) का भी प्रयोग करते हैं, पर दिन्दी में ऐसा प्रयोग कम देखा जाता है।

विभाजन (Hyphen)

जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों को संयुक्त करएक पढ़के रूप में लिखना हो वहाँ विभाजन (-) चिह्न लाते हैं। जैसे—घन-जन सभी का हास हो रहा है। मैं उसे भली-माँति पहचानता हूँ।

इन चिह्नों के अतिरिक्त दिन्दी में और भी बहुत से चिह्न प्रयुक्त होते हैं। जैसे—कोषुक () आदि ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे गए में यथास्थान विरामादि चिह्नों को लगाओ ।

Punctuate the following:—

सुनोगी पपा हुआ आह स्मृति मात्र से हृदय में आग जल उठी उसकी जीवित ज्वालाएं अपने पञ्चों को बिकराल रूप से बढ़ाये आ रही हैं स्त्रानि धिक्कार और कोष की मिली दुरंस दाहण चोटों से इतना निर्यल हो रहा है कि तड़पने की हविस रखकर भी पक बार तड़प नहीं सकता क्या बताऊं लक्षों कहते नहीं बनता मगर चाहे जिस तरह हो कहना ही पड़ेगा दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

('चाँद' से चिह्न रहित कर उदृश्यत)

सप्तम परिच्छेद

वाक्य-रचना का अभ्यास

परिवर्तन (Conversion)

वाक्य-रचना करते समय पहले बताये गये नियमों पर ध्यान रखते हुए इस बात की पूरी कोशिश करते रहना चाहिये कि वाक्य-रचना के नियमों को नियाहते हुए भी वाक्य मधुर और आकर्षक रहे। वाक्य को मधुर और आकर्षक बनाने के लिए पद, वाक्यांश और खण्डवाक्य के प्रयोग में पूरा अभ्यास रहने की आवश्यकता है। यों तो साधारणतः वाक्य कसा हुआ और गठीला होना ही चाहिये; पर कहीं-कहीं प्रायः देखा जाता है कि अभिग्राह को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य में सरलता लाने के लिए, उसे शिथिल करना भी ज़हरी हो जाता है। सारांश यह है कि आवश्यकना देखकर वाक्य को बढ़ा या कस देना चाहिये। इसके लिए पद, वाक्यांश और खण्डवाक्य में परस्पर परिवर्तन करना पड़ता है एवं वाक्य को कभी विस्तृत, कभी संकुचित, कभी पृथक् और कभी संयुक्त करना पड़ता है।

पद, वाक्यांश और खण्डवाक्य (Words, Phrases and Clauses)

पद, वाक्यांश और खण्डवाक्य को आपस में परिवर्तन

करना समास, शुद्धन्त और तस्विरतान्त पर अधलम्बित रहता है। परिवर्तन करते समय इस थात पर घरायर ल्यान रहे कि अर्थ किसी तरह की धाधा न पड़े।

(क) पद का याक्षरांग और याक्षरांग का पद

सामासिक पद, शुद्धन्त और तस्विरतान्त पद को याक्षरांग और याक्षरांग को सामासिक पद, शुद्धन्त और तस्विरतान्त परिवर्तित कर सकते हैं।

पद का याक्षरांग

प्रेषण-विणु के उपायक।

लम्पप्रतिष्ठ-प्रतिष्ठा प्राप्त किये हुए।

आपाद्यप्सनक-पैर से सिर तक।

राजनीतिश-राजनीति जानने याते।

दार्ढनिक-दृढ़नदार्ढ जाननेयाते।

याक्षरांग का पद

निन्दा करने योग्य-निन्द्य।

यिगान जाननेयाते-यिगानिक।

तेज़ चलनेयाता-त्रुतगामी।

(ग) पद का गंदवाक्य और लंदवाक्य का पद
पद का लंदवाक्य

जो-जो दिव का उपायक है।

आज्ञानुशास्त्र-ज्ञय तत्त्व जिसकी मुक्ता होती है।

घन रान-जिसकं पात घन है।

विषवा-जिस र्वा को पति नहीं है।

दयातु-जो दया ने दृष्टि होता है।

मरुताप-जिसका आग्रह मरान है।

खंडवाक्य का पद

जो दुःख देना है—दुःखद ।
 जो विदेश का है—विदेशी ।
 जिसके पास विद्या है—विद्वान् ।
 जो दूसरे का उपकार नहीं मानता—कृतज्ञ ।

(ग) वाक्यांश का खंडवाक्य और
खंडवाक्य का वाक्यांश

वाक्यांश का खंडवाक्य
 मेरे घर्हाँ जाते ही—जब मैं घर्हाँ जाना हूँ ।
 उसके आने पर—जब पंह आयगा या आया ।
 शक्ति से परे—जो शक्ति से बाहर है ।
 लक्ष्मी के लाडिले—जो लक्ष्मी के लाडिले हैं ।

खंडवाक्य का वाक्यांश

जब वर्षाकृतु समान होगा—वर्षाकृतु के समान हो जाने पर।
 जो अभिमान करता है—अभिमान करनेवाला ।
 जिसे धुर्दि और घल है—धुर्दि-घल वाला ।

मिश्रित उदाहरण

पद	वाक्यांश	खंडवाक्य
घमंडी	घमंड करनेवाला	जो घमंड करता है ।
गणितज्ञ	गणित ज्ञाननेवाला	जो गणित ज्ञानता है ।
देखनक	देखनेवाला	जो देखता है ।
प्रशंसनीय	प्रशंसा के योग्य	जो प्रशंसा के योग्य है ।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे पदों को वाक्यांश और संहिताक्य दो में परिणत करो ।

Turn the following words into phrases and clauses.

एतत्, अनिर्वचनीय, नास्तिक, जिनेन्द्रिय, शास्त्रीय, वैयाकरण स्वदेशी ।

(२) नीचे लिखे वाक्यांशों या संहिताक्यों का एकरूप पद बनाओ ।

Turn the following phrases and clauses into words.

जो न्याय अच्छा जानता है । लोक के पाहर । जो स्वभाव से विरुद्ध हो । गुहफर्म से विमुख । जिसकी प्रशंसा सभी करते हैं । जिसका शब्द ही उत्पन्न नहीं हुआ हो । जब तक जीवन रहेगा । आदर के सहित । पैर से सिर तक ।

वाक्य-संकोचन और सम्प्रसारण

(The contraction and expansion of sentences)

अर्थ में बिना किसी प्रकार का भेद उत्पन्न किये अनेक पदों से बने वाक्य के भाव को थोड़े ही पदों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को वाक्य-संकोचन-विधि कहते हैं । ठीक इसके विपरीत थोड़े से पदों के बने वाक्य के भाव को और भी स्पष्ट करने के लिये उसे अनेक पदों में प्रकाशित करने की विधि को वाक्य-सम्प्रसारण-विधि कहते हैं । वाक्यरचना करते समय यह सदा ध्यान में रहे कि वाक्य सरल हो, सुगमता से समझ विषय और व्यर्थ पद वाक्य में व्यवहृत न हों । वाक्य को

गठीला और रोचक बनाने के लिए ही वाक्य-संकोचन की आवश्यकता पड़ती है और स्पष्ट भाव दरसाने के लिए वाक्य-सम्प्रसारण की । इसलिए जब वाक्य में फाजिल पदों का व्यवहार किया गया हो तो उन पदों को दृढ़ाकर कंबल उपयुक्त पदों की स्थापना के लिए वाक्य-संकोचन-विधि का जानना आवश्यक है । साथ ही ऐसे वाक्य को जिससे भाव स्पष्टतः नहीं झलकता हो, अगर आवश्यक हो तो दो-एक पद और बढ़ाकर भी, अर्थ स्पष्ट करने के निमित्त वाक्य-सम्प्रसारण-विधि का भी जानना ज़रूरी है । दोनों विधियों के प्रयोग के समय ध्यावर यह ध्यान में रखना चाहिये कि वाक्य के अर्थ में विभिन्नता न होने पाये अन्यथा सब गुड़ गोवर हो जायगा ।

(क) वाक्य-संकोचन-विधि

यो तो अर्थ में बिना वाधा हाले किसी वाक्य के संकुचित करने के भिन्न-भिन्न तरीके अल्लियार किये जा सकते हैं पर यहाँ पर मुख्य दो तरीके दरसाये जाते हैं ।

(१) वाक्य में घटहृत कर समापिका क्रियाओं को अस-मापिका या पूर्वकातिक क्रिया में बदलकर वाक्य संकुचित किया जा सकता है । जैसे—मास्टर साहब आये और फिर घले गये—मास्टर साहब आकर फिर घले गये ।

मैं पुलवाहा ही गया और गुलाब के पूल तोड़े—मैं ने पुलवाहो आकर गुलाब के पूल तोड़े ।

(२) आनुपेंगिक वाक्य, वाक्यांश या कर पदों के बदले एक समाप्तिक, प्रत्ययान्त या अस्पष्ट का प्रयोग करने से वाक्य संकुचित किया जाता है । जैसे—

जैसा मी हूँ यैसा यह है—मेरे जैसा यह मी है।

जैसा काम किया यैसा कल्प मिला—जैसी करनी चैसा कल।
जिसे भूख लगी है उसे भोजन दो—भूखे को भोजन दो।
विषु भगवान् के चार भुजा हैं—विषु भगवान् चतुर्मुखी है।
उसने ददों इन्द्रियों को यश में कर लिया है—यह जितेन्द्रिय है।
उसकी आखें मृगा की आखों के समान हैं—यह मृगानीनी है।

(र) वाक्य-सम्प्रसारण-विधि

वाक्य-संकोचन-विधि के विपरीत नियमों के द्वारा ही वाक्य का सम्प्रसारण कर सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान में रहना चाहिये कि वाक्य का विस्तार करते समय अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। विशेषकर यह देखना चाहिये कि किसी एक वाक्य में दो पूर्वकालिक क्रियाओं का व्यवहार भरपूर नहीं होना चाहिये। इससे वाक्य सुनने में उसट मालूम पड़ता है। जहाँ इस प्रकार का प्रयोग हो वहाँ वाक्य को खंड-खंड कर देना ही ठोक है। जैसे—‘मोहन राम की बात सुनकर कोधित होकर योला’—की जगह ‘सोहन ने राम की बात सुनी और कोधित होकर योला’ ही लिखना अधिक अच्छा मालूम पड़ता है। फिर एक ही वाक्य में एक ही संज्ञा का वार-वार प्रयोग भी अच्छा नहीं ज़न्दगी है, इसलिए एक संज्ञा को छोड़कर शेष के लिए सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिये। जैसे—ज्यों ही मोहन ने मोहन को पुस्तक आलमारी से निकालकर पढ़ना शुरू किया त्यों ही मोहन को किसी ने बुला लिया’—वाक्य में एक ‘मोहन’ को छोड़कर शेष ‘मोहन’ के बदले सर्वनामों का प्रयोग करने से वाक्य में लालित्य आ जायगा। अर्थात् ज्यों ही मोहन ने अपनी आलमारी से पुस्तक निकालकर पढ़ना शुरू किया त्यों ही किसी

ने उसे छुला लिया । अस्तु । वाक्य सम्प्रसारण के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

- (१) चैतन्य वैष्णव थे—चैतन्य विष्णु के उपासक थे ।
- (२) पढ़ना लाम्प्रद है—पढ़ने से लाभ होता है ।
- (३) गरीब को धन दो—जो गरीब है उसे धन दो ।
- (४) वहाँ का हृदय बहा हृदय विदारक था—वहाँ का हृदय हृदय को विदीर्ण करनेवाला था ।

अभ्यास

- (१) नीचे लिखे वाक्यों का विस्तार करो ।

Expand the following sentences.

आकाश अनन्त है । रामचन्द्र शैव थे । यह कार्य अनिवार्य है । यह वात सुनकर मुझे अनिर्वचनीय आनन्द मिला । यह शरीर दृष्टि-मंगुर है । संसार परिवर्तनशील है । सागर अथाह है ।

पढ़े लिखे को सभी प्यार करते हैं । नास्तिक पाप-पुण्य नहीं मानता ।

- (२) नीचे लिखे वाक्यों को संकुचित करो ।

Contract the following sentences.

पृथ्वी पर मिलनेवाला सुख कुछ ही देर ठहरता है । दशों दिशाओं को जीतनेवाला रायण शिव का उपासक था । वह विष्णु के उपासकों का संहार करनेवाला था । जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है वह आदर के योग्य है । जिस जमीन में धीज लगता ही नहीं उसमें धीज योना व्यर्थ है । जहाँ चालुओं की राशि है वहाँ ऊँट वहा॒ लाभ पहुँचानेवाला होता है ।

वाक्यों का संयोजन और विभाजन

(The Combination and Regulation of sentences)

वाक्यों का संयोजन करते समय पहले यताये हुए वाक्य-संकोचन-विधि पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि दोनों की विधियाँ करीय-करीब समान ही हैं। वाक्य संकोचन और वाक्य संयोजन में केवल इतना ही भेद है कि वाक्य-संकोचन में एक विस्तृत वाक्य को संकुचित करना होता है और वाक्य-संयोजन में वाक्यसमूह को मिलाना होता है।

नियम—आर्थ में यिन्हा किसी प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न किये ही समापिका क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदल देने से वाक्यों के उभयनिष्ट या मिलते-जुलते शब्दों को पक ही बार प्रयुक्त कर देने से, अव्यय के प्रयोग से, वाक्यों के शब्दों को आवश्यकता अनुसार उलट-फेर करने से तथा वाक्यों को पद, वाक्यांश या आनुपंगिक वाक्य बना देने से वाक्यसमूह को मिलाया जाता है।

उदाहरण—
(क) सुमापिका क्रिया को असुमापिका बनाने से तथा मिलते-जुलते को एक ही बार प्रयुक्त करने से—

वा० सं०—राम ने राघव को मारा। राम ने सीता को रावण के पाश से मुक्त किया।

संयोजित वा०—राम ने राघव को मारकर सीता को उसके पाश से मुक्त किया।

वा० सं०—सप्ताह अक्षय ने उन्चास धर्य तक राज्य किया। सप्ताह अक्षय ने प्रजा का पालन भलीभांति किया।

संयोजित था०—सप्राद् अक्षर ने उनचास घर्ष तक राज्य कर प्रजा का पालन भलीभाँति किया ।

(र) अध्यय के प्रयोग से

था० सं०—मैं स्टेशन पर गया । गाड़ी आ गयी ।

सं० था०—ज्यो ही मैं स्टेशन पर गया गाड़ी आ गयी ।

था० सं०—यह धनी है । वह अभिमानी नहीं है । उसका स्वभाव धड़ा सरल है ।

सं० था०—यद्यपि वह धनी है तथापि अभिमानी नहीं वरन् सरल स्वभाव का है ।

(ग) उलट फेर से—वाक्यों को पद, वाक्यांश आदि बनाकर—

था० सं०—श्रीनारायण मेरे भाई हैं । वे भागलपुर कालेज में पढ़ते हैं । इस साल थी० प० में हैं । मुझ से बड़े हैं । घर रत्नेश है । रत्नेश मुंगेर जिले में है ।

सं० था०—मुंगेर ज़िलान्तर्गत रत्नेश गाँव के मेरे बड़े भाई श्रीनारायण भागलपुर कालेज में थी० प० में पढ़ते हैं ।

था० सं०—सप्राद् अशोक मगध के राजा थे । उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी । पाटलिपुत्र गङ्गा और सोन के संगम पर बसा हुआ था । अब भी उस प्राचीन नगरी का भम्नाचशोप कुम्हरार नामक स्थान में पाया जाता है । कुम्हरार गुलजारबाग स्टेशन के निकट है ।

सं० था०—गङ्गा और सोन के संगम पर धसी हुई पाटलिपुत्र नगरी मगध देश के राजा सप्राद् अशोक की राजधानी थी

जिसका भम्नायदोप गुलजार्याग स्टेशन के निकट कुम्हगढ़ नामक स्थान में पाया जाता है।

वा० सं०—कामता इंगलैण्ड चले गये। वे कैसरे हिन्द नामक जहाज पर गए हैं। कदाचित् समाजशास्त्र पढ़े गए।

सं० वा०—कामता कदाचित् समाजशास्त्र पढ़ने के लिए कैसरे हिन्द जहाज पर इंगलैण्ड गये हैं।

वाक्य-विभाजन

वाक्य-संयोजन के विपरीत नियमों के अनुसार मिलित-वाक्य को अनेक वाक्यों में बदला जा सकता है—

मिलित वाक्य—

आकाश में बादल के छा जाते ही
मोर उन्मत्त होकर नाच उठे।
वधिक की बीणा का शब्द सुनते
ही मृगा सुध-सुध खोकर चारों
ओर उस स्वर-लहरी की खोज
में दौड़ने लगा।

रात्रि हो जाने पर आकाश में
तारे टिमटिमाने लगे।

ज्यों ही घद याग में जाकर^१
चुपचाप पूल तोड़ने लगा माली
ने उसे देख लिया।

विभक्त वाक्य—

आकाश में बादल छा गया।
मोर उन्मत्त होकर नाच उठे।
मृगा ने वधिक की बीणा का
स्वर सुना। सुध-सुध दो
दिया। चारों ओर उसी स्वर-
लहरी की खोज में दौड़ने लगा।

रात्रि दुर्र। आकाश में तारे
टिमटिमाने लगे।

घद याग में गया। जाकर चुप-
चाप पूल तोड़ने लगा। माली
ने उसे देख लिया।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य को दुकड़े-दुकड़ेर कई^२
सरल वाक्यों में परिणत करो।

Break up the following into simple sentences

साहसी गगनदेव एक तीन हाथ लम्बे और चार हाथ ऊँचे सिंह और यल्यान घाघ को मारकर नगर में लाया। उसके चारों लड़कों में से किसी का घ्याह नहीं हुआ है। सूर्य दूधने पर मैं घर लौट आया। काम समाप्त होने पर यहाँ रहकर मैं समय खराब करना नहीं चाहता।

(२) निम्नलिखित वाक्यों को मिलाकर एक-एक वाक्य बनाओ।

Combine the following sets of sentences into single sentences.

(१) सूर्योदय हुआ। तालाब में कमल खिल गये। (२) धर्म रहता है। जय होती है। (३) वह गरीब है। वह सुखी है। वह सन्तोषी है। (४) सूर्य अस्त हुए। अन्धकार फैल गया। (५) सत्यनारायण वालू थी। ८० वास है। स्थानीय स्कूल के मास्टर हैं। ये आज-कल घर गये हैं।

वाक्यों का परिवर्तन

(Interchanges of the sentences)

वाक्य स्वरूप की इष्टि से तीन प्रकार के होते हैं—सरल, जटिल और योगिक। इन तीनों तरह के वाक्य एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। वाक्यों को परिवर्तन करने में वाक्य-संयोजन और वाक्य-विभाजन की पग-पग पर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पूर्ववर्णित वाक्य-संयोजन और वाक्य-विभाजन के अभ्यास को सदा स्पाल में रखना

चाहिये। पार्मयों का परिवर्तन करने में अभ्यस्त हो जाने से पार्मय-रचना में ग्रीष्मता आती है।

(क) सरल से जटिल

सरल पार्मय में प्रयुक्त विधेय-पूरक, विधेय-विशेषण, विधेय के विस्तार तथा उद्देश्य-सर्वक विद्वेषण के रूप में व्यवहृत हुए पर वा पदसमूह को वाक्य के रूप में बदलकर जो-यह, पदि-तो, जय-तव, आदि अव्ययों द्वारा मिला देने से जटिल या मिथ्र वाक्य बन जाता है। पद-विन्यास के नियमानुसार कभी-कभी नित्यसम्बन्धी शब्द लुप्त भी रहा करते हैं।

सरल—क्रान्स का राजा नेपोलियन बड़ा धीर था।

जटिल—नेपोलियन, जो क्रान्स का राजा था, बड़ा धीर था।

सरल—गर्मी में मैं प्रतिदिन गङ्गा-स्नान करता हूँ।

जटिल—जय गर्मी आती है तब मैं प्रतिदिन गङ्गा-स्नान करता हूँ।

सरल—तुम्हारा दाव पैच सव में जानता हूँ।

जटिल—जो तुम्हारे दाव पैच है, सभी को मैं जानता हूँ।

सरल—दयालु पुरुष दूसरों के दुःख से दुःखी होते हैं।

जटिल—जो पुरुष दयालु होते हैं वे दूसरों के दुःख से दुःखी होते हैं।

(ख) जटिल से सरल

जटिल वाक्य में आये हुए आनुपंगिक या सहायक वाक्य को वाक्यांश या पदसमूह के रूप में परिवर्तित कर नित्य सम्बन्धी या अन्य योजक शब्दों को हटा देने से सरल वाक्य होता है। ऐसा करते समय यह स्मरण रखना चाहिये कि काल और अर्थ में वापा न पड़े।

जटिल—जो केवल दैव का भरोसा करता है वह कायर है ।

सरल—केवल दैव पर भरोसा करनेवाला कायर है ।

जटिल—जब तक मातृका थी० प० पास नहीं करलेगा तब तक व्याह नहीं करेगा ।

सरल—मातृका बिना थी० प० पास किये व्याह नहीं करेगा ।

जटिल—जिन्हें विद्या है वे सब जगह आदर पाते हैं ।

सरल—विद्वान् सब जगह आदर पाते हैं ।

जटिल—उम्र, जो अरब का तीसरा खलीफ़ा था, वहाँ सरल और दयालु था ।

सरल—अरब का तीसरा खलीफ़ा उम्र वहाँ सरल और दयालु था ।

जटिल—अगर आप चाहते हैं कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें तो विद्याप्ययन कीजिये ।

सरल—सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा से विद्याप्ययन कीजिये ।

जटिल—जो मर गया है उसे मारकर क्या वहाँदुरी दिखाते हो ?

सरल—मेरे हुए को मारकर क्या वहाँदुरी दिखाते हो ?

(ग) सरल से यीगिक

सरल धार्य के किसी वाक्यांश को एक सरल धार्य में अथवा असमापिक्ष या पूर्वकालिक फ्रिया को समापिक्ष फ्रिया में बदलकर और, पर्यं, फिन्तु, परन्तु, इसलिय आदि योजकों के प्रयोग से यीगिक धार्य बनाया जाता है ।

सरल—यह भूख से छटपटा रहा है ।

यौगिक—वह भूला है, इसलिये उटपटा रहा है।

सरल—सुशील दोने के कारण मोहन को सभी प्यार करते हैं।

यौगिक—मोहन सुशील है, इसलिए उसे सभी प्यार करते हैं।

सरल—मैं खाकर सो रहा।

यौगिक—मैं ने खाया और सो रहा।

सरल—आवश्यकता पड़ने पर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ।

यौगिक—मुझे आवश्यकता पड़ी है, इसी हेतु तुम्हारे पास आया हूँ।

(घ) यौगिक से सरल

यौगिक वाक्य में किसी स्वतन्त्र वाक्य को वाक्यांश में अद्यता किसी समाप्तिकाक्षिया को पूर्वकालिक किया में परिवर्तित कर यौगिक वाक्य से सरल वाक्य बनाया जाता है। यौगिक वाक्य के अव्यय या योजकपदों को सरल वाक्य में लुप्त कर दिया जाता है।

यौगिक—उसने मुझे दूर ही से देख लिया और चुपचाप गायब हो गया।

सरल—वह मुझे दूर ही से देखकर चुपचाप गायब हो गया।

यौगिक—वह गंगा-स्नान कर आया और रामायण का पाठ करने लगा।

सरल—गंगा-स्नान कर आने पर वह रामायण का पाठ करने लगा।

यौगिक—संध्या हुई और तारे आकाश में टिमटिमाने लगे।

सरल—संध्या होने पर तारे आकाश में टिमटिमाने लगे।

यौगिक—बह मन लगाकर नहीं पढ़ता था, इसलिए केल हो गया।

सरल—मन लगाकर न पढ़ने के कारण वह केल हो गया।

(३) जटिल से यौगिक

जटिल वाक्य के अंगवाक्य (आनुपंगिक) वाक्य को एक स्वतन्त्र वाक्य बना देने और उनके नियत-सम्बंधी दोनों शब्दों का लोपकर नहीं, तो, किन्तु, अन्यथा आदि संयोजक विभाजक अव्ययों का प्रयोग करने से यौगिक वाक्य होता है।

जटिल—अगर भला चाहते हो तो इस काम में हाथ मत डालो।

यौगिक—तुम अपना भला चाहते हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो।

जटिल—राम जो कुछ कहता है वह कर दिखाता है।

सरल—राम कहता है और कर दिखाता है।

(४) यौगिक से जटिल

यौगिक वाक्य में स्वतन्त्र वाक्यों में से एक को छोड़कर शेष को आनुपंगिक वाक्य बना देने से जटिल वाक्य बन जाता है। पेसी दशा में यौगिक वाक्य में व्यवहृत संयोजक या विभाजक अव्ययों को नियत-सम्बंधी अव्ययों में बदल देना पड़ता है।

यौगिक—बह पढ़ा लिखा तो उतना नहीं है पर उसे दुनिया की हवा लग चुकी है।

जटिल—यद्यपि वह उतना पढ़ा लिखा नहीं है तथापि उसे दुनिया की हवा लग चुकी है।

यौगिक—मन लगाकर पढ़ो, अवश्य पास करोगे।

जटिल—अगर मन लगाकर पढ़ो तो अवश्य पास करोगे।

यौगिक—चन्द्रोदय हुआ और सारा संसार प्रकाशमय हो गया।

जटिल—ज्यों ही चन्द्रोदय हुआ सारा संसार प्रकाशमय हो गया।

यौगिक—मन सो मलिन है, अतः गंगास्नान करने से क्या होगा।

जटिल—अगर मन मलिन है तो गंगास्नान करने से क्या होगा?

अभ्यास

(१) निम्नलिखित सरल वाक्यों को जटिल वाक्यों में परिणत करो—Turn each of the following simple sentences into complex ones:—(१) उघोगी पुरुष सफलमनोरथ होते हैं। (२) उसने अपराध स्वीकार किया। (३) चंचल बालक प्रायः पढ़ने में यड़ा तेज होते हैं। (४) मेहनती लड़के इमतिहान में पास कर जाते हैं।

(२) नीचे के जटिल वाक्यों का सरल वाक्य बनाओ। Turn each of the following complex sentences into simple ones. (१) जब विषद आ पड़ता है तब धीरज धरना चाहिये। (२) जो बालक स्थास्थ पर ध्यान नहीं देते वे बराबर रोगप्रस्त रहते हैं। (३) जो समझदार है, वह ऐसा पृष्ठित काम नहीं करेगा। (४) मैंने उसे जैसा कहा थीसा ही उसने किया। (५) राम ने कहा कि मैं कलकत्ते जाऊँगा।

(३) नीचे के सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलो । Turn the following simple sentences into compound ones. (१) वह मेरी पुस्तक लेकर खुपचाप चल दिया । (२) मोहन ने घर जाकर पिता को प्रणाम किया । (३) सूख्यादिय होते ही लोग अपने-अपने कामों में लगे । (४) तुम यत्न करने पर ही कृतकार्य होगे ।

(४) नीचे के संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्य बनाओ । Turn the following compound sentences into simple ones. (१) गंगा नदी हिमालय पहाड़ से निकलती है और थंगाल की खाड़ी में गिरती है । (२) मेरी बात नहीं मानोगे तो काम नहीं चलेगा ।

(५) नीचे लिखे जटिल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में परिणत करो । Turn the following complex sentences into compound ones. (१) जो पुस्तक मैंने खरीदी यह लाभप्रद है । (२) यह सब कोई जानते हैं कि यह यहाँ चालाक है । (३) मैंने जो पेहलगाये थे वे अब फलने लगे । (४) यद्यपि यह धनी है पर अभिमानी नहीं है ।

(६) नीचे लिखे संयुक्त वाक्यों का जटिल वाक्य बनाओ । Turn the following compound sentences into complex ones. (१) यह यहाँ अभिमानी है इसीलिए किसी से थोलना अपनी इज़्जत के खिलाफ़ समझता है । (२) यह यहुत दुर्बल है इसलिए एक एग भी नहीं चल सकता है । (३) यह पढ़ने में तेज है इसीलिए दिशक उसे यहाँ मानते हैं । (४) जोही यद यहाँ आया मुझे दुःख देना शुरू किया ।

वाच्य-परिवर्तन

मिठ्ठे किंसी प्रकरण में यताया जा चुका है कि वाच्य के अनुसार वाक्य तीन तरह के होते हैं—कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों के लक्षण भी दिये जा चुके हैं। यद्यपि इनके लक्षण के विषय में मतभेद है तथापि हमें पूर्व वर्णित लक्षण ही अधिक उपयुक्त ज़ंचते हैं। प्रायः व्याकरण में, देखा जाता है कि, निम्नलिखित भाँति से तीनों के लक्षण दिये जाते हैं—

कर्तृवाच्य—जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हों। जैसे—मैं पढ़ता हूँ। यह सोता है।

कर्मवाच्य—जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हों। जैसे—मुझ से रोटी खायी गयी।

भाववाच्य—जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता और कर्म किसी के भी लिंग और वचन के अनुसार न हों बल्कि क्रिया सह एक वचन, पुलिंग और अन्य पुरुष में हो। जैसे—मुश गो सोया गया।

उपर्युक्त लक्षणों को मान लेने से बही गड़बड़ी उत्पन्न हो। जल्दी है। उदाहरण के लिये आगर कर्मवाच्य में कर्म के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन का होना मान लें तो 'मैं ने रोटी खायो' 'उसने पुस्तक पढ़ी' आदि वाक्य भी कर्मवाच्य के अन्तर्गत प्रा आईंगे और उपर्युक्त लक्षणकारी ने ऐसे वाक्यों को कर्मवाच्य ही अन्तर्गत माना है। फिर ऐसे वाक्यों को किनकी क्रिया, राता पक्ष वचन, पुंहिंग और अन्यपुरुष में हो, भाववाच्य मन ली जायेंगे, 'रानी ने कहा', 'राम ने रोटी को खाया' आदि वाक्यों को भी भाववाच्य ही मानना पड़ेगा। और वाँ व्याकरणों

में ऐसा माना भी गया है, इसलिए किसी पूर्व प्रकरण में बताये गये लक्षण भी यथापि उतने दुरस्त तो नहीं कहे जा सकते तथापि जब तक ऐसा गङ्गावद्वाला विद्यमान है और जब तक हमारे धैयाकरणों के धीर्घ कोई सन्तोषप्रद निर्णय नहीं हो रहा है तब तक वे ही लक्षण मानना उपर्युक्त है, क्योंकि उपर्युक्त लक्षणों से वे लक्षण अधिक स्पष्ट अवश्य हैं। जो हो, इस प्रकरण में केवल इतना ही दिखाना है कि वाच्यों में परिवर्तन कैसे होता है।

सकर्मक धातु से बने हुए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और अकर्मक धातु से बने हुए कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाये जाते हैं। किर कर्मवाच्य और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में रूपान्तर कर सकते हैं।

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य

सकर्मक कर्तृवाच्य में कर्ता को करण के रूप में बदलकर क्रिया के मुख्य धातु को सामान्य भूत बनाकर उसके आगे 'जाना' धातु के रूप को कर्म के लिंग, वचन और पुण्य के अनुसार, उसी काल में, जोड़ देने से कर्मवाच्य होता है। जैसे—

कर्तृवाच्य

रामने पुस्तक पढ़ी ।

मोहन ने रोटी खाई ।

सप्ताह अशोक ने चालीस }
वर्ष तक राज्य किया । }

उसने मिठाई खुराई ।

मैंने उसे पकड़ा ।

कर्मवाच्य

राम से पुस्तक पढ़ी गयी ।

मोहन से रोटी खायी गयी ।

सप्ताह अशोक से चालीस }
वर्ष तक राज्य किया गया । }

उससे मिठाई खुराई गयी ।

वह मुझ से पकड़ा गया ।

कर्मयात्र्य से कर्तृयात्र्य

कर्मयात्र्य में करण-रूप में व्यवहृत कर्ता के 'से' चिह्न को उड़ाकर कर्ता के अनुसार क्रिया को बदल देने से कर्तृयात्र्य हो जाता है। जैसे—राम से रावण मारा गया—राम ने रावण को मारा। चौकीदार से चोर पकड़ा गया—चौकीदार ने चोर पकड़ा।

कर्तृयात्र्य से भावयात्र्य

कर्तृयात्र्य से भावयात्र्य यत्नाने में भी कर्ता को करण में रूपान्तर कर क्रिया के मुख्य धातु के सामान्य भूत रूप के आगे 'जाना' धातु, काल के अनुसार, पक घटन और पुंहिंग में जोइ दिया जाता है। केवल 'जाना' धातु को सामान्य भूत में रूपान्तर न कर उसका 'जाया' कर देते हैं। जैसे—

कर्तृयात्र्य	भावयात्र्य
मैं जाता हूँ।	मुझसे जाया जाता है।
मैं पट्टने रहता हूँ।	मुझसे पट्टने में रहा जाता है।
मोहन बाग में टहलता है।	मोहन से बाग में टहला जाता है।
तेजनारायण गंगा नाहाया।	तेज नारायण से गंगा नहाया गया।

भावयात्र्य से कर्तृयात्र्य

भावयात्र्य के करण-रूप में आये कर्ता को स्वाभाविक रूप में लाकर कर्ता के अनुसार क्रिया को कर देने से कर्तृयात्र्य हो जाता है। जैसे—मोहन से सोया गया—मोहन सोया। उससे शांत होकर थैटा नहीं जाता—वह शांत होकर नहीं थैठता।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों में वाच्य-परिवर्तन करो।

Change the voices in the following sentences.

राम कुट थोल खेलता है। गाय घास खाती है। लड़ी से कपड़ा सीधा आता है। कल मुझ से घर जाया जायगा। उससे आम खाया गया था। नक्कू ने चोरी की थी।

२—कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या भेद है? दोनों के दोनों उदाहरण दो।

Distinguish between कर्मवाच्य and भाववाच्य and give two examples of each.

वाक्यों का रूपान्तर

जिस प्रकार एक ही शब्द के अर्थव्योधक भिन्न-भिन्न पर्याय-वाची शब्द होते हैं उसी प्रकार एक ही वाक्य के अर्थव्योधक भी कई वाक्य हो सकते हैं। अर्थात् वाक्य के रूप में परिवर्तन होने पर जब अर्थ में भेद न पड़े तब वे सभी भिन्न-भिन्न रूप के वाक्य 'एकार्थव्योधक' वाक्य कहलाते हैं। वाक्यरचना के अभ्यास के लिए एक ही अर्थ को व्योध करनेवाले अनेक रूप के वाक्यों को समरण रखना आवश्यक है। इससे भाषा में उपयुक्त और छलित वाक्यों को इच्छानुसार चुनकर व्यवहार करने में बहुती सहायता मिलती है।

विशेषणों, मुहावरों, अलंकारों आदि कौशलों-द्वारा वाक्य को रूपान्तरित किया जाता है। जैसे—

वह सौया हुआ है

वह निद्रा देवी की गोद में पढ़ा हुआ है। वह विश्राम कर

रहा है । वह नींद में है । वह सुसाबस्था में है । वह खर्टे ले रहा है । उसे नींद ने धर दिया है । वह निद्रा के बरीमृत हो गया है ।

बहु यहाँ से भाग गया

वह यहाँ से गायब हो गया । वह यहाँ से नौदो म्याह हो गया । वह यहाँ से चम्पत हो गया । वह यहाँ से रपूवकर हो गया । वह यहाँ से सिर पर लात रखकर भागा ।

बहु मर गया

उसने पञ्चत्व प्राप्त किया । उसके प्राप्त पलेह उड़ गये । उसने सदा के लिए महानिन्दा की गोद में विधाम ले लिया । उसने अन्तिम साँस ले ली । वह यहाँ से सदा के लिए छल बना । उसने संसार से अन्तिम विदाई ले ली । वह भयबंधन से छट गया । उसकी प्राणवायु निकल गयी । उसका देहान्त हो गया । वह काल कल्यालि दुआ । उसकी मृत्यु हो गयी । उसे मौत ने घर दिया । उसने अपनी मानव-सीला हंदरण की । उसका जीवन-श्रीप दुश्म गया । उसके जीवन छोपी सिधारा ही स्पाही का अंत हो गया । उसने इस असार संसार को छोप दिया । उसे गंगा लाम दुआ । उसके जीवन का अंत हो गया । वह परलोक सिधारा । वह स्वर्गलोक को सिधारा । वह स्वर्ग सिधारा । उसका स्वर्गवास हो गया । वह इस जीवन से हाथ पोषिया । वह अमर-धाम को सिधारा । वह आनंदकाल कर गया । वह मृत्यु के मुँह में विनीत हो गया । उसे काल ने घर दिया । वह कड़ा बर गया इन्यादि ।

बहु द्वीने लगी

पानी पड़ने लगा । दृष्टि होने लगी । दूरे टपकने लगी । मंद चरसने लगा इन्यादि ।

मूष्पद्य हुआ

भगवान् अंशुमाली उदयाचल पर्वत पर शोभित हुए। भगवान् भास्कर भासमान हुए। कमल-नायक की प्रज्ञर किरणे उदयाचल पर भासित हुईं। अरुणोदय हुआ। अंशुमाली का शुभागमन हुआ इत्यादि।

अभ्यास

१—नीचे लिखे वाक्यों के अर्थ को अनेक प्रकार के वाक्यों में लिखो।

Illustrate the different ways the meanings of the following sentences.

भोर हुआ। सर्व्या हुई। उसकी इज्जत चली गयी। आकाश में वादल घिर आये। रात हुई। चन्द्रोदय हुआ।

अष्टम परिच्छेद

रिक्त स्थानों की पूर्ति

(Filling up of ellipses.)

याक्ष्य-रचना के अभ्यास के लिए याक्ष्य में कुछ शब्दों पर पद-समूहों या याक्ष्यांशों को छोड़ देते हैं और उन्हें प्रकरण के प्रयोगों और याक्ष्य रचना के नियमों पर ध्यान रखते हुए याक्ष्य का पूरा अर्थ प्रकाशित करने के लिए पूरा करना पड़ता है। इसीको रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं।

रिक्त स्थानों की पूर्ति याक्ष्य के अर्थ पर एवं रखते हुए परम्परा-द्वारा की जाती है। कोई विशेष नियम इसके लिए नहीं है। हाँ, इतना ध्यान में रखना चाहिये कि रिक्त स्थानों की पूर्ति से याक्ष्य अर्थयोग्य के साथ-साथ उपाठ्य और ललित होना चाहिये। उदाहरण—

रात। घारों दिशाओं मेंछा गया। आकाश मेंटिमटिमाने लगे। कुछ देर के पारउदय हुए।हृहुआ। घन्दमा कीसारीमें।सरोवर मेंलिलडी। पूर्ति—

रात हुई। घारों दिशाओं में अन्धकार छा गया। आकाश

मैं तारे टिमटिमाने लगे। कुछ देर के बाद चन्द्रदेव उदय हुए। अन्धकार दूर हुआ। चन्द्रमा की शुभ्र उप्योत्सना सारी दुनिया में छा गयी। सरोवर में कुमुदिनी खिल उठी।

हमारे देश के……में समाचार पत्र पढ़ने की……का अभाव है। पम० प०, धी० प०……करने पर भी हमारे……दुनिया के ……से……रहते हैं।……है कि अमेरिका……इंगलैण्ड में……देशों में मज़दूर तक……पढ़ते हैं।

पूर्ति

हमारे देश के नघयुवक्तों में समाचार पत्र पढ़ने को रुचि का अभाव है। पम० प०, धी० प० पास करने पर भी हमारे नघयुवक दुनिया के समाचारों से अनभिज्ञ रहते हैं। सुनते हैं कि अमेरिका और इंगलैण्ड आदि दक्षत देशों में मज़दूर तक भी असूचार पढ़ते हैं।

धार्य का कोई पद, वा पदसमूह अथवा अंश अगर दिया हुआ ये तो धार्य पूरा करना :—

'हिन्दौ'—'हिन्दौ' हमारी मातृभाषा है।

लखनऊ से—हिन्दी की सुप्रसिद्ध मालिक पत्रिका 'भाषुरी' 'लखनऊ से' प्रकाशित होती है।

'ईश्वर की लीला'—ऐसा कौन व्यक्ति है जो 'ईश्वर की लीला' की विचित्रता को जान सकता है।

'मूलमन्त्र'—विद्या पढ़ना उप्रति का 'मूलमन्त्र' है 'ध्रेम'—

यिना 'प्रेम' रीझ नहीं,
 'तुलसी' नन्दकिषोर।"

अन्यास

?—रिक्तस्थानों की पूर्ति करो।

Fill up the blanks:—

पंचमी—दिन थी रामचन्द्र समुद्र के—जाने का विचार
 करने—। फिर यानरो—सहायता—नल और नील ने समुद्र में
 मैं पुल बांधा। यह सेतु दस योजन चौड़ा सौ योजन—था।
 उस पर—तीन—दिन—यानरी सेता पार—।

(Matriculation 1920)

२—रिक्तस्थानों की पूर्ति करो।

Fill up the blanks in the following:—

अजी क्या बक्ष्यक कर—हो। मुझे इन धूतों—अच्छी
 खबर है। उड़ाते—गुच्छारे—कहते—कि मेरे गुरु—उड़ रहे हैं—
 हाथ से पटरी चलाते हैं—बतलाते मैं कि भूत—चला रहा है।
 अस्तीन से रुप्या निकालते हैं और चिल्हाते हैं कि जिन—गया
 है। अफसरों के—से—आते हैं तो—ते हैं—मैं वहाँ नहीं—था।
 —रूप मैं रामजी पहुँचे—चमाइन। सब धात—कर लड़ा
 होने के समय कितने—थे और किस मुंह के घर में—हुआ सो
 सव बातलाते हैं।

(Intermediate 1913. C. U)

नवम परिच्छेद

(१) रोजमर्या (दैनिक शोल-चाल की रीति)

(Common use)

जिन लोगों की मातृ-भाषा हिन्दी है ये ही दैनिक शोल-चाल में वाक्य-रचना कर सकते हैं। इस प्रकार की रचना के टंग को रोजमर्या बदलते हैं। शोलने अथवा लिखने में रोजमर्ये ता विचार आवश्यक समझा जाता है। इसका व्यवहार करने से भाषा में सरलता आती है। परन्तु इसके प्रयोग का क्षेत्र खास निष्पम नहीं है। अच्छे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लेखकों के लेखों को व्यान गृह्यक पढ़कर और उन लेखों में व्यवहृत रोजमर्ये के शब्दों के प्रयोग का ढंग मालूम किया जा सकता है। यहाँ से लोग नये-नये रोजमर्ये के शब्दों को गढ़कर उन्हें वाक्य में व्यवहार करने की अनुचिकार खेता करते हैं। ऐसे लोगों द्वारा यह रुचल रखना चाहिये कि रोजमर्ये के शब्द गड़े नहीं जाने हैं। शोलचाल में रोजमर्ये के जो शब्द जिस ढंग से प्रयुक्त होते आ रहे हैं ये उसी ढंग से प्रयुक्त होंगे। उलट-योत करने से वाक्य की रचना दीर्घी भरी हो जाएगी। यहाँ पर रोजमर्ये के कुछ शब्द और उनके प्रयोग दिये जाते हैं—

'सुयद शाम'—मैं 'सुयद शाम' दोनों पक टहला करता हूँ। यहाँ पर 'सुयद शाम' रोजमरे का शब्द है। इसके बदले सुयद संभ्या, या मोर शाम आदि लिखना उचित नहीं है।

हर रोज—'यह हर रोज यहाँ आया करता है।' हर ऐउ की जगह 'हर दिन' नहीं होगा। इसी 'दिन' के पहले 'प्रति' लिखा जाता है। जैसे 'प्रति दिन'।

रोज-रोज—तुम्हारी रोज-रोज की यह इरकत मुझे पसंद नहीं। रोज-रोज की जगह 'दिन-दिन' नहीं होता।

यात्रीत, यहस-मुखादसे, कोस-कोस पर, पाँच-पाँच दिन में, दो-चार दिन में, सात-आठ कोस पर, दिन व दिन, अथवा दिन आदि शब्द रोजमरे के शब्द हैं।

सात-आठ या आठ-सात, पाँच-सात दो-चार, एक-आध, आठ-छः आदि शब्द रोजमरे के हैं। इन शब्दों की जगह आठनी छ, सात नौ, चार दो, आध एक, चार सात आदि शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकते क्योंकि ये रोजमरे के शब्द नहीं हैं।

यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वाक्यों में पक ही ढंग के शब्दों या पदों का व्यवहार होना चाहिये। अगर साधारण भाषा के शब्दों का प्रयोग करने की इच्छा हो तो आदि से अंत तक उसी ढंग के शब्दों का ही व्यवहार उचित है और अगर बड़े-बड़े उच्च भाषा के पदों का प्रयोग करना हो तो अप से इति तक उसी ढंग के पदों का व्यवहार होना चाहिये। दो ढंग की भाषा की मिलावट अखरने लगती है। जैसे—मैंने उसका इस्त पकड़ा की जगह 'मैंने उसका हाथ पकड़ा' लिखना ही ठीक है। 'आवश्यकता' रफा नहीं यहिक को पूरी की जाती है। हाँ, 'अस्तरत रफा' की जाती है इत्यादि।

(२) वाञ्छारा या मुहाविरे का प्रयोग

(The use of Idiom)

'मुहाविरा' को कोई-कोई 'मुहावरा' भी लिखते हैं। परिभाषा—ऐसे पद या वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ छोटकर कुछ और ही विलक्षण अर्थ जतावे उसे वाञ्छारा या मुहाविरा कहते हैं। मुहाविरे का प्रयोग करने से वाक्य की रौनक यह जाती है और वह उजनद्वारा भी हो जाता है। जहाँ तक हो सके वाक्य में मुहाविरे का प्रयोग करना ही उचित है। हाँ, जब तक इसके प्रयोग का दंग न मालूम हो तब तक इसके बेट्ठेंगे प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। कभी-कभी तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाने की सम्भावना रहती है। इसलिये मुहाविरे के अर्थ को अच्छी तरह समझकर ही उसका प्रयोग करना युक्ति-संगत होता है। यहाँ पर कुछ मुहाविरे के अर्थ और प्रयोग बताये जाते हैं।

प्रायः दारीर के अधिकांश अंगों के आले मिल-मिल शियाओं को ओड़ देने से मिल-मिल अर्थ के मुहाविरेंदार शब्द बन जाने हैं।

सिर का मुहाविरा

मुहाविरा	अर्थ	प्रयोग
सिर खुजलाना	दालमटोल करना	सिर खुजलाने से बोग नहीं चलेगा।
सिर पकड़ना	निराशाय होना	यह साचारी घड़ा सिर पकड़ कर धूठ रहा।
सिर पड़ना	नाम लगना	कुल दोष मंते ही सिर पड़ा।

मुद्दाविरा	अर्थ	प्रयोग
सिर चिरना	दृढ़तृ कुछ ले लेना	किसी पर सिर चिरना ठीक नहीं।
सिर काटना । सिर उतारना ।	मारना	सिर काटना सदृज नहीं। अधिक थोलोगे तो सिर उतार लूँगा।
सिर मूँझना	माथा मूँझना, ठगना	आज किसका सिर मूँजाय।
सिर लेना	भार लेना	इसके पढ़ाने की जिम्मेधारी आप अपने सिरले ले तो बड़ी शर्पा हो।
सिर हिलाना	अस्थीकार करना	आखिर उसने सिर हिल ही दिया।
सिर देना	बलिदान दोना	धर्म के लिए हकीकत ने अपना सिर दे दिया।
सिर पटकना	सौंप देना छार मारना	उसने सव बाम में सिर पटक दिया। यह सिर पटकने तह गया।
मिर मढ़ना	गोप देना	उसने सव बाम में गिर गढ़ दिया।
मिर घुनना	शाचारी के अर्थ में	'सेर घुनि-घुनि बड़ाहि'।
मिर घड़ाना	आइत विगाहना	तुम्हीने इस लड़के को मिर घड़ाना विवाह दिया है।

मुदाविरा	अर्थ	प्रयोग
सेर पार उतरना	थहाने के अर्थ में	मोहन मेरे सिर पार उतर गया।
सिर ठोकना	पोटना	चोरों ने उसका सिर ठोक दिया।
माया ठनकना	ताढ़जाना	सुनते ही उसका माया ठनक गया।
माया खाना	तंग करना	ओह ! तुम मेरा माया खा गये।
सिर माये	स्वीकृति के अर्थ में	आपकी आङ्ग सिरमाये।
केश—		
केश पकना	बूढ़ा होना	अब तो उसके केश भी पक चले।
केश करना	(अन्येष्टि किया के अर्थ में)	उसका केश कर दिया गया। (ग्रामीण प्रयोग)
केश(वाल)फाड़ना	माँग संचारना	आजकल के लड़के केश (वाल) फाड़ने में ही मस्त रहते हैं।
बाल—		
(हथेली पर) बाल	असम्भव के अर्थ में	{ अगर यह काम तुम कर लो तो मैं हथेली पर बाल जमा दूँ।
जमाना		
बाल-बाल बचना	मिरापद होना	यह आज बाल-बाल बच गया।

मुहायिग	अर्थ	प्रयोग
याल पाँका करना	यिगाइने के अर्थ में	'याल न याँका करि संक्ष
आँख—		
आँख मारना		{ मोहन उसकी ओर आँख मारता है । घाह ! बदर
आँख मटकाना	इराग करना	{ किस पूरी से आँख मटका रहा है
आँख मूँदना	{ विचार के अर्थ में अवहेलना करना (मृत्यु के अर्थ में	वह आँख मूँदकर विचार में तछुन हो गया । उसने मेरी ओर से आँख मूँद ली ।
आँख खुलना	समझ आना	उसने सदा के लिय आँखें मूँद ली । खलकर्ते जाने से उसकी आँखें खुल गयीं ।
आँख दिलाना	डराना	तुम किसे आँख दिला रहे हो ?
आँख लगना	{ सोना, प्रेम होना, } प्रतीक्षा करना	आधी रात को मेरी आँख लग गयी । शुकु- नतला की आँखें दुष्प्रति से लग गयी थीं । यहुत दिनों से आँखें लगी हुई थीं । आज मुराद पूरी हुई ।

मुहाविरा	अर्थ	प्रयोग
चार आँखें होना	सामने होना	जब आँखें चार होती हैं मोरद्वय आ ही जाती है।
आँख बदलना	रङ्गत बदलना	मैं देखता हूँ कि उसकी आँखें बदल गयी हैं।
आँख में चर्ची छा जाना	}घमण्ड करना	धन के मद से आँख में चर्ची छा गयी है।
आँख नीली-पीली करना	}क्रोध में आना	उसने आँखें नीली-पीली कर कहा।
आँख उठाकर देखना	}कृषा-हृषि करना	एक बार भी तो मेरी ओर आँख उठाकर देखिये, वस में तो निहाल हो जाऊँगा।
आँख से खून उतरना	}अत्यधिक क्रोध के अर्थ में	क्रोध के मारे उसकी आँख से खून बतर आया।
आँखें फेरना	रङ्ग बदलना	कैसी आँखें फेर ली मतलब निकल जाने के बाद।
आँख की पुतली होना	}प्यारी चोऱ	हरण यशोदा की आँख की पुतली के समान थे।
आँखें ढंडा करना	}सुख प्राप्त करना	बहुत दिनों के याद श्राव्येष ने अपने पुत्र को देखकर अपनी आँख

मुदाविरा	अर्थ	प्रयोग
आँख लाल करना	फोध करना	ठार्डी की या आँखें जुड़ायीं।
आँख घचाना	शुपके से	थह मेरी आँख घचा- कर भाग गया।
आँख लड़ाना	प्रणय-स्त्रीला करना	देखो ! वे दोनों किस प्रकार आँखें लड़ा रहे हैं।
आँख लड़ना	प्रेम होना	उन दोनों की आँखें लड़ गयीं।
आँख का तारा	प्रिय वस्तु	मेरी आँखों के तारे हो। (सरस्वती)
आँख में धूल ढालना	ठगना	उसने बढ़ी चालाकी से मेरी आँख में धूल ढाल कर अपना काम बना लिया।
आँख भर आना	(दुःख में)	शुक भर-भर आँखें भौंन को देखता है (प्रि० प्र०)।
फूटी आँख	नहीं अच्छा लगने पर घद मुझे फूटी आँख नहीं सुहाता है।	
आँख पर विठना	अधिक प्रेम करना	मैंने शूष्णदेव को आँख पर विठा रखा था।

मुहाविरा	अर्थ	प्रयोग
आँख गड़ाना	ताक में रहना	मेरी घड़ी पर यह आँख गड़ाये हुये है।
आँख आना	आँख में रोग होना	मेरी आँख आ रही है।
आँख चिढ़ना	शर्म स्वागत के लिए आँखें चिढ़ी हुई हैं	पथ पर, व्यारे जल्दी आओ। (साधक)
आँख की ओट होना। ओशल होना		आँख की ओट होते ही रामेश्वर मुझे भूल गया।
आँखें शकना	(आशा में)	नाथ ! घाट जोहते जोहते आँखें शक गयीं पर आप नहीं आये।
आँसू पोछना	सान्तवना देना	कोई आँसू पोछनेवाला नहीं रहा।
नाक—		
नाक कटना	इज़्ज़त चली जाना	हाय ! मेरी नाक कट गयी !
नाक टेढ़ी करना	चिढ़ना	बाहु सादृय, नाक टेढ़ी कर थयों थोलने लगे।
नाकों दम करना	तड़ा करना	ओह ! तुमने नाकों दम कर दिया।
नाक का थाल होना	ग्रिप थस्तु	सोहन तो उसकी नाक का थाल हो रहे हैं।
नाक रखना	लाज बचाना	भार ! अब मेरी नाक रख लो।

मुहायिरा	अर्थ	प्रयोग
कान—		
कान देना	रथन देना	कान देकर सुनो !
कान फटना	(झौंची आवाज़ सुनकर) उसकी घोली सुनते सुनते मेरे कान फट गये ।	
कान में रखना	याद रखना	गुरु के उपदेश को कान में रख लो ।
दाँत—		
दाँत खट्टे करना	पराजित करना	शिवाजी ने शाहजहाँ के दाँत खट्टे कर दिये ।
दाँत पीसना	फोध करना	वह दाँत पीसकर रह गया ।
दाँत दिखाना दाँत निपोड़ना	} लाचारी दिखाना	करूँ तो क्या करूँ उसने तो अपने दाँत दिखा दिये । बाह ! कैसे दाँत निपोड़ दिये ।
दाँत तोड़ना	चोट पहुँचाना	दाँत तोड़कर मुँह में छुसेड़ दूँगा ।
दाँत में ढँगली देना चकित होना		वह तमाशा देख दाँत में ढँगली देना पड़ा ।
दाँत मारना	कौर मारना	वह दाँत मार-मार कर खा रहा है

मुहाविरा	अर्थ	प्रयोग
मुँह—		
मुँह फिरना	} स्वाद उत्तरना } घमण्ड होना	मीठा खाने-खाते मुँह फिर गया। आजकल उसका मुँह फिरा रहता है।
मुँह की खाना	बड़ा उत्तर पाना	बच्चू को मुँह की खानी ही पड़ी।
मुँह चलाना	घकघक करना	अधिक मुँह चलाना ठीक नहीं है।
मुँह फटना	लोभी होना	उसका मुँह फटा हुआ है।
मुँहफट होना	यक्काढ़ी होना	यह तो बड़ा मुँहफट हो गया।
मुँह ही मुँह देना	जवाब पर जवाब	बड़ों को मुँह ही मुँह देना ठीक नहीं है।
मुँह फक्क होना	} घबड़ाना	दर से उसका मुँह फक्क हो गया। दर से उसका
मुँह पीला होना	„	मुँह पीला हो गया।
मुँह काला होना	कलङ्क लगना	तुम्हारी करनी से ही तुम्हारा मुँह काला हुआ है।
मुँह में पानी भरना	प्रथल इच्छा होना	अंगूर देखकर सियार के मुँह में पानी भर आया।
मुँह माँगी मौत	ईच्छा पूरी होना	मुँह माँगी मौत विसे मिलती है।
मिलना		

मुहाविरा	अर्थ	प्रयोग
कान—		
कान देना	ध्यान देना	कान देकर सुनो !
कान फटना	(जँची आवाज़ सुनकर) उसकी घोली सुनते सुनते मेरे कान फट गये ।	
कान में रखना	याद रखना	गुह के उपदेश को कान में रख लो ।
दाँत—		
दाँत खट्टे करना	पराजित करना	शिशाजी ने शत्रुओं से दाँत खट्टे कर दिये ।
दाँत पीसना	ओघ करना	पह दाँत पीसकर रह गया ।
दाँत दिखाना	लाचारी दिखाना	कह तो क्या कह उसने तो आते ही दिखा दिये । पाह ! कैसे दाँत निपोइ दिये ।
दाँत निपोइना		
दाँत तोड़ना	घोट पहुँचाना	दाँत तोड़कर गुह में पुसेह दूँगा ।
दाँत में ऊँगली देना	घक्कित होना	यह तमादा देस दैनि में ऊँगली देना पड़ा ।
दाँत मारना	फैर मारना	यह दाँत मार-मार कर रक्षा रहा है

मुहाविरा	अर्थ	प्रयोग
मुँह—		
मुँह फिरना	स्वाद उत्तरना } घमण्ड होना	मीठा खाते-खाते मुँह किर गया। आजकल उसका मुँह फिर रहता है।
मुँह की खाना	कढ़ा उत्तर पाना	घच्चू को मुँह की खानी ही पड़ी।
मुँह चलाना	बकवक करना	अधिक मुँह चलाना ठीक नहीं है।
मुँह फटना	लोभी होना	उसका मुँह फटा हुआ है।
मुँहफट होना।	बकवादी होना	यह तो घड़ा मुँहफट हो गया।
मुँह ही मुँह देना	जवाब पर जवाब	घड़ों को मुँह ही मुँह देना ठीक नहीं है।
मुँह फल होना } मुँह पीला होना } " "	घबड़ाना	दर से उसका मुँह फल हो गया। दर से उसका मुँह पीला हो गया।
मुँह काला होना	कलङ्क लगना	तुम्हारी करनी से ही तुम्हारा मुँह काला हुआ है।
मुँह में पानी भरना	प्रबल इच्छा होना	अंगूर देखकर सियार के मुँह में पानी भर आया।
मुँह माँगी मौत	ईच्छा पूरी होना	मुँह माँगी मौत किसे मिलती है।
मिलना		

मुहायिरा	अर्थ	प्रयोग
मुँह धनाना	चेष्टा विशेष के अर्थ में कैसा मुँह धना लिया है।	
मुँह विगाहना	उलटा जवाब देना राम ने उसका मुँह विगाह दिया है।	
मुँह फुलाना	चिढ़ जाना	मेरी बात पर उसने अपना मुँह फुला दिया
मुँह देखना	पक्षपात के अर्थ में	यद्यों तो मुँह देखकर ही सब काम होता है।
मुँह चुराना	घोलने से ढरना	राम वहाँ मुँह चुराता है।
मुँह घोना	व्यंग के अर्थ में (नहीं देना)	मुँह घोकर आएं, तब यह चीज़ मिलेगी।
गाल—		
गाल बजाना	पक्क-चक्क करना	यद्यों गाल बजाने से काम नहीं चलेगा।
गाल फुलाना	रुठ रहना	किस लिए आपने गाल फुला दिया।
हाथ—		
हाथ उठाना	मारना, समर्थन के अर्थ में	खियों पर हाथ उठाना ठीक नहीं। उसने हाथ उठाकर अपनी स्तीहति प्रगट की।
हाथ ढालना	प्रारंभ करना	यिना सोचे विचारे किसी काम में हाथ

मुहाविरा	अर्थ	प्रयोग
हाथ धो बैठना	खो देना	डालना। उचित नहीं। वह अपनी पुस्तक से हाथ धो बैठा।
हाथ खींच लेना	सम्बंध तोड़ देना	आज से मैंने उस काम से हाथ खींच लिया।
हाथ मलना	पछताना	बूढ़ा हाथ मलने लगा।
हाथ आना	मिलना	कुछ हाथ आया अथवा नहीं।
हाथ धोकर पीछे पढ़ना	{जीजान से पीछे पढ़ना।	वह तुरद्वारे पीछे हाथ धोकर पढ़ा है।
हथियाना	लेना	तुम मेरी सभी चीज हथियाने में बाज नहीं आते।
हाथ पर हाथ धरे	{कुछ नहीं करना।	मैं देखता हूँ कि आप आज कल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।
हाथ होना	{कुण होना। सहायता के अर्थ में	इसके ऊपर बड़े-बड़े का हाथ है। मालूम होता है इस काम में आप का हाथ जरूर है।
हाथ कटाना	नाकाबू होना	राम अपना हाथ कटा बैठा।
हाँथाबाँही करना	लड़ना	राम उससे हाँथाबाँही करने लगा।

मुहाविगा	अर्थ	प्रयोग
दाय ऊपर होना	आगे रहना	सब काम में उसका दाय ऊपर रहता है।
दाय देखना	दस्तरेखा विचार के)	ज्योतिषी सङ्केत का अर्थ में } दाय देखता है।
दाय मारना	शर्त करना	में दाय मारे कहता हूँ।
उँगली—		
उँगली उठाना	इशारा करना	कृष्ण ने राम की ओर उँगली उठायी।
उँगली दिखाना	ढराने के अर्थ में	उँगली दिखाने से कोई दर नहीं जायगा।
ओठ—		
ओठ सटना	घोली बंद होना	तुम्हार ओठ क्यों न सट जाता।
ओठ चवाना	फोधित होने के अर्थ में	फोध के भारे वह ओठ चवाने लगा।
ओठ सूखना	प्यास लगना	मेरा ओठ सूख गया।
इसी प्रकार ग्रायः शरीर के अधिकांश अंगों के मुहाविरेदार शब्द बन सकते हैं। हम विस्तारभ्य से अधिक शब्द देने में असमर्थ हैं। अब कुछ अन्य शब्दों के बने मुहाविरेदार शब्दों को देना भी आवश्यक है।		
संख्याधाचक शब्दों के मुहाविरेदार शब्द		
नौ दो-म्याह	गायत्र होना	वह छठ नौ दो म्याह हो गया।

मुहाविरा	अर्थ	प्रयोग
छः पाँच	सरलता या भोलापन सच कहता है मैं दिखाने के अर्थ में छः पाँच कुछ नहीं जानना किया के साथ जानता। प्रयुक्त होता है	
तीन-तेरह	तितिर यितिर होना	सारी सेमा तीन-तेरह हो गयी।
चार दिन	कुछ दिन	चार दिन के लिए आये हो जो कुछ करना है कर लो।
आठ-आठ आँसू	रोने के अर्थ में	ये आठ-आठ आँसू रोये।
सोलहो आना घावन तोला पावरत्ती	} विवरण	यह बात सोलहो आना ठीक है। तुम्हारा कहना घावन तोला पावरत्ती उत्तरता है। आजकल वह निन्यानवे के फेर में पड़ा है
निन्यानवे के फेर संकट में पड़ना में पड़ना		(प्रामीण प्र०)

अन्य शब्दों के मुहाविरेदार शब्द और वाक्यांशादि

पानी—

पानी का शुल्कुला=क्षणभंगुर। पानी के मोल=यहां सस्ता।

पानी घड़ना=रड़ आना । पानी-पानी होना=शमिन्द्रा होना ।
 पानी पी पी कर=लगातार । पानी भरना=नीचता प्रदर्शित करना
 पानी में आग लगाना=असम्भव यात करना ।
 पानी भरी खाल=क्षणिक जीवन ।
 पानी जाना=इज्जत जाना ।

—पानी गये न ऊंचे,

मुक्ता मानिक चून—रहीम ।

पानी बुझाना=गर्म वस्तु में पानी डालना ।
 पानी पी कर जात पूछना=काम कर पीछे सोचना ।
 चुल्हू भर पानी में ढूबना=शर्म के अर्थ में ।

खाक—

खाक छानना=दर-दर फिरना । खाक में मिलना=नष्ट होना ।
 खाक उड़ना=वरयाद होना । खाक चाटना=तवाह होना ।
 खाक डालना=छिपाना ।

खून—

खून यहाना=मार काट करना ।

खून बिगड़ना=खून का रोग होना । खून खूलना=डरना ।

खून उबलना=ओध आना । खून का प्यासा=जान का गाहक ।

अन्य मुहाविरेदार शब्द, पद-समूह या

वाक्यांश आदि

संझार

उछलकूद, कथोपकथन, कृपमंडूक, कोहराम, गोलमाल, गुर्ज-
 गपाह, घनचक्कर, चमक-दमक, विन्तासागर, छुलप्रपंच, छल-

यल, छीनलपट, जाहिरजहान, नीचड़ैच, नोकझोक, पाणपुण्य, मारपीट, मस्तानीचाल, मुक्कंठ, मेलठेला, मेलजोल, मनीहमन, समासमाज, सर्वसाधारण, सर्वाधिकार, सुखदुख, हस्तामलक, हाथपाँव, हिताहित, हिस्सावखरा इत्यादि ।

सर्वनाम

अपने में, हम सब, कोई और, कर्दं पक, जो न सो इत्यादि ।

विशेषण

अजरअमर, अनगिनत, अनर्गल, अनपढ़, अनसुधा, अनिर्धंचनीय, अर्थलोकुप, असाधारण, अभूतपूर्व अपरिमित, किंकर्तव्यविमूढ़, कुतकार्य, खुल्मखुला, घनघोर, घटाटोप, चितचोर, छांडोल, न्यूनाधिक, पकापकाया, बनावनाया, भगदृदय, भूतपूर्व, भोलामाला, मनमाना, मूसलाधार, लालबुझकड़, लोमहर्षण, शुद्धलावद, सर्वसम्मत, सायंकालीन, हस्तान्तरित, हराहरा इत्यादि ।

क्रिया

उ—गुलछरे उड़ाना, उबलपड़ना, हाथ उठाना ।

क—पुण्यकमाना, दाँत कटकटाना, छपर कड़कड़ाना, नदी का कलकल करना, कुड़कुड़ाना, चूहा कूदना । ख—खरटि लेना, गुल खिलना, दाँत खद्दा होना, पत्ते खाढ़खड़ाना, खिलखिला कर हूँसना । ग—गहगड़ाना, गिड़गिड़ाना, गुर्चना, गुंजार करना, घ—घुरना, धिनधिनाना ।

च—चहचहाना, चासनी चढ़ाना, चढ़बैठना, चशाचथकर थात करना, अहू चरने जाना । छ—छनछनाना, छलमला आना, छटपटाना, छानना । ज—जमना—(दूकान जमना, हाथजमना,

रंगजमना, रोकजमना, मामलाजमना, जड़जमना, भीड़जमना, भोजन जीमना । झ—शट्टका मारना, शिलमिलाना, एनसुर सुरना (नीयत सुरने लगी) ।

ट—टरटराना, टक लगाना, टिमटिमाना । ठ—ठड़हना, ठंसना, ठनठनाना । ड—डकार जाना, डवडवा आना, डाक दूसना, डूसना (मूच्छित होना) । ढ—ढलढलाना, ढलना—(दिन ढल घौवन ढल गया) ।

त—तिलमिला उठना, तिरमिया जाना । थ—थर्प थर्प थर्पराना । द—दाग लगाना, देखना (चाँद देखना, चाम देखना, काम देखना, गस्ता देखना इत्यादि) । घ—घराघर घरपक्कना ।

ष—षार होना, पक्कना (पल पक्कना, बाल पक्कना—पक्कना, घाव पक्कना इत्यादि) । पनपनाना (बेहरा पनपना, फोरे पनपनाना आदि । फ—फटना (गौ पटना, आवगन पटना) । ब—बलबलाना, बन आना, बनाना, (बिंदी बड़ना, बान बनाना, मुँह बनाना, छक्काना के अर्थ में, बनाना आदि) बन पड़ना । भ—भक्षणकाना, भुग्गुराना बनाना आदि । म—मनमनाना, मटकना, मप निछलना, भंडा फोड़ना । र—मनमनाना, भिल मानना, ली लगाना, र—रटपटाना, रगगाना, लिल मानना, लिंग लगाना, मुँद छगना, मुँद छगना आदि । ल—मनमनाना, लिंग मानना, लम्बा लम्बाना (लांगों में लम्बाना) । ह—हाँकना, हैरना (यह हरा है, गूँज है यह है) इत्यादि ।

यहु वस्त्रियों की बोली के लिए ज्ञापनाम सुराविरेण
प्रयुक्त होते हैं । जैसे—

हाथी के लिए	चिपाह करना ।
बाघ "	गुर्णना ।
बुज्जे "	भूँकना ।
भारे "	गुआर करना ।
सूअर "	किकियाना ।
मुर्गी "	कुरकुराना, पांग देना ।
काशूतर "	घुड़कना ।
कौथं	वर्द्य-कौथं करना ।
घोड़े "	दिनदिनाना ।
गद्दे "	रेकना ।
चिकियों "	चहचदाना ।
मेट्टक के लिए	टरटराना ।
बकरे "	मेमियाना ।
सियार "	हुआँ-हुआँ करना ।
मोट "	पूँकना ।
मकियों "	भनभनाना ।
कोयल "	बुँड़ बुँड़ करना ।

अथवा—भ्रष्टवय, आमनेसामने, आठोपास, हापर-हापर खी, पक्षपत्र, कोँडी-कोँडी, दीन्यातानी, गुणदगुणा, जहाँ-तहाँ, पारप्रवायन, पथ दानि, मोंज-जागने, ढठने बेठने, हाथों-हाथ, रातोंगात, संच्छानुग्राह हत्यादि ।

कहावतों का प्रयोग (Proverbs)

सोना अपने करन को पुरि में अपना अपने पर में निर्जन्य ग्राम करने के उद्देश्य से, अपना किसी चाल को किसी आँख से

कहने के अभिग्राय से, अथवा किसी को उपालभ्म देने, किसी से व्यंग करने वा चेतावनी देने के लिए ऐसे मुहाविरेदार वाक्य वा उकियों का प्रयोग किया करते हैं जो स्वतन्त्र अर्थ रखती हों। ऐसे वाक्य या उकियाँ 'कहावत' कहलाती हैं। इसे प्रमादवास्य या जनधुति भी कहते हैं।

कहावतों के प्रयोग से बोली अधिक युक्त, प्रमाणित और जोरदार तथा भाषा स्पष्ट और जानदार हो जाती है। किसी वात को स्पष्ट कर समझाने के लिए कहावतों का प्रयोग अधिक प्रभावोत्पादक होता है। भाषा में सजीवता लाने के लिए 'कहावत' बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुरं है। वक्ता भी जब भाषण करने लगता है तो वीच-चीच में रोचकता और स्पष्टता लाने के लिए कहावतों का प्रयोग करता है। सार्वश यह है कि कहावत रचना का एक मुख्य अंग है। तभी तो अलंकारशाल में इसे भी भाषा का एक अलंकार समझा गया है जो 'लोकोकि' अलंकार के नाम से प्रसिद्ध है।

मुहाविरे में वाक्य स्वतन्त्र अर्थ नहीं रखता पर कहावतें स्वतन्त्र अर्थ रखती हैं। जब पृथक्-पृथक् कहावतों का प्रयोग करते हैं तो सापेक्ष वाक्य समूह का निचोड़ कहावत में रहता है। जैसे—

गणेश घड़ा सन्तोषी है, यह द्रव्य के लिए हाथ-हाथ नहीं करता। योही-यहुत खेतीयारी है, जो जीवन-निर्याह के लिए प्रयोग है। मजे से दिन कट जाते हैं। किसी का मुँह नहीं जोहना पड़ता। "न ऊपो का लेना है न माधो को देना है!"

ऐसी प्रकार सैकड़ों कहावतें हिन्दी में प्रयुक्त होती हैं। कुछ कहावतें नीचे दी जाती हैं—

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता । आगे भाष न पीछे पगदा । आँखों के अन्धे गाँठ के पुरे । आँखों के अन्धे नाम नपनसुख । आम का आम गुड़ली का दाम । एक पंथ दो काज । ऊँचों दूकान, फीकी पक्कान । ऊँट किस करघट बैठे । ओछे की प्रीत यादू की भीत । अन्धेर भागी बीपट राजा । काला अधर मैस यरायर । दिया तले अँधेरा । चोर की डाढ़ी मैं तिनका । ग्यालिन अपने दही को खद्दा नहीं कहती । गुड़ खाय गुल-गुले से परहेज । छटी का दृध जवान पर आ गया । छोटा मुँह बड़ी धात । द्वचते को तिनके का सहाय । दाक के तीन पात । दाल भात मैं मूसलचन्द । मान न मान मैं तेरा मेहमान । पाँचो अंगुली धो मैं । सीधी अंगुली से धी नहीं निकलता, नौ की लकड़ी नच्चे खर्चे । पूछे न आछे मैं दुलहिन की चाची । ऐसे की हाँड़ी गयी कुत्ते की जात पहचानी गयी । मोहर की लूट कोयले पर छाप । हँसुआ के व्याह मैं छुरपी का गीत । हाथी के खाये कैप हो गये इत्यादि ।

कुछ संस्कृत और उर्दू की कहावतें भी हिन्दी में व्यवहृत होती हैं । जैसे—

सं०—परंडोपि दुमायते । दैघोपि दुर्बल धातकः ।

उर्दू—मरे को मरे शा मुदा । जान न पहचान यही बोधी सलाम । मियाँ की दौड़ मसजिद तक । चला था नमाज शख्दा-याजे रोजा गले पढ़ा ।

नीति विषयक अथवा युक्तिसंगत एवं या पदांश भी कहावत के रूप में गद्य के साथ प्रयुक्त होते हैं । कथन की पुष्टि के लिय अथवा भाव को प्रभावान्वित करने के लिय ही ऐसा किया जाता है । जैसे—

भाई ! मैं तो तझ्हा आ गया । जब देखो तब दूसरों का मुँह
जोहना पड़ता है । जरा भी इधर किया कि आफलत मची । कैफियत
तलब करते-करते नाकों दम आ गया । नीकरी यही खुरी पला
है । कहा भी है—

“पराधीन सपनहुँ सुख नाहीं ।”

इसी प्रकार—रहिमन पानी रखियो, यिन पानी सब सुन ।

पानी गये न ऊरे, मुक्ता मानिक चून ॥

दोल गवाँर शूद्र पशु नारी ।

ये सब ताड़न के अधिकारी ॥

तिरिया तैल हमीर हठ,

चढ़ै न दूजी थार ।

अन्धेर नगरी, चौपट राजा ।

मुर्ख रु होते हैं इन्सां ठोकरे खाने के थार ।

रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के थार ॥

जाति पाँति पूछे नहीं कोई । हरि के भजे सो हरिंक होई ॥

चार दिना की चाँदनी, किर अन्धेरी रात ।

जेती के सम्पन्न की घाघ कथि की यनायी कहावतें दिहातो
में पहुतायत से प्रचलित हैं ।

(४) अनुच्छेद (Paragraph)

जिस प्रकार पश्चों के नियमयम् समृद्धन को, जिसमें एक
पूरा विचार प्रकट करने की शक्ति हो, वास्तव कहते हैं उसी
प्रकार ऐसे याकद-समृद्ध को जिसमें एक ही भाव प्रदर्शित हो
अनुच्छेद कहते हैं अर्थात् नारेदा वास्तव समृद्ध अनुच्छेद कहलाते
हैं । एक अनुच्छेद समाप्त होने पर दूसरी पंक्ति से नये मात्र को

लेकर दूसरा अनुच्छेद लिखना प्रारम्भ किया जाता है। अनुच्छेद रचना के समय इस बात पर धरावर ध्यान रहना चाहिये कि वाक्यों का इस प्रकार का सङ्गठन हो कि विचारों का तारतम्य नष्ट न होने पावे और जो कुछ कहना चाहें उसका क्रमिक विकास होता जाय। जो भाव प्रगट किया जाय, वह जाय तक स्पष्ट नहीं होगा तथा तक वाक्यों का प्रभावद्वय सिलसिला जारी रहेगा। भाव स्पष्ट होने से सिलसिला तोड़कर दूसरा अनुच्छेद लिखना प्रारम्भ होगा। अनुच्छेद के वाक्यों में आकांक्षा, योग्यता और क्रम रहता है।

परस्पर के वार्तालाप को कथनोपकथन कहते हैं। इसमें प्रत्येक की उक्ति अलग-अलग कर पक्ष-एक अनुच्छेद में रखना पड़ता है।

प्रभ्यास

१—नीचे लिखी प्रियाओं के भूतकालिक रूपों से पक्ष-एक वाक्य बनाओ।

Frame sentences using the following verbs in the past tense :

ज्ञाय मारना, हाथ लगाना, मुँह लगाना, बात बनाना, मुँह आना, बात फेरना, आँख दिखाना। (I. A. Ex.)

२—नीचे लिखे शब्दों को व्ययहार करते हुए पक्ष-एक वाक्य बनाओ।

Form sentences using the following words : कथनोपकथन, नोकझोक, दायमादार मूसलाधार, कूपभंडक, सिर पर लात, मोह में रहकर, बाजार गर्म है।

३—नीचे लिखीकरायतों की व्याख्या करो ।

Explain the following :

- (a) मोहरों की लूट और कोपलों पर छाप, (b) पेट में चूहा कुदना, (c) अपना हृषक्ला अपना बजान (d) मिठाँ की दीड़ मसजिद तक, (e) चोर की दाढ़ी में तिनकर, (f) उफल में मंगल (g) भ्रष्ट लोटना ।

(I. A. I. sc. 1919)

४—नीचे की कहायतों का प्रयोग दिखाओ ।

Give in your own words the significance of the following proverbs :

व्यालिन अपनी दही को खट्टा नहीं कहती । घर पर फूस नहीं और नाम धनपत । रस्सों जल गयी पर बल नहीं गया । सत्तर चूहे खाके बिल्ली चली दज को ।

(Matriculation, 1916, C. U.)

५—निम्नलिखित की व्याख्या करो ।

Translate or explain the following Passage :

(a) आये तो हरि भजन को ओटन लगे कपास ।

(b) अकेला चना भाङ नहीं कोड़ता ।

(c) एक खून का खूनी लाख खून का गार्जा ।

(d) युह खाय युलगुलों से परदेज ।

(e) जैसा देस तैसा भेस । (I. A. 1916, C. U.)

दशम परिच्छेद

अर्थ-प्रकाश (Paraphrase)

गद्य वा पद्य के वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें वान्यार्थ वा सरलार्थ, सारार्थ वा भावार्थ, तात्पर्य और व्याख्यादि कहते हैं। अगर पद्य-वाक्य रहे तो अन्वय कर अर्थ करने में सुगमता होती है।

अन्वय (Prose-order)—पद्यों की पद्य-स्थापन-प्रणाली गद्यों की पद्य-स्थापन-प्रणाली के समान नियमबद्ध नहीं रहती है। पद्य वाक्यों को गद्य के पद्य क्रम के नियमानुसार गद्य में रखने को ही अन्वय कहते हैं। अगर अन्वय में गद्य के पद्य-क्रम को नियमबद्ध करने के लिए एकाध शब्द ऊपर से भी जोड़ने की ज़रूरत हो तो जोड़ सकते हैं। गद्य का अन्वय नहीं होता।

वान्यार्थ वा सरलार्थ (clear meaning)—वाक्य के कठिन एदों, पदसमूहों, वाक्यांशों और मुहाविरों को सरल वान्यार्थ में घटाकर, सुव्योध वाक्य में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है जिसे वाक्य का सरलार्थ वा वान्यार्थ कहते हैं।

भावार्थ वा सारार्थ (Substance)—वान्यार्थ अथवा पर्यायवाची शब्दों के द्वारा किये हुए अर्थ को छोड़कर केवल भाव

लेकर स्वतन्त्र वाक्यों में जो अर्थ किया जाता है। उसे मात्रार्थ या सारार्थ कहते हैं।

तात्पर्य (Purport)—कहनेवाले की इच्छा को तात्पर्य कहते हैं। तात्पर्य लिखने के समय विषयान्तर की बातें अलग कर दी जाती हैं। केवल वक्ता के कहने का अभिप्राय प्रकृति किया जाता है। सारार्थ और तात्पर्य में बहुत धोड़ा अन्तर है।

व्याख्या (Explanation)—पूर्वापर प्रसंग की सारी बातों का उद्देश्य तथा वाक्यों के अन्तर्गत रहस्य-पूर्ण बातों का उद्घाटन करते हुए गद्य या पद्य-वाक्यों के विस्तार पूर्वक अर्थ करने को व्याख्या या टीका कहते हैं। योग्यता के अनुसार व्याख्या अनेक ढंग की हो सकती है।

यहाँ पर एक पद्य उद्घृत कर ऊपर की परिभाषाओं के उद्दरण दिये जाने हैं—

घोवत् सुन्दरि थदन, करन अतिही उवि छाजत।
पारिधि-नाते शाशि-कलंक, जनु कमल मिटायत॥
(सत्य हरिधन्द्र)

(२) अन्यप (Prose-order)—सुन्दरि करन थदन घोवत् (जो) अतिही उवि छाजत। जनु कमल पारिधि-नाते शशि कलंक मिटायत।

(३) वाच्यार्थ (Clear meaning)—मात्रेणु हरिधन्द्र कवि कहते हैं—(गंगाजी में स्नान करने समय) सुन्दर मिठी दायों से मुँह को धोती है जो पृथु दी सुन्दर मालूम पड़ता है। मानो कमल समुद्र के सम्बंध से घन्दमा की कलिमा मिठा रहा है।

(४) मायार्थ (Substance)—स्नान करने तथा सुन्दर

लियाँ सुन्दर हाथों से अपने सुन्दर मुख के मैल को छुड़ा रही हैं।

(४) तात्पर्य (Purport)—स्नान करते समय लियाँ हाथ से अपना मुँह साफ कर रही हैं।

(५) व्याख्या (Explanation)—यह पद हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि भारतेन्दु थी हरिश्चन्द्र लिखित 'सत्य हरिश्चन्द्र' नामक नाटक का है। सत्य के पीछे अपने राज-पाट, घन-धन्य सब कुछ विश्वामित्र को दान देकर सत्यवादी हरिश्चन्द्र भारत के अमरतीर्थ काशी पहुँचे हुए हैं। वहाँ पुण्यस्थिल मागीरथी की मनोमुग्धकारी शामा को देखकर उनका हृदय आनन्द से उमड़ आता है। उसी आनन्द की तरंग में वे गंगाजी की अपूर्व छवि का धर्णन करते हैं। शोभा का धर्णन करते-करते किनारे पर रियों को स्नान करते हुए देखकर वे कहते हैं अथवा यों कहिये कि कवि उनसे कहलवाते हैं—स्नान करती हुई सुन्दरियाँ अपने हाथ से मुँह को धो रही हैं जो वहाँ ही शोभायुक्त मालूम पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कमल समुद्र के सम्बंध के कारण चन्द्रमा के कलंक को मिटा रहा है। यहाँ चूँकि हाथ कमल के समान कोमल और सुन्दर है, इसलिए उसे कमल और चन्द्र के समान सुन्दर मुख को चन्द्र मानकर कवि उद्देश्य करता है कि कमल चन्द्र के कलंक को मिटा रहा है। 'समुद्र के नाते' कहने का तात्पर्य यह है कि कमल और चन्द्र दोनों की उत्तित सागर (क्षीर सागर) से है, इसलिए दोनों में समुद्र के नाते भाई-भाई का सम्बंध हुआ। एक भाई का दूसरे का कलंक दूर करना स्वाभाविक ही है। पद उद्देश्य अलंकार से भूषित है।

श्रम्पास

(१) नीचे लिखे की व्याख्या करो ।

Explain the following :

(क) कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर ।

समय पाय तद्यवर फरै, केतिक सीचहि नीर ॥

(M. E. 1920)

(ख) कोटि यतन कोङ करी, परै न प्रकृतेहि धीच ।

नल यल जल ऊँची चढ़ै, अंत नीच को नीच ॥

(ग) गुनी गुनी सय ही कहै, निगुनी गुनी न होत ।

सुन्यौ कहुँ तर अर्क ते, अर्क समान उदोत ॥

(B. A. Ex. 1918)

(२) नीचे लिखे अनुच्छेद की व्याख्या करो ।

Explain the following :

अहा ! स्थिरता किसी को भी नहीं है । जो सूर्य उदय होते ही पर्यन्तीयल्लभ लौकिक और धैरिक दोनों कर्मों का प्रयत्नस्था । जो दो पहर तक अपना प्रचंण्ड प्रताप क्षण-क्षण बढ़ाता गया, जो गगनाङ्गन का दीपक और काल-सर्प का दिटामनि था, यह इस समय पाकड़े गिर्द की माँति देखो समुद्र में गिरा चाहता है । (सत्य हरिष्चन्द्र)

(३) नीचे का मार्ग लिखो ।

Give the Substance of the following :

(क) जिन दिन देखे थे कुमुम, गर्व सुर्यल बहार ।

अब अलि गही गुलाम में, अपन कर्त्ताली बार ॥

(ख) यहि आदा अटक्यो रहो, अलि गुलाल बं गूल ।

अर्दे बहुत बमल छतु, इन इगन थं घूल ॥

(विहारी)

भ्यारहवाँ परिच्छेद

पत्र-रचना

पत्र-लेखन रचना का एक मुख्य अंग माना जाता है। लेख, कहानी, पुस्तकादि लिखनेवालों की सेव्या तो थोड़ी ही होती है। सभी नहीं लिख सकते, परन्तु पत्र लिखने का काम तो प्रायः सभी को करना पड़ता है। बड़े-बड़े लेखकों से लेकर अक्षर-शान प्राप्त किये हुए व्यक्तियों तक को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जो मूर्ख हैं वे भी पढ़े-लिखे लोगों से पत्र लिखवा कर अपना काम चला लेते हैं। इसलिए पत्र लिखने की साधारण योग्यता प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। साधारणतः पत्रों के तीन भेद हैं—(१) प्रार्थना-पत्र, (२) आशा-पत्र और (३) कार्य-सम्बन्धी पत्र।

(१) प्रार्थनापत्र—किसी वडे अफसर को लिखा जाता है।

(२) आशा-पत्र—अपने अधीन के कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र के उत्तर में लिखा जानेवाला पत्र आशा-पत्र कहलाता है।

(३) कार्यपत्र—सम्बन्धी के कुशल-सम्बन्धी या व्यापार के सम्बन्ध के पत्र को कार्यपत्र कहते हैं। इस विभाग में निमन्त्रण आदि सम्बन्ध-पत्र भी सम्मिलित हैं।

मार्मी प्रकार के गतों में मुख्य दो बातों पर ध्यान देना है। एक पश्च-मार्म्मधी मानवी अपांत् दिष्टाचार पर और दूसरे में लिखे जानेवाले मुख्य विषय पर।

पश्च के दिष्टाचार या विषय पर ध्यान देने के लिए देखना चाहिये कि जिन्हें पश्च लिखा जा रहा है वे यदे हैं, सम घेणी के हैं या छोटे हैं। जिस धेणी के व्यक्ति घेणी के प्रचलित दिष्टाचार के नियम के अनुसार प्रचलित विषय पर लिखना चाहिये। हिन्दी में प्रचलित प्रणाली के सरनामा लिखना चाहिये। हिन्दी में प्रणाली के हैं, एक प्राचीन और दूसरी नवीन प्रणाली।

पुराने दंग के लोग विशेष कर कम पढ़े-लिखे व्यक्ति व्यापारी और जमीदार आदि अब भी पुरानी प्रणाली का सरण करते हैं और नये विचार के शिक्षित लोग नवीन प्रणाली में व्यर्थ की आनुसार पश्च लिखते हैं। नवीन प्रणाली में व्यर्थ की आवाँ नहीं लिएकर संक्षेप में ही मुख्य-मुख्य बातें जाती हैं। आज-कल इसी प्रणाली का अधिक प्रचार होता जाता है।

पुरानी परिपाटी की प्रशस्तियाँ कई दंग की होती हैं। किसी देवता या ईश्वर को नमः लिखा जाता है। प्रारम्भ करते समय यदों को—सिद्ध धी सर्वोपमा सकल गुण उजागर धी शुभस्थाने ये से का नमस्कार, प्रणाम आदि। नाम के पढ़े के लिए 'विद्यायारिधि', 'परमप्रतापान्वित' आदि यदे व्यष्टि भी कभी-कभी जोड़ दिये जाते हैं। नाम के साथ अनुसार यार-यार 'धी' लिखने की भी परिपाटी है, प्रशस्ति लिखकर 'अश्रुशालम् तथास्तु', 'हर दो कुशल चाहिये', 'आप की कृपा से' 'धी गंगा मार्द

से' 'आनन्दकंद भगवान् कृष्णचन्द्र की शृणा से' यहाँ कुशल है..... आप की कुशल चाहते हैं..... इत्यादि लिखकर 'आगे समाचार यह है' अथवा 'बाद सूत जो' या 'समाचार पक बौचना जी', आदि लिखकर पत्र में लिखनेवाली आवश्यक बातें लिखी जाती हैं और अंत में 'पत्र शीघ्र लिखिये 'या' पत्रोत्तर अवश्य दीजिये' आदि तथा शुभमस्तु, इतिशुभम् और तिथि लिखते हैं।

'थ्री' लिखने का नियम—महाराज को १०८, गुरु और पिता को ६, बड़ों को ५, दात्रु को ४, मित्र और समधेणीवालों को ३, सेवक को २ और खीं को १।

छोटों और बराबरवालों को 'सिद्ध थ्री' के बदले 'स्वस्ति थ्री' तथा प्रणामवाची शब्द के बदले आशीर्वाद, आशीष, 'राम-राम' आदि लिखे जाते हैं।

नवीन-प्रणाली के अनुसार पत्र लिखने में शिष्यचार के उपर्युक्त लिखे लौह-विधान को शिखिल कर दिया गया है। इस परिपाटी के अनुसार देवता या ईश्वर के प्रणाम के पीछे पत्र लिखने के कागज पर दाढ़ और कोने पर यह स्थान लिखते हैं जहाँ से पत्र लिखते हैं और ढीक उसके नीचे तिथि या तारीख। उसके बाद यहे-छोटे के अनुसार प्रशस्ति लिखी जाती है। सम्बन्धियों, इष्टमित्रों या आत्मीय व्यक्तियों के पत्र में प्रशस्ति के नीचे प्रणाम, नमस्कार या आशीर्वाद आदि लिखा जाता है पर व्यावहारिक पत्र में यह नहीं लिखा जाता है। फिर कुशलादि जाताने के पदचारू जिस कार्य के लिए पत्र लिखा जाय उसको व्यक्त करना पड़ता है और अन्त में अपना हस्ताक्षर कर पत्र के पृष्ठ भाग पर पत्र पानेवाले का पता लिखा जाता है।

पत्र निराने में प्रशस्ति या सुमासि के छछद्

१—एडों और गुहजनों के लिए—

(क) पूज्यपाद, पूज्यवर, मान्यवर, पूज्य चरणेषु, अदासमद
आदि ।

(ख) आशानुवर्ती, आशाकारी, सेवक, रूपेषी, रूपाकर्णही
प्रणत, स्नेहभाजन, रूपाभिलाषी आदि ।

२—घरावरवालों के लिए—

(क) प्रियवर, बन्धुवर, मित्रवर, प्रियवर पाठक जी, प्रियवर
ठाकुर जी आदि ।

(ख) भवदीय, आपका स्नेही आदि ।

३—छोटों के लिए—

(क) प्रिय, चिरञ्जीव, आयुषान् आदि ।

(ख) तुम्हारा, तुम्हारा शुभचिन्तक, हितैषी आदि ।

४—मित्र के लिए—

(क) सुइदवर, मेरे अभिज्ञ, मित्रवर आदि ।

(ख) भवदीय, आपका अभिज्ञ हृदय-मित्र आदि ।

५—पति के लिए—

(क) आर्थपुत्र, प्राणेइवर, प्राणाधार प्राणपति आदि ।

(ख) आपकी दासी, सेविका, किंकरी आदि ।

६—ख्ती के लिए—

(क) प्रियतमे, प्रिये, प्राणेश्वरी आदि ।

(ख) तुम्हारा हितैषी ।

७—व्यावहारिक पत्र में (क) महाशय ।

(ख) आप का ।

यदि पत्र का उत्तर देना हो तो 'आपका पत्र मिला। पढ़कर प्रसन्नता हुई।' 'पत्र पढ़ते ही हृदय अङ्गाद से गद-नाद हो उठा' आदि और अगर पत्र में कोई आधर्य की बात हो तो, 'पत्र पढ़ते ही दंग रह गया' आदि लिखते हैं। अगर चिन्ता या दुःख की बात पत्र में रहे तो, 'पत्र को पढ़ कर बड़ा दुःख हुआ', 'हृदय चिन्ता से घ्याकुल हो उठा' इत्यादि लिखना चाहिये।

पत्र का पता लिखते समय व्यूथ सावधानी से काम लेना चाहिये। यों हो सारा पत्र स्पष्ट और सुन्दर अक्षरों में लिखना चाहिये परन्तु पता लिखने में विशेष सावधानी रखनी चाहिये। पत्र लिखकर उसे लिफाके में बंदकर लिफाके के कपर पता लिखना चाहिये। अगर पोस्ट-कार्ड हो तो उसके पीछे पता लिखने-याली जगह में पता लिखते हैं।

मुख्य विषय—प्रशस्ति आदि को विचारपूर्वक लिखकर पत्र के विषय पर विचार करना होता है कि पत्र किस अभिशाय से लिखा जा रहा है, जितनी बातें पत्र में लिखनी हों, अगर सम्भव हो तो, उनका संकेत कागज पर लिख लेना चाहिये। तब हर एक संकेत के भाव को स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखते जाना चाहिये। एक बात पूरी हो जाने पर दूसरी बात शुरू की जानी चाहिये। अन्यथा इस टूट जाने से पत्र बद्ध हो जाता है। इसलिए संकेत को पहले लिख लेना जरूरी है। पत्र की भाषा सरल और सुराग्य होना आवश्यक है, भाषा बाह्यन्तर-पूर्ण नहीं होनी चाहिये। पत्र लिखते समय पेसा मालूम पड़े कि जिसे पत्र लिख रहे हैं वह सामने खड़ा है और पत्र लिखनेवाला उससे बातें कर रहा है। पेसा समझ लेने से पत्र की भाषा में बनापटीपन नहीं आने पाता है।

पत्र के द्वारा अच्छे-अच्छे उपदेश, नियंथ और कहानी भी लिखे जाते हैं। इस दृंग के पत्र को लिखने में यही शुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। इधर 'चाँद' नामक मासिक पत्र का पक्ष विद्योपांक 'पश्चांक' के नाम से प्रकाशित हुआ है, उस अंक में यही खूबी है कि अच्छे-अच्छे लेख कविताएँ और गल्प पत्रों में ही लिखे गये हैं। अस्तु ।

पुरानी-प्रथा के पत्र का नमूना

ध्री यमः

सिद्धि ध्री सर्वोपमा विष्णुजमान, सकल गुण आगर नाम खजागर शुभस्थान संप्रामपुर पूज्य मामा जी को योग्य लिखी खड्गपुर से देवनारायण, शिवनारायण और रामनारायण का कोटि-कोटि प्रणाम बाँचना जी। आगे यहाँ ध्रीगंगा माता की कृपा से कुशल आनन्द है। आप लोगों का कुशल ध्री गंगा माता बनाये रखें जिसे सुनकर चित्त प्रसन्न हो। अपरंच समाचार जो आपने कहा था कि रोपा होने के पाद में खड्गपुर जाऊँगा। सो रोपा तो हो गया है, अब कब तक आवेंगे। अगर आवें तो योहा गुड़ और एका केला लेते आवें। विशेष समाचार उत्तम है। अधिक क्या लिखूँ। इति शुभ मिती भाद्र शुक्ला सप्तमी सं० १९८३ विक्रमी ।

नये दृष्टि के पत्र का नमूना

ओ३म्

खजांखी रोड, पटना
ता०

अभियं ध्री,

बहुत दिन हो गये, आपका कोई समाचार नहीं मिला है।

मैं दो पत्र दे दुका पर एक का उत्तर भी नहीं मिला है। मालूम नहीं इसका क्या कारण है। समाचार न मिलने के कारण हृदय चिन्तित रहा करता है। एक तो आज कल मेरा मन योही उदास रहा करता है। आत्मोय जनों और मिश्रों के अभाव से हृदय एकान्तता का कट्टु अनुभव कर घराघर दुःखी रहा करता है। देसी हालत में समय-समय पर आप जैसे अभिन्न मिश्रों का पत्र भी नहीं मिलने रहने से चिन्ता और भी बढ़ जाती है। आदरा है, आए प्रसन्न होंगे। हृत्यिक्ष द्वाकर परीक्षा की तैयारी करते होंगे। विदेश क्या लियँ? पत्र अवश्य देंगे।

आपका अभिन्न हृदय
सुरेश्वर

टिकट

धीयुत धीनारायण पाठक
प्रेम छात्र निवास मुंदी चक,
मागल्पुर

चतुर्थ खंड

प्रथम परिच्छेद

भाषा की शैली (Style)

इन दिनों हिन्दी के गद्य-भाग में कई तरह की लिखने की शैलियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मत है कि हिन्दी की गद्य-रचना में संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग भले ही हो परन्तु अरवी, फारसी, अंगरेज़ी आदि भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी व्यवहार न किया जाय। इस मत के पोषक ऐलगाड़ी जैसे प्रचलित शब्द को 'धूम्रशक्ट' जहाज़ को 'जलयान' पसिअरटेन को यानीयाहक धूम्रशक्ट, दवात को मसिपात्र आदि लिखते हैं। कुछ लोग इसके विपरीत संस्कृत के तत्सम शब्दों का सो कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करते हैं; परन्तु अंगरेज़ी फारसी, अरवी आदि विदेशी भाषाओं के अप्रचलित शब्दों तक को छूसने में ही अपनी यहाउरी समझते हैं। एक तीसरा मत यह भी प्रचलित है कि जहाँ तक हो सके संस्कृत या अन्य विदेशी

के तत्सम शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाय
योलयाल और देशज शब्दों का ही प्रयोग हो।

उपर्युक्त तीनों तरह के मत मान्य नहीं कहे जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह युग हिन्दी के विकास का युग है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप देना है। बिहार, संयुक्तप्रान्त आदि हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों के अतिरिक्त मद्रास, बंगाल, महाराष्ट्र आदि अन्य भाषा-भाषी प्रान्तों में भी इसका प्रचार करना है। अतः इसे संस्कृत के जटिल शब्दों से जकड़कर इसकी सरलता और विकास को रोकना युक्ति-संगत नहीं कहा जा सकता है। फिर भी विदेशी भाषाओं के अप्रचलित शब्दों को ढूसकर इसे ऐसा बना देना कि सर्वसाधारण की समझ में ही न आये हमारी समझ में ठीक नहीं है। सच तो यह है कि हिन्दी के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, इसे राष्ट्रभाषा का महान् गौरव देने के लिए हमें उचित है कि इसको इस योग्य बना दें कि सर्व-साधारण के समझने में कठिनाई न हो और दूसरे प्रान्त के निवासी भी सुगमता से सीख सकें। इसके लिए यही उचित है कि जहाँ तक सम्भव हो सरल मुहावरेदार, और बोल-चाल की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिये। संस्कृत, अङ्गरेजी, फारसी, अरबी आदि अन्य भाषाओं के उन्हीं शब्दों का स्वबहार करना चाहिये जो अधिक प्रचलित हों, जिन्हें सर्व-साधारण बिना किसी दिक्कत के समझ सकें और जिनके प्रयोग के बिना काम ही न चले। इधर कुछ लोग हिन्दी और उर्दू की समस्या में उलझे हुए हैं। उर्दू के हिमायती उर्दू को हिन्दी से एक पृथक् भाषा कायम करने की फ़िक्र में लगे हैं और उर्दू में अधिकाधिक फारसी और अरबी के तत्सम शब्दों को ढूस कर उसे इस प्रकार जटिल बना रहे हैं कि सर्वसाधारण मुसलमान भी समझने में तंग आ जाते हैं। ठीक इसके विपरीत

थोड़े से हिन्दी के लेखक भी हिन्दी से प्रचलित फारसी और अरबी तक के शब्दों को निकालकर उनकी जगह संस्कृत के अप्यावहारिक शब्दों को टूसकर हा अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करते हैं। परन्तु इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। असल बात तो यह है कि उद्दृ हिन्दी से कोई पृथक् भाषा नहीं है। लिपि की पृथकता से उसे पृथक् रूप दे दिया गया है। इसलिए केवल लिपि के कारण उसके व्यावहारिक शब्दों पर हम परवा डाल दें अथवा उद्दृ को ही फारसी या अरबी के ऐसे कड़े शब्दों से भर दें कि स्वयं मुसलमानों को भी समझने में कठिनाई उपस्थित हो तो यह राष्ट्र और राष्ट्रभाषा दोनों के लिए हमें निकार है। सार्वज्ञ यह है कि हिन्दी भाषा के विकास के युग पर ध्यान देते हुए इसे सरल, सुवोध और सुपाठ्य बनाने की कोशिश करनी चाहिये। न तो संस्कृत के आडम्बर-पूर्ण शब्दों से इसे भर देना चाहिये और न अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के अप्रचलित शब्दों को ही टूसकर इसे रखो और भद्दी बना देना चाहिये। पर हाँ, जिन संस्कृत, फारसी, अंगरेजी या अरबी आदि भाषाओं के शब्दों को घुसाये बिना काम ही न चल, तो शब्द सर्वसाधारण की समझ में सुगमता से आ जायें वैसे शब्द बिना किसी हिचकिचाहट के घुसाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा सरल, मुहावरेदार और बोल-चाल के शब्दों में लिखी जानी चाहिये। व्याकरण आदि के नियमों पर भी विशेष ध्यान रहना चाहिये। यस, हिन्दी की इसी शैली के लिखने के पक्ष में अधिकांश लेखक हैं। नवसिखुर लेखकों को तो अवश्य ही इसी शैली का अनुकरण करना उचित है। इस तरह की शैली को हमारे हिन्दीलेखक व्यावहारिक शैली

कहते हैं। कोई-कोई इसे हिन्दोस्तानी भाषा भी कहते हैं। यही व्यावहारिक हिन्दी या 'हिन्दोस्तानी', भाषा राष्ट्र-भाषा होने जा रही है। संस्कृत के अधिकांश तत्सम शब्द जिस भाषा में प्रयुक्त होते हैं वह योलचाल की भाषा नहीं है। उसे किसी प्रकार साहित्यिक भाषा कह सकते हैं।

यह तो हुंर गद्य की थात्। हिन्दी के गद्य की शैली भी आधुनिक काल में कई तरह की प्रचलित है। पण-लेखकों की एक श्रेणी का मत है कि हिन्दी-गद्य की शैली वही रहे जिसे ब्रजभाषा कहते हैं। अर्थात् देव, विद्वारी, मतिराम आदि महाकवियों ने जिस भाषा में कविता की है उसी भाषा में अब भी कविता करना उचित है। एक दूसरा दल कहता है कि उस भाषा का हृष्ट व्यवहार करना कठिन है इसलिए उस में खड़ी-शैली की भाषा का सम्मिश्रण भी हो जाय तो कोई हर्ज की थात नहीं है। तीसरे दल का विचार है कि हिन्दी भाषा में पुरानी रुद्धियों का अनुकरण करना ठीक नहीं। समय के प्रवाह के अनुसार इसमें परिवर्तन होना ज़रूरी है। इसलिए शुद्ध खड़ी शैली में व्याकरण आदि के नियमों का प्रतिपालन करते हुए कविता करनी चाहिये। अब तक तो अधिकांश कवि इसी तीसरे मत को माननेवाले थे परन्तु इसमें क्रान्ति मच गयी है। कुछ नये कवियों ने हिन्दी संसार के कविता-प्रान्त में विशुद्ध खड़ा कर दिया है। येसे क्रान्तिकारी कवियों का कहना है कि तुकबद्दी आदि पिंगल के जटिल नियम से घिरे रहने के कारण हिन्दी के स्वतन्त्र कवि अपने भावों को नए कर देते हैं। इसलिए पिंगल
[तिवन्ध रहना

लिखनी चाहिये। ऐसे कवियों पर बंगला-भाषा के कवियों की छाया पढ़ी है और वे रहस्यवादी या छायावादी कवि कहलाते हैं। कविता का यह युग छायावादी कवियों का युग हो रहा है। ऐसे कवियों की बाड़ सी आ गयी है। यद्यपि सभी इस छाया-बाद या रहस्यवाद के मर्म को नहीं समझ पाये हैं परन्तु एक-आध दर्जन ऐसे भावुक कवि हैं जो सचमुच में हिन्दी-कविता में युगान्तर पैदा करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

द्वितीय परिच्छेद

निबन्ध-रचना सम्बन्धी कुछ नियम

किसी निर्दिष्ट विषय पर कुछ लिखकर अपना मनव्य प्रकाशित करने को ही निबन्ध कहते हैं। निबन्ध को लेख, रचना या प्रबन्ध भी कहते हैं। भाषा के अनुसार निबन्ध-रचना दो तरह से हो सकती है। एक ग्राम-द्वारा दूसरे ग्राम-द्वारा। फिर दोनों तरह के निबन्ध के दो भेद हो सकते हैं। एक अलंकृत रचना दूसरी अनलंकृत या साधारण रचना। अलंकारशास्त्र के नियम के अनुसार भाषा को रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि नामों प्रकार के अलंकारों से विभूषित कर देने से वह अलंकृत रचना कहलायेगी और अपने मनोगत भाव को सीधी-सादी और सरल भाषा द्वारा प्रगट करना अनलंकृत या साधारण रचना कही जायगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि नवसिद्धुएँ लेखक अलंकृत रचना में विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अलंकृत रचना में हृदय के भावों का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए जो नये लेखक हैं वे ग्रामः शब्दाङ्कवर या अलंकार के चक्र में पड़कर भावों को नष्ट कर देते हैं जिससे रचना अलंकृत होते हुए भी भावपूर्ण नहीं हो पाती है और विना भाव के, चाहे भाषा कौसी ही उत्कृष्ट क्यों न हो, निबन्ध

कौटी काम का नहीं। केवल यहे-यहे लेखक ही, जिनके पास शब्दों का भांडार है, जिनकी लेखन-शैली परिमार्जित हो गई है और जिन्हें दान्द-शान और भाषा-शान के साथ-साथ विषय का पूरा शान है, अलंकृत रचना कर आपने भावों को सुरक्षित रख सकते हैं, साधारण धेणी के लेखकों में, जो अलंकृत रचना के आदी होते हैं, ऐसा प्रायः देखा जाता है कि वे प्रारम्भ में तो यहे लम्बे-चौड़े शब्दों तथा अलंकृत शब्दों को लिखकर अपनी योग्यता को भूमिका लिखने तक में ही समाप्त कर देते हैं और आगे जाकर ऐसा पछाड़ खाते हैं कि भावों को सुरक्षित रखना तो दूर रहा, भाषा का भी निर्वाह नहीं कर पाते। इस ढङ्ग के निवाघ का लिखना नहीं लिखने के बराबर है। अतः नवसिद्धिए लेखकों को यादिये कि आप से इति तक एक ही ढङ्ग की सीधी-सादी भाषा का व्यवहार करें, लम्बे-लम्बे शब्दों और वाक्यों के केर में उलझकर अपने भाव को नष्ट न करें। हाँ, जब लेख लिखते-लिखते वे पूरे आग्यस्त हो जायें, उनके पास शब्द का काफी भांडार हो जाय, वे विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, तथा उपमा, रूपक, उत्त्वेक्षण आदि उन्नचकोटि के अलंकारों से युक्त भाषा लिखने लायक उनके मस्तिष्क की कल्पनाशक्ति विकसित हो जाय तो आप से आप वे अलंकृत भाषा में रचना कर सकेंगे और वैसी दशा में भावों के प्रवाह में अहृचन उपस्थित होने की भी अधिक सम्भावना नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त निवाघ लिखने के पहले निम्नलिखित धातों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना उचित है।

(१) व्याकरण के नियमों के अनुसार लेख के सभी धर्म, शब्द और वाक्य तुद रहें। व्याकरण के नियमानुसार वाक्य

शुद्ध न रहने से, चाहे भाषा कैसी ही अलंकृत क्यों न रहे, लेख महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

(२) लेख की भाषा अथ से इति तक एक ही तरह की रहे। अत्यन्त क्षिए भाषा में, जिसमें लम्बे लम्बे सामासिक पदों का व्यवहार किया जाय, लेख लिखने से भावों का निर्वाह कठिन हो जाता है। हाँ, अगर सम्भव हो तो उचित स्थान पर कहावतों या लोकोक्तियों और मुहाविरों का प्रयोग अवश्य करना चाहिये। ऐसा करने से भाषा ज़ोरदार और अधिक प्रभावशाली होती है।

(३) विराम के चिह्नों पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।

(४) लेख इस ढांडे और सरलता के साथ लिखना चाहिए कि पढ़नेवालों को समझने में कठिनाई न हो।

(५) जहाँ तक निर्वाह हो सके, संस्कृत, अंगरेज़ी, फारसी आदि अन्य भाषाओं के अप्रचलित या अव्यावहारिक तत्त्वम शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

(६) लेख में अद्भुत तथा प्रामीण शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। मुहाविरे का प्रयोग करते समय यह ख्याल रखना चाहिये कि उसका अप्रयोग न हो।

(७) लेख में निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिये। उतने की शब्द व्यवहृत होने चाहिये जितने से लिखने का मनव्य पूरा हो जाय। न तो व्यर्थ के अधिक शब्द ही रहें और न निरर्थक वाक्य का ही प्रयोग हो।

(८) प्रसंग को छोड़कर इधर-उधर के विषयों पर नहीं लिखना चाहिये। इसके लिए पूर्णांपरि परस्पर स्थान देने की आवश्यकता पड़ती है। लेख पुनर्विद्योप से रहित होना चाहिये।

(९) विषय, अर्थ, विस्तय, शोक आदि अर्थवाले पदों को दुहराने में पुनरुक्ति दोष नहीं होता है ।

(१०) एक ही भाषा को चार-चार दुहराना भी ठीक नहीं है । भाषा को प्रकाशित करने में उपयुक्त पदों का व्यवहार करना उचित है ।

(११) जहाँ तक सम्भव हो, लेख संशेष में ही लिखना चाहिये । लेख जितना ही कसा हुआ रहेगा उतना ही उच्चकोटि का होगा । अधिक विस्तार कर देने से अशुद्धि भी अधिक होती है । प्रायः देखा जाता है कि बहुत से विद्यार्थी लम्बी-चौड़ी हैं । ग्रन्थ का वार्षिक जिस विषय पर लेख लिखना होता है उस विषय पर एक लम्बी कहानी ही लिखकर लेख को समाप्त कर डालते हैं । ऐसे लिखनेवालों को यह सोच लेना चाहिये कि लेख लिखने का मतलब कहानी लिखने से पूरा नहीं हो सकता है । जिस विषय पर लिखना हो पहले उसे स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिये । हाँ, जब किसी विषय को अधिक स्पष्ट करने के अभियाय से उसे कहानी के द्वारा प्रमाणित और पुष्ट करने की आवश्यकता पड़ जाय तो कहानी लिख सकते हैं पर कहानी छोटी रहे और इस ढंग से लेख के अन्दर पुसायी जाय कि लेख का सिलसिला न विगड़ने पाये ।

(१२) वर्णनीय विषय को खूब सोच-विचारकर लिखना चाहिये । यदि विषय कठिन हो तो पहले उसका अर्थ स्पष्टकर लेख शुरू करना चाहिये । यदि आवश्यकता हो तो प्रारम्भ में प्रस्तावना (Introduction) और अंत में उपसंक्षण (Conclusion) लिख देना उचित है ।

(१३) वर्णनीय विषय को विभागों में बाँटकर एक गुरुर्लभ

की बातें दूसरे अनुच्छेद में नहीं जाने देना चाहिये । हाँ, अगर प्रस्ताव गम्भीर और यहाँ हो जाय तो एक भाव को कई अनुच्छेदों (Paragraph) में भी विभाजित कर सकते हैं ।

उत्तम लेख लिखने के साधन

१ भाव-संप्रह—जिस प्रकार लेख के बाह्य सौन्दर्य की वृद्धि के लिये रचना सम्बन्धी नियमों को सीखने की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार लेख के भीतरी सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये उत्तम-उत्तम भावों को संप्रह करना (Collection of good thoughts) भी आवश्यक है । भाव भाषा का भीतरी सौन्दर्य है और लेख की जान है । भाव-शूल्य लेख कैसी ही सुन्दर और मधुर भाषा में क्यों न लिखा गया हो, व्यर्थ होता है, इसलिए नये लेखकों को याहिये कि लेख में अच्छे-अच्छे भावों का समावेश कर रचना को पुष्ट बनायें ।

२ अध्ययन—नये-नये भावों का संप्रह करने के लिये, यहें-यहें लेखकों के विचारों को जानने के लिये, भिन्न-भिन्न तरह की भाषा की शैलियों से परिच्छित होकर अपने विचारानुसार अपनी कोई विशेष और उत्तम शैली चुन लेने के लिये, नये-नये विषयों को सीखने के लिये तथा भाषा सम्बन्धी अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न विषयों की पुस्तकों, यहें-यहें लेखकों के लेखों और उच्चकोटि की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते रहना चाहिये और जो नये भाव, शब्द, मुद्दावरे, कहावतों आदि का नया प्रयोग देखने में आवे उन्हें सीखकर अपने लेख में समावेश करने का प्रयत्न करना चाहिये । इससे शब्दों का भंडार पूर्ण होता है, भावों का संप्रह होता और लेख लिखने में वही सहायता मिलती है ।

३ अभ्यास—नये लेखकों को प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिये। जब लिखना पूरा जाय तो फिर उसे पढ़कर यह देखना चाहिये कि कहाँ व्याक की अशुद्धियाँ रह गयी हैं, कहाँ भाष्य बिगड़ गया है और कौन रचना भद्री हो गयी है। अगर हो सके तो अपने से अधिक जाननेवाले व्यक्ति से उसे शुद्ध करा लेना चाहिये। इस प्रकार बराबर लिखने का अभ्यास करते रहने से साधारण लेखक में अच्छे लेखक के पद पर पहुँच सकते हैं।

४ चिन्ता—जिस किसी विषय पर लेख लिखता हो एवं मन में उस विषय पर सूच विचार करता चाहिये। विचार करते समय उस विषय के सम्बन्ध में जो-जो भाष्य मन में उठे उनके पक्ष विवाज के टुकड़े पर लिख लेना चाहिये। फिर रचना के सुन्दर धनाने के लिए उन भावों को सुन्दर शब्दों द्वारा विस्तृत कर लेहा का रूप देने का प्रयत्न करना चाहिये।

प्रथम-भैद

यों तो सभी विषयों के लेख करने लंडों में थाटे जा सकते हैं परन्तु मुख्यतः इसके पाँच भैद माने गये हैं।

- (१) वर्णनात्मक लेख—Descriptive essays.
- (२) विवरणात्मक लेख—Narrative essays.
- (३) विचारात्मक लेख—Reflective essays.
- (४) विश्लेषणात्मक लेख—Expository essays.
- (५) विवादात्मक लेख—Argumentative essays.

तृतीय परिच्छेद

वर्णनात्मक लेख (Descriptive essays)

आँख से देखे हुए या कान से सुने हुए किसी प्राणि या अप्राणिवाचक पदार्थ के विषय में जो लेख लिखा जाय उसे वर्णनात्मक लेख कहते हैं। इस खंड के लेख कई भागों में विभक्त हो सकते हैं; जैसे—(१) जन्म, (२) उद्भिद, (३) अचेतन पदार्थ (४) स्थान विशेष, (५) पर्यादि। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक भाग के पक्के दो लेख विषय-विभाग (Points) का दिव्यर्जन कराते हुए यहाँ दिये जाते हैं।

(क) जन्म विषयक लेख

विषय-विभाग (Points)—(१) धेणी और जाति, (२) आकार-प्रकार, रंग और जीवनकाल, (३) वासस्थान, (४) स्वभाव, (५) तुराक, (६) उपकार या अपकार और (७) उपसंहार।

प्रायः सभी जन्म विषयक लेख के लिए ऊपर लिखे अनुसार विषय विभाग किये जा सकते हैं।

(१) गाय (Cow)

धेणी और जाति—पालन् और चौथाया जानवरों में से गाय प्रधान है। यह मैदानी, स्तनपायी और पशुर करनेवाले की

थेणी में है। कर्णी-कहीं पह जंगलों में भी पायी जाती है। फिर कपिला, नील गाय आदि भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं।

आकार-प्रकार गंगादि—आश्वर की हाइ से गाय कई प्रकार की होती है। कोई छोटी, कोई मझोली और कोई बड़ी। भाग में ही भिन्न-भिन्न प्रान्तों की गायें भिन्न-भिन्न आहुति की होतीं। गुजरात और युक्तप्रान्त की गायें अन्य प्रान्तों की गायों से अधिक ऊँची और हृष्टयुए होती हैं। पहाड़ी मुतकों की गायें तथापि देख में छोटी होती हैं तथापि बड़ी मजबूत होती हैं। गाय साधारण साढ़ेचार फीट तक ऊँची और पाँच फीट तक लम्बी होती है शरीर गड़ीला और सुडौल होता है। मुख लम्बा, नथुने चौं और सिर पर दो सींग होते हैं। साय शरीर घने रोओं से ढक रहता है। इसके मस्तक के दोनों पाईंव में दो लम्बे सम्बन्धित और पीछे की ओर एक लम्बी पूँछ होती है जिसका ऊपरी भाग मोटा और नीचे कमशः पतला होता है और छोर पर लम्बे बालों का गुच्छा रहता है। इन्हीं कान और पूँछ को संचालित कर दद मच्छड़ों से अपनी रक्षा कर पाती है। इसके एक ही जबड़े में दाँत होते हैं। गद्देन के नीचे चमड़े की चौड़ी चादर लटकती रहती है। इसकी चारों ऊँगें बड़ी मजबूत होती हैं और प्रत्येक में कटा हुआ खुर होता है। गाय काली, गोली, उजली, कैली चितकल्यरी आदि कई रंग की होती है। इसका जीवन-काल प्रायः १२, २० घर्य माना गया है। यह ९ मास में पदा दिया करती है। साल में प्रायः एक ही बार बढ़ा देती है।

वासस्थान—गाय पृथ्वी के प्रायः सभी भागों में पायी जाती है। तिथ्यत तथा हिमालय के प्रान्तों में पायी जानेवाली गायें चमरों गाय के नाम से प्रसिद्ध हैं।

स्वभाव—गाय यहूं सीधे स्वभाव की होती है और सहज में ही पोस मानती है। अपने पालनेवालों से इस प्रकार हिलमिल जाती है कि उनके नहीं रहने से चैन से नहीं रहती और हुँकार भरती रहती है। यह यहूं सहनशील होती है। किसी को जल्दी चोट नहीं पहुँचाती। इसका हृदय इतना पवित्र होता है कि हिन्दू इसे माता कहते हैं।

खुराक—गाय धास, नारा, भूसी, चोकर, मात का धोयन और माड़ आदि पदार्थों को खाकर अपना जीवन बिताती है।

उपकार—गाय के उपकार के विषय में जितना लिखा जाय सब थोड़ा है; क्योंकि संसार में ऐसा कीन व्यक्ति होगा जो इसका कठीन हो। आरम्भ ही से लीजिये। इसका दूध घालकों की जीवन-रक्षा का एक मात्र उपाय है। इसका दूध अस्थन्त पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। रोगियों और बुढ़ों के लिए लाभप्रद है। दूध से छेना, मधुखन, धो, दही, तक्कर तथा नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनायी जाती हैं। दूध से यन्हीं हुंर सभी चीजें स्वास्थ्य के लिए यहूं लाभदायक सिद्ध हुई हैं। इसका धी विशेषकर पुराना धी अनेक औषधियों में काम आता है। गाय के धूर्णों को बढ़ने पर लोग हृल में जोतते हैं। भारतवर्ष की हृषि तो सर्वथा गो-जाति पर ही अवलम्बित है। हृंगलैण्ड आदि मुल्कों में भले ही धोढ़ीं तथा कलों के द्वारा खेती का काम हो सकता है परन्तु भारतवर्ष जैसे हृषि-प्रधान देश के लिए तो गो-जाति ही खेत जोतने का एकमात्र साधन है। अतएव यह निससंकोच कहा जा सकता है कि जन्म से मरुयु पर्यन्त गाय हमारे लाभ की चीज़ है। इसके गोबर का उत्तम खाद बनता है। हमारे देश में गोबर का गोईंदा बनाकर उसे

जलावन के काम में लाते हैं। हिन्दू गोवर को पवित्र मानते और पूजादि-शुभकार्य के अवसर पर इससे भूमि लीपते हैं। गाय मरकर भी मनुष्य जाति का उपकार ही करती है। इसकीहरू लेती के खाद में या बटन, छारी के बैट आदि धनाने के काम आती है। चमड़े के जूते धनते हैं और पूँछ के घाल की रससी, चंद्र आदि।

उपसंहार—गाय से मनुष्यजाति के जितने उपकार होते हैं
उन्हें देखते हुए अगर हिन्दू इसे देयता समझते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? परन्तु खेद है कि हमारे मुसलमान भाई ऐसे उपकारी जीव को हत्या करने में ही प्रसन्न रहते हैं। युध है कि ये यह नहीं समझते कि गो-वंश का द्वास होने से दृष्टि-वी का मिलना दुर्लभ हो रहा है और लेती का काम नष्ट होता जा रहा है जिससे हिन्दू मुसलमान दोनों को ही दानि है।

(२) मछली (Fish)

धेणी और जाति—मछली अस्थिमय, अंडा और जलचारी प्राणी है, सभी मछलियों को दीढ़ नहीं होती। रेह, बुआरी, कतली आदि घड़ी-घड़ी मछलियों में छंदंडी प्राणी के अन्तर्गत आ सकती है परन्तु घोंगा, पोटिया आदि छोटी छोटी मछलियों के दीढ़ नहीं होती है। प्राणि-विद्या-विशारदों का कथन है कि मछली प्रथानतः आठ धेणियों में विमल की जा सकती है। इस प्रथेके धेणी में और भी घुन सी उग्धेणियाँ हो सकती हैं। हमारे देश में बगली, रेह, सिंही, माँगुर, बुआरी, गाझुल, पलिस, तीरी आदि अनेक ताह की मछलियों पायी जाती हैं। नगुद के उग्ध मान में अनांगिक साड़े तीन दूसरे ताह की मछलियों पायी जाती हैं।

आकार-प्रकार रंगादि—आकार की इष्टि से मछली असंख्य प्रकार की होती है। यह एक इंच से लेकर १०-१२, कीट तक लम्बी हुआ करती है। सामुद्रिक मछलियाँ इतनी लम्बी-चौड़ी होती हैं कि आइमी तक को अपने ऊपर बैठा सकती है। सभी छोटी बड़ी मछलियों के मस्तक, पूँछ और तैरने के लिए दैने हुआ करते हैं। किसी-किसी जानि की मछली को आखे नहीं होती है। कुछ मछलियों के अंग चोगेदार चोटों से घने रहते हैं। मछली उजली, काली, लाल आदि विविध रंगों की होती है। किसी-किसी सामुद्रिक मछली के अंग से एक प्रकार की चमक प्रकट होती है। सामुद्रिक मछलियाँ यहीं घलवती हुआ करती हैं। इसकी आयु थारह से थीस वर्ष तक मानी गयी है।

प्रासिस्थान और खुराक—मछली का वासस्थान तो जल है। समझिए। यह तालाय, हील, नदी और समुद्र में पार्या जाती है। इसकी खुराक सेमार, छोटी-छोटी मछलियाँ, कीटियाँ तथा अन्य गन्दी चौड़ी हैं। यहीं-यहीं मछलियाँ तो मुझों को भी नोच-खसोटकर खा जाती हैं।

स्वभाव—मछली यहीं ही चंचल प्रहरति की होती है। कहते हैं इसे अपनी सन्नान से यहुत कम प्रेम होता है। यह अंदा देनी है।

उपकार—मछली भी मनुष्यों के खाद्य-पदार्थ में गिनी गयी है। इसके गून और मांस से अनेकों की तृप्ति होती है। इसकी चरणों से यना हुआ तेल इम्मा आदि रोग से प्रसित रोगी के लिए लाभदायक होता है, भारतवर्ष में अहिंसा-धर्म के मानने वाले मछली नहीं खाते हैं। यंगाल में तो मछली प्रधान स्वाद

है। मछली को लोग शौक से पालते भी हैं। लोगों का कहना है कि यह जल को स्वच्छ बनाती है। कुछ ऐसी भी मछलियाँ हैं जिनसे उपकार के बदले अपकार ही होता है। सँकुची आदि विषेली मछलियों की पूँछ से आहत हुए जीवों के ग्राज भी नहीं यज्ञ पाते। इसके अंदों का याता यहाँ स्वादिष्ट होता है।

उपसंहार—मछलियाँ आपस में हिलमिल कर रहती हैं। पोखरों तथा नदियों में हजारों की संख्या में बल धाँपकर अठखेलियाँ करती हुई दिखाई देती हैं। थाना के अवसर पर मछली को देखना हिन्दुओं के पर शुभ माना गया है। यहुत से हिन्दू ऋषिम मछलियों को अपने-अपने महलों के काफर लटका देते हैं। इसकी आखों पर्हा ही भली मालूम रहती हैं।

(ख) उद्धिद् विषयक लेख

विषय-विभाग—(१) जाति और भणी, (२) आकार प्रकार घर्ण आदि, (३) विशेष घर्णन, (४) प्रासि-स्थान, (५) उपकार और (६) उपसंहार।

(१) कटहल

जाति और घेणी—कटहल उद्धिद् के व्युत्थाविक वृप्त-धेणी में है। यह भारतवर्ष के रसीले फलों में गुण्य है।

आकार प्रकार घर्ण आदि—सेपार हो जाने पर इसका वृप्त प्रायः ३०-४० हाथ ऊँचा होता है। इसके घड़ वज्र प्राप्ति सात-आठ हाथ होता है। शाखाओं के वैश्वाय से इसका वृप्त बहु ही घना और ऊपराधार होता है। कटहल के घड़ का एक पूरा ग्रह का होता है। इसकी जड़ इसकी मजाकूर भरी होती। यही काला

है कि इसके वृक्ष हवा के शोंकि से जल्दी गिर पड़ते हैं। कटहल की पत्तियाँ चार-पाँच इंच लम्बी और उससे कम चौड़ी पक तरफ बहुत चिकनी तथा दूसरी ओर रखबड़ी होती हैं। इसकी पक पत्ती जिस स्थान से निकलती है दूसरी उससे कुछ ऊपर, दूसरी ओर निकलती है। इसीलिय कटहल को 'विषर्णस्त पञ्चशाली' उद्भिद कहते हैं। इसकी पत्तियाँ यह की पत्तियों से प्रायः मिलती जुलती हैं। कथी पत्तियाँ हरे रङ्ग की और पक्की पीले रङ्ग की रहती हैं।

लोगों का कहना है कि कटहल के पूल नहीं होते। इसी ऐतु यह 'अपुण्य फलद' मी कहलाता है। लेकिन यह अनुमान गलत है। इसके पूल होते हैं जो इसके छिलके से ढंक रहने के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। छिलके के भीतर ही भीतर ये पूल पड़ते हैं और फल के रूप में परिणत होने पर ही हम लोग उन्हें देख पाते हैं।

कटहल का फल सब फलों से यहाँ होता है। आकार-ग्राहक की दृष्टि से कटहल पृथ्वी पर अद्वितीय फल है। एक कटहल के फल के भीतर अनेक छोटे-छोटे फल रहते हैं जिन्हें 'कोआ' कहते हैं। फल के मध्य भाग में रीढ़ की नारँ एक शूसल रहता है। जिसमें फल के सब तन्तु जुटे रहते हैं। कोआ गुहादार होता है। जिसके भीतर कटहल का धीज रहता है।

विशेष धर्णन—ज्यै कटहल का पेह पूलने-फलने लायक होता है तथ जाडे के बातु में इसमें पूल लगाना बुर होता है। इन पूलों में साधारण सुगन्ध रहती है। जाहा समात होते न होने फल लगाना भी प्रारम्भ हो जाता है। पहली अवस्था में फल हरे रङ्ग का होता है जो पुण्यश्वल से दब रहता है। कुछ पड़ने पर

यह कटहल का 'लेंद्रा' कहलाता है। शुक में वृक्ष इन लेंदों से भरा रहता है। पर यह लेंदे नहीं टटरते। अधिकांश गिर पड़ते हैं। प्रायः तीन-चार महीने में फल बढ़कर पुष्ट होता है और ज्येष्ठ से पकने लग जाता है। किसी-किसी कटहल के वृक्ष में पृथ्यों के नीचे सिरे में भी फल लगते हैं; इसलिए कटहल को लोग 'मूल पहरद' भी कहते हैं। फल का वजन एक सेर से दो मन तक का होता है।

प्राति-स्थान—यों तो कटहल भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में पाया जाता है परन्तु बहाल और विहार में सब से अधिक होता है। यह भारत के यादव मठाया द्वीप-सुंजों, लद्दा और यम्बा में भी पाया जाता है।

उपकार—कटहल का कोआ पड़ा ही रसीला और मीठा होता है। लोग इसे यहे चाय से खाने हैं। लेकिन पचने में यहा भारी होता है अतः हानि पहुँचाता है। इसके कच्चे फल और मूसल की तरकारी बनती है। सस्ते मूल्य पर मिलने के कारण गरीब लोग इसे अधिक खाते हैं। कटहल की लकड़ी से यहुमूल्य चीजें बनायी जाती हैं।

उपसंहार—कटहल में ऐसी यहुत सी विशेषताएँ हैं जो सब कलों में नहीं पायी जाती हैं। एक तो यह कि इसका फल पृथ्यी पर के सभी फलों से आकृति में पड़ा होता है, दूसरे प्रायः सभी फल शाखा के अप्रभाग में फलते हैं पर कटहल के फल वृक्ष के सभी अंगों में लगते हैं। कहा जाता है कि इसके कोप पर पान की पिरकी पढ़ने से वह यहुत पूल जाता है, इसलिए कटहल खाकर पान नहीं खाना चाहिये। धी के साथ मिलाकर कोप खाने से वह जब्दी पचता है।

(ज) अचेतन पदार्थ विषयक लेख

विषय-विभाग—(१) साधारण घर्णन, (२) आकृति, घर्ण रूपादि, (३) पूर्व अवस्था (घनाघटी रहने से आविष्कार का इतिहास), (४) लाभ, हानि और (५) उपसंहार ।

(१) लोहा (Iron)

साधारण घर्णन—लोहा हानिज घातु विशेष पक अमिथित और ठोस पदार्थ है । भ्रन्ति जाति के लिए लोहा सब घातुओं की अपेक्षा अधिक आवश्यक घातु है, यह जल की अपेक्षा प्रायः आठगुना अधिक भारी है ।

आकृति-घर्ण आदि—लोहा यहुत ही कठिन घातु है । यद देखने में कालं रङ्ग का होता है, जब लोहा खुलं स्थान या जल में रहता है तो इसमें सहज में ही मोरचा लग जाता है । विशुद्ध लोहा सब जगह नहीं पाया जाता है । रासायनिक प्रयोगों के द्वारा जब यह विशुद्ध किया जाता है तब इससे बहुत सी चीज़ें पनायी जाती हैं । विशुद्ध लोहा उजला होता है । लोहा अग्नि में तपाने से चमकने लगता है । इसे गलाकर तरल पदार्थ में परिणत करने के लिए पन्द्रह सौ डिग्री से भी अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है । लोहा चुम्बक के द्वारा आकृप होता है । विचुल् अथवा चुम्बक के सहयोग से इसमें धृणिक चुम्बकत्व आ जाता है । लोहा जल में यद नहीं सकता ।

लोहे की पहली अवस्था—लोहा संसार के प्रायः सभी भागों में पाया जाता है । विशेष कर भारतवर्ष, इंग्लैण्ड, स्वीडेन, जर्मनी, हालैण्ड, स्पेन, यूरोप पहाड़, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि स्थानों में लोहे की खान यहुतायत से पायी जाती है ।

प्रारंभिक अवस्था में विशुद्ध लोहा नहीं पाया जाता। इसके बातें, गंधक आदि पदार्थ मिले रहते हैं। इस तरह के लोहे अंगरेज़ी में पिंग आयरन (Pig Iron) कहते हैं।

उपयोगी बनाने के उपाय—खान में गंधक आदि मिले लोहा मिलता है। इसे व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए अनेकों तरीके उपायों का अचलम्बन करना पड़ता है। अनेक प्रकार रासायनिक प्रयोगों के द्वारा इसमें मिलेहुए गंधकादि धातुओं का दूर कर जब इसे विशुद्ध बनाया जाता है तब यह हमारे कानों की चीज़ होती है। विशुद्ध लोहा तीन भागों में विभक्त किया गया है। पीटा हुआ लोहा (Wrought Iron), पलाया हुआ लोहा (Cast Iron) और इस्पात (Steel Iron)। रासायनिक प्रयोगों के ही द्वारा लोहे को इन तीन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं परिवर्तित कर सकते हैं। पीटे हुए लोहे में अग्नि का उत्तापन द्वारा जलने से वह कोमल हो जाता है और वैसी अवस्था में उत्तापन द्वारा बनाना प्रकार की चीज़ें बन सकती हैं। गले हुए लोहे में कार्बन का अंश सब से अधिक और पीटे हुए लोहे में सबसे कम रहता है। कार्बन का अंश निकालकर इस्पात बनाया जाता है। इस्पात अन्य लोहों से कहा और मजबूत होता है।

लाभ—यद्यपि लोहा अन्य धातुओं की अपेक्षा कम मूल्यवान धातु है तथापि सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक है। जिस देश में लोहे का जितना ही अधिक उपयोग किया जाता है वह देश वर्तमान समय में उतना ही अधिक सभ्य गिना जाता है। इसलिए लोहा वर्तमान सभ्यता का एक चिह्न-स्वरूप है। अति प्राचीन काल में, जिसे इतिहास में प्रस्तरण कहा गया है, दुनिया के लोग लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे और

परम्परों के ही अख्यात तथा खेती के औजार आदि बनते थे। लेकिन ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास हुआ था तो लोगों ने लोहे का व्यवहार करना सीखा और लोहे के ही अख्य, शाख, औजार आदि बनाने लगे। आधुनिक काल में तो लोहे का व्यवहार इतना थड़ गया है कि विना इसके हमारा एक काम भी चलने को नहीं। लोहे के ही बने औजार द्वारा हमारी खेती होती है। लड़ाई में लोहे के ही बने अख्यात उपयोग में लाये जाते हैं। रेल, जहाज आदि लोहे के ही बनते हैं। लोहा घरों में लगाया जाता है। कहाँ तक गिनाया जाय, खाने, पोने, धैठने, उठने आदि की सभी चीज़ों की सामर्पी बनाने में लोहे की ही आवश्यकता पड़ती है। इनके अतिरिक्त छड़ी, छूरी, कैंची, बक्स, सन्दूक आदि हजारों तरह की संसारोपयोगी चीज़ें इससे बनायी जाती हैं। इस बीसवीं सदी के वैश्वनिक युग में तो लोहे ने संसार में एक प्रकार की प्रान्ति मचा दी है। हुनिया की औद्योगिक प्रान्ति में लोहे का सब से अधिक भाग है। विभव का सारा व्यापार इसी पर अवलम्बित है क्योंकि आधुनिक काल में कल-पुरजे, यन्त्र, मशीनगान आदि जितनी नयी-नयी चीज़ों का आविष्कार हुआ है वे सभी लोहे की ही बनायी जाती हैं।

हानि—जहाँ लोहे से संसार का महान् उपकार हो रहा है वहाँ इससे हानि भी कम नहीं है। लोहे की अनेक प्रकार की विपर्णी मशीन आदि के आविष्कार से लोगों के हृदय में युद्ध करने की मद्यंकर ग्रेणा बगायर जगी रहती है जिससे संसार के दंग-मंच पर खून-खराढ़ी की आशंका सर्वशा थर्नी रहती है। कहा जाता है कि गत योरोपीय महायुद्ध छिड़ने का एक कारण लोहा भी था।

उपसंहार—भगवान को लीला मी विचित्र है। उसकी लीला है कि ऐसी उपयोगी चोर्ज़ संसार के प्रायः समझ में बहुतायत से पार्द जाती है। लोहे की भस्म औपचित्र है।

(घ) स्थान विषयक लेख

विषय-विभाग—(१) परिचय, (२) पूर्व इतिहास, आधुनिक घटना, (४) शासन, (५) प्राचीनिक इतिहास, अन्य दर्शनीय चोर्ज़, (६) उपज और (८) उपसंहार

(१) मुग्रे

परिचय—पुण्य-सलिला मार्गीरथी के पुनीत तट पादर्व की ओर विहार प्रान्त का प्रसिद्ध नगर मुग्रे है। यह यहाँ ही रमणीक शहर है। पुराणों में यह गुरु के नाम से प्रसिद्ध है।

प्राचीन इतिहास—कहा जाता है कि यह नगर नामक शिष्य का वसाया हुआ है। प्राचीन युग में यह समृद्धिशाली था। यहाँ अब भी गर्भा के किनारे वाले नामक पक्के अति प्राचीन देशालय हैं जहाँ शशांतुरी वाला वर्ण प्रति रिन चंद्रो माता की पूजा करने आते हैं। किनारे काश्यपरिण घाट नाम का एक अत्यन्त रमणीय नाम रमण का थाना हुआ घाट है जहाँ पर अब भी प्राचीन रमण का थाना हुआ घाट है जहाँ पर अब भी छिपि में लिले हुए कई एक दिग्गंबर धार्मिक जाने हैं। परिचर राधान की प्राचीनता के प्रमाण स्पष्ट हैं। १८ वीं शताब्दी के लिए यहाँ एक विश्वास धार्मिक धर्मालय होने वाला था और यहाँ तक बंगाल और चिरा का गांगा नदी के द्वारा बारं तारं बंगाल वर्षा वाला ग्रन्थपार्ना होने वाला

प्राप्त हो चुका है। मीरकासिम के समय के बने हुए दुर्ग के भीतर उसी समय की यहुत सी हड्ड इमारतें अब भी मुंगेर के प्राचीन गौरव को दरसा रही हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस दुर्ग का अस्तित्व मीरकासिम के यहुत पहले ही समय से कायम था। कदाचित् राजा कर्ण ने ही इसे घनवाया था और मीरकासिम ने इसका पुनरुद्धार किया। दुर्ग के भग्नावशेष को देखने से सहज में ही यह अनुमान किया जा सकता है कि सी समय यह यहाँ ही सुरक्षित और सुदृढ़ दुर्ग रहा होगा। दुर्ग के एक ओर गङ्गा नदी बहती है और शेष तीन ओर छाँड़ी गहरी खाई खुदी हुई है। तीन प्रवेश-द्वार हैं। इन दिनों किले के हाते में सरकारी कच्चहरी, डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड तथा भयुनिसिपल बोर्ड के दफ्तर और जेल हैं। जेल के अन्तर्गत की अधिकांश इमारतें मीरकासिम के समय की ही बनी हुई हैं। किले के हाते में एक भयकुर खोद भी है। कहते हैं कि मीरकासिम इसी खोद से होकर अँगरेजों के भय से मारा था। इनके अतिरिक्त मीरकासिम के लड़के और लड़की गुल और घरगा की प्रसिद्ध कवरे भी किले के हाते में ही हैं। जिनकी प्रेम-कहानी बही ही दर्दनाक है।

आधुनिक घर्णन—मुंगेर आधुनिक समय में विहार सूवे का एक ज़िला है। देखने में यहाँ ही रमणीक शहर है। इसकी लम्बाई प्रायः चार मील और चौड़ाई दो मील से भी अधिक है। १० आर्ह० रेलवे के सुप्रसिद्ध जंपशन जमालपुर से रेल की एक शाखा यहाँ तक आई है। यहाँ डायमण्ड जुबली कालिज नामक एक कालिज है जहाँ सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। साथ ही सरकारी हाँ, १० स्कूल के अतिरिक्त २१उन स्कूल, दूनिझ पके-

इमी, आदि हार्द स्कूल स्थापित हैं। और पुस्तकालय की भी कमी नहीं है। एक विश्वविद्यालय के भीतर शहर से विश्वविद्यालय अलग सरकारी विश्वविद्यालय है। निफट ही चुचेनप्रूल जेल है जहाँ विश्वविद्यालय की रखेजाते हैं। मुँगेर में हूरी, कैचलोहे की उत्तमोत्तम चीजें यननी हैं। सिलिप एक यहुन पष्ठी तम्बाहु की फैफ़रूर दुजार कुली काम करते हैं। मुँगेर शहर पर जमालपुर में १० आई० रेलवे का सवारिसमें पचीस हजार से भी अधिक भजार

शासन—मुँगेर शहर में सरकार की रहते हैं जो जिले भर की देखरेख करते हैं। लिप एक म्युनिसिपल बोर्ड कायम है।

प्राकृतिक दृश्य—मुँगेर शहर से तीन सीताकुंड नामक एक गरम जल का छाता अस्पन्त उपज है। हाथ तक नहीं सधता। भी निराली है। माधी पूर्णिमा में घहाँ भारी

अन्य दूसारतों—दूसारतों में कण्चीढ़ा गोयनका का गगन-चुम्बी प्रासाद, तिनपहाड़ रमणीय कोठी, राजा देवकीनन्दन प्रसाद का द्वाल आदि दर्शनीय हैं।

उपज—घहाँ की प्रधान उपज धान, आदि है। यहाँ से निकट ही पाटम नामक दाल अपूर्य स्थानिए होती है। पाटम में पानी नहीं होता।

है। आम, लीची, अनार आदि फल भी पाये जाते हैं।

उपसंहार—यद्यपि मुँगेर एक प्राचीन नगर है तथापि इसका बर्तमान रूप पुराने हृप से विलुप्त भिन्न है। यद्यपि यह छोटा है तथापि वहाँ ही रमणीक और चित्ताकर्पक है। किले के भीतर की सड़कें बड़ी ही प्रशस्त और चिकनी हैं। किले के मुख्य फाटक पर एक बड़ा सा दाचरक्काक शहर की शोभा को और भी बढ़ा रहा है। सारांश यह है कि मुँगेर दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ही अप्रसर होता जा रहा है।

अभ्यास

नीचे लिखे विषयों पर छोटा-छोटा निबन्ध लिखो।

Write short essays on the following subjects.

(क) जीव-जन्तु (Animals)

(१) घोड़ा, भैंस, कुत्ता और चिल्ही—Horse, Buffalo, Dog and Cat.

(२) हाथी, चन्द्र, सिंह और हिरन—Elephant, Monkey, Lion and Deer.

(३) कबूतर, मुर्गा और बस्क—Pigeon, Cock and Duck.

(४) सर्प, मङ्ग और होल मछली—Serpent, Frog and Whale fish.

(ख) उद्धिदू विषयक (Trees, plants, etc.)

(१) आम, लीची और नारङ्गी—Mango, Lichi and Orange.

(२) गुलाब, लता और चमोली—Rose, Creeper and

Chamelee flower.

(ग) अन्य विषय (Other subjects)

(१) सोना, चाँदी और कोयला—Gold, Silver and Coal.

(२) बहाल, अफ़ग़ानिस्तान और पट्टना—Bengal, Afghanistan and Patna.

चतुर्थ परिच्छेद

विवरणात्मक लेख (Narrative essays)

जिस लेख में किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, भ्रमण-वृत्तान्त सम्बन्धीया या सामयिक घटनाओं का वर्णन किया जाय उसे विवरणात्मक लेख कहते हैं। इस ढंग के लेख के अनेक भेद हो सकते हैं।

(क) ऐतिहासिक लेख (Historical essays)

विषय-विभाग—(१) भूमिका—समय, स्थान इत्यादि।
(२) घटना का कारण—मुख्य और गौण। (३) विस्तृत विवरण। (४) फलाफल और (५) विशेष मन्तव्य।

(१) हल्दीघाट की लड़ाई (Battle of Haldighat)

भूमिका—दिल्ली के मुगल सम्राट् अकबर के पुत्र सलीम और चित्तौर के महाराजा प्रतार्पणसिंह के बीच सन् १५७६ई० में अर्धली धा आवृ पहाड़ के निकट स्थित हस्तीघाट में घनघोर युद्ध छिड़ा था जो भारतवर्ष के इतिहास में हस्तीघाट की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है।

कारण—सम्राट् अकबर ने अपनी चतुर्याँ से राजपूताने के ग्रायः अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने घर में कर लिया

है। आम, लीची, अनार आदि फल भी पाये जाते हैं।

उपसंहार—यद्यपि मुँगेर एक प्राचीन नगर है तथापि इसका वर्तमान रूप पुराने रूप से बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि यह छोटा है तथापि यहाँ ही रमणीक और चित्ताकर्पक है। किला के भीतर की सड़कें बड़ी ही प्रशस्त और चिकनी हैं। किले के मुख्य फाटक पर एक बड़ा सा टावरक शहर की शोभा को और भी बढ़ा रहा है। सारांश यह है कि मुँगेर दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ही अप्रसर होता जा रहा है।

अभ्यास

नीचे लिखे विषयों पर छोटा-छोटा निष्पन्ध लिखो।

Write short essays on the following subjects.

(क) जीव-जन्तु (Animals)

(१) घोटा, भौंस, बुत्ता और बिट्ठी—Horse, Buffalo, Dog and Cat.

(२) हाथी, बन्दर, सिंह और हिरन—Elephant, Monkey, Lion and Deer.

(३) कबूतर, मुगाँ और बत्तक—Pigeon, Cock and Duck.

(४) साँप, मैडक और छेल मछली—Serpent, Frog and Whale fish.

(ख) उद्भिद विषयक (Trees, plants, etc.)

(१) आम, लीची और मारङ्गी—Mango, Lichi and Orange.

(२) गुलाब, लता और घमेली—Rose, Creeper and

डमी, आदि हार्द स्कूल स्थापित हैं। औषधालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय की भी कमी नहीं है। एक अनाधालय भी है। किले के भीतर शहर से बिहुल अलग सारकारी विचारालय की इमारतें हैं। निकट ही जुवेनियूल जेल है जहाँ २१ वर्ष से कम उम्र के किंदी रखे जाते हैं। मुँगेर में छूटी, कौंची, गुजो, बागूक आदि लोहे की उत्तमोत्तम चीजें बनती हैं। सिएटे त्रिपात्र करने के लिये एक बहुत यही तमाहु की फैक्ट्री है जिसमें प्रायः इस दज्जार कुली काम करते हैं। मुँगेर शहर से पाँच मील की दूरी पर जमालपुर में १० आई० एलेक्ट्रिक का सब से बड़ा कारखाना है। जिसमें पचीस हजार से भी अधिक मजदूर काम करते हैं।

शासन—मुँगेर शहर में सरकार की ओर से एक कालाकार रहते हैं जो किले भर की देश-रेख करते हैं। शहर के प्रशासन के लिये एक मुनिसिपल बोर्ड कायम है।

प्राचीनिक शहर—मुँगेर शहर से तीन मील की दूरी पर भिन्नारुद्ध नामक एक गाम जल का शारना है। जिससा जल अत्यन्त उपग्रह है। हाथ तक नहीं सधना। उस जगह की एक भी निराली है। मात्री पूर्णिमा में वहाँ भारी मेला लगता है।

अन्य शहरतों—शहरतों में कर्णनीहा कोठी, पातू वैज्ञानिकनाथ का गगन-भुम्भी प्रसाद, लिनपहाड़ी पर उनी दुर्गमर्गीय कोठी, राजा देवशीनश्वन प्रसाद की दाकुगायाड़ी, राजाल आदि दर्जनीय हैं।

उपज़—यहाँ की प्रधान उपज धान, गेहूँ, आहर, आदि है। पहाँ में निकट ही गाटम सामाज राजान के आहर राज अर्थव्यादिक दोरा है। गाटम में पान की बीड़ी भी दोरा है। मुँगेर पांच-सौरे एक व्यापारिक केन्द्र होता जा।

है। आम, लीची, अनार आदि फल भी पाये जाते हैं।

उपसंहार—यद्यपि मुँगेर एक प्राचीन नगर है तथापि इसका वर्णनान् रूप पुराने हृष से विन्दुल भिन्न है। यद्यपि यह छोटा है तथापि यहाँ ही रमणीक और चित्ताकर्त्त्वक है। किला के भीतर की सड़कों पर्ही ही प्रशस्त और चिकनी हैं। किले के मुख्य फाटक पर एक यहाँ सा टायरहूक शहर की दोभा को और भी यहाँ रहा है। साधारण यह है कि मुँगेर दिन प्रतिदिन उम्रति की ओर ही अप्रसर होता जा रहा है।

अभ्यास

निचे लिखे विषयों पर छोटा-छोटा नियन्त्र लिखो।

Write short essays on the following subjects.

(क) जीवजन्तु (Animals)

(१) घोड़ा, भैंस, कुत्ता और बिट्ठी—Horse, Buffalo, Dog and Cat.

(२) हाथी, घन्दर, सिंह और दिरन—Elephant, Monkey, Lion and Deer.

(३) कबूतर, मुर्गा और बत्तक—Pigeon, Cock and Duck.

(४) साँप, मैडक और ह्लेल मछली—Serpent, Frog and Whale fish.

(ख) उद्भिद विषयक (Trees, plants, etc.)

(१) आम, लीची और नारङ्गी—Mango, Lichi and Orange.

(२) गुलाब, लता और चमेली—Rose, Creeper and

Chamelee flower.

(ग) अन्य विषय (Other subjects)

(१) सोना, चाँदी और कोयला—Gold, Silver and Coal.

(२) बङ्गाल, अफ़ग़ानिस्तान और पटना—Bengal, Afghanistan and Patna.

चतुर्थ परिच्छेद

विवरणात्मक लेख (Narrative essays)

जिस लेख में किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, भ्रमण-वृत्तान्त सम्बन्धी या सामयिक घटनाओं का वर्णन किया जाय उसे विवरणात्मक लेख कहते हैं। इस ढंग के लेख के अनेक भेद हो सकते हैं।

(क) ऐतिहासिक लेख (Historical essays)

विषय-विभाग—(१) भूमिका—समय, स्थान इत्यादि।
(२) घटना का कारण—मुख्य और गौण। (३) विस्तृत विवरण। (४) फलाफल और (५) विशेष मन्तव्य।

(१) हल्दीघाट की लड़ाई (Battle of Haldighat)

भूमिका—दिल्ली के मुगल सम्राट् अकबर के पुत्र सलीम और चिंचोर के महाराणा प्रतारपासिंह के बीच सन् १५७६ई० में अर्वली या आद् पहाड़ के निकट स्थित हल्दीघाट में घनघोर युद्ध छिपा था जो भारतवर्ष के ऐतिहास में हल्दीघाट की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है।

कारण—सम्राट् अकबर ने अपनी चतुर्पाई से राजपूताने के प्रायः अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने वश में कर लिया

विस्तृत वर्णन—जिस समय आबू पद्दातुल खाली रवि की सुनहरी किरणों पहुँची, उसी समय हल्दीघाट के प्रणालींगण में दोनों ओर की सेनाओं की मुठभेड़ हुई। मुगल सेना के सेनापति शाहज़ादा सलीम शाही पर सवार थे और उसकी सेना

धोर महाराणा प्रतापसिंह अपने प्रसिद्ध चेटक घोड़े पर। महाराणा का चेटक भी अद्वितीय घोड़ा था। एक ओर एक लाल सेना थी और दूसरी ओर केवल बाहस हज़ार थीर थे परन्तु इन थीरों में अपूर्व उत्साह था। धर्म और गौरव की रक्षा करने की एकान्त प्रेरणा ने इन थीरों को मतवाला बना दिया था। दोनों ओर से मारकट प्रारम्भ हुई। एक से एक थीर धराशायी होने लगे। चारों ओर खून की नदियाँ धड़ चलीं। सारा भैदान रक्तमुखित हो गया। स्वयं महाराणा चेटक पर सवार होकर मुग़लों की सेना में तीर की नारं धुस पड़े और अपनी दुधारी तलवार से अपने चारों ओर धिरे हुए मुग़लों की सेना का संहार करते हुए सलीम के निकट तक पहुँच गये। चेटक ने अपना दोनों पैर हाथों के भस्तक पर रख दिया और महाराणा ने सलीम को अपने भाले का निशाना बनाना चाहा। उस समय का दृश्य बड़ा ही विचित्र था। मालूम पड़ता था कि अब सलीम का प्राण बचना दुर्लभ है। मुग़लों की सेना में चारों ओर हादाकार मच गया परन्तु देययोग से भाला हीदे के थीच धैठे हुए सलीम को न लगकर मदायत को जा लगा। सलीम बच गया। थार चूक जाने पर महाराणा मुग़लों की सेना से घिर गये। इनके प्राण सद्गृह में पड़ गये। उस समय तक एवं अस्सो धाघ लग चुके थे। चेटक भी यक़्कर शिथिल हो चुका था परन्तु इस भीषण परिस्थिति में स्वामिभक्त हालामानसिंह ने घड़ी बदादुरी से अपने स्वामी के प्राण बचा लिये। उस ह्यामिभक्त थीर ने इट प्रताप के सिर की पगड़ी अपने सिर पहन ली। मुग़लों की मदान्घ सेना उसे ही महाराणा समझ उस पर टूट पड़ी। हाला सरदार के प्राण तो नहीं बच पाये परन्तु महाराणा ऐश्वर्य बच निकले। इस प्रकार थड़ी देर तक घमासान

लहूर्दारि होती रही परन्तु लाख सेना के आगे मुद्री भर राजपूत घीर कर तक ठहर सकले थे । सभी तितर-चितर हो गये । निराश होकर महाराणा ने ज़हल की राह ली । यस्ते में ही उनके प्यारे छोटक ने भी उनका साप छोड़ परलोक की यात्रा की । इस प्रकार हन्दीघाट की लहूर्दारि का अन्त हुआ ।

फलाफल— हन्दीघाट की लहूर्दारि का अन्त हो हुआ परन्तु महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आये और न चित्तीर की प्रजा ने दी अक्षयर की अधीनता स्वीकार की । मुगलों ने सारे चित्तीर को उआइ दिया । महाराणा अपने परियार के सहित अपने धर्म और गौरव के रहार्थ ज़ंगलों में भटकले रहे । लाखों तरह दी कठिनाईयों का सामना किया । यही-यही गुस्तीयतें होली परन्तु अक्षयर के अधीन नहीं हुए ।

विंशों बन्तव्य— यदों तक कह होलने के बार महाराणा में अंत में पहाड़ी प्रदेश में अपने पिता के स्मारक स्वरूप उदयपुर नामक नगर बसाया और चित्तीर छोड़कर वही रहने लगे । चित्तीर की सारी प्रजा ने उनका साप दिया । सभी चित्तीर छोड़ उदयपुर में जा बसे । अक्षयर की पक न चली ।

(ख) जीवन-चरित्र सम्बन्धी लेख

विषय विभाग— (१) वर्तित्य, (२) वास्तवीयता, (३) शिष्य, (४) कार्यशाल, (५) आदर्दी कार्य, (६) वर्तित्र, (७) गृह और ... ।

१. गोविन्द राजदे (Mahadeo Govind Raasdey)

वर्त्य—महारेव गोविन्दराजनां भागत्वार्थं के इन महाराजों
विषयमात्र से दृश्य में धड़ा की पारा प्राप्तिनि

हो उठती है और जिनके आदर्श चरित्र का अनुकरण करने से हमारे देश के नवयुवक अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इनका जन्म सन् १८४२ई० की १८ वीं जनवरी को घर्यां प्रान्तान्तर्गत नासिक जिले के एक गाँव में हुआ था। इनके पिता कोल्हापुर रियासत के दीवान थे। ये जाति के महाराष्ट्री ब्राह्मण थे।

यात्यजीवन—यचपन में ये थड़े भोंडू और मनहस के समान दीख पहुँचे थे। इनके यचपन के थोड़े स्वभाव को देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं कर सकता था कि आगे जाकर ये एक आदर्श और महान व्यक्ति होंगे। स्वयं इनके माँ-बाप को यह चिन्ता रहती थी कि ये दस-पन्द्रह रुपये मासिक भी नहीं कमा सकेंगे। परन्तु ये पढ़ने में थड़े ही तेज निकले। इनकी कुदाप्र शुद्धि देखकर सब दंग रह गये सबों की धारणा गलत निकली।

शिक्षा—यचपन में ये पिता के साथ रहकर अपनी मातृ-भाषा मराठी सीखने लगे। पश्चात् अंगरेजी पढ़ने के लिए पलिफिनिस्टन कालेज में भेजे गये। अपनी आश्वर्यजनक प्रतिभा के चमत्कार से ये परावर सम्मान के साथ परीक्षोत्तीर्ण होते गये। एक० ए० तक इन्हें परावर छाश्वृति मिलती रही। सन् १८६२ ई० में इन्होंने थी० ए० आनंद की परीक्षा पास की जिसमें इनको एक स्थर्णपटक और दो सौ रुपये पारितोषिक में मिले। साथ ही एम० ए० में पढ़ने के लिए १५० रुपये की छाश्वृति भी मिली। सन् १८६५ ईस्वी में दस्ती योग्यता के साथ इन्होंने एम० ए० और १८६६ ईस्वी में यकालत की परीक्षा पास की। ग्रन्त्येक परीक्षा में अपने शान्त के छाओं में पहला रुपान्न प्राप्त करते गये।

कार्यकाल—शिक्षा समाज कर सुकर्ते के बाद सन् १८६८ ई० में महादेव गोविंद रानडे पलिफिनिस्टन कालिज के अंगरेजी के आधारपक नियुक्त हुए। अध्यापन का काम ये इस रूबी और योग्यता के साथ सम्पादित करते थे कि इनसे शिक्षा विभाग के अधिकारी यहे ही सन्तुष्ट रहा करते थे। परन्तु इस पद पर ये बहुत दिन ठहर नहीं सके और सन् १८७३ में ८०० रुपये मासिक वेतन पर पूना के जज नियुक्त हो गये। न्यायाधीश के पद पर रहते हुए उत्तरोत्तर इनकी उप्रति होने लगी और १८९३ ई० में ये घर्वाई हाईकोर्ट के जस्टिस बना दिये गये। सात वर्ष तक इस वित्तिष्ठित पद पर रहकर ये असाधारण योग्यता के साथ कार्य सम्पादन करते रहे। इनके कार्य से प्रसन्न होकर सरकार ने इन्हें ती० आर० ई० की उपाधि से भूषित किया।

आदर्श कार्य—अपनी विलक्षण कार्य-प्रत्ता के फल स्वरूप ये केवल सरकार के ही सम्मान-भाजन नहीं वृत्तिक जनता के भी दृश्यहार बन गये थे। ये न्याय करते समय घनी-गरीब सभी को उमटाए से देखते थे। धरावर जनता की भलाई के उपाय सोचा जाते थे। सैकड़ों गरीब विद्यार्थियों को अपने पास से खर्च देकर छाते थे। मूल्य के समय भी चालीस हजार रुपये सर्वजनिक स्थानों के लिए दान कर गये। घर्वाई की जनता रानडे महोदय के उपकार को कभी भुला नहीं सकती।

चरित्र—रानडे महोदय की इस आशातीत उप्रति का कारण यह उनकी विद्वता ही नहीं वृत्तिक उनका चरित्रयल भी था। ये अपने चरित्रयल के प्रभाव से ये यहे ही सर्वप्रिय हो गये थे। जैसे यिद्वान् थे वैसे ही सदाचारी और कर्त्तव्यनिष्ठ थी थे। तो इन्हें दूर सक नहीं गया था। इनका स्वभाव यथार्थ

में अनुकरणीय था। इर्षा-द्वेष का तो ये नाम भी नहीं जाते थे तथा यहे ही मिलनसार और मिष्ठायी थे। अपने जीवन में किसी को अभिय बचन इन्होंने नहीं कहा। साइंगी के तो ये साक्षात् अवतार थे। इनना प्रतिष्ठित और विद्वान् होने पर भी इनका रहन सहन विल्कुल सादा और स्वदेशी ढङ्ग का था। घर पर सदा मिर्ज़ै और कण्डोप पहना करते थे। किसी चीज़ का व्यसन इन्हें नहीं था। इन्हीं सब गुणों के कारण लोग इन्हें विशेष धन्दा और भक्ति की दृष्टि से देखते थे और अब भी इनके नाम को सुनकर हृदय में धन्दा उमड़ आती है।

मृत्यु-काल—ये सन् १९०१ई० की १६ वीं जनवरी को परलोक सिधारे। इनकी मृत्यु से लोग यहे दुःखी हुए। इनके शव के साथ हजारों विद्यार्थी, उच्च कर्मचारी तथा असंख्य जनता और हाई कोर्ट के चौफ जस्टिस आदि यहे प्रतिष्ठित व्यक्ति दर्शान घट तक गये थे।

उपसंहार—रानडे माता-पिता के यहे ही भक्त थे। ये अपने आदर्श चरित्र के यह से संसार में अमर हो गये। ये इतिहास के भी यहे प्रेमी थे। अर्यशास्त्र और इतिहास पर इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। भारत की गरीबी का चित्र खींचते हुए कई एक गम्भीर लेख भी लिखे हैं। इनका लिखा हुआ ‘मराठों का उत्कर्ष’ नामक इतिहास-अन्य यहा ही प्रामाणिक माना जाता है।

(ग) ब्रह्मण-सम्बन्धी लेख

विषयविभाग—(१) स्थान समय आदि (२) विस्तृत विवरण ।

(१) जापान की सैर (A trip to Japan)
ता० २१-५-१५ को प्रातःकाल कियोटे के लिए प्रस्थान किया

और डेढ़ घण्टे में नारा पहुँच गये। किसी समय नारा जापान की राजधानी थी। आधुनिक नगर उस समय के नगर का दर्शाता भी नहीं है।

रेल से उत्तरकर हम लोग एक जापानी होटल में गये। यहाँ फर्दों पर सुन्दर चशाइयाँ बिछी थीं। कपड़े उत्तरकर सोलह मास के शाद आनन्द से हम जमीन पर लेट गये। सब से आश्र्य-जनक यात यह थी कि यहाँ कुरं का ठंडा जल मिला। गर्मी की अधिकता से मोजन के बाद विश्राम किया। इतने में यादल घिर आये और अच्छी वर्षा हो गयी इससे कुछ ठंडा हुआ और चार बजे शाम को हम नगर देखने गये। पहले हम संप्रहालय देखने गये। इसका नाम यहाँ "हक्काग्रतस्कान" है। यहाँ धार्मिक उत्सवों से निर्मित पुरातन जापानी शिल्प को देखने का अच्छा मौका मिलता है। मूर्तिनिर्माण, चित्रण तथा अन्य सुशुभ्रार शिल्प को धर्म से कितनी सहायता मिलती है इसका अद्वाजा भलीभाँति देखने से सभी प्राचीन देशों में मिलता है। इस संप्रहालय में जापानी शिल्प के नमूने बहुतेरे स्थानों से एकत्र किये गये हैं। यहाँ की मूर्तियों में बहुत सी सातवीं और आठवीं सदी की हैं। नके अतिरिक्त यहाँ बहुत कीमती हस्तलिखित पत्रों और प्राचीन अष्टारों के हस्ताक्षरों का बहुत यहा संग्रह है। इतिहास के पूर्व मिट्टी के बर्तन और मन्दिरों के अन्य अस्त्र-शाखों का भी अच्छा संग्रह है।

यहाँ से "नन्दाईमो" तथा "नियोमो" नामक पुराने दक्षिणी ग्राटक और दो नृशतियों के कपाट देखकर भगवान् बुद्ध की अशाल मूर्ति देखने गये। कौसे की यह मूर्ति ५३॥ फीट ऊँची है। बुद्ध भगवान् ध्यानावस्थित सुखासन में कमल-

पुण्य पर घडे हैं। यहाँ से हम हिरनों को देखने गये। आस ह घडे-बड़े मीदानों में हजारों हिरन चरते हैं, ये मनुष्यों से नहीं डरते और हाथ से लेकर खायपार्थ खा जाते हैं। इनके सींग मी छुने में घडे नरम लगते हैं। क्योंकि ये प्रतिवर्ष इसलिए काट दिये जाते हैं कि याक्रियों को कष म पहुंचे। यहाँ से हम नारा में अवशिष्ट एक विशाल धंदा देखने गये जो ७८९ समवत् में दाला गया था। यह १३॥ फीट ऊँचा और ९ फीट चौड़ा है। इसके ढालने में २७ मन रहेंगा और ९७२ मन ताँचा लगा है तथा अन्य पदार्थों का उज्जन नहीं दिया गया है।

धर लौटसे समय हम एक तालाब पर आये। इसमें घुटुत से छोटे-छोटे कहुप और मछलियाँ थीं। इन्हें धावल की बनी एक प्रकार की लम्बी रोटी खिलाते हैं। रोटी का ढुकड़ा फैकले से इन में जो लडाई होती है वह देखने योग्य है।

ता० ३०-३-१५ को प्रातःकाल हम शिष्टो-मन्दिर 'कासुणा' देखने गये। यह 'कुजीयापुल' के धीरों को समर्पित है। यहाँ के शिष्टों देवताओं के नाम 'आमानो' को यानो' है। मन्दिर घुटुत सुन्दर बना है। यहाँ पर एक विचित्र संस्करणी है। एक ही तने में सात भिन्न प्रकार के वृक्ष उगे हैं।

ता० ३१-३-१५ को नारा से आसोका के लिप रवाना होकर हम धीर में 'हरमुन्जी' में उत्तर पड़े। जापान में यह सब से प्राचीन धीर-मन्दिर है। सं० ६६४ में बनकर तैयार हुआ था। यह केवल मन्दिर ही नहीं, एर पर एक प्रकार का मठ भी है। इसके सिवा यहाँ कर्म मन्दिर हैं। प्राचीन काल में यहाँ विशाल विद्यापीठ था, जिसमें हर-प्रकार के शान के विस्तार और प्रचार का प्रबंध था।

'हरमुजी' से चलकर योद्धी देर में हम आसोका पहुँच गये। रास्ते में एक जगह अपने देश की तरह ढंकी से धान कूटते देखा। देखते-देखते रेल नगर के सन्निकट पहुँच गयी। जिस प्रकार कालों से कलकाते पहुँचने के समय सारा नमोमण्डल धूधाच्छादित और ऊँची-ऊँची चिमनियों से भरा हुआ एक जंगल सा देख पड़ता है, जिनमें से भुजाँ निकलकर आकाश की काला घना देता है, ठीक ऐसा ही समा यहाँ भी दिखाई देता है। आसोका में बड़े-बड़े मकानों को बहुतायत है। सारा नगर ऊँची-ऊँची चिमनियों से भरा है। योद्धी-बड़ी योद्धी सदृके हैं। योदोगावा नामक नदी नगर के बीच में से बहती है और उसकी अनेक नदियों से अनेक जल-मार्ग बन गये हैं। इसीलिए योदोपवाले इसे जापान का वेनिस कहते हैं।

रात्रि को इन नदियों की दोभा अकथनीय होती है। इसमें छोटी-बड़ी नौकाएँ धर देखर आती-जाती दिखाई देती हैं। इन पर जल-यात्रा या जल-विहार के प्रेमी सैर करते हैं।

दर्शकों के मनोरंजनार्थ सड़क, पुल, इमारतें सभी विजली के प्रकाश से जगमगाती रहती हैं। पल-पल पर रंग-रूप बदल यद्दलकर विश्वापन की पटरियाँ (Sigo-boards) दर्शकों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। फ्रान्स में पेरिस के आमेल टावर के ढंग पर यहाँ भी एक ऊँचा धरहरा बना है जो विद्युत-प्रकाश से जगमगाता रहता है। इसमें ऊपर जाने के लिए विजली का यन्त्र है।

एक दिन काँच का कारखाना देखने गये। यहाँ बाजू और एक प्रकार की सफेद मिट्टी मिलाकर काँच बनाते हैं। इसके बाद हम चमड़े का कारखाना देखने गये। हमारे साथ जो युवक

जापानी व्याषणी आये थे, कहने लगे कि जब घर पर लोगों को मालूम होगा कि हम चमड़े के कारखाने में गये थे तो माये पर नमक छींटकर शुद्ध किये दिना हमें घर में घुसने न देंगे। यहाँ चमार लोग अशुद्ध समझे जाते हैं।

आसोका की दूसरी ओर एक घण्टे की राह पर कोये नगर है यह यहाँ का प्रधान बन्दर है। यहाँ देशी तथा विदेशियों के बड़े-बड़े कार्यालय हैं जिनमें भारतवासियों की भी १०, १२ दूकानें हैं। याकोदामा में भी ३०, ४० दूकानें भारतवासियों की हैं।
(संकलित)

(घ) सामयिक घटना सम्बन्धी लेख

शिष्य-विभाग—(१) समय, स्थानादि, (२) कारणादि, (३) विवरण, (४) फलाफल और (५) उपसंहार।

(१) गत १९२७ की उड़ीसे की बाढ़

भूमिका—गत १९२७ के अगस्त के महीने में सारे उड़ीसे प्रान्त में पिरोपकर काटक के ज़िले में महा प्रबण्ड बाढ़ आई थी।

कारण—यों सो उड़ीसे की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है कि प्रत्येक थर्प थर्पीकर्तु में कुछ न कुछ बाढ़ आ ही जाती है। यह प्रान्त और प्रान्तों की अपेक्षा निम्न तह में अवस्थित है। साथ प्रान्त पहाड़ों से जाऊदादित है और समुद्रतट से बहुत ही निकट है। इसी कारण बहुत सी छोटी-छोटी नदियाँ भी बहा ही उम और प्रत्येक भेष धारण कर रही हैं। महानदी का तो कहना ही क्या है। योही ही थर्प होने पर इसमें भीषण बाढ़ आजानी है। इस बार की बाढ़ के भी मुख्यतः ये ही कारण हैं। पहाड़ों पर अधिक थर्प होने के कारण इस थर्प की बाढ़ अन्य

वर्षों की थाढ़ की अपेक्षा अधिक भयंकर और दुःखशायिनी दुर्दण्डी।

विशेष विवरण— इस वर्ष की थाढ़ की भीषणता का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि जिस दिन से थाढ़ का आगमन हुआ उस दिन से कर्त्ता दिनों तक लगातार जल का प्रचण्ड प्रवाह पूर्वापेक्षा प्रबल होता ही गया और सारा भूमण्ड कर्त्ता हफ्तों तक जल-मग्न रहा। थी० पन० रेलवे की लाइनें ऐसे प्रवाह में घुट गयीं और एक मास से भी अधिक दिन तक रेलगाड़ी का आना जाना बंद रहा। हफ्तों तक कर्त्ता ही भील तक की रेलवे लाइनें जल के भीतर ही पड़ी रहीं। कटक के ज़िले में कुल पाँचल और लाखों की धन सम्पत्ति जल के गम्भीर में फिलीन हो गई। असंख्य गाय, बिल आदि पशु जल की धारा में घुट गये। हीराजी मनुष्य असमय में ही काल के गाल में जा पड़े और जो बढ़े वे भी महीनों तक धन और पर से हाथ घोकर आहि-आहि करते रहे। अन्य ज़िलों में भी थाढ़ के कारण लोगों की कम तुरंता नहीं हुई। लोगों ने गेहूँ पर घड़वर पेहुँ बी ही पत्तियाँ लाला अपने-अपने ग्राण बचाये। बजूत से मोह मामता को ठोका चिनिद्रा की गोद में सदा के लिए विभाग करते लगे। गांशु जां बंध उनके भी ग्राण संकट में पड़ गये। गारंदा यह है कि कोई हफ्ते तक उड़ीसे के गारे भू-मांग में कालकरिणी थाढ़री का तांडव-दृत्य होता रहा। साग प्रकृति एवं विश्वन हीन में परिणत हो गया।

प्रकाशक— थाढ़ के समय और उमरें यह भी बहुत ही ग्राम्याद्वीप ग्राम रेलीन्स मिलि तथा लालोंगमिलि दी ओर में इन थाढ़रीदिनों दी गहरायता के लिए कोई उपाय नहीं नहीं रखा गया। रामठुमा अध्यमयालो में भी ज्ञान पर तंदरी

बहुतों का उद्धार किया। सरकार की ओर से भी सहायता का प्रबंध किया गया। उस बाद के भीषणकाल में भी स्वयं उड़ीसे विभाग के माननीय कमिश्नर ने बाद-पीड़ित स्थानों का निरीक्षण किया। बाद के कम हो जाने पर उड़ीसे की दशा और भी शोचनीय हो गई। पानी के भीतर ही भीतर घास, फीचर्ड और पत्तियों के सह जाने से चारों ओर हुर्गन्ध फैलने लगी। फलस्वरूप मलेरिया, दैजा आदि संक्रामक रोगों का भीषण प्रकोप फैल गया। एक तो हजारों मनुष्य गृहविहीन होकर अन्न और शुद्ध जल के अभाव से मृत्यु की अन्तिम घड़ी रिन ही रहे थे; दूसरे हन शीमारियों के भीषण प्रकोप से उनके प्रण और भी संकट में पड़ गये। ऐसी ददनाक हालत में उपर्युक्त संस्थाओं ने बड़ी मदद पहुँचाई। उनकी ओर से अन्न, बख्त और औषधि आदि बाँटे गये। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों के उदार और धनी व्यक्तियों ने भी धन-जन से सहायता पहुँचाई। सरकार की ओर से गृह-दीन लोगों के घर बनाने का प्रबंध किया गया। तकाबी बाँटे गये तथा दुःख के नियारणार्थ अन्य उपायों का भी अयलम्बन किया गया। कहते हैं इस बाद ने सारे उड़ीसे को जर्जर धना दिया। लाख से भी अधिक घरों के नष्ट होने का अनुमान लगाया गया था।

उपसंहार—उड़ीसे की भीषण बाद को देखकर बाद आने के कारण हूँढ़ने और उड़ीसेशालों को इस आकृत से सदा के लिए बचाने के लिए सरकार की ओर से उड़ीसे के कमिश्नर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमिटी बनाई गई जिसने सारे प्रान्त में दीरकर सूख जाँच-पढ़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करायी है। आशा है सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी।

भास्यास

निम्न लिखित शिपथों पर हेठा लिखो :

Write short essays on the following:

(१) बंकिमचन्द्र के राजनीतिक विचार, महात्मा रामेश्वर, महात्मा गुरु सीता देवी, साधिनी, रियाजी, अकबर और बेलसन।

(२) द्वासी का युद्ध, पात्र लू की सफाई और सन् १८५७ सिपाही गिरोह।

(३) १८५७ का भूकंप और पटने में प्रिंस अर्फ़ बेगम आगमन।

(४) शोट की वाचा, रेह की वाचा और कलात्मकी वीरा-

पञ्चम परिच्छेद

विचारात्मक लेख (Reflective essays)

(क) गुण विषयक

विषय-विभाग—(१) परिभाषा, (२) उत्पत्ति, (३) उद्देश, (४) लाभ, हानि और (५) उपसंहार। आवश्यकतानुसार पक्के दो विभाग घटा बढ़ा सकते हैं।

(१) सत्यवादिता (Truthfulness)

परिभाषा—सच बोलने का नाम सत्यवादिता है; अर्थात् जो चीज़ जिस अवस्था में देखी जाय उसे उसी अवस्था में बर्णन करने को सत्यवादिता कहते हैं।

उत्पत्ति—सच बोलने के लिए न तो धन सूची फरने की और न दारीरिक या मानसिक परिधिम करने की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु देखो या सुनी हुई चीज़ को ज्यों का त्यों बर्णन कर देना सिद्धान्त रूप में लाना जितना मुल्लम प्रतीत होता है, उपर्युक्त में लाना उससे कहीं अधिक दुर्लभ है। जब तक मनुष्य के हृदय से लोभ और स्वार्थ का भाव नहीं उठता तब तक सत्य-भावण स्वप्न ही समझिये। वही मनुष्य सत्य बोल सकता है जो न तो स्वार्थी है न जिसे किसी चीज़ का लोभ है और जो न

अम्पास

निम्न लिखित विषयों पर लेख लिखो ।

Write short essays on the following:

- (१) यंकिमचन्द्र चटोपाध्याय, महात्मा ईसा, महात्मा गांधी, सीता देवी, साक्षी, शिवाजी, अकबर और मेलसन ।
- (२) ग्रासी का युद्ध, बाटर तू की लड़ाई और सन् १८५७ सिपाही यिन्द्रोत ।
- (३) १८५७ का भूकंप और एटने में प्रिंस ऑफ वेल्स आगमन ।
- (४) बोट की यात्रा, रेल की यात्रा और कलात्मकी रीर

पञ्चम परिच्छेद

विचारात्मक लेख (Reflective essays)

(क) गुण विषयक

विषय-विभाग—(१) परिभाषा, (२) उत्पत्ति, (३) उद्देश, (४) लाभ, हानि और (५) उपसंहार। आवश्यकतानुसार एक दो विभाग घटा बढ़ा सकते हैं।

(१) सत्यवादिता (Truthfulness)

परिभाषा—सच बोलने का नाम सत्यवादिता है; अर्थात् जो चीज़ जिस अवस्था में देखी जाय उसे उसी अवस्था में घर्णन करने को सत्यवादिता कहते हैं।

उत्पत्ति—सत्य बोलने के लिए न तो धन खर्च करने की और न शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु देखो या सुनी हुई चीज़ को ज्यो का स्यो घर्णन कर देना सिद्धान्त रूप में लाना जितना शुलभ प्रतीत होता है, इवहार में लाना उससे कहीं अधिक दुर्लभ है। जब तक मनुष्य के हृदय से लोभ और स्वार्थ का भाव नहीं उठता तब तक सत्य-भाषण स्वप्न ही समझिये। वही मनुष्य सत्य बोल सकता है जो न तो स्वार्थी है न जिसे किसी चीज़ का लोभ है और जो न

झूठे समान के पीछे बाबला बना रहता है। यहुत से लोग पेसे भी हैं जिन्हें झूठ घोलने की आदत सी हो जाती है। पेसे मनुष्य बिना किसी प्रयोजन के ही सैकड़ों यार सत्य की हत्या करते हैं।

उद्देश—सत्य धर्म का दृसग रूप है। संसार के सभी धर्मों में सत्य का स्थान सबोंश है। अतः धर्म की रक्षा करना, अन्याय का विरोध करना तथा आडम्बर के आवरण को दूर करना ही सच घोलने का प्रधान उद्देश है।

लाभ—कहने की आवश्यकता नहीं कि सत्य भाषण से अकर्तनीय लाभ है। सब धर्मों में इसका माहात्म्य ऐसु प्राप्त गया है। संसार में सत्यवादिता के समान कोई दूसरा तप नहीं है। हमारे सुप्रसिद्ध धर्म-भाष्य 'मनुस्मृति' में दश तपधार्यों में सत्य प्रधान माना गया है। अगर व्याधहारिक दृष्टि से देखा जाय तो भी सत्य घोलने में कभी हानि होने की सम्भावना नहीं है। सत्यवादी के लिए शाश्वत-मित्र सभी यरावर हैं। सभी उसकी धातों पर विश्वास करते हैं। सभ्य पर ही दुनिया निर्भर है और यही कारण है कि आज सत्यवादियों की कभी के कारण इस विशाल और विस्तृत विश्व पर अत्याचार का नाम-चूत्य होता दिखाई पड़ता है। लोगों के हृदय पर अविश्वास की कुमायना फैलती जा रही है। अपने आत्मीय जनों के हृदय में भी संदेह और दाँड़ा स्थान फर रही है। तभी तो आज भाई-भाई, पिता-पुत्र, पती-पति तक भी एक दूसरे के प्राण के प्राहृक हो रहे हैं। सच तो यह है कि इतने पर भी लोगों को चेत नहीं होता और यत-दिन सब न घोलने के बाबरण होतो हुई भर्यंकर हानियों का प्रस्तर अनुभव कर सत्य-भाषण जैसे प्रशस्त धार्मिक मार्ग को, जिसमें ज तो परिप्रक लगता है और न कुछ खर्च होता है, लोग नहीं अपनाते। आम

जो दैर्घ्य अद्वालते, स्यायालय और जेल हम देख रहे हैं वे सभी सत्य न थोलने के ही कुपरिणाम हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि दुनिया में सच्च थोलनेवाला कोई है ही नहीं। पर हाँ, इतना अमर्त्य है कि सत्यवादियों की संख्या गिनी गुणायी है। अब भी ऐसे टोग हैं, जो सत्य पर मर मिटाने के लिए सदा तैयार रहते हैं और सत्य के अन्येषण के लिए, वधिक की धीणा की स्वर-दहरी सुननेवाले हिरण की नार्ह मस्त हो जाते हैं। हमारे प्राचीन भारत में इसी सत्य के पीछे सत्यवादी हरिद्वयम् ने अपना सर्वस्व दान कर अपने को चाण्डाल के हाथ में येंच दिया और पक्षमात्र सत्य को अपनाकर अमर यदा का मारी दुआ। परन्तु आज इसी धर्मज्ञान भूमि पर सत्य की ओट में भयंकर पाप किया जा रहा है, सत्य का बेतरह गला घोटा जा रहा है और छल, प्रपञ्च तथा आद्यधर की मात्रा पांचाली की चीर जैसे बढ़ती जा रही है। अनपथ मनुष्य को चाहिये कि लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टिकोण से सत्य को अपनाकर हृदय को पवित्र और जीवन को सार्पक करे।

उपसंहार—सच्च थोलनेवाला मनुष्य देयता स्वरूप है। सत्य लोक और परलोक दोनों को साध लेता है और अपने जीवन में लोगों का प्रतिष्ठाभाजन वन स्मरणीय कीर्ति लाभ करता है तथा इस निश्चर शरीर को छोड़ देने पर भी अपने नाम के संसार में अमर बना देता है। इश्वरप्राप्ति का इससे बढ़कर बर्दू दूसरा उत्तम माध्यन नहीं है।

(२) जीवों पर दया—(Kindness to the animals)

परिभ्रापा—किसी जीव के दुःख को देखकर उसे दूर
१८

करने की स्वाभाविक इच्छा को कार्य-रूप में परिणत करने ही जीवों पर दया करना कहते हैं।

उत्पत्ति—यों तो प्रायः सभी मनुष्यों के हृदय में धोका-पतु दया का भाव रहता ही है परन्तु किसी-किसी का हृदय परेश होता है कि किसी भी प्राणी के तुःख को देखकर उसे दूर करने यिहल हो उठता है और अपनी शक्ति भर उसे दूर करने प्रयत्न करता है। ऐसे मनुष्यों की संख्या प्रायः बहुत होती है क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि सांसारिक संसार के केर में पद्धकर, स्वार्प और लोभ की चशी में रिति-मानव-जाति को अपने हृदय के अन्तर्गत प्रापुर्वत दण्डन को धार्य होकर दया देना पड़ता है। किसी-किसी का हृदय का दूर दूर दूर जाता है कि उसके हृदय में वहाँ तो हतना कठोर हो जाता है कि प्रायः मनुष्य दिनी-दया का स्रोत विलक्षण रूप जाता है। ऐसे मनुष्य किसी के तुःख को देखकर जरा भी नहीं पसीझते। उलटे कुछों दुःख देने में ही उनका हृदय अधिक प्रभाव रहता है। यह कि प्राचीन वर्ग के गो-महाराजे वो जीवों को आदर में कर उनकी दर्दनाक सौत को घरे घाय में देलने रे।

उद्देश—सभी जीव ईश्वर की शृणि के परिणामस्वरूप इसलिए किसी जीव का तुःख दूर करना। ईश्वर को करना रामणा जाता है। इसी महान् उद्देश की प्रेरणा से उसके हृदय में किसी जीव के प्रति दया का भाव तभी होता है।

लाभ—सभी जीव ईश्वर की रामान है। मानव-जाति एवं जीव ही है। ईश्वर ने मनुष्य को और जीवों की बुद्धि नाम भी एवं विद्वाय जाति प्रदान की है। राम-

मनुष्य और सब जीवों की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान है। परन्तु ईश्वर ने मनुष्यमात्र को यह विशेषता इसलिए प्रदान नहीं की है कि यह अन्य जीवों को दुःख दे। मनुष्य को बुद्धिमान घनाने का उद्देश्य यह है कि यह असहाय जीवों का दुःख दूर कर सके। ऐसे जीवों के प्रति दया का भाव रखे और इस तरह परम पिता परमात्मा की प्यारी रुचि की रक्षा करने में समर्थ हो सके। अतएव जीवों पर दया करना अपने पालनकर्ता को सन्तुष्ट करना है जो मनुष्यमात्र का प्रधान कर्तव्य होना चाहिये। सभी धर्मों में जीवों पर दया करना मनुष्यमात्र का कर्तव्य समझा गया है। इससे मनुष्य का हृदय पवित्र और सन्तुष्ट होता है। मनुष्य को यह ख्याल रखना चाहिये कि अगर यह किसी असहाय जीव पर दया करेगा तो उसे उस जीव का एक-एक रोम असीसेगा और बुद्धिहीन होने पर भी उस उपकार का बदला किसी न किसी रूप में उसे अवश्य देगा। प्रायः ऐसे यहुत जीव हैं जिनसे मनुष्यों का महान् उपकार सिद्ध होता है। उनके प्रति दया दरसाना ध्यावहारिक दृष्टि से भी मनुष्यों का कर्तव्य है। सारांश यह है कि सांसारिक और पारलीकिक दोनों दृष्टियों से जीवों पर दया करना मनुष्य के लिए लाभप्रद ही है। परन्तु मृढ़ मानव-समुदाय स्वार्थ के बाहीभूत हो अपने इस महान् कर्तव्य को भूल बैठते हैं। मरणान् बुद्ध आदि थड़े-थड़े महात्माओं ने जीवों पर दयाकर अपने को संसार में अमर कर दिया है। आज भी उनके पवित्र नामों के पुण्य स्मरण से हृदय धरा से परिगृहित हो उठता है। ऐसा भी देखा गया है कि हिंसक जन्मों ने भी मनुष्यों को इस दया प्रदर्शन का बदला मली-भाँति दिया है।

(३) मिथता (Friendship)

परिभाषा—निस्यार्थ भावना से प्रेरित होकर दो हृदय के पारस्परिक और घनिष्ठ मिलन-भाव को मिथता कहते हैं। किसी स्यार्थ भावना से प्रेरित होकर हृदय में उत्पन्न होनेवाली मिलने की इच्छा को सर्वी मिथता नहीं कहते।

उत्पत्ति—मनुष्य एक सामाजिक जीव है। इसलिए स्वभावतः मनुष्यमात्र का सुख और दुःख एक दूसरे पर निर्भर रहा करता है। मनुष्य आपस में दिलमिलकर रहना ही अधिक प्रसन्न करता है। इसी पारस्परिक मेल-मिलाप से मनुष्य के हृदयक्षेत्र में मिथता का भावांकुर उगता है। जब यह भाव निस्यार्थ प्रेरणा से उत्पन्न होता है तब उसे सर्वी मिथता कहते हैं और यही मिथता स्थायी और सुरक्षित होती है परन्तु जब यही भाव किसी स्यार्थ की प्रेरणा के धर्शनभूत होकर उठता है तब यह सर्वी मिथता नहीं कहलाती और ऐसी स्यार्थ-पूर्ण मिथता अधिक काल तक नहीं उठार पाती। कमी-कमी तो इस दंग की मिथी वर्षा ही हानिकर सिद्ध होती है।

उद्देश—जीवन को सुखी और आनन्दित करने के उद्देश से प्रत्येक मनुष्यों को मित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है जो सुख-दुःख में समझाय और उसका साथ देता है।

लाम—मिथता का समर्थ आरोपित करने से मनुष्य का सुख उड़ता और दुःख का नाश होता है। जब किसी मनुष्य को किसी काम में सफलता मिलती है तब उसके साथ-साथ उसके मित्र को भी असीम आनन्द प्राप्त होता है। यदि निर्मी काम में मनुष्य दुःखी होता है तो उसके मित्र उसके प्रति सर्वी गदानुभूति

प्रदर्शित कर उसे धीरज देते हैं जिससे उसका दुःख हलका हो जाता है। जिसे कोई मिथ्र नहीं उसे सुख में पूरी प्रसन्नता नहीं होती और दुःख के समय दुःख और भी बढ़ जाता है। मिथ्र को मिथ्र की भलाई करने में ही अधिक सुख मिलता है। मनुष्य धन, धैर्य आदि का भलीमाँति तभी उपभोग कर सकता है जब उसे मित्र होते।

विपत्ति के समय मित्र यहे काम की चीज़ होता है। यथा काम प्रारम्भ करते समय मित्र की सम्मति याघ्नीय है। जब मनुष्य के सिर पर आफत की घटा भड़काने लगती है और उसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार टृणिगोचर होता है तथा ऐसी भयानक परिस्थिति, जटिल समस्या के अवसर पर मित्र ही उसे आपत्ति से बचाता है और अंधकार से प्रकाश में लाता है। जिस मनुष्य को मित्र नहीं है उसे विपत्ति के समय कोई अबलम्बन नहीं रहता।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि संसार में विना प्रयोजन कोई किसी से बिल्कुल ही प्रेम करता है। आत्मीय से आत्मीय जन भी किसी प्रयोजन से ही अर्थात् किसी अदृश्य स्थाये की ओट में ही पक दूसरे को प्रेम अथवा स्नेह की दृष्टि से देखता है; परमु सत्त्वा मित्र यिना किसी स्थाये के, यिना उपकार का बदला चाहे अपने मित्र की भलाई करता है। दुःख के समय सदा साथ देता है और सुख के समय अपने मित्र से भी अधिक सुखी मालूम रहता है। सारांश यह है कि सभी मैत्री स्वर्गोंय आनन्द प्रदायिनी है, मनुष्यमात्र के कल्पाण की प्रदास्त राह है और जीवन-यात्रा की एकान्त पथ-प्रदर्शिका है।

उपसंहार—प्रत्येक मनुष्य को मित्र बना लेना हानिकारक

है। इस पाखंड-पूर्ण संसार में, जहाँ आठों वर्ष स्वार्थ का विपक्ष बद्ध तीव्र गति से बहता रहता है, अधिकरण पेसे ही मित्र मिलते हैं जो टट्टी की ओट में शिश्वर खेलने के लिए मित्र बनने को धुन में लगे रहते हैं। पेसे मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिये। इस तरह के मित्र बड़े चार-लूस और केवल सुख के साथी होते हैं। दुःख या आपत्ति के समय तो सपने की सम्पत्ति या गदहे के सींग हो जाने हैं। इस-लिए मनुष्य को चाहिये कि वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे परन्तु मित्र उसी को बनाये जिसमें सधी मिश्रता की लगन हो।

(४) माता-पिता की आशा मानना

(To be obedient to the parent)

भूमिका—माँ-बाप की आशा मानना मनुष्यमात्र का कर्त्तव्य है। माँ-बाप के उपकारों का बदला हम जन्म भर में भी नहीं दे सकते। माँ-बाप ने जन्म दिया। जन्म के पार, जब हम घलने-पिलने, खोलने, राने-पाने में सब तरह से असमर्पणे पे तथ माता पिलाकर लालन-शालन किया, कुछ बढ़ा हैरानी पर खाना-पीना सिखलाया। हमारे लिए सैकड़ों प्रकार के कर्णे का सम्मन सिखलाया। दीत, घाम और यहाँ किसी की भी परवाइ हैरानी हमारी रक्षा ही। माँ-बाप ने ही हमें खोलने, घलने और उठने-घिठने के लिए सिखाया। पढ़ा-लिखाकर घुरुर बनाया। माता पिलने पर भी माँ-बाप की आशा मानना क्या हमारा कर्त्तव्य नहीं है! साम—माँ-बाप की आशा मानना प्रत्येक सम्मान का कर्त्तव्य

है। इससे लाभ की आशा करना सूखता ही है। हाँ, मनुष्य को इतना समझ लेना चाहिये कि अपना कर्तव्य पालन करने से जो लाभ हो सकता है, माँ-बाप की आशा मानने से भी वही लाभ होना अनिवार्य है। दुनिया के सभी धर्मों में माँ-बाप की सेवा करना, उनकी आशा का आदर करना धर्म का एक अंग माना गया है। तीर्थ-यात्रा से भी बढ़कर पुण्य घर बैठे माँ-बाप की आशा मानने में है। तीर्थ-यात्रा में तो अनेकों प्रकार की शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयाँ होली पढ़ती हैं, फिर भी उतना पुण्य नहीं होता। जितना माँ-बाप के आशा-पालन कर्त्ता तीर्थ-यात्रा से होता है। अतएव माँ-बाप का आशा-पालन सर्वोत्तम और सुलभ तीर्थ है। संसार में जितने महापुरुष हो गये हैं उनके 'महान् कार्यों' पर हस्तिपात करने से यह स्पष्ट होलक जाता है कि अन्य महान् कार्यों के साथ-साथ माँ-बाप के प्रति अपना कर्तव्य-पालन भी उन महापुरुषों का एक प्रधान कार्य था। महायज्ञ रामचन्द्र की पितृमति संसार में प्रसिद्ध है। छत्रपति दिवाजी की मातृभक्ति की प्रशंसा की नहीं करता। कहा जाता है कि माता के ही पुण्य-प्रसाद से ये इतने बड़े महान् और ऐष्ठ व्यक्ति हो गये। मातृभक्ति सिकन्दर मातृशक्ति के ही द्वाय विजयी सिकन्दर कहलाया। महादेव गोविन्द रानडे, जस्टिस गुह्यप्रसाद बन्धोपाध्याय आदि महापुरुष भी माँ-बाप के पकान्त सेवक थे। सारांश यह है कि माँ-बाप की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद से, मनुष्य के हृदय में एक ऐसी महान् शक्ति का प्राप्त-भाव होता है जिसके द्वारा वह अपने गुरुतर कामों में भी सफलता प्राप्त कर मान, प्रतिष्ठा और अमर व्याति को उपार्जन करने में समर्थ हो सकता है।

माँ-बाप के अस्तर्गनीय उपसर्गों को भूलकर जो मनुष्य माँ-बाप की आवश्यकता उत्तेजा करता है, माँ-बाप की सेवा नहीं करता उसके बेसा मूर्ग और निर्देश संसार में दूसरा कौन होगा ? ऐसे लक्षणिके इत्यर्थ में न तो कभी मर्हि, प्रेम और स्नेह का अंतुर ही लक्षणिके इत्यर्थ में न तो कभी मर्हि, प्रेम और स्नेह का अंतुर ही उसका उपर्युक्ता है और न दया का गति ही उमड़ मर्हना है। उसका उपर्युक्ता है और न दया का गति ही उमड़ मर्हना है। उससे कोई इत्यर्थ पात्तर में भी अधिक कठोर हो जाता है और उससे कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता जिसका पुण्य परिणाम एक न एक दिन उसे मोर्हना ही गढ़ता है। और इत्यर्थ ने अपने एतता शाहदिन उसे मोर्हना ही गढ़ता है। और इत्यर्थ ने अपने एतता शाहदिन उसके अन्तिम समय में घड़ा कष्ट पहुँचाया या जिसके पश्चात्यर्थ और इत्यर्थ की भी उसके अन्तिम समय में उसके पुण्योद्घाटन घट्टी गति हुर्म !

उपसंहार—संसार में ऐसे भी मनुष्य पाये जाते हैं जो माँ-बाप को तुच्छ इच्छि से देखा करते हैं। माँ-बाप का निरादर करने में ही अपने को प्रतिच्छित समझते हैं। ऐसे पुण्य अपनी कृत्तर्य-निष्ठा को मुड़ाकर पूछ्यी पर मारस्त्रर्य बनते हैं। आज्ञाकलं के नये पढ़े-लिखे यापुओं में प्रायः ऐसी कृत्तित भावना उठती हुर्म दिखारं देती है। ऐसी भावना का दमन होना घुत ज़रूरी है।

(५) शारीरिक-उपायाम (Physical exercises)

परिमाण—शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य की वृद्धि के निमित्त आपश्यक कार्य के अतिरिक्त नियमित रूप से कुछ देर के लिए की जानेवाली अंगसंचालन प्रक्रियाओं को शारीरिक उपायाम कहते हैं।

... प्रकार किसी यन्त्र के यो ही पढ़े रहने मोरचा लग जाता है उसी प्रकार पदि शारीर डीपी यन्त्र

के अवयवों से भी काम नहीं लिया जाय तो उससे नाना प्रकार की हानियाँ होती हैं और कुछ दिन में शरीर-अर्कार्मण्य बन जाता है। इसलिए सभी श्वेती के लोगों को अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है।

मेद—हमारे देश में दो प्रकार का व्यायाम-प्रचलित है—एक देशी व्यायाम दूसरा विदेशी व्यायाम। उठकी-बैठकी करना, थोड़े पर चढ़ना, दौड़ना, दण्ड करना, मुद्रा भाँजना, कुदरी लड़ना, कबूत्री आदि देशी खेल खेलना, तैरना इत्यादि देशी व्यायाम हैं और फुटबाल, हाकी, शिकेट, ट्रेनिस आदि विदेशी खेल खेलना, जमनास्टिक करना, हंचल साधना इत्यादि विदेशी व्यायाम हैं। यीं तो दोनों प्रकार के व्यायाम स्वास्थ्य-सुधार के लिए लाभदायक हैं : परन्तु इस देश के जलवायु पर दृष्टि ढालते हुए देशी व्यायाम ही हम लोगों के लिए अधिक उपयुक्त और लाभप्रद है।

लाभादि—व्यायाम करने से सभी अंग पुष्ट होते हैं। व्यायाम से यहत की किया सुचारू रूप से संचालित होती है जिससे पाचन-शक्ति और शोणित की वृद्धि होती है। और मलमूत्र के परिस्थाग में किसी तरह का विकार नहीं होता है। व्यायाम करने से शरीर के भीतर का मैल पर्साने के रूप में बाहर निकल जाता है। जिससे शरीर शुद्ध और तनदुरुस्त रहता है। व्यायाम न करने से शरीर की यन्त्र के बहुत, इतिह, पाकस्थली आदि पुरजे बिगड़ जाते हैं। जिसके कारण अन्त में शरीर अड़ीर्ण, मन्दाप्ति आदि भाना प्रकार के रोगों का घर घन जाता है। साथ ही शरीर में सूक्ष्मता नहीं आती जिससे लोग अलसी हो जाते हैं।

उपयुक्तता—व्यायाम करते समय देश, काल और पात्र का विषय छ्याल-रखना चाहिये। एक देश का व्यायाम, जलवायु भिन्न रहने के कारण, दूसरे देश के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। विदेशी व्यायाम हमारे लिए उतना लाभदायक नहीं है जिन्होंना देशी व्यायाम है। विदेशी व्यायाम खचाँड़ा भी बहुत है। व्यायाम के लिए उपयुक्त समय सायंकाल और प्रातःकाल है। मैदान में, जहाँ शुद्ध हवा यहती हो, व्यायाम करना उचित अधिक देर तक व्यायाम करते रहना भी हानिकारक है। व्यायाम करनेवाले पात्र को चाहिये कि आपनो शारीरिक स्थिति को देखकर ही व्यायाम करें। निर्यल और रोगी व्यक्ति इलका व्यायाम करना चाहिये। भारी व्यायाम वैसे व्यक्ति द्वारा हो सकता है कि आपने देश के वायु के अनुकूल अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार उभयं रूप से उसी परिमाण में और उसी ढंग का व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम करने के लिए जिस परिमाण में और जिस ढंग का शरीर में संकेत हो सकता है।

उपसंहार—प्राचीन समय में हमारे देश में व्यायाम का अधिक प्रचलन था। राजग्रासाद में रहनेवाले वह वर्ग राजे से लेकर होपड़ियों में रहनेवाले गरीब लकड़ी आदि शक्ति और योग्यता के अनुसार व्यायाम करते थे; पानुओं और घनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यायाम करना आदी प्रतिष्ठित समंजने हैं और बेचारे गरीब बेटे की खिलाफ़ में ही ये करते रहते हैं। यही कारण है कि वहाँ वही आंगन बाल के लोग अधिक दुर्बल रहा करते हैं और मरणपूर्ण आविर्भाव होता जा रहा है।

(ख) नीति या प्रवाद वाक्य

(१) साधुता ही प्रशस्त मार्ग है।

(Honesty is the best policy)

अर्थ—संसार में सभी काम करने के दो मार्ग हैं। पहला विचारानुमोदित न्यायमार्ग और दूसरा विवेक-विश्वदृष्टित और निष्ठासंपद मार्ग। इन दोनों मार्गों में दूसरा मार्ग निकृष्ट और निष्ठनीय है; अतः सर्वथा स्थान्य है। पहला मार्ग प्रशस्त उत्कृष्ट और प्रशंसनीय है। अतः इसी विचारानुमोदित न्यायमार्ग का अवलम्बन करना चाहिये और इसीलिए कहा गया है कि 'साधुता ही प्रशस्त मार्ग है।'

समर्पण—संसार कर्मशील है। सभी जीव कोई न कोई काम करते हुए व्यस्त पाये जाते हैं। लेकिन सभी जीवों में विवेक-चुद्दि नहीं होती, अतपव मार के दर से अथवा प्रलोभन में पड़कर किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। मनुष्य अन्यान्य प्राणियों की अपेक्षा धेष्ठ और विवेकशील प्राणी है, इसलिए मनुष्य को दित्ताहित और न्यायान्याय के विचारने की शक्ति रहती है। अनः उसे अपने नाम को सार्थक करने के लिए विवेक निर्दिष्ट न्याय-मार्ग का अवलम्बन कर काम करना चाहिये। जब मनुष्य विवेकशक्ति को खोकर, न्याय को तिलाऊलि दे लोम के घरीभूत हो कोई काम करने में प्रवृत्त होता है तब वह अपनी मनुष्यता के पृथ से गिर जाता है और जब तक ऐसी प्रवृत्ति जागृतावस्था में रहती है तब तक पशु के सहसा हो जाता है। इसलिए मनुष्यमात्र का कर्त्तव्य है कि अविवेक को छोड़कर ईमानदारी के साथ न्यायानुमोदित कार्य करे।

छाज-जीवन में ईमानदारी—प्रायः देखा जाता है कि कुछ

विद्यार्थी साधुता को छोड़ निहृष्ट उपायों का अबलम्बन करते हैं। ऐसे छात्र नियमित रूप से अव्ययन नहीं करते, छुल-प्रपञ्च अपने वर्ग में काम निकाल लेते तथा परीक्षा के समय चोरी आदि बुरे कर्म करने को उतार हो जाते हैं, मगर असल छिपा ही रहता। एक न एक दिन ऐसे असाधुओं की चालाकी प्रगट हो ही जाती है। भेड़ी की खाल में छिपे हुए भेड़िये का सली रूप प्रगट हो ही जाता है इसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। अगर मान लिया जाय कि ऐसे छात्रों की चाल-जी कभी प्रगट न हो और वे परीक्षाओं में सफल होते तार्थी भी छात्र-जीवन समाप्त करने पर उन्हें अपनी अपेक्षाता पर चार कर अपने पूर्व वृत्त्यों पर पश्चात्ताप करना ही प्रड़ेगा। ऐसे छात्रों का जोवन कभी उप्रति की ओर अप्रसर हो नहीं सकता। इसके विपरीत जो छात्र असाधुता को प्रहृण नहीं लेते मनोयोग पूर्वक अपना पाठ याद करते हैं उनकी दिन-दिन जीति होती जाती है। सारांश यह है कि छात्र-जीवन में भी धुता या रूमानदारी की नीति प्रहृण करना ही धेदस्कर और भग्नप्रद है।

कर्मश्वेत्र में रूमानदारी—इस कर्म-प्रधान संसार में कर्म कार्य क्यों न किया जाय उसमें रूमानदारी की ही ज़रूरत रही है। भले ही कोई-कोई अपनी चतुराई के द्वारा कुछ करते लोगों पर अपनी साज जमा ले, परन्तु ऐसे मनुष्य के द्वारा लोगों के हृदय में तभी तक विश्वास जमा रहता है जब उसकी पोल नहीं बुलती। पोल बुल जाने पर कर्म उसकी ओर नहीं करता और वह बर्मान के नाम से घोषित हर जाता है, प्यथसाय, खेती, नीचरी आदि किसी भी पेशे में

यिना ईमानदारी के काम नहीं चल सकता। किसी-किसी का फूटना है कि व्यापारिक क्षेत्र में यिना दगा-फरेब के कामयाब होना मुदिकल है। परन्तु यह धारणा विख्युल निर्मूल है। व्यापार में 'साख' ही पक ऐसी चीज़ है जिसके उठ जाने से व्यापार में विकास होना पक दम असम्भव है और यह साख जमना ईमानदारी या साखुता पर ही निर्भर करता है। हाँ, यह हो सकता है कि भूतंता या चालाकों से पक-आध घार कोई दस-योस दजार की पूंजी हृष्टप सकता है। परन्तु पक घार दियालिया घन जाने से फिर दूसरी घार साख जमना असम्भव हो जाता है। सारांश यह है कि किसी काम में शानदार कामयाबी हासिल करना ईमानदारी पर ही निर्भर है। साखुता की नीति का अव-सम्बन्ध फूटने से ही निष्कलंक सफलता प्राप्त हो सकती है। राज्य, जमीदारी, शासन-यिमाग, देश, समाज और जाति का नेतृत्व प्रह्लण करनेयाले प्रयत्नियों के लिए तो यिन। ईमानदारी के पक एग भी आगे फूटना दुरावार हो जाता है।

उपर्युक्त—यह स्पष्ट देखने में आता है कि अभ्यास या दोंमानी से उपाञ्जन को हुर्द चीज़, चाहे वे धन, प्रतिष्ठा या मान किसी भी रूप में क्यों न हों, स्थायी रह नहीं सकती और इस ढंग से उपाञ्जन करनेयालों को वर्ती सन्तोष भी नहीं होता। परावर दाय-दाय लगी ही रहती है। कहा भी है—

अन्यायोपार्जित शुधन, दसै वर्य ठहराय।

वर्य एवददा लाग्ने, जग मूल सो जाय॥

(ग) कार्य का फलाफल

(१) बालविवाह (Early marriage)

भूमिका—मारत्यर्थ में माँ-घार यिना तुड़ यिचारे हृष्टपन में

दी अपनी सन्नात को विद्याद के जटिल बंधन में ज़रूर देते हैं। पाठ-विद्याद से होनेवाले कुण्डलियामो पर ये जगत् भी हासि नहीं दाटते। पलटतः नानाप्रकार की आधिक्याधि फैलती जा रही है।

कारण—प्राचीन समय में हमारे देश में इस कुम्हा का प्राप्तव्य नहीं था। धैदिक विद्याद का आदर्श यहाँ ही उत्तम था। सबने होने पर ही लड़की और लड़के धैवाद्विक सूत्र में थोड़ी जाने थे। लोगों का अनुमान है कि मुसलमानों राजत्वकाल से ही इस कुम्हा का यहाँ सुश्रपात हुआ। यह कहना कठिन है कि इस प्रथा के प्रचलन का प्रधान कारण क्या है। हाँ, इतना अनुमान किया जा सकता है कि हिन्दू-समाज का अमागत पतन ही बाल-विद्याद तथा अन्य सामाजिक कुर्सियों के फैलने का मुख्य कारण है। किसी-किसी का कहना है कि मुसलमानों के अत्याचार से बचने के लिए ही हिन्दू-समाज में बाल-विद्याद की पद्धति चल निकली। परन्तु यह केवल कल्पना मात्र है। वेतिहासिक हासि से यह सिद्धान्त विचारदृश्य प्रतीत होता है। इसके प्रचलन का कारण कुछ भी रहा हो पर इतना तो जरूर है कि आज इस हामाजिक अन्धपरम्परा ने लोगों के मन में इस प्रकार का अन्धविद्वास जमा दिया है कि लोग बाल-विद्याद करना अपना धर्म मान बिठे हैं। सबनी लड़की-लड़कों की शादी करना अपनी प्रतिष्ठा, मान और धर्म के विरुद्ध समझते हैं। दिनूपर्म के ठेकेदार ग्राहणों ने भी नये-नये पुराणों का आविष्कार कर बाल-विद्याद की पद्धति को प्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। लड़की-लड़कों का जीवन मले ही नए हो, समाज, जाति और देश मले ही पतन की गहरी खार्दि में गिर जायें, हमारे पुरोहितों को इससे

स्था प्रयोजन। उन्हें तो केवल अपना उत्सूक्ष्मीया करने की ही फिल लगी रहती है।

विशेष विवरण— हमारे हिन्दू-समाज में बाल-विवाह की प्रथा इस तीव्र गति से फैल गयी है कि १२ वर्ष से अधिक उम्र के लड़के और ८ वर्ष से अधिक उम्र की लड़की का अनन्याहा रह जाना यही ही लज्जा की बात समझी जाती है। किसी-किसी जाति में तो तीन-चार वर्ष में ही लड़की-लड़कों की शांदी कर दी जाती है। कहीं-कहीं तो यहाँ तक देखा गया है कि १८ महीने की दुधमुँही बच्ची तक की शांदी कर दी गई है। इससे यहकर और अनर्थ क्या हो सकता है? ऐसी दशा में, जब कि लड़की और लड़के विवाह के मंत्रों का उचारण भी नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार का विवाह क्या सच्चा विवाह कहा जा सकता है?

परिणाम— बाल-विवाह से लाभ तो एक भी उष्टिगोचर नहीं होता। हाँ, अगर हानियों की मर्दुमशुमारी की जाय तो सी से भी अधिक हानियाँ दिखाई एँदेंगी। बाल-विवाह से लड़के-लड़कियाँ दोनों का जीवन नष्ट हो जाता है। विवाह होने के बाद लड़के के सिर पर एक ऐसा भार दे दिया जाता है कि वे उस घोड़ा से दब कर अपना पढ़ना तो छोड़ ही देते हैं; साथ ही अपने स्वास्थ्य से भी छाप घो बैठते हैं। न तो शरीर में तेज ही रहता है और न शक्ति। उनका भानसिक और शारीरिक चिकास विखुल ही रह जाता है। वे निकम्मे हो कर मृत्यु की अन्तिम घटियों की ग्रन्तीक्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि हजारों विवाहिता बालिकायें अपने सौभाग्य

को नए का मक्का के लिए धैर्यमय की कठोर कन्वेजा का दिल्लीर दो जाती है जिससे अनेक प्रकार के अत्याचार और व्यभिचार आदि होने रहते हैं। याल-विद्याद के ही कारण देश के बच्चे निम्नेंग और न्यूनतार-हीन हो गये हैं। इसी गङ्गासो प्रथा के कारण दम अपना थल, परामर्श सभी कुछ होकर अविद्या के घने अन्धकार में पड़े दूष हैं। इतने पर मी हमें इनना चेन नहीं होता कि इस सामाजिक छोड़ को दूर कर समाज को पवित्र होने से याचारें।

उपसंहार—इधर कुछ यों से हमारे शिस्तित समुदाय में इस नाशकारी प्रथा के दूर करने का भाव जागृत हुआ है। इनके प्रयत्न से बहुत स्थानों में याल-विद्याद होना रुक भी गया है। यहाँदा, मर्ढा आदि देशी रियासतों में बहुत यनाकर याल-विद्याद रोकने का प्रयत्न किया गया है। देखें, कहाँ तक सफलता मिलती है। यहाँल, गुजरात आदि प्रान्तों में भी याल-विद्याद को रोकने में बहुत कुछ सफलता मिली है। इधर यहे लाड की कीसिल में भी धीयुत हरिप्रसाद शारदा के भागीरथ प्रयत्न से एक ऐसा कानून यनने जा रहा है जिसके अनुसार १२ वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और १६ वर्ष से कम उम्र के लड़कों का न्याह करना जुर्म करार दिया गया है।

(२) नशे से हानि

अभ्यास—नशा पीने या खाने की आदत लोगों में दिन प्रति दिन घटती जा रही है। नशेवाजों का कहना है कि नशा का व्यवहार करने से द्वारीर में सूर्ति आती है और काम करने में मन लगता है। लेकिन यह यात विस्तृत निराधार है। हम

आएग पहुँ जानो है अगर यह उसे छोड़ना चाहता है तो छोड़ना प्रश्नप हो जाता है । नदों के रिना उसके प्राण निरुद्धने लगते हैं । मदोपास को अगर कोई रोग गहा तो यह जल्दी शूष्टवेयला नहीं । मरीजा यह होता है कि ऐसा मनुष्य दीम ही मृत्यु का दिव्यर थन जाता है । शूष्टि, शृणु-यिकार, पश्चात्यान आदि रोग मारक द्रष्ट्वा प्रथमार करनेवाले सोगों को अधिक्षत होते हैं ।

नदोयाज्ञ आपने दूषित काम में इस प्रकार मृत रहता है कि घर को कुछ भी परायाह नहीं करता । उसे मेहनत कर पेट मरना अच्छा नहीं लगता । दिनरात नदोयाज्ञों की टोली में रेतकर गम्य उड़ाने में ही उसे आनन्द मिलता है । कभी घर आता है तो घरयालों को तड़कर छोड़ता है । अगर उसे अच्छा मोजन और नदों के लिए ऐसे न मिले तो घर में खुफक्त मचा देता है । घर की घन-सम्पत्ति को नदों के पीछे पानो की तरह बढ़ा देता है । जब कुछ नहीं रहता तो घर की चीजों को गिरों रखकर, लियों के अमूर्पणों तक को बेचकर यह नदों पीने की बलबरी तृप्ता को शान्त करने की कोशिश करता है । परन्तु यह तो देसी तृप्ता है कि मरने के बाद ही इसी हो सकती है । घर में कुछ नहीं रहने पर ऐसे के लिए यह जुआ, चोरी आदि कुकर्म में फँस जाता है । लात धूंसों से अच्छी तरह मरम्मत किये जाने पर भी, सहकों और गलियों में बेतरह ठोकर खाते रहने पर भी यह अपनी कुट्टेब नहीं छोड़ता । अंत में घन-सम्पत्ति नष्ट कर, अपने अमूर्प्य स्वास्थ्य को विगाहकर जब यह सृत्युरात्मा पर पहुँ रहता है तब भी नदों की ही रट लगाता रहता है—इसी का स्वप्न देखता रहता है । नदोयाज्ञों का प्रमाद उसकी सन्तान पर भी बढ़ा धुरा पड़ता है । नदोयाज की सन्तान

भी अपने घाप दाढ़े को प्रहृति को अद्वितयार करने में आज नहीं आती ; देखा देखी इसी कुट्टेघ में पहुँ अपने जीवन को नष्ट कर देती है । नदों के प्रभाव से सदाचारी मनुष्य भी दुराचारी हो जाते हैं, समाज का समाज उम्रत हो पतित हो जाता है, देश का देश घौट हो जाता है । अफीम के नदों के अभ्यास से ही चीनवालों ने अपने देश को पतन की गहरी खाई में गिरा दिया है । अफीमची चीन की दशा इसी कारण आज यही ही बुरी हो गयी है ।

नदीला द्रव्य—शराब, अफीम, गाँजा, कोकीन, चण्ड, चरस आदि नदों वडे ही भयद्वार दोते हैं । इनके अतिरिक्त सिगरेट, तम्बाकू, भाँग, नस, आदि भी कम हानिकारक नहीं हैं । चाय और कहवा भी नदीले द्रव्य की धोणी में लिने जाते हैं ।

नदों से लाभ—कभी-कभी नदोली चीजों से लाभ भी होता दिखाई पड़ता है । लडाई के अवसर पर सेना का शराब पीना बुरा नहीं माना गया है । परन्तु वह भी परिमाण पर निर्भर करता है । परिमाण से अधिक पी लेने से सेना मतवाली होकर लड़ने के योग्य नहीं रह जाती । नदीली चीजों से कई ग्रकार की औपचियों भी बनायी जाती हैं । पर नदों से होने वाली हानियों पर दृष्टिपात करते हुए कहना पड़ता है कि इससे कुछ भी लाभ नहीं है ।

उपसंहार—हृथर कई देशों में नशा पीने का, यिरोप कर शराब पीने का अभ्यास रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस और अमेरिका में भी कानून के द्वारा नशा पीने की पढ़ती हुई आदत को सीमित करने की कोशिश हो रही है । हमारे देश में अब तक इसके लिए यथेष्टु प्रयत्न नहीं हो रहा है ।

लोगों को चाहिये कि नशे के भयंकर परिणामों पर स्थान देते हुए इसका व्यवहार कम करने की कोशिश करें। हमारे पहाँ तो नशे का व्यवहार फरना धर्म-विषद् बताया गया है पर धर्म की बात सुननेवाले भी तो बहुत कम ही मिलते हैं।

—जवाही पाठ्य

(८) तुलनात्मक लेख (Comparative essays)

विषय-विभाग—(१) भूमिका—इसमें दो तुलनात्मक घटनाओं का एविचय रहता है। (२) एक के गुण और दोष (३) दूसरे के गुण और दोष। (४) उपसंहार।

(१) शहर और गाँव (Town vs. Village)

भूमिका—पाणिज्य, व्यवसाय, नौकरी आदि सुविधाओं के निमित्त जिस स्थान पर हर वर्ग के लोग एकत्र होकर रहते हैं उसे शहर और जिन अन्य सभी स्थानों में अस्पत्त्यक लोग रहते हैं उन्हें गाँव कहते हैं। जो शहर में रहने के अभ्यन्तर हैं उन्हें गाँव की अपेक्षा दाहर में ही विशेष सुविधा मिलती है। उनको दाहर में ही रहना पसन्द पड़ता है। इसके विपरीत गाँव में यसनेवालों के लिये प्रामाण जीवन ही विशेष आनन्दपर मालूम पड़ता है।

शहर में सुविधा—(१) शहर के घाट मार्ग आदि प्रवासी और परिवृत्त रहा करने हैं। घरों के समय सङ्कोचों पर अधिक कीचड़ नहीं रहती। गमनागमन की विशेष सुविधा रहती है। तरह-तरह की साधारी का घन्दोयस्त रहता है। (२) प्रवेश दाहर किसी नहीं अथवा रेलवे स्टेशन के समीप रहता है। इसीलिये पहाँ पाणिज्य-व्यवसाय करने में कहीं सहायता मिलती है।

व्यवसाय करने के लिए सहज में ही द्रव्य मिल जाता है। घनी जनसंख्या रहने के कारण खरीद-विक्री खूब होती है और यहै यहै महाजनों, ध्यापारियों और सेठ-साहूकारों के बसने के कारण छोटे-छोटे व्यवसायियों को बड़ी सहायता मिलती है। (३) शहर में यहै-यहै अनुभवी ढाक्कर, धैय और हकीम रहा करते हैं जो आशदयकता पढ़ने पर सुगमता से बुलाये जा सकते हैं। (४) यहाँ शिक्षा का उत्तम प्रबंध रहता है। यहै-यहै स्कूल और कालिजों के रहने के कारण लड़के लड़कियों को पढ़ने में यहाँ सुविधा मिलती है। इनके अतिरिक्त पुस्तकालय, याचनालय आदि अनेक प्रकार की शिक्षा सम्बंधी संस्थाएं रहती हैं जिनमें हर प्रकार की पुस्तकें और समाचार पत्रादि पढ़ने को मिलते हैं। (५) शहर के लोग आठों पहर कार्य में व्यस्त रहते हैं जिसके प्रभाव से आलसी भी कर्मण्य हो जाते हैं। (६) आमोद-प्रमोद के लिए नाना प्रकार का प्रबंध रहता है। परदेशियों की सुविधा और आराम के लिए धर्मशाला, होटल, सराय आदि घनी रहती है। (७) शहर में शिक्षितों के समर्क से आत्मोन्नति में विकास होता है तथा दूर दृग के लोगों के साथ संसर्ग होते रहने के कारण लोगों की सुन्दरी तीक्ष्ण होती और काम की शक्ति यढ़ती है। (८) शहर में कल कारखाने, अदालत, आफिस तथा फैक्ट्रियों की भरभार रहती है जिनके कारण नौकरियों अधिक मिलती हैं।

शहर में असुविधा—(१) शहर में शुद्ध हवा नहीं मिलती। पूल और घुर्ण से हवा विहृन हो जाती है। (२) घनी आवादी के कारण जल-वायु शुद्ध और स्वास्थ्यकर नहीं रह पाता। (३) सड़कों पर असंख्य लोगों, गाड़ियों आदि के चलते रहने के कारण धक्का से अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। (४)

शादर का नियाम पड़ा ही रार्चिला है। पग-गग पर छप्पे की आदेशकाला पढ़नी है। लोगों में सार्वजीकरणायः अमाव रहता है। (१) शादर प्रलोगन और विलासिता का अदृश्य है। पग-गग पर जान का गतग बना रहता है। (२) गाड़ी, घोड़ा, रेल, प्रोटर आदि के घलगे रहने के कारण शादर का यातायागण हर समय कोलाहलपूर्ण और अद्वान बना रहता है। (३) शादर में प्रार्थिक दृष्टि का पिलुल अमाव रहा करता है। लोगों की हरियाली, पसन्त की यसन्तधी, यार्दी की अगृह्य बहार आदि का पहाँ दर्दान कहाँ? (४) स्थान-स्थान के लोगों के आवागमन के कारण शादर में प्लेग, हैजा, येरी-येरी आदि लोगों का बराबर दीर-दीर खड़ा करता है।

ग्राम में सुधिधा—(१) गाँव की हथा निर्मल और शुद्ध रहती। गाड़ी, घोड़ा आदि की कमी के कारण वायुमंडल पूल-यिहीन रहता है। (२) जनसंख्या घनी न रहने के कारण वायु द्यास-प्रद्यास के द्वारा कम दृष्टिहोता है और शूक्रों की अधिकता के कारण वह और भी परिष्कृत और निर्मल रहा करता है। इसी कारण गाँव का जल वायु शादर की अपेक्षा अधिक स्थास्थित रहता है। (३) प्रार्थित जीवन पिलुल सरल और निरापद है। सड़कों कोलाहलपूर्ण नहीं रहती। इस लिए किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना की अधिक सम्भावना नहीं रहती। (४) खाने की अधिकांश चीजें गाँव में ही उत्पन्न होती हैं। अतएव गाँव में शादर की अपेक्षा अनाज, फल,

... १. ४, दही आदि चीजें सह्स्रे भाव पर मिलती हैं। (५) ... को माजा कम रहती है। गाँववाले योद्दे ही में सीधे सारे जीवन स्थितीत करते हैं। विलासिता

सीमित रहती है। (६) शान्तिप्रिय तथा पकान्तप्रेमी मनुष्यों के लिए प्रामीण जीवन बड़ा ही आनन्दप्रद है। मातुक साधक लोग भी गाँव में रहना विशेष पसन्द करते हैं क्योंकि प्रामीण जीवन शांत और कोलाहल रहित है। (७) गाँव में प्राकृतिक सान्दर्भ रहता है। प्रहृति देवी मित्र-भित्र तरह की क्रीड़ा करती रहती हैं। छोर्ण श्रद्धुओं की बहार देखकर अँख और मन सन्तुष्ट रहते हैं। (८) गाँव में देश देशान्तर के लोगों का आयागमन कम रहता है इसलिए आधि व्याधि का दौर-दौरा भी शहर की अपेक्षा कम रहता है। अब भी भारत में यहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ हैं और प्लेग का कभी प्रकोप हुआ ही नहीं है।

गाँव में असुविधा—(१) गाँव में आयागमन की सुविधा नहीं है। सहके टीक नहीं रहती। घर्याकाल में तो नदी नालों आदि में पानी आ जाने के कारण घाट मार्ग आदि खिलकुल घन्द हो जाते हैं। अतएव उस समय तो घर से कहीं निकलने का उपाय ही नहीं रहता। (२) आयागमन की विशेष सुविधा न रहने के कारण घाणिज्य-व्यवसाय की वृद्धि नहीं होती। खरीद-पिक्की के लिए कोई उत्तम साधन नहीं। (३) गाँव में हाकटरों, बैठों और हकीमों का अभाव रहता है। कभी-कभी तो इनके अभाव से दोगों असमय में ही मृत्यु के मुँह में विलीन हो जाते हैं। (४) गाँव में घाटकों को उच्च शिक्षा देने का कोई साधन नहीं मिलता। स्कूलों के अभाव के कारण कितने बुद्धाम बुद्धि और होनहार बालक अपना विकास नहीं करते। (५) गाँव में कार्यशीलता नहीं रहती। अधिक लोग बेकार रहते हैं और दस-पाँच एक स्थान पर बैठकर केषल गाय लड़ाया करते हैं। फल स्वरूप उनमें आलस्य और जहाता आ जाती है। (६)

मेहनत मजूरी करने वालों की थकावट दूर करने के लिए आमोद-प्रमोद करने तथा मन बहलाने का कोई उपाय नहीं मिलता। (७) गाँव में अच्छे-अच्छे व्यक्तियों का समर्पक न होने से यहाँ वालों के हृदय में संकीर्णता घर बना लेसी है। फल स्वरूप गाँव के लोग अन्धधिश्वासी अधिक होते हैं। उन्हें दुनिया की हवा नहीं लगते पाती। फूपमंडक यने रहते हैं। उनके मन और शुद्धि का विकास नहीं हो पाता। (८) गाँव में कल-कारणाने, आफिस, कच्छरी, फैक्ट्रियाँ आदि न रहने के कारण लोगों को नौकरी नहीं मिलती। (९) गाँव में पुस्तकालय, याचनालय आदि प्रायः नहीं रहते हैं। पुस्तक, समाचार-पत्रादि पढ़ने का अभाव रहता है। समाचार-पत्र न मिलने के कारण दुनिया के समाचारों से गाँववाले कोरं रहते हैं। किसी-किसी का कहना है कि गाँव में ही अधिक सुख है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रार्थित जीवन सुखकर जीवन है परन्तु सब तो यह है कि गाँववाले अपनी जड़ता के कारण उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते। उस सुख का भी अनुभव शहरवाले ही करते हैं। युद्धी आदि के मिलने पर शहर में रहनेवाले गाँव में आते और प्रार्थित सुखों को लूटकर फिर शहर चले आते हैं।

उपसंहार—शहर और गाँव दोनों जगह रहने की उपरिपासी और असुविधाओं का दिल्लर्हन करा दिया गया। उग्रुक दोनों पक्षों की सुविधाओं और उसुविधाओं पर दृष्टिगत करते हुए तथा समय का स्वाल करते हुए यह कहना ही पड़ता है कि इस बीमरी सरी में संझानिक दृष्टि से मने ही प्रार्थित जीवन परिवर्ती और सुखवद माना जाय परन्तु प्रायद्वारिक दृष्टि से शहर का दाम ही उत्तम है।

(२) सम्मिलित परिवार और वैयक्तिक परिवार

(Joint family vs. Individual family)

भूमिका—अपने बच्चु-बाल्यवार, आवीष्टजनों तथा कई परिवारों के मिलकर रहने को सम्मिलित परिवार कहते हैं और अकेले केवल अपने रुटी-पुत्र के साथ रहने को वैयक्तिक परिवार।

सम्मिलित परिवार से सुविधा—कई परिवारों के मिल कर एक साथ रहने में परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न होता है। जीवन सुखमय और आनन्दप्रद होता है। किसी काम को करने में पारस्परिक सहानुभूति और सहायता प्राप्त होती है। कठिन से कठिन काम भी सहयोग से सुलभ हो जाता है। योड़े समय में अधिक काम होता है। बहुत लोगों के साथ मिलकर रहने में शक्ति बढ़ती है। दावों का भय कम रहता है। कोई कठिनाई पड़ने पर एक दूसरे की सहायता सुलभ होती है। बीमारी आदि आपत्ति के समय एक को दूसरे की सेवा करने का अवश्यक मिलता है। संकट या दुःख पड़ने पर सब के मिले रहने से उसे सहन करने में विशेष कठिनाई नहीं होती। सभी आपस में मिलकर हँसते हँसते दुःख होल लेने हैं। अचल और अर्थ-हीन को भी अपने सघर और घनी बन्धु की सहायता मिलती रहती है। इस प्रकार सम्मिलित परिवार से अनेक लाभ हैं।

सम्मिलित परिवार से असुविधा—जहाँ सम्मिलित परिवार से अनेकों प्रकार के लाभ हैं वहाँ हानि भी है। जिस परिवार में अधिक मनुष्य रहते हैं वहाँ प्रेम के साथ द्वेष कर भी ज़ंकुर उग जाता है। एक सम्मिलित परिवार में जो अधिक परि-

में हमें मर्गी चरने वालों की यकारट दूर करने के लिए आमोद-
प्रमोद करने सभा मन बहलाने का कोई उपाय नहीं मिलता।
(७) गाँव में जरुर अन्त धनियों का मर्गर्ह न होने से घर्षण
वालों के हृष्प में संकोचना पर यहा छेनी है। कल्प स्वरूप गाँव
के सोग अग्निविदशमी अधिक होते हैं। उन्हें दुनिया की हथा
नहीं लगते पाते। फूमंडूक यहे रहते हैं। उनके मन और पुदि
यज्ञ यिकाम नहीं हो पाता। (८) गाँव में कल-कारसाने,
आफिस, बचहरी, फौजियों आदि न रहने के कारण लोगों
को नोकरी नहीं मिलती। (९) गाँव में पुस्तकालय, याचनालय
आदि प्रायः नहीं रहते हैं। पुस्तक, समाचार-पत्र न मिलने के
अमाव रहता है। समाचार-पत्र न मिलने के कारण दुनिया
के समाचारों से गाँववाले कोरं रहते हैं। किसी-किसी का कहना
है कि गाँव में ही अधिक सुख है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रामाण
जीवन सुखकर जीवन है परन्तु सच तो यह है कि गाँववाले
अपनी जड़ता के कारण उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते। उस
सुख का भी अनुभव शाहरवाले ही करते हैं। यही आदि के
मिलने पर शहर में रहनेवाले गाँव में आते और प्रामीण सुखों
को लूटकर फिर शहर चले जाते हैं।

उपसंहार—शहर और गाँव दोनों जगह रहने की सुविधाओं
और असुविधाओं का दिव्यर्थन करा दिया गया। उपर्युक्त दोनों
पक्षों की सुविधाओं और असुविधाओं पर विषेषता करते हुए
तथा समय का व्याल करते हुए यह कहना ही पढ़ता है—
“यीसरीं सदी में सैद्धान्तिक दृष्टि से भले ही प्रामीण
और सुखप्रद माना जाय परन्तु व्यावहारिक
घास ही उत्तम है।”

(२) सम्मिलित परिवार और वैयक्तिक परिवार

(Joint family vs. Individual family)

भूमिका—अपने धन्यु-बालध्य, आत्मीयजनों तथा कई परिवारों के मिलकर रहने को सम्मिलित परिवार कहते हैं और अकेले केवल अपने स्त्री-पुत्र के साथ रहने को वैयक्तिक परिवार।

सम्मिलित परिवार से सुविधा—कई परिवारों के मिलकर एक साथ रहने में परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न होता है। जीवन सुखमय और आनन्दप्रद होता है। किसी काम को करने में पारस्परिक सहानुभूति और सहायता प्राप्त होती है। कठिन से कठिन काम भी सहयोग से सुलभ हो जाता है। योद्दे समय में अधिक काम होता है। यहुत लोगों के साथ मिलकर रहने में शक्ति घटती है। शायुओं का भय कम रहता है। कोई कठिनाई पड़ने पर एक दूसरे की सहायता सुलभ होती है। धीमारी आदि आपत्ति के समय एक को दूसरे की सेवा करने का अवसर मिलता है। संकट या दुःख पड़ने पर सब के मिले रहने से उसे सहन करने में धिशेष कठिनाई नहीं होती। सभी आपस में मिलकर हैंसते-हैंसते दुःख होल लेते हैं। अचले और अर्थहीन को भी अपने सप्तल और धनी धन्यु की सहायता मिलती रहती है। इस प्रकार सम्मिलित परिवार से अनेक लाभ हैं।

सम्मिलित परिवार से असुविधा—जहाँ सम्मिलित परिवार से अनेकों प्रकार के लाभ हैं वहाँ हानि भी है। जिस परिवार में अधिक मनुष्य रहते हैं वहाँ प्रेम के साथ द्वेष का भी अंकुर उग जाता है। एक सम्मिलित परिवार में जो अधिक परि-



गारिक जीवन विताते हुए जो प्रेम-प्रदर्शन का स्थगीय अवसर मेलता है वह अवसर मिलना दुर्लभ हो जाता है।

उपर्युक्त दोनों पक्षों की सुविधाओं और असुविधाओं पर हट्टि-पात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की सार्थकता इसीमें है कि सम्मिलित परिवार में रहकर ही जीवन व्यतीत करे। हाँ, इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि सम्मिलित परिवार में स्थार्थ का भाव बुझने न पावे। आपस में द्वेष बढ़ने न पावे। इसके लिए नीतिपूर्ण शासन की आवश्यकता है, चतुर गृह-स्वामी की ज़रूरत है।

अन्यास

निम्नलिखित विषयों पर लेख लिखो।

Write short essays on :

(१) साहस (Courage), अस्थवसाप (Perseverance), कर्तव्य (Duty), सश्चित्रता (Good-Manners), अभिमान (Pride) और स्वच्छता (Cleanliness).

(२) अंगरेज़ी शिक्षा से लाभ (Advantages of English education), समय का सदृष्टयोग (Right use of time) और भारत में ब्रिटिश शासन (British Rule in India).

(३) एकता ही बल है (Union is strength), ज्ञान ही बल है (Knowledge is power), Rome was not built in a day, पक्का तन्दुरुस्ती हजार नियामत, Habit is second nature and make hay while the sun shines.

(४) उपन्यास और भाटक, आत्मबल और पशुबल तथा मुगल-शासन तथा ब्रिटिश-शासन।

पष्ट परिच्छेद

विश्लेषणमूलक लेख

(Expository essays)

विषय-विभाग—(१) भूमिका, (२) इतिहास या विशेष वर्णन, (३) विकास और (४) लाभ हानि ।

(१) मुद्रण-यन्त्र (Press)

भूमिका—जिस यन्त्र से पुस्तकादि छापी जाती है उसे मुद्रण-यन्त्र कहते हैं। मुद्रण-यन्त्र ने संसार का जैसा उपकार किया और कर रहा है यैसा किसी भी शिल्प यन्त्र से सम्भव नहीं है।

इतिहास—छोटों का अनुमान है कि मुद्रण-यन्त्र का आधिकार पहले पहल चीन देश में हुआ था। अति प्राचीन काल में ऐसीरिया और यैचिलोनिया देश में ईट आदि पर अक्षर खोदकर उससे घोड़ा-घुत छापने का काम होता था। उसके पार काठ पर अक्षर खोदकर उसमें छापने का काम लिया जाने लगा। अंत में घानु के टारप टाटे गये जो इन दिनों काम में आ रहे हैं। काठ पर अक्षर खोदने का काम सीढ़ि के ५६ वर्ष पहले चीन में प्रारम्भ हुआ था। चीन की देशी योरोपियां भी छाँक काम जानने के लिए उत्तुर हो उठे। योरोपियां चीनियाली रो और भी अधिक तुगम आधिकार वी घुन में लग गये। पर-

स्वरूप सन् १८०० ई० में योरोप में मुद्रण-कार्य प्रारम्भ हुआ। सन् १८३६ से सन् १८३९ ई० के अमर्तमात्र योरोप में फ़िस्टर और गर्टन घर्गं नामक दो आविष्कारकों ने भिन्न-भिन्न मुद्रादान प्रणाली का आविष्कार किया। ये दोनों पहले काठ के पट्टे पर घटूत से शब्द एक ही साथ खोदकर घड़े-घड़े पेज तक उत्पाद होने की विधि में घड़े निपुण हो गये। तदुपरान्त धीरे-धीरे सारे योरोप में इस विधि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी।

विकास—सोलहवीं सदी के प्रारम्भ होने न होते जर्मनी के लोगों ने इस ओर ध्यान देना आरम्भ किया। तभी से वहाँ याले इस कला में निरन्तर उन्नति करते रहे। डेफर, स्टोनबोय आदि चतुर कारीगरों के प्रयत्न से वहाँ ध्यापने के लिए लोहे का यन्त्र बना और धातु के अशुर ढालने का काम भी प्रारम्भ हुआ। १९ थीं सदी के प्रारम्भ में धात्त-शक्ति की सहायता से एक ऐसा मुद्रण-यन्त्र तैयार किया गया जिसमें दो हजार पृष्ठ तक की पुस्तक एक ही घट्टे में छपने लगी। कुछ कालोपरान्त विजली की सहायता से छापे का यन्त्र संचालित होने लगा। तब तो १६ ऐजी समाचार-यन्त्र की प्रचापन हजार कार्यालयों प्रति घट्टे छपने लगी। धीरे-धीरे इसकी असीम उन्नति हुई। अब तो यह उन्नति के द्वितीय पर जा चढ़ा है। छापे के सम्बन्ध के सभी जंग पुष्ट हो गये। इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ है। वैज्ञानिक इस यन्त्र को और भी सुरक्षा और सुरक्षण संचालित बनाने की फ़िक्र में परीक्षान है।

उपकार—जब तक दुनिया मुद्रण-यन्त्र से अपरिचित थी तथ तक पढ़ने-लिखने में यही असुविधा होती थी। संसार के लोग कितने सदृश्यों से अमरित थे। हस्त-लिखित पुस्तकों का

प्रचार कर पाया। क्यों न हो, दाय से लिख कर लोग कहाँ तक अपनी पुस्तकों का प्रचार कर सकते हैं। किसी मन्यु को लिखने में थारों तक लग जाने चे। उसका प्रचार सैकड़ों घर्ष में भी यही कठिनता से न हो पाना पाया। मगर इस परमोपकारी पञ्च ने इस कठिनता को दूर कर दिया। मुद्रण-यन्त्र के अन्नद से ही हमारे असंख्य प्राचीन पुस्तक प्रन्थ विलुप्त हो गये। इस मुद्रण-यन्त्र से तो पुस्तक के उपने न उपते भूमण्डल की एक ओर से दूसरी ओर तक हट उसका प्रचार हो जाता है। जिससे लोगों का महान् उपकार हुआ और हो रहा है। मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार से नाना प्रकार की उपयोगी पुस्तकें और समाचार-पत्र प्रिक्षितों का प्रकरण हो रहा है जिससे सारे संसार में उप्रति की घृम मच गयी है। समाचार-पत्रों पर तो दुनिया का सारा व्यापार ही निर्मर कर रहा है। हमारी कृपमंडुकता दूर हुरं जा रही है। कितने देश मुद्रण-यन्त्र से हुए लोगों का उपभोग कर उप्रति के ऊचे शिखर पर पहुँच चुके हैं। मुद्रण-यन्त्र मानव जाति की सुख स्वच्छन्दता का एक प्रधान कारण हो गया है। सारंग यह है कि इस यन्त्र से संसार को जो लाभ हो रहा है उसका वर्णन हो नहीं सकता। यह यन्त्र हमारी भूत की तुष्ण सूतियों की रक्षा कर भूत काल के गौरव पर ध्यान दिला, वर्तमान काल की दशा का हृष्ट चित्र सामने खींच भविष्य-जीवन को प्रसात और विकसित यन्त्रों के निमित्त हमारी ओंख खोलकर अन्धकार से प्रकाश में लाया। अशान की ओर से ज़बरदस्ती ज्ञान की ओर खींच लाया।

हानि—मुद्रण-यन्त्र से जहाँ सैकड़ों लाभ हो रहे हैं वहाँ दो-चार हानियाँ भी हो रही हैं। मुद्रणकला का प्रचार होने से लोग

मनमानी पुस्तकों भी छपवाने लगे। उत्तम और उपयोगी पुस्तकों के साथ अद्वील और गम्भी-गम्भी पुस्तकों का भी प्रकाशन शुरू हो गया जिनसे समाज की धड़ी क्षति हो रही है। लोभ और स्वार्थ के चक्रमें में पढ़कर प्रकाशक लोगों ने अद्वील पुस्तकों का प्रचार इतना बड़ा दिया कि हमारी युवक-मंडली उन पुस्तकों को पढ़कर नाना प्रकार के बुटेबों में पढ़ जीवन को नष्ट करने लगी। मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार से एक हानि यह भी हुई है कि सुन्दर अक्षर लिखने की कला लोग भूल गये। इस यन्त्र के नहीं रहने पर हमारे देश में लोग बनाकर यहुत ही सुन्दर अक्षर लिखा करते थे जिनके रूप में सैकड़ों वर्ष के बाद भी परिवर्तन नहीं होता था पर आज उस तरह से लिखने की उतनी आवश्यकता न रहने के कारण हमारे लेखक उस कला को भूल देंगे।

—शशिधर

चाम्पास

१. निम्न लिखित विषयों पर निबंध लिखो।

- (१) रेलवे (Railway system) । (२) समाचार-पत्र, (News-paper) । (३) पटना विद्यालय (Patna University) । (४) भारत में डाकखाने (Postal system in India) ।

सप्तम परिच्छेद

विवादात्मक लेख

(Argumentative essays)

(१) उपन्यास पढ़ना चाहिये या नहीं

भूमिका—प्रायः देखा जाता है कि आज कल लोगों में उपन्यास पढ़ने की विशेष रुचि रहती है। प्रायः सभी भाषाओं में अन्य विषयों की पुस्तकों की अपेक्षा उपन्यास ही अधिक प्रकाशित होते हैं। पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों में उपन्यासों की ही संख्या अधिक दृष्टिगोचर होती है। सारांश यह है कि अन्य विषयों की पुस्तकों की अपेक्षा उपन्यास की मांग अधिक रहती है। परन्तु उपन्यास पढ़ना चाहिये या नहीं इस विषय में दो मत हैं। एक मत के समर्थकों का कहना है कि उपन्यास पढ़ना उचित नहीं है और दूसरे मत के समर्थकों का कहना है कि उपन्यास पढ़ना यथुत आपश्यक है। यहाँ पर दोनों पक्षवालों के मत दिये जाते हैं। दोनों की तुलना कर एक मत स्थिर कर लेना उचित है।

अनुकूल मत—(१) सिद्धान्त वाक्य कह देने से लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने से ही लोगों पर उस सिद्धान्त का विशेष असर पड़ता है और

उपन्यास से लोगों के हृदय पर पढ़ा प्रभाव पड़ता है। महाम
दालस्ताय की कहानियों और उपन्यासों से दस में हलचल मच
गयी थी। प्रेमचन्द्र का 'सेवा-सदन' समाज का जीता जागता
चित्र है। (६) साधारण पाठक भूगोल पढ़ने की इच्छा नहीं
रखते परन्तु भौगोलिक उपन्यास को चाह से पढ़ते हैं। अतः
भौगोलिक उपन्यास से भूगोल सम्बंधी बहुत यातें वे अनायास
ही जान जाते हैं। 'राविन्सन ब्रूसो' 'आदर्श हिन्दू' आदि के
पढ़ने से बहुत सी भौगोलिक यातें मालूम हो जाती हैं। (७)
विद्यार्थी गण वरावर एक ही विषय की पुस्तक पढ़ने-पढ़ने
उफता जाते हैं और उनका मस्तिष्क विश्वास ढूँढ़ता है। उपन्यास
मस्तिष्क को विश्वास देने का अच्छा साधन है। (८) उपन्यास
साहित्य का एक अंग है। रचना सम्बंधी यातों को जानने के
लिये भी उपन्यास पढ़ना आवश्यक है। उपन्यास पढ़ने से
मुहाविरेवार भाषा का लिखना सीख सकते हैं। नये-नये शब्दों
का व्यवहार जाना जा सकता है।

प्रतिकूल मत—(१) उपन्यास पढ़ना एक प्रकार का माइक्रो-
द्रष्टव्य सेवन करने के तुल्य है। एक यार उपन्यास हाथ में हैने
से फिर उसे छोड़ने को मन नहीं करता। लाना, दीना, रोना
एवं हराम हो जाता है जिससे स्थान्य विगड़ने का दा-
रहता है। (२) उपन्यास पढ़ने की जिसको आदत हो जाती
है उसका दूसरे विषय की पुस्तक पढ़ने में दिल नहीं लगता।
यही क्यों कहा करने में भी भी नहीं लगता। जो उत्तर उप-
न्यास पढ़ने के आदी हो जाते हैं उनका गमन केवल उप-
न्यास पढ़ने में ही नहीं लगता है। (३) उपन्यास पढ़ने-पढ़ने से
मनिक्षशानि उत्तर नहीं होने पर्ना। जो उपन्यास पढ़ने के

आदी हैं ये गम्भीर विषय का मनन नहीं कर सकते। उसकी मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है। (४) उपन्यास लेखक प्रायः काल्पनिक आदर्श की सूचि प्रकरते हैं। कभी-कभी वह आदर्श धास्तविक जीवन से भिन्न रहता है। कल्पना जगत की घात को जानकर कौन सा लाभ उठाया जा सकता है? (५) जिसे उपन्यास पढ़ने की चाट हो जाती है वह भले हुरे उपन्यास का विचार नहीं करता। किसी भी दंग का उपन्यास क्यों न हो, अद्वितीय भी क्यों न हो वह पढ़कर ही छोड़ता है। ऐसा करने से उसके भविष्य जीवन पर बड़ा बुरा असर पैदा होता है। (६) उपन्यास के पात्र भी प्रायः काल्पनिक ही रहते हैं। काल्पनिक पात्र का चरित्र पढ़ने से लोगों के हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा यह आशा करना दुराशा मात्र है। (७) किसी-किसी का कहना है कि उपन्यास मानसिक विश्वास का साधन है। यह सत्य नहीं है। क्योंकि मानसिक विश्वास देने के अभिप्राय से उपन्यास पढ़ने पर उसके पढ़ने की चाट हो जाती है। चाट बढ़ते-बढ़ते इस सीमा तक बढ़ जाती है कि समय का बड़ा ही दुरुपयोग होने लगते हैं और उपर्युक्त हानियों के होने की सम्भावना होने लगती है। (८) उपन्यास पढ़ने से भाषा सम्बन्धी हानि होता है यह भ सम्भेदपूर्ण है। चूँकि उपन्यास पढ़ने के समय अधिकांश पाठ इस प्रकार बेसुध हो जाते हैं कि भाषा पर विष्ट रखना कठिन। जाता है। उपन्यास में प्रतिपादित विषय के परिणाम को जान के लिए पाठक इतने अधीर हो उठते हैं कि शीघ्रता से उसमात फरने की धुन में लगे रहते हैं। भाषा की ओर जाय तथा न जान नहीं देते। किंतु एक उपन्यास को दुबारा पढ़ने की इच्छा होती ही नहीं।

उपर्युक्त दोनों प्रश्नालों की युक्तियों पर विचार करने से यदी निष्पत्ति निष्पत्ति जा सकता है कि अच्छे-अच्छे उपचारों को पढ़ना तो चाहिये मगर उपचार स पढ़ने की चाट महीलगता चाहिये। विद्यार्थियों को जहाँ तक समर्पण हो उपचार स पढ़ने से बचने ही रहना चाहिये। उपचाराम तो उस थेगी के पाठकों को पढ़ना चाहिये जो गाँव में ज्यर्य का बैठकर गाय लहराया करते हैं।

अभ्यास

(क) निम्न लिखित विषयों पर लेख लिखो ।

Write short essays on :

- (१) विध्या विद्याह होना चाहिये या नहीं ।
- (२) हिन्दू समुद्रपात्रा कर सकता है या नहीं ।
- (३) युद्ध ज्याए-संगत है या नहीं ।

॥ इति ॥

सरस्वती-पुस्तक-माला

॥१॥ प्रवेश-शुल्क देकर स्थायी प्राहृक बनने से उक्त ग्रन्थ-माला की प्रत्येक पुस्तक पैने मूल्य में अधांत् पृष्ठ रुपये की पुस्तक बारह आने में दी जायगी। इस पुस्तक-माला में ये ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं :—

१—रोहिणी

यह एक सामाजिक शिक्षाप्रद उपन्यास है। पुस्तक स्त्री-मुरुग को समान शिक्षा देनेवाली है। खिया में पातिक्रत घर्मं की शिक्षा देना इस पुस्तक का प्रधान लक्ष्य है मूल्य । ॥१॥

२—माता के उपदेश

यह एक खियोपयोगी पुस्तक है। लेखक वं० चम्दोशेखरराजी है। इसमें सात उपदेश या अध्याय हैं। उनमें एक कलित्रत माता ने बातचीत के द्वारा मातृकर्त्तव्य, जीवन की महत्ता, अर्पि बनने की आवश्यकता आदि पर कल्याओं को सदुपदेश दिया है। मूल्य । ॥२॥

३—संसार-सुख-साधन

लेखक श्रीयुत वं० गंगाप्रसाद अस्त्रिहोत्री। इस पुस्तक में पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक सुख जिनका सामन्य संसार से है जिनके लिये मनुष्य व्याहुक हो किंकर्त्तव्यविमुद् हो जाता है, उनसे बचने के दण्ड तथा दण्ड दण्ड जाति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसकी विवेचना वहे अच्छे दंग से की गयी है। मूल्य । ॥३॥

४—मोहिनी

यह एक पवित्र और शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास है। इसमें एक श्री के गुण, स्वभाव, सच्चित्रता और पातिक्रत व्य इस्य भर्तीभौति स्त्रीजा गया है। पुस्तक पढ़ने योग्य है। मूल्य । ॥४॥

५—मदान्नार-सोपान

इस गुलाह में मदान्ना भीर गिराप्यगमनी भी जाते बही ही
शुभी गे किसी गाँव है । वासिनोंगिर के लिये उथयुक्त गुलाह है । मूल्य ३॥

६—कृषि-सार

इसमें कृषि-कार्य की उपचारी भीर भवनति का विचार बहुत अच्छी
तात्र दिया है । कृषि-कामनाएँ जाने विनाशपूर्वक किसी गाँव है । यह गुलाह
प्रयोक्त रोतिहर भीर यात्रावान के काम की है । मूल्य १॥

७—विराज-बहू

यह दंग-माहिय के प्रमिद्र समाज-हितेंगी लेखक औरुता शारन्यद
चट्टोपाध्याय की 'विराज बात' गुलाह का अविकल अनुवाद है । मूल्य ॥॥

८—चारणक्य और चन्द्रगुप्त

यह उत्तरन्यास मराठी के सुयसिद्ध उत्तरन्यासकार हरिनारायण आरटे के
ग्रन्थ का अनुवाद है । अनुवादक हैं प० लक्ष्मीधर चात्तरेयी । इसमें ग्रीक,
धीर और संस्कृत-प्रन्थकारों के ऐतिहासिक आधार को लेकर नंदनार्जुन का
विवरण भीर चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य का संस्थापन दिखलाया है । चाणक्य
के राजमीतिक दौर्वयेच, चन्द्रगुप्त के समय में भारतवर्ष की दशा, मराठ-
साम्राज्य के पैमबर भाद्रि का बर्णन देखा हो सात्स और सुन्दर है । गुलाह
एक बार हाथ में लेकर छोड़ने का जी नहीं चाहता । पृष्ठ ५३६; मूल्य २॥

८ संजिलद ३॥

९—हिन्दा-गद्य-रत्नावली

गद्य-निवन्धों का अनुपम संग्रह । गद्य ही कवियों की कसाई है ।
इस ग्रन्थ में सुलेखकों के उत्तम उत्तम लेखों का संग्रह है । संग्रहकर्ता भी

हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक वियोगी हरि हैं। पुस्तक के अन्त में हिट शब्दों का कोश पूर्व लेखकों का संक्षिप्त परिचय भी जोड़ दिया गया है। विद्यार्थी-काँ के बड़े काम की चीज़ है। पृष्ठ संख्या १९२। मूल्य केवल ॥५॥

१०—हिन्दी-पद्य-रत्नावली

पद्य-भागों का अनुपम संग्रह। इस पुस्तक में केवल ऐसी कविताओं को स्थान दिया गया है, जिनमें भगवद्भक्ति, विशुद्ध प्रेम, और भाव, प्रकृतिसंन्दर्भ और नीति-नैतिक का विवांकण देखने में आया है। आरम्भ में भूमिका व अन्त में हिट शब्दों का कोष पूर्व लेखकों का संक्षिप्त परिचय भी जोड़ दिया गया है। मूल्य ॥६॥

११—साहित्य-रत्न-मंजूषा

ग्रन्थ-पद्य-साहित्य का अनुपम संग्रह। हिन्दी भाषा और साहित्य की योग्यता के साथ सदाचार और नीति की शिक्षा का भी ज्यान रक्खा गया है। पुस्तक के अन्त में हिट शब्दों का अर्थ भी दें दिया गया है। मूल्य ॥७॥

१२—श्रीमद्भगवद्गीता

सटीक—वेद और उपनिषदों का सार है। इसलिए प्रथेक हिन्दू को पाठ करना चाहिये। मूल्य ।-

१३—श्री सुन्दरकांड रामायण

सटीक—तुलसीदासजी के रामायण का संसार में महत्व है ही, उसमें भी सुन्दरकांड का पाठ धार्मिक शिक्षा व ज्ञान-वृद्धि के लिए अति श्रेष्ठ है। मूल्य ।-

१४—तुलसीदास की दोहावली

सटीक व सुन्दर संस्करण। इसमें कठिन-कठिन शब्दों की टिप्पणी भी

